VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सितम्बर 2025

मासिक समसामयिकी

8468022022 | 9019066066 www.visionias.in

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी
हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2026

इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम

- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
- नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
- प्री फाउंडेशन कक्षाएं
- सीसैट कक्षाएं
- PT 365 कक्षाएं
- MAINS 365 कक्षाएं
- PT टेस्ट सीरीज
- मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
- निबंध टेस्ट सीरीज
- सीसैट टेस्ट सीरीज
- निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
- करेंट अफेयर्स मैगजीन

नोट: ऑनलाइन छात्र हमारे पाठ्यक्रम की लाइव वीडियो कक्षाएं अपने घर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। छात्र लाइव चैट विकल्प के माध्यम से कक्षा के दौरान अपने संदेह और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। वे अपने संदेह और प्रश्न नोट भी कर सकते हैं और दिल्ली केंद्र में हमारे कक्षा सलाहकार को बता सकते हैं और हम फोन/मेल के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देंगे।

DELHI : 11 सितम्बर, 2 PM | **JAIPUR : 22 सितम्बर**

JODHPUR : 3 अक्टूबर

फास्ट ट्रैक कोर्स 2026

सामान्य अध्ययन प्रीलिम्स

इस कोर्स का उद्देश्य

GS प्रीलिम्स कोर्स विशेष रूप से उन अभ्यर्थियों के लिए तैयार किया गया है जो GS पेपर I की तैयारी में अपने स्कोर को बढ़ाना चाहते हैं। इसमें GS पेपर I प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस, विगत वर्षों के UPSC पेपर का विश्लेषण और Vision IAS के क्लासरूम टेस्ट की प्रैक्टिस एवं चर्चा शामिल होगी। हमारा लक्ष्य है कि अभ्यर्थी बेहतर परफॉर्म करें और कोर्स पूरा करने के बाद अपने प्रीलिम्स स्कोर में एक बड़ा सुधार करें।

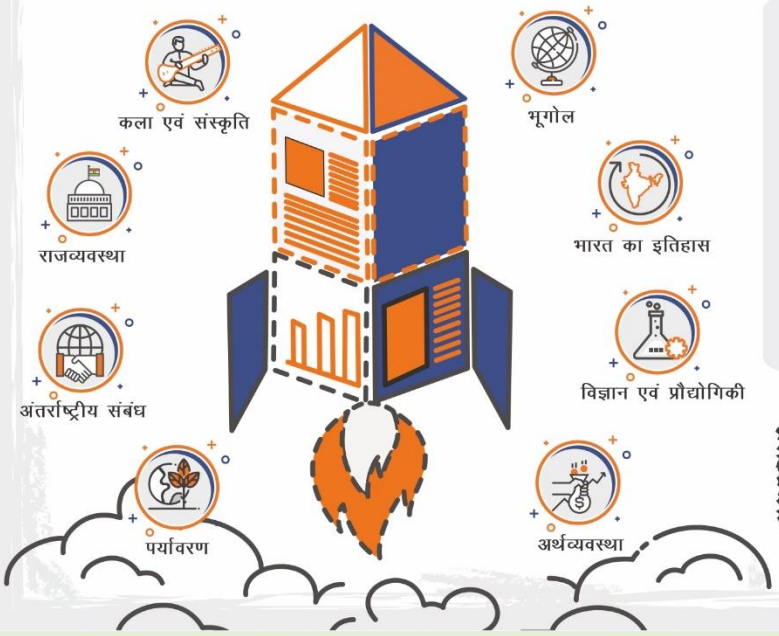

इसमें निम्नलिखित शामिल है:

- पर्सनल स्टूडेंट प्लेटफ़ॉर्म पर रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस तक पहुंच
- प्रीलिम्स सिलेबस के लिए विस्तृत, प्रासंगिक और अपडेटेड स्टडी मटेरियल की सॉफ्ट कॉपी
- सेक्शनल मिनी टेस्ट और कॉम्प्रिहेंसिव करेंट अफेयर्स

हिन्दी माध्यम
13 OCT, 5 PM

ENGLISH MEDIUM
13 OCT, 2 PM

विषय-सूची

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance).....5

1.1. राजनीति का अपराधीकरण 5

1.2. न्यायिक लंबितता..... 6

1.3. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग 8

1.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां 9

1.4.1. भारतीय और फ्रांसीसी राजनीतिक प्रणालियां 9

1.4.2. 'विशाखापत्तनम घोषणा-पत्र'..... 10

1.4.3. आप्रवास और विदेशी विषयक (उन्मुक्ति) आदेश, 2025 10

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) 12

2.1. शंघाई सहयोग संगठन..... 12

2.2. भारत-चीन संबंध..... 13

2.3. भारत-जापान साझेदारी 15

2.4. संक्षिप्त सुर्खियां 17

2.4.1. नया रणनीतिक यूरोपीय संघ-भारत एजेंडा 17

2.4.2. भारत और इजरायल 18

2.4.3. भारत-सिंगापुर 19

2.4.4. पाकिस्तान और सऊदी अरब सामरिक पारस्परिक रक्षा समझौता..... 19

2.4.5. अनेक देशों ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की..... 20

2.4.6. वैश्विक ए.आई. शासन के लिए नई पहलें 21

2.4.7. नरसंहार के अपराध की रोकथाम और दंड पर अभिसमय 21

2.4.8. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय 22

2.4.9. स्कारबोरो शोल 22

2.4.10. बगराम एयरबेस 23

3. अर्थव्यवस्था (Economy).....24

3.1. वस्तु एवं सेवा कर सुधार..... 24

3.1.1. GSTAT और GSTAT ई-कोर्ट पोर्टल का शुभारंभ26

3.2. भारत का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम..... 27

3.3. प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (पीएम मित्र) योजना..... 29

3.4. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, 2022..... 31

3.5. सरफेसी अधिनियम, 2002..... 33

3.6. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना..... 35

3.7. संक्षिप्त सुर्खियां..... 38

3.7.1. राज्य वित्त 2022-23 रिपोर्ट 38

3.7.2. वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (ASI) 2023-24 के परिणाम जारी किए गए 38

3.7.3. औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली (IPRS) 3.0..... 39

3.7.4. वित्त मंत्रालय ने बड़े जहाजों को 'अवसंरचना' का दर्जा प्रदान किया..... 40

3.7.5. कैबिनेट ने जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए पैकेज को मंजूरी प्रदान की..... 41

3.7.6. एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम 41

3.7.7. भारती पहल..... 41

3.7.8. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) 2025 42

3.7.9. विश्व व्यापार रिपोर्ट 2025 43

3.7.10. OECD की इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट..... 44

3.7.11. पॉलीमेटैलिक सल्फाइड्स 44

3.7.12. यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन..... 45

3.7.13. हॉलमार्किंग 45

3.7.14. अफीम की खेती..... 45

4. सुरक्षा (Security) 47

4.1. भारत में साइबर अपराध..... 47

4.2. प्रवर्तन निदेशालय 49

4.3. संक्षिप्त सुर्खियां..... 51

4.3.1. हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी 51

4.3.2. विदेश में स्थित भारत का पहला रक्षा निर्माण संयंत्र52

4.3.3. आन्द्रोत 53

4.3.4. एक्सटेंडेड रेंज अटैक म्यूनिशन 54

4.3.5. कुकी-ज़ो समूहों के साथ शांति समझौता..... 55

4.3.6. सुर्खियों में रहे सैन्य अभ्यास 55

4.3.7. ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट 56
5. पर्यावरण (Environment) 57
5.1. संयुक्त राष्ट्र 'खुला समुद्र' संधि 57
5.2. संधारणीय विकास: लोगों की आवश्यकताओं के साथ विकास का संतुलन 59
5.3. सार्वजनिक परामर्श और पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) 61
5.4. पर्यावरण लेखा परीक्षा नियम, 2025 63
5.5. वन (संरक्षण एवं संवर्धन) संशोधन नियम, 2025 64
5.6. हरित ऋण (क्रेडिट) कार्यक्रम 66
5.7. राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति 67
5.8. राष्ट्रीय बायोफाउंड्री नेटवर्क एवं बायोई3 नीति 70
5.9. भारत में नदी प्रदूषण 72
5.10. ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना 74
5.11. भारत में बांध-सुरक्षा 76
5.12. आपदा जोखिम वित्तपोषण 78
5.13. संक्षिप्त सुर्ख़ियां 81
5.13.1. राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (SEEI), 2024 81
5.13.2. मानसून से संबंधित चरम मौसमी घटनाएं 81
5.13.3. वैश्विक जल संसाधनों की स्थिति 2024 82
5.13.4. प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट 2025 82
5.13.5. ग्रे राइनो परिघटना 83
5.13.6. सुपर टाइफून 83
5.13.7. सुर्ख़ियों में रही जलविद्युत परियोजनाएं 83
5.13.8. बैरन द्वीप ज्वालामुखी 84
6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues) 85
6.1. नेपाल में जेन-Z का विरोध प्रदर्शन 85
6.2. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (PWDVA), 2005 87
6.3. भारत में प्रजनन दर में गिरावट 89
6.4. मोटापा और ओवरवेट 92
6.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां 94
6.5.1. महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध व निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH Act) 94
6.5.2. स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान 94
6.5.3. "सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति: जेंडर स्नैपशॉट 2025" 95
6.5.4. यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (UDISE+) 2024-25 रिपोर्ट 95
6.5.5. व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण (CMS): शिक्षा 96
6.5.6. राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) 2025 97
6.5.7. भारत में सड़क दुर्घटनाएं, 2023 रिपोर्ट 97
7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science & Technology) 99
7.1. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) एवं स्वास्थ्य देखभाल 99
7.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां 101
7.2.1. ऑन्कोलिटिक एवं व्यक्तिगत mRNA वैक्सीन 101
7.2.2. विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत न्यूट्रिनो डिटेक्टर सक्रिय हुआ 102
7.2.3. एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट्स (ENTs) 103
7.2.4. क्वासी-मून 103
7.2.5. भारत का सबसे बड़ा लिथियम-आयन (Li-ion) बैटरी विनिर्माण संयंत्र 103
7.2.6. हाइरार्किकल रीजनिंग मॉडल (HRM) 105
7.2.7. आयुर्वेद आहार 105
7.2.8. द्रव्य पोर्टल 106
8. संस्कृति 107
8.1. दादाभाई नौरोजी की 200वीं जयंती 107
8.2. आत्म-सम्मान आंदोलन के 100 वर्ष 108
8.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां 110
8.3.1. FIDE विश्व कप 110
8.3.2. वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 110
8.3.3. राजा पृथु राय 111
8.3.4. मैग्सेसे पुरस्कार 111
8.3.5. ज्ञान भारतम पोर्टल 111

9. नीतिशास्त्र (Ethics).....113

9.1. नैतिक सत्यनिष्ठा 113

9.2. बिग टेक कंपनियाँ और AI की नैतिकता: एक बढ़ती नियामक चुनौती..... 116

10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News) 120

10.1. पी.एम. स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पी.एम. स्वनिधि) योजना 120

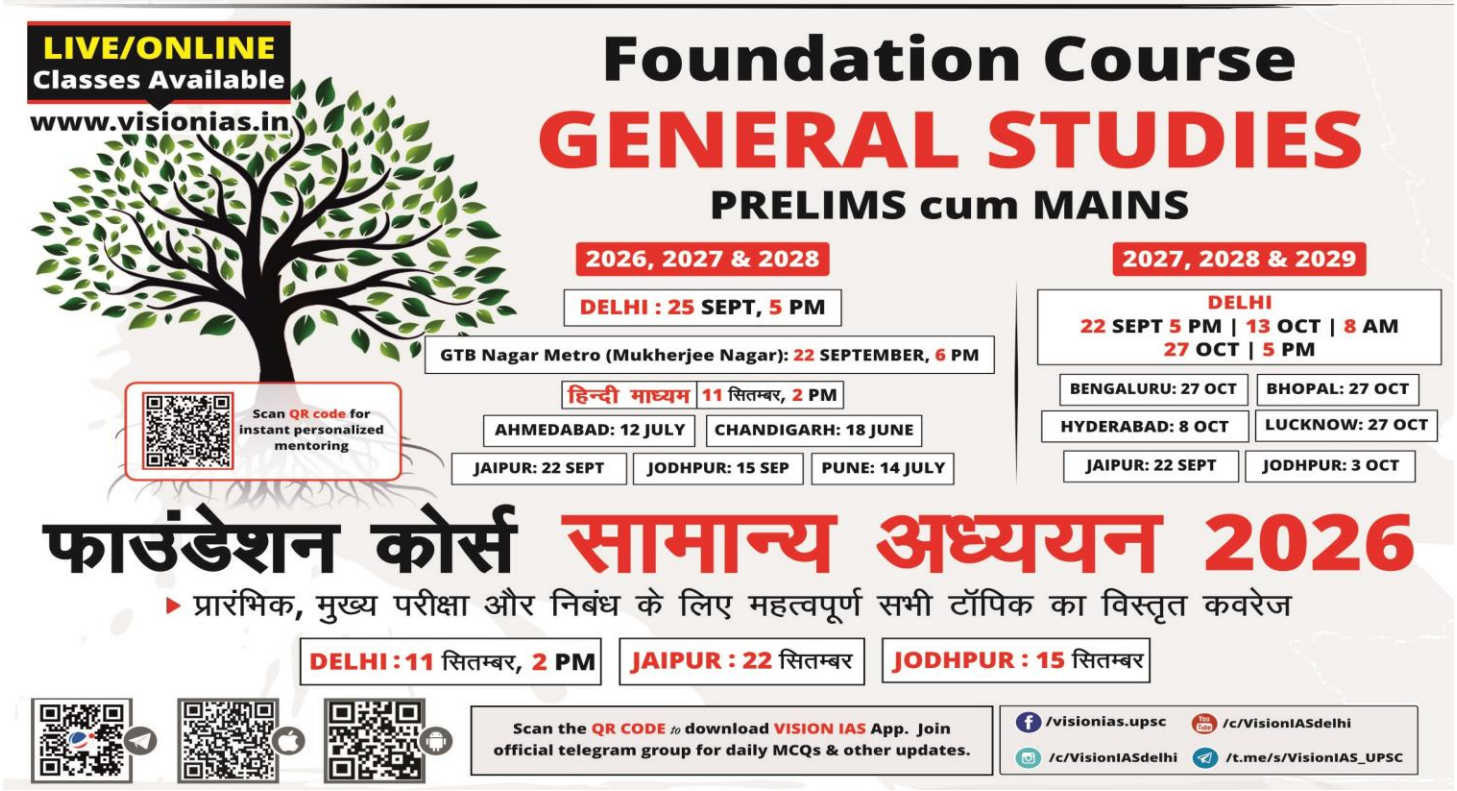

नोट:

प्रिय अभ्यर्थियों,

करेंट अफेयर्स को पढ़ने के पश्चात् दी गयी जानकारी या सूचना को याद करना और लंबे समय तक स्मरण में रखना आर्टिकल्स को समझने जितना ही महत्वपूर्ण है। मासिक समसामयिकी मैगज़ीन से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, हमने निम्नलिखित नई विशेषताओं को इसमें शामिल किया है:

	विभिन्न अवधारणाओं और विषयों की आसानी से पहचान तथा उन्हें स्मरण में बनाए रखने के लिए मैगज़ीन में बॉक्स, तालिकाओं आदि में विभिन्न रंगों का उपयोग किया गया है।
	पढ़ी गई जानकारी का मूल्यांकन करने और उसे याद रखने के लिए प्रश्नों का अभ्यास बहुत जरूरी है। इसके लिए हम मैगज़ीन में प्रत्येक खंड के अंत में स्मार्ट क्विज़ को शामिल करते हैं।
	विषय को आसानी से समझने और सूचनाओं को याद रखने के लिए विभिन्न प्रकार के इंफोग्राफिक्स को भी जोड़ा गया है। इससे उत्तर लेखन में भी सूचना के प्रभावी प्रस्तुतीकरण में मदद मिलेगी।
	सुर्ख़ियों में रहे स्थानों और व्यक्तियों को मानचित्र, तालिकाओं और चित्रों के माध्यम से वस्तुनिष्ठ तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इससे तथ्यात्मक जानकारी को आसानी से स्मरण रखने में मदद मिलेगी।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

मासिक समसामयिकी रिवीजन कक्षाएं 2026

GS प्रीलिम्स और मेन्स

हिन्दी माध्यम | 30 AUG | 2 PM

English Medium | 28 SEPT | 2 PM

अधिक जानकारी के लिए स्कैन करें

Live/Online Classes are available

VISIONIAS
DAKSHA MAINS
MENTORING PROGRAM 2026

दक्ष : मुख्य परीक्षा 2026 के लिए मेंटरिंग प्रोग्राम

(मुख्य परीक्षा 2026 के लिए स्ट्रेटेजिक रिवीजन / प्रैक्टिस और आवश्यक सुधार हेतु मेंटरिंग कार्यक्रम)

दिनांक: 1 अक्टूबर
अवधि: 5 महीने
हिन्दी/English माध्यम

कार्यक्रम की विशेषताएं

- अत्यधिक अनुभवी और योग्य मेंटर्स की टीम
- अधिकतम अंक दिलाने और प्रदर्शन में सुधार पर विशेष बल
- 'दक्ष' मुख्य परीक्षा प्रैक्टिस टेस्ट की सुविधा
- मेंटर के साथ वन–टू–वन सेशन
- मुख्य परीक्षा हेतु सामान्य अध्ययन, निबंध और नीतिशास्त्र विषयों के लिए रिवीजन एवं प्रैक्टिस की बेहतर व्यवस्था
- शोध आधारित और विषय के अनुसार रणनीतिक डॉक्यूमेंट्स
- रणनीति पर चर्चा, लाइव प्रैक्टिस और अन्य प्रतिस्पर्धियों से चर्चा के लिए पूर्व निर्धारित ग्रुप–सेशन
- अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का लगातार मूल्यांकन, निगरानी और आवश्यक सुधार के लिए सुझाव

For any assistance call us at:
+91 8468022022, +91 9019066066
enquiry@visionias.in

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

1.1. राजनीति का अपराधीकरण (Criminalisation of Politics)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में पाया गया है कि **भारत में** केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रियों सहित लगभग **47% मंत्रियों ने अपने विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है**। इन मामलों में से 27% मामले गंभीर अपराध के हैं।

राजनीति का अपराधीकरण

राजनीति के अपराधीकरण से तात्पर्य **राजनीतिक एवं चुनावी प्रक्रिया में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के प्रवेश और भागीदारी से** है।

राजनीति के अपराधीकरण के कारण

- **राजनेता-अपराधी गठजोड़:** अपराधी अपने बचाव (या प्रतिरक्षा) और वैधता प्राप्त करने के लिए राजनीति में प्रवेश करते हैं। वहीं दूसरी ओर, राजनेता और राजनीतिक दल उन्हें अपने बाहुबल और वित्तीय शक्ति के लिए उपयोग करते हैं। इस प्रकार पारस्परिक लाभ का एक दुष्चक्र बन जाता है।
  - **वोहरा समिति की रिपोर्ट (1993)** ने भारतीय प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था में राजनेताओं, अपराधियों और नौकरशाहों के गठजोड़ पर प्रकाश डाला है।
- **"विजयी होने की संभावना वाले" उम्मीदवार:** ADR के 2024 के आंकड़ों के अनुसार, आपराधिक आरोपों वाले उम्मीदवारों की सफलता दर 15.3% थी, जबकि बिना किसी आपराधिक मामले वाले उम्मीदवारों की सफलता दर बहुत कम अर्थात केवल 4.4% थी।
- **चुनावों की उच्च लागत:** चुनाव अभियानों के वित्तपोषण के लिए उम्मीदवार और दल अक्सर "काले धन" और माफिया से प्राप्त धन पर निर्भर रहते हैं।
- **धीमी न्याय व्यवस्था:** सांसदों (MPs) और विधायकों (MLAs) की कम दोषसिद्धि दर तथा मुकदमों में विलंब, राजनीतिक दलों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को टिकट देने से नहीं रोकती है।
  - ADR की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 2009 से आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सांसदों की संख्या में 55% की वृद्धि हुई है
- **पहचान की राजनीति:** भारतीय समाज जाति, धर्म, समुदाय और भाषा के आधार पर गहराई से विभाजित है। अपराधी इन विभाजनों का लाभ उठाकर चुनावी प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं और खुद को अपने विशेष समूह के रक्षक के रूप में पेश करते हैं।

राजनीति के अपराधीकरण को कम करने के लिए संवैधानिक और कानूनी प्रावधान

- **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951**
  - **धारा 8 के अंतर्गत अयोग्यता:** जघन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए या दो वर्ष अथवा उससे अधिक की सजा पाने वाले व्यक्तियों को अयोग्य घोषित किया जाता है।

Digital Current Affairs
संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025 पर हमारा पिछला कवरेज पढ़िए

- **धारा 11:** यह धारा निर्वाचन आयोग को अयोग्यता की अवधि को हटाने या कम करने की शक्ति प्रदान करती है। इस शक्ति का उपयोग सितंबर 2019 में प्रेम सिंह तमांग की अयोग्यता अवधि को कम करने के लिए किया गया था।

- **हालिया पहल**
  - **130वां संवैधानिक संशोधन विधेयक:** यह विधेयक अनुच्छेद 75 और 164 में संशोधन करने का प्रयास करता है। इसमें उपबंधित है कि यदि किसी मंत्री को ऐसे अपराध के लिए गिरफ्तार करके लगातार 30 दिनों तक जेल में रखा जाता है, जिसके लिए कम से कम पांच वर्ष की सजा निर्धारित की गई हो, तो उस मंत्री को उसके पद से हटा दिया जाएगा।

आगे की राह

- **झूठे हलफनामों के लिए दंड बढ़ाया जाना:** झूठे हलफनामे दाखिल करने की सजा को बढ़ाकर न्यूनतम दो वर्ष कारावास किया जाना चाहिए। साथ ही, इस अपराध को अयोग्यता का आधार भी बनाया जाना चाहिए। यह अनुशंसा **244वीं विधि आयोग रिपोर्ट, 2014** द्वारा की गई थी।
- **निर्वाचन के लिए समर्पित पीठ:** उच्च न्यायालयों को चुनाव याचिकाओं की दैनिक सुनवाई के लिए समर्पित चुनाव पीठों की स्थापना करनी चाहिए, ताकि उम्मीदवारों की अयोग्यता से पहले समय पर दोषसिद्धि सुनिश्चित हो सके।
- **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 11 की समीक्षा:** गंभीर अपराधों के लिए दोषसिद्धि को अयोग्यता की अवधि कम करने के निर्वाचन आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जाना चाहिए।
- **वित्तीय एवं पारदर्शिता संबंधी सुधार:** राजनीतिक दलों को RTI अधिनियम, 2005 के अंतर्गत लाया जाना चाहिए।

1.2. न्यायिक लंबितता (Judicial Pendency)

सुर्ख़ियों में क्यों?

उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या अब तक के उच्चतम स्तर 88,417 पर पहुँच गई है।

अन्य संबंधित तथ्य

जिला न्यायालयों में लगभग **4.6 करोड़** और उच्च न्यायालयों में लगभग **63 लाख मामले लंबित हैं** (राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड)।

मामलों के लंबित होने के कारण

- **अपर्याप्त न्यायाधीश/जनसंख्या अनुपात**: भारत में प्रति दस लाख लोगों पर केवल 21 न्यायाधीश हैं, जबकि **120वीं विधि आयोग** ने प्रति दस लाख लोगों पर **50 न्यायाधीशों** का अनुपात अनुशंसित किया था।
- **वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) की अप्रभावशीलता:** न्याय की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए ADR को प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया गया है।
  - **ग्राम न्यायालय** को ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे दावों को निपटाने और मुख्य न्यायपालिका के कार्य भार को कम करने के लिए प्रस्तावित किया गया था। हालांकि, अधिकांश राज्यों में ग्राम न्यायालय प्रभावी रूप से स्थापित नहीं किए गए हैं।
- **प्रणालीगत और प्रक्रियात्मक अक्षमताएँ**: भारत में न्यायिक विलंब कई कारणों जैसे कि बार-बार अपील किया जाना, बार-बार स्थगन, झूठी मुकदमेबाजी, अस्पष्ट कानून, कमजोर अनुपालन तथा खराब केस प्रबंधन आदि से होता है।

- प्रायः समान प्रकृति के मामलों का व्यवस्थित समूहीकरण या तात्कालिकता के आधार पर वर्गीकरण नहीं किया जाता है, जिससे दक्षता में कमी आती है।

- **न्यायिक अवसंरचना और तकनीकी कमियां:** भारत की न्यायपालिका को सहायक कर्मचारियों की कमी, निचली अदालतों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव, सीमित तकनीकी उपकरण और डिजिटल तकनीक को धीमी गति से अपनाने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- **वित्तीय बाधाएं:** भारत रक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 2% जबकि न्यायपालिका पर केवल 0.1% व्यय करता है।
- **सरकार एक प्रमुख वादी के रूप में:** कुल मुकदमों में लगभग 50% मुकदमों के लिए सरकारी एजेंसियां जिम्मेदार हैं।

न्यायालय लंबितता का प्रभाव

- **मूल अधिकारों का उल्लंघन:** हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य (1979) मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि त्वरित न्याय पाने का अधिकार **अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार)** का अभिन्न अंग है।
- **सामाजिक निहितार्थ**
  - **कानून के शासन का कमजोर होना:** आपराधिक मुकदमों में देरी अपराधियों को प्रोत्साहित करती है और न्याय के निवारक प्रभाव को कम करती है।
  - **गरीबों पर असमान प्रभाव:** भारत में लगभग **76% विचाराधीन कैदी** बिना दोषसिद्धि के जेल में बंद हैं।
- **आर्थिक निहितार्थ**
  - **मुकदमेबाजी की बढ़ी हुई लागत:** पक्षकारों को बार-बार होने वाली सुनवाई, स्थगन और वकीलों की फीस पर भारी खर्च करना पड़ता है।
  - **रुकी हुई परियोजनाएं:** भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय स्वीकृति के मामले अवसंरचना के विकास में बाधा डालते हैं।
- **विश्वास में कमी:** नागरिकों का न्यायपालिका पर विश्वास कम होता जा रहा है जिससे वे कभी-कभी विवाद समाधान के लिए गैर-कानूनी उपायों का सहारा लेते हैं।
  - **न्याय देने में देरी** इतनी व्यवस्थित हो गई है कि इसे एक **"नए बचाव"** के रूप में देखा जा सकता है, जहां किसी मामले को लम्बा खींचना एक पक्ष के लिए रणनीतिक लाभ का साधन बन गया है।

मुकदमों के लंबित मामलों को कम करने के लिए सरकार की योजनाएं/पहलें

- **न्याय वितरण और विधिक सुधार हेतु राष्ट्रीय मिशन (NMJDLR- 2011):** लंबित मामलों और विलंब को कम करना, न्यायिक अवसंरचना को सुदृढ़ करना और प्रक्रियात्मक सुधार लागू करना।
- **न्यायपालिका के लिए अवसंरचना के विकास हेतु केंद्र प्रायोजित योजना (CSS):** न्यायालय भवन, न्यायाधीशों के लिए आवासीय इकाइयां, वकील सभागार, शौचालय और न्यायालयों में डिजिटल सुविधा का विकास करना।
- **ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना (चरण I, II, III):** न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण, ई-फाइलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल कोर्ट, वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, न्यायाधीशों के लिए JustIS ऐप का उपयोग करना।
- **वाणिज्यिक न्यायालय (वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अंतर्गत):** वाणिज्यिक विवादों का त्वरित निपटान, आर्थिक क्षेत्राधिकार में कमी, इलेक्ट्रॉनिक केस प्रबंधन प्रणाली लागू करना।
- **फास्ट ट्रैक कोर्ट (FTC):** लंबे समय से लंबित और जघन्य आपराधिक मामलों का शीघ्र निपटान करने हेतु स्थापित किए गए थे। उदाहरण एन.आई.ए. कोर्ट, पॉक्सो कोर्ट आदि।
- **वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्र:** नियमित न्यायालयों के बाहर विवादों का निपटारा, लोक अदालतों, मध्यस्थता, पंचनिर्णय आदि के माध्यम से बोझ को कम करना।

आगे की राह

- **एक केंद्रीय प्राधिकरण की स्थापना:** भारतीय न्यायालयों हेतु कार्यात्मक अवसंरचना की योजना बनाने, निर्माण, प्रबंधन और रखरखाव के लिए **राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण (NJIA)** की स्थापना आवश्यक है। NJIA की स्थापना का प्रस्ताव पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना द्वारा 2021 में किया गया था।
  - मामलों के प्रबंधन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की क्षमता का भी पता लगाया जाना चाहिए।
- **तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति:** संविधान के अनुच्छेद 128 और 224A के अंतर्गत प्रावधानों को लागू करते हुए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अनुभवी सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जाना चाहिए।

- **लक्ष्य और समय-सीमा निर्धारित करना:** उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों को लंबित मामलों के निपटारे हेतु वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए द्विमासिक या त्रैमासिक निष्पादन समीक्षा करनी चाहिए।
- **स्थगन को नियंत्रित करना:** कमजोर या तकनीकी आधार पर स्थगन देने की प्रथा को सख्ती से नियंत्रित किया जाना चाहिए क्योंकि इससे महत्वपूर्ण न्यायिक समय की बर्बादी होती है।
- **मुकदमेबाजी प्रथाओं में सुधार:** सरकारी मुकदमेबाजी को कम और **स्पष्ट कानूनों का मसौदा** तैयार किया जाना चाहिए। साथ ही, **समय पर अनुपालन** सुनिश्चित करने के साथ-साथ **निरर्थक मामलों** को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **ADR तंत्र को प्राथमिकता देना:** अनावश्यक मुकदमेबाजी को कम करने के लिए ADR का विस्तार और स्थानीय स्तर पर विवाद निपटान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
    - विधिक सेवा प्राधिकरणों को नए मामलों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए बड़े पैमाने पर **पूर्व-विवाद मध्यस्थता** का उपयोग करना चाहिए।

1.3. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (National Medical Commission: NMC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने हाल ही में **पाँच वर्ष पूरे** किए हैं।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के बारे में

- **स्थापना:** यह **राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019** के तहत गठित एक **वैधानिक निकाय** है; यह **25 सितंबर 2020 को प्रभावी** हुआ।
    - इसे **भारतीय चिकित्सा परिषद (MCI)** के स्थान पर स्थापित किया गया है। साथ ही, इसकी स्थापना के बाद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को भंग कर दिया गया।
- आयोग में **केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त** निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होते हैं:
    - एक अध्यक्ष
    - 10 पदेन सदस्य
    - 22 अंशकालिक सदस्य
- **NMC के अंतर्गत स्थापित चार स्वायत्त बोर्ड:**
    - स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड
    - स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड
    - चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड
    - एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड।

NMC के साथ समस्याएं

- **शासन संबंधी अंतर: डॉक्टरों का प्रभुत्व वाला निकाय होने के कारण जवाबदेही सीमित हो जाती है**; इसमें जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों, सामाजिक वैज्ञानिकों या नागरिक प्रतिनिधियों की भागीदारी का अभाव होता है।
    - NMC केवल पंजीकृत चिकित्सकों को ही अपील करने की अनुमति देता है, जिसके कारण कानूनी रूप से कोई प्रतिबंध न होने के बावजूद मरीजों की शिकायतों को व्यवस्थित रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है।
- **शुल्क विनियमन:** यह **केवल 50% निजी सीटों** के लिए शुल्क नियंत्रित करता है; अन्य सीटों पर अत्यधिक शुल्क वसूले जाने की आशंका बनी रहती है, जिससे गरीब छात्रों के लिए प्रवेश कठिन हो जाता है।

- **नैतिकता निरीक्षण:** कदाचार के मामलों को **न्यायिक विशेषज्ञता या किसी निश्चित समय-सीमा के बिना** निपटाया जाता है, जिससे निष्पक्षता को लेकर चिंताएं उत्पन्न होती हैं।
- **राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर (NMR):** NMR में चिकित्सकों की योग्यताओं को अद्यतन और सत्यापन करने की प्रक्रिया बहुत धीमी रही है। इसके कारण अयोग्य व्यक्तियों द्वारा चिकित्सा पद्धति अपनाने की आशंका बनी रहती है।

निष्कर्ष

यद्यपि NMC भारत में **चिकित्सा प्रशासन के आधुनिकीकरण** की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, फिर भी **पारदर्शी, जवाबदेह और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली** के निर्माण के लिए **सुलभता, नैतिक निरीक्षण और समावेशिता** से जुड़ी चिंताओं का समाधान करना आवश्यक है।

1.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

1.4.1. भारतीय और फ्रांसीसी राजनीतिक प्रणालियां (Indian and French Political Systems)

हाल ही में फ्रांस की संसद ने प्रधान मंत्री के साथ-साथ वहां की सरकार को हटाने के लिए मतदान किया है, जिससे देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई है।

भारतीय और फ्रांसीसी राजनीतिक प्रणालियों के बीच तुलना

- **समानताएं:** निर्वाचित राष्ट्राध्यक्षों वाली **गणतांत्रिक शासन प्रणाली, द्विसदनीय विधायिकाएं, लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व** पर बल आदि।
- **भिन्नताएं:** (तालिका देखें)

पहलू	भारत	फ्रांस
संवैधानिक मॉडल	**संसदीय गणतंत्र;** एकल कार्यपालिका जिसका नेतृत्व प्रधान मंत्री करता है तथा राष्ट्रपति केवल औपचारिक भूमिका निभाता है।	**अर्ध-राष्ट्राध्यक्ष प्रणाली,** जिसमें दो कार्यपालिका होती है (यानी राष्ट्रपति + प्रधान मंत्री)।
राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया	**एकल संक्रमणीय मत** और **गुप्त मतदान** के जरिये निर्वाचक मंडल द्वारा **अप्रत्यक्ष चुनाव।**	**प्रत्यक्ष चुनाव** – सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा।
प्रधान मंत्री का चयन/ हटाना	**प्रधान मंत्री का चुनाव लोक सभा** द्वारा किया जाता है और उसे **लोक सभा का विश्वास बनाए रखना** होता है।	**प्रधान मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता** है, लेकिन उसे नेशनल असेंबली का विश्वास बनाए रखना होता है।
संघीय ढांचा	**अर्ध-संघीय;** संघीय और एकात्मक दोनों विशेषताओं का मिश्रण।	**एकात्मक;** केंद्रीकृत सत्ता, स्थानीय सरकारें केंद्रीय एजेंसियों के रूप में कार्य करती हैं।
पंथनिरपेक्षता के प्रति दृष्टिकोण	**सकारात्मक दृष्टिकोण:** राज्य तटस्थ रहता है, लेकिन **सुधार के लिए हस्तक्षेप** कर सकता है (जैसे – अस्पृश्यता समाप्त करना)।	फ्रांस में **लैसिटे (Laïcité)** का सख्ती से पालन किया जाता है, जो धर्म और राज्य को पूरी तरह अलग रखता है (जैसे – धार्मिक प्रतीकों पर पाबंदी)।

1.4.2. 'विशाखापत्तनम घोषणा-पत्र' (Visakhapatnam Declaration)

इस घोषणा-पत्र को **28वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन** में अपनाया गया है। इसमें सरकारी तंत्र द्वारा मिलकर कार्य करने की मांग की गई, ताकि सार्वजनिक सेवाओं को डिजिटल कौशल के साथ मजबूत किया जा सके और डेटा-आधारित प्रणाली का तेजी से विकास किया जा सके।

विशाखापत्तनम घोषणा-पत्र के मुख्य प्रस्तावों पर एक नजर

- **राष्ट्रीय दृष्टिकोण:** समावेशी, नागरिक-केंद्रित और पारदर्शी शासन को बढ़ावा देना, जिसमें **न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन** पर बल दिया गया हो।
- **प्रौद्योगिकी-आधारित शासन: AI, ML, ब्लॉकचेन, GIS, IoT और डेटा एनालिटिक्स** को अपनाकर बहुभाषी, वास्तविक समय आधारित एवं क्षेत्रक-विशिष्ट नागरिक सेवाएं प्रदान करना। इसमें **नैतिकता और पारदर्शिता अपनाने** की जरूरत पर बल दिया गया है।
  - **उदाहरण:** डिजिटल इंडिया भाषिणी, डिजी यात्रा, NADRES V2 आदि।
- **सफल मॉडल्स का विस्तार: SAMPADA/संपदा 2.0 (मध्य प्रदेश), ई-खाता (बेंगलुरु), रोहिणी ग्राम पंचायत (महाराष्ट्र), NHAI का ड्रोन एनालिटिक्स मॉनिटरिंग सिस्टम (DAMS)** आदि जैसे मॉडल्स के राष्ट्रव्यापी विस्तार पर ध्यान केंद्रित करना।
- **जमीनी स्तर और समावेशी विकास:**
  - **भौगोलिक पहुंच:** नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट (NeSDA) ढांचे के तहत कनेक्टिविटी की समस्या वाले क्षेत्रों जैसे **उत्तर-पूर्व और लद्दाख** तक पहुंच बढ़ाना।
  - सफल **पंचायत डिजिटल मॉडल्स का पूरे देश में विस्तार;** महिलाओं, युवाओं आदि को लक्षित कर **डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम** शुरू करना इत्यादि।
- **साइबर सुरक्षा और क्षमता निर्माण: जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, पोस्ट-क्वांटम सुरक्षा तथा AI आधारित निगरानी** जैसी तकनीकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रकों जैसे **परिवहन, रक्षा एवं नागरिक सेवा प्लेटफॉर्म** में लागू करना।
- **कृषि और संधारणीयता: नेशनल एग्री स्टैक** के माध्यम से किसानों को बेहतर क्रेडिट, सलाह और बाजार तक पहुंच प्रदान करना।
- **अन्य पहलें:** सरकार, उद्योग एवं अन्य साझेदारों के सहयोग से बड़े पैमाने पर डिजिटल समाधान विकसित करना; उदाहरण के लिए- **विशाखापत्तनम को आई.टी. और नवाचार केंद्र** बनाना।

संबंधित घटना

अल्बानिया में दुनिया का पहला AI मंत्री नियुक्त किया गया

यह एक AI-जनित बॉट है। इसे डायला नाम दिया गया है। यह सभी सरकारी परियोजनाओं के सार्वजनिक टेंडर का प्रबंधन और आवंटन करेगा। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना एवं भ्रष्टाचार को कम करना है।

1.4.3. आप्रवास और विदेशी विषयक (उन्मुक्ति) आदेश, 2025 {Immigration and Foreigners (Exemption) Order, 2025}

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने **आप्रवास और विदेशी विषयक अधिनियम, 2025** के तहत आप्रवास और विदेशी विषयक आदेश, 2025 को अधिसूचित किया।

आदेश के मुख्य प्रावधान

- **निम्नलिखित को पासपोर्ट/वीजा से उन्मुक्ति प्रदान की गई है:**
  - ड्यूटी पर तैनात भारतीय सशस्त्र बल को;
  - निर्धारित सीमाओं पर भारतीय, नेपाली और भूटानी नागरिक को ;
  - वैध पंजीकरण और विशेष परमिट धारक तिब्बतियों को;

- **अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान** से **31 दिसंबर, 2024 तक** भारत में आए निर्धारित धार्मिक अल्पसंख्यक (**हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई**), भले ही उनके पास वैध दस्तावेज़ न हों;
- पंजीकृत श्रीलंकाई तमिल नागरिक जिन्होंने 9 जनवरी, 2015 तक भारत में शरण ली थी।

- **वीजा संबंधी उन्मुक्ति निम्नलिखित पर भी लागू होती है:**
  - राजनयिक/आधिकारिक पासपोर्ट धारक विदेशियों पर (जहां समझौते के तहत छूट दी गई हो)
  - वीजा-ऑन-अराइवल के लिए पात्र विदेशियों पर;
  - नौसेना के युद्धपोत पर आने वाले कुछ विदेशी सैन्य कर्मियों पर।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **राजव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

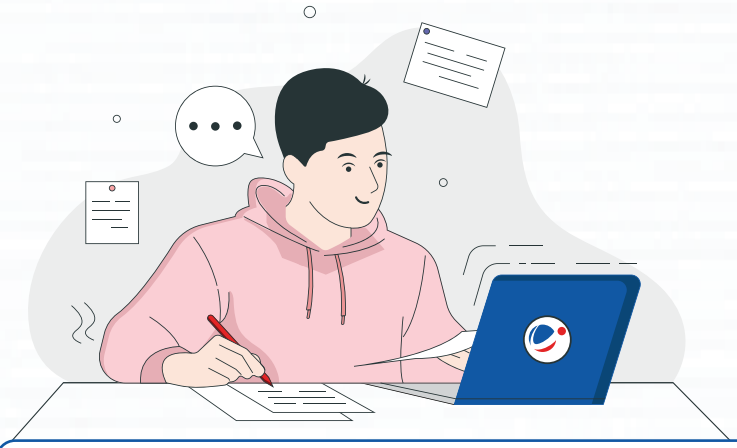

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

UPSC प्रीलिम्स

की तैयारी की

स्मार्ट और प्रभावी रणनीति

UPSC प्रीलिम्स सिविल सेवा परीक्षा का पहला और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चरण है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के दो पेपर (सामान्य अध्ययन और CSAT) शामिल होते हैं, जो अभ्यर्थी के ज्ञान, उसकी समझ और योग्यता का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं।

यह चरण अभ्यर्थियों को व्यापक पाठ्यक्रम में महारत हासिल करने और बदलते पैटर्न के अनुरूप ढलने की चुनौती देता है। साथ ही, यह चरण टाइम मैनेजमेंट, इन्फॉर्मेशन को याद रखने और प्रीलिम्स की अप्रत्याशितता को समझने में भी महारत हासिल करने की चुनौती देता है।

इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने हेतु कड़ी मेहनत के साथ–साथ तैयारी के लिए एक समग्र और निरंतर बदलते दृष्टिकोण की भी आवश्यकता होती है।

तत्काल व्यक्तिगत मेंटरिंग के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

प्रीलिम्स की तैयारी के लिए मुख्य रणनीतियां

तैयारी की रणनीतिक योजना: पढ़ाई के दौरान सभी विषयों को बुद्धिमानी से समय दीजिए। यह सुनिश्चित कीजिए कि आपके पास रिवीजन और मॉक प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त समय हो। अपने कमजोर विषयों पर ध्यान दीजिए।

अनुकूल रिसोर्सेज का उपयोग: ऐसी अध्ययन सामग्री चुनिए जो संपूर्ण और टू द पॉइंट हो। अभिभूत होने से बचने के लिए बहुत अधिक कंटेंट की जगह गुणवत्ता पर ध्यान दीजिए।

PYQ और मॉक टेस्ट का रणनीतिक उपयोग: परीक्षा के पैटर्न, महत्वपूर्ण विषयों और प्रश्नों के ट्रेंड्स को समझने के लिए विगत वर्ष के प्रश्न–पत्रों का उपयोग कीजिए। मॉक टेस्ट के साथ नियमित प्रैक्टिस और प्रगति का आकलन करने से तैयारी तथा टाइम मैनेजमेंट में सुधार होता है।

करेंट अफेयर्स की व्यवस्थित तरीके से तैयारी: न्यूज़पेपर और मैगजीन के जरिए करेंट अफेयर्स से अवगत रहिए। समझने और याद रखने में आसानी के लिए इस ज्ञान को स्टेटिक विषयों के साथ एकीकृत कीजिए।

स्मार्ट लर्निंग: रटने के बजाय अवधारणाओं को समझने पर ध्यान दीजिए, बेहतर तरीके से याद रखने के लिए निमोनिक्स, इन्फोग्राफिक्स और अन्य प्रभावी तरीकों का उपयोग कीजिए।

व्यक्तिगत मेंटरिंग: व्यक्तिगत रणनीतियों, कमजोर विषयों और मोटिवेशन के लिए मेंटर्स की मदद लीजिए। मेंटरशिप स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी मददगार होता है, ताकि आप मेंटल हेल्थ को बनाए रखते हुए परीक्षा पर ठीक से ध्यान केंद्रित कर सकें।

UPSC प्रीलिम्स की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए, Vision IAS ने अपना बहुप्रतीक्षित "ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" शुरू किया है। इस प्रोग्राम में नवीनतम ट्रेंड्स के अनुरूप संपूर्ण UPSC सिलेबस को शामिल किया गया है।

इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- UPSC सिलेबस का व्यापक कवरेज
- टेस्ट सीरीज का फ्लेक्सिबल शेड्यूल
- टेस्ट का लाइव ऑनलाइन/ ऑफ़लाइन डिस्कशन और पोस्ट–टेस्ट एनालिसिस
- प्रत्येक टेस्ट पेपर के लिए आंसर–की और व्यापक व्याख्या
- अभ्यर्थी के अनुरूप व्यक्तिगत मेंटरिंग
- ऑल इंडिया रैंकिंग के साथ इनोवेटिव अस्सेस्मेंट सिस्टम और परफॉरमेंस एनालिसिस
- क्विक रिविजन मॉड्यूल (QRM)

अंत में, एक स्मार्ट स्टडी प्लान, प्रैक्टिस, सही रिसोर्स और व्यक्तिगत मार्गदर्शन को मिलाकर बनाई गई रणनीतिक तथा व्यापक तैयारी ही UPSC प्रीलिम्स में सफलता की कुंजी है।

"ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" के लिए रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने हेतु QR कोड को स्कैन कीजिए

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

2.1. शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation: SCO)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इस वर्ष **शंघाई सहयोग संगठन (SCO)** शिखर सम्मेलन **चीन के तियानजिन** में आयोजित किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- शिखर सम्मेलन **तियानजिन घोषणापत्र** को अपनाने के साथ संपन्न हुआ।
- **2025-2026** के लिए SCO की अध्यक्षता **किर्गिज गणराज्य** को सौंपी गई।
- SCO सदस्यों ने **2035 तक SCO विकास रणनीति** को भी अपनाया।
- **वार्ता भागीदारों और पर्यवेक्षकों** का विलय करके एक नई श्रेणी **SCO भागीदार देश** निर्मित की गई।
- **लाओस** को एक भागीदार देश के रूप में शामिल किया गया। इस प्रकार SCO में अब **27 देश (10 सदस्य + 17 भागीदार)** हैं।
- SCO को **स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल (CIS) में पर्यवेक्षक** का दर्जा दिया गया।

शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधान मंत्री का वक्तव्य

प्रधान मंत्री ने कहा कि SCO तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित है:

- **सुरक्षा** (क्षेत्र की सुरक्षा),
- **कनेक्टिविटी** (SCO को 'कनेक्टिविटी' केंद्र के रूप में क्रांतिकारी बनाना) और
- **अवसर** (पारस्परिक अवसरों को बढ़ावा देना)।

क्या आप जानते हैं?

> CIS की **स्थापना 1991 में** उन देशों के बीच व्यापार और सैन्य नीति में निरंतर सहयोग सुनिश्चित करने के लिए की गई थी जो, **पूर्ववर्ती USSR (बाल्टिक राज्यों को छोड़कर) का हिस्सा** थे।

> रूसी संघ, यूक्रेन, माल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान CIS के सदस्य हैं।

SCO शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणाम

- **सुरक्षा और आतंकवाद-रोधी**
  - **जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा** की गई।
    - पहलगाम के मुद्दे को इस शिखर सम्मेलन में शामिल किया जाना भारत के लिए एक **रणनीतिक जीत** है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन की पुरानी आदत रही है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर पाकिस्तान को आलोचना से बचाने का प्रयास करता है।
  - **भारत द्वारा प्रस्तावित 'अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय' (CCIT)**[1] को अपनाने पर जोर दिया गया
    - CCIT **1996 में भारत द्वारा प्रस्तुत की गई एक प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र संधि** है। इसका उद्देश्य **आतंकवाद के सभी रूपों को आपराधिक कृत्य मानने और उनके उन्मूलन के लिए एक सार्वभौमिक कानूनी ढांचा** निर्मित करना है।
  - **SCO एंटी-ड्रग सेंटर (मादक पदार्थ-रोधी केंद्र) और सुरक्षा संबंधी खतरों का मुकाबला करने के लिए एक सार्वभौमिक केंद्र** स्थापित करने पर समझौता किया गया।
- **वैश्विक गवर्नेंस और व्यापार**
  - **चीन द्वारा प्रस्तावित ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव (GGI) का समर्थन किया गया।**
    - यह पहल **संप्रभु समानता, अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान और व्यापक परामर्श पर आधारित वास्तविक बहुपक्षवाद** का पक्ष-समर्थन करती है तथा तथा **पश्चिमी शक्तियों के प्रभुत्व वाले युग से आगे बढ़ने** की दिशा में कार्य करती है।
  - **SCO निर्यात ऋण और निवेश तंत्र तथा SCO विकास बैंक** की स्थापना की दिशा में कदम बढ़ाया गया।
    - **SCO विकास बैंक** का उद्देश्य पूरे समूह में **अवसंरचना और विकास परियोजनाओं** को वित्त-पोषित करना है। साथ ही, इसका उद्देश्य यूरेशिया को पश्चिमी वित्तीय संस्थाओं जैसे कि विश्व बैंक के मुकाबले एक **गैर-डॉलर (Non-dollar) और कम-शर्तों वाली (Low-conditionality)** वित्तीय सहायता वाला विकल्प प्रदान करना भी है।

[1] Comprehensive Convention on International Terrorism

- **तकनीकी सहयोग**
  - SCO सदस्य अब चीन की **बेईदोउ उपग्रह प्रणाली (BDS)**का उपयोग कर सकते हैं।
    - BDS एक **वैश्विक उपग्रह नेविगेशन प्रणाली** है, जो दुनिया भर के उपयोगकर्ताओं को **पोजिशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग (PNT) सेवाएं** प्रदान करेगी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के **GPS का** एक **विकल्प** है।
- **अन्य प्रमुख परिणाम**
  - भारत के वैश्विक विज़न **"एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य"** को मान्यता दी गई। साथ ही, समावेशी व सतत विकास को बढ़ावा देने में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को स्वीकार किया गया।
  - भारत ने सांस्कृतिक कूटनीति, लोगों के बीच परस्पर विनिमय और सॉफ्ट पावर को बढ़ाने के लिए एक **सभ्यतागत संवाद मंच**[2] का प्रस्ताव रखा।

Digital Current Affairs
भारत और शंघाई सहयोग संगठन पर हमारा पिछला कवरेज पढ़िए

निष्कर्ष

सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, आदि में सहयोग को आगे बढ़ाकर, इस शिखर सम्मेलन ने एक **अधिक गतिशील और प्रभावी SCO** के लिए आधार तैयार किया है। यह **सामूहिक हितों** को बनाए रखने तथा उभरती हुई वैश्विक एवं क्षेत्रीय चुनौतियों के अनुकूल संगठन को ढालने के लिए सदस्य देशों की **साझा प्रतिबद्धता** को दर्शाता है।

2.2. भारत-चीन संबंध (India-China Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

चीन के तियानजिन में आयोजित **शंघाई सहयोग संगठन (SCO) 2025** के दौरान भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति ने अलग से मुलाकात की।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह 2018 के बाद भारतीय प्रधानमंत्री पहली चीन यात्रा थी।
- हाल ही में, दोनों देशों के बीच **विशेष प्रतिनिधि** (SRs)[3] की **24वें दौर की वार्ता** का भी आयोजन किया गया था।
  - इस वार्ता की सह अध्यक्षता चीन के विदेश मंत्री और **भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार** द्वारा की गयी थी।
- भारतीय प्रधानमंत्री की चीन यात्रा और SRs वार्ता से भारत-चीन के बीच **पुनः एक नयी भागीदारी का संकेत मिलता है।**

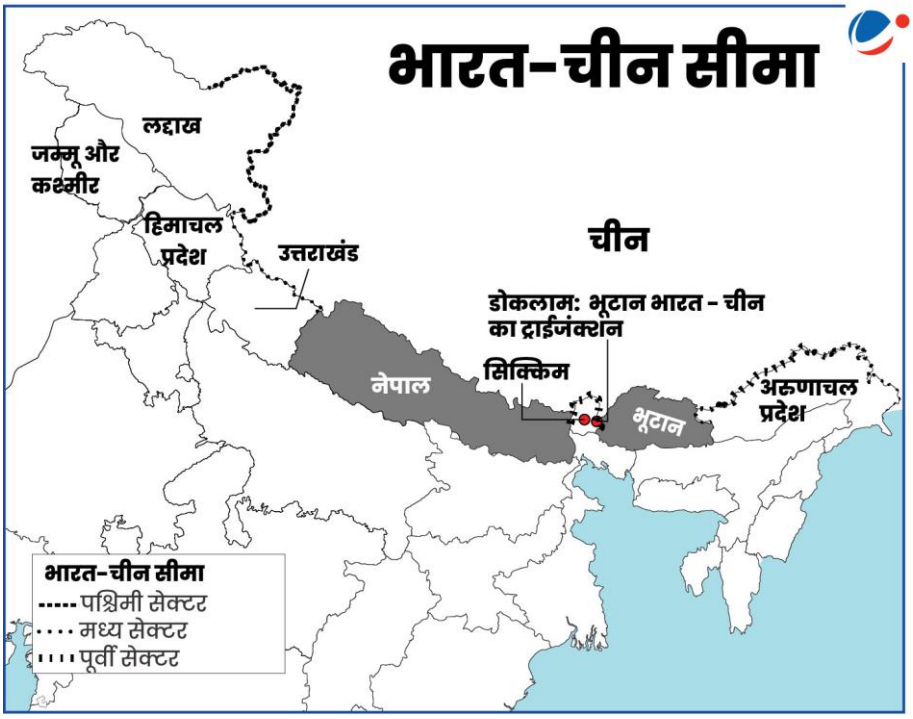

भारत-चीन संबंधों के समक्ष चुनौतियाँ

- **अनसुलझी सीमाएँ:** 3,488 किलोमीटर की वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC)[4] पर दोनों देशों के बीच आपसी असहमति के कारण कई बार संघर्ष हुए हैं।
  - हाल के संघर्षों में **2017 का डोकलाम विवाद** और **2020 का गलवान घाटी संघर्ष** शामिल हैं।

[2] Civilisation Dialogue Forum

[3] Special Representatives

[4] Line of Actual Control

- **व्यापार असंतुलन: 2024-25 में** भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़कर **99 अरब डॉलर** हो गया, जबकि यह **2023-24 में 85 अरब डॉलर** था।
  - अगस्त 2025 में, चीन अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया।
- **चीन के नेतृत्व वाले त्रिपक्षीय गुट:** हाल ही में, चीन ने भारत के निकटतम पड़ोसी क्षेत्रों में दो त्रिपक्षीय पहलें शुरू की हैं—एक बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ और दूसरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ।
  - चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) से होकर गुजरता है, जो भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करता है।
- **चीन की आक्रामकता:** विशेष रूप से दक्षिण एशिया में "स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स" जैसी रणनीतियों के जरिए मालदीव और श्रीलंका में चीन की मौजूदगी के चलते दक्षिण चीन सागर में उसकी बढ़ती पहुँच आदि भारत के लिए असुरक्षा का कारण बन सकती हैं।
  - इस बीच, भारत क्वाड (भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया) जैसे मंचों के जरिए समान विचारधारा वाले देशों के साथ संबंधों को मजबूत कर रहा है, जिसे चीन की आक्रामकता का मुकाबला करने के रूप में देखा जा रहा है।
- **जल-शक्ति:** जैसे कि **ब्रह्मपुत्र नदी (यारलुंग जांगबो) पर बांध का निर्माण** करके चीन जल को भारत के खिलाफ एक भू-रणनीतिक हथियार के रूप में उपयोग कर सकता है।

भारत और चीन के बीच विशेष प्रतिनिधि (SRs) की 24वें दौर की वार्ता माध्यम से नवीनतम जुड़ाव:

- **सीमा प्रबंधन पर सहमति:**
  - **2005 के राजनीतिक मानकों और मार्गदर्शक सिद्धांतों पर समझौते**[5] पर आधारित एक निष्पक्ष, तर्कसंगत और आपसी सहमति द्वारा सीमा संबंधी विवाद के समाधान के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा।
  - परामर्श एवं समन्वय के लिए कार्य तंत्र के तहत एक **विशेषज्ञ समूह और कार्य समूह** स्थापित करने का निर्णय लिया गया।
  - तनाव को प्रबंधित करने और तनाव कम करने पर चर्चा शुरू करने के लिए **मौजूदा राजनयिक एवं सैन्य-स्तरीय तंत्रों का उपयोग** करने पर सहमति बनी है।
- **आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना:** दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने और व्यापार घाटे को कम करने के लिए **राजनीतिक एवं रणनीतिक दिशा** से आगे बढ़ने की आवश्यकता पर बल दिया है।
  - **लिपुलेख दर्रा** (उत्तराखंड), **शिपकी ला दर्रा** (हिमाचल प्रदेश) और **नाथुला दर्रा** (सिक्किम) के जरिए व्यापार फिर से शुरू किया जाएगा।
- **वार्ता तंत्र:** दोनों पक्षों ने निलंबित द्विपक्षीय वार्ताओं को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। इसमें **2026 में पीपल-टू-पीपल एक्सचेंजेस पर उच्च-स्तरीय तंत्र** भी शामिल है।
  - दोनों देशों ने यह दोहराया कि वे विकास हेतु साझेदार हैं न कि प्रतिद्वंद्वी।
- **75 वर्षों के संबंध:** भारत और चीन 2025 में अपने **कूटनीतिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष** पूरे होने पर समर्पित कार्यक्रम आयोजित करेंगे और **ड्रैगन-एलिफेंट संबंधों** को पुनर्जीवित करने करेंगे।
  - **सामरिक स्वायत्तता की दिशा में प्रयास:** दोनों देश सुनिश्चित करेंगे कि उनके संबंधों को **तीसरे देशों** के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाए।
- **अन्य:**
  - जल्द-से-जल्द **सीधी उड़ानें** फिर से शुरू करने पर सहमति बनी है।
  - भारत की **कैलाश मानसरोवर यात्रा** का दायरा **2026** से बढ़ाया जाएगा।
  - दोनों पक्षों ने **आपात स्थितियों के दौरान हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा** करने पर सहमति व्यक्त की है।

भारत के लिए इस नवीनतम सहभागिता का महत्व

- **व्यापार:** उदाहरण के लिए, **चीन** भारत के फार्मास्युटिकल उद्योग के लिए **सक्रिय औषधीय अवयवों (APIs)**[6] का एक प्रमुख स्रोत है।
- **निवेश:** आर्थिक सर्वेक्षण 2023-2024 में भारत के विनिर्माण क्षेत्रक को बढ़ावा देने के लिए **"चीन से निवेश आकर्षित करने"** की सिफारिश की गई है।
  - हाल ही में **नीति आयोग** ने चीन की कंपनियों पर अतिरिक्त संवीक्षा को आसान बनाने का प्रस्ताव किया है।
- **भारत के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों की उपलब्धता:** चीन विश्व के दुर्लभ भू-अयस्क का लगभग 70% उत्पादन करता है और 90% का प्रसंस्करण करता है।
  - भारत अपनी **नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों** के लिए जरुरी सौर मॉड्यूल और सेल्स के लिए भी चीन पर निर्भर है।

[5] Agreement on Political Parameters and Guiding Principles

[6] Active Pharmaceutical Ingredients

- **वैश्विक प्रभाव:** एशिया के प्रमुख शक्तियों के रूप में, भारत-चीन के मध्य स्थिर संबंध उनको **वैश्विक शासन व्यवस्था** में रचनात्मक भूमिकाएं निभाने में सक्षम बनाते हैं और **ब्रिक्स** एवं **SCO** जैसे बहुपक्षीय मंचों में संयुक्त प्रयासों के माध्यम से अपने प्रभाव को बढ़ाते हैं।
    - भारत और चीन के बीच सहयोग अंतर्राष्ट्रीय मामलों में **पश्चिमी प्रभाव का मुकाबला करने** में मदद कर सकता है और WTO, IMF, और UN जैसी संस्थाओं में सुधार के लिए दबाव बना सकता है।
- **वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला करना:** भारत-चीन के मध्य स्थिर संबंध **जलवायु परिवर्तन, लोक स्वास्थ्य और ऊर्जा सुरक्षा** जैसी वैश्विक चुनौतियों पर सहयोग को सुगम बनाते हैं।
- **क्षेत्रीय शांति और स्थिरता:** यह विवादित सीमा पर संघर्ष के जोखिम को कम करता है और **दक्षिण एशिया और हिन्द-प्रशांत क्षेत्र** में व्यापक स्थिरता सुनिश्चित करने में योगदान करता है।
- **भारत-रूस-चीन त्रिकोण (ट्रायंगल) को सशक्त बनाना:** इससे **निवेश के अवसरों** का विस्तार हो सकता है और **US द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और शुल्कों** का सामना करने के तरीकों का पता लगा सकते हैं।

निष्कर्ष

ब्रिक्स (BRICS) और शंघाई सहयोग संगठन (SCO) जैसे मंचों के माध्यम से वार्ता को मजबूत करके तथा व्यापार, जल प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में सहयोग के जरिये धीरे-धीरे विश्वास को पुनः स्थापित किया जा सकता है। इस प्रयास में, दोनों देशों को तीन आपसी सिद्धांतों जैसे कि - **आपसी सम्मान, आपसी संवेदनशीलता** और **आपसी हितों** का पालन करना चाहिए।

2.3. भारत-जापान साझेदारी (India-Japan Partnership)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के प्रधानमंत्री ने जापान का दौरा किया और भारत-जापान साझेदारी को और अधिक मजबूत करने वाले प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

प्रधानमंत्री की यात्रा के प्रमुख परिणाम:

- **अगले दशक के लिए भारत-जापान संयुक्त विजन:** दोनों देशों ने **आर्थिक और कार्यात्मक सहयोग के लिए 10-वर्षीय रणनीतिक प्राथमिकताएं** निर्धारित की हैं। ये प्राथमिकताएं आठ प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है — जैसे कि आर्थिक साझेदारी, आर्थिक सुरक्षा, गतिशीलता, पारिस्थितिकी संधारणीयता, राज्य-प्रांत (State-Prefecture) सहभागिता आदि।
    - **राज्य-प्रांत साझेदारियाँ** निम्नानुसार स्थापित की गई हैं:
        - आंध्र प्रदेश और तोयामा
        - तमिलनाडु और एहिमे
        - उत्तर प्रदेश और यामानाशी
        - गुजरात और शिज़ुओका
- **आर्थिक सुरक्षा पहल:** अर्धचालक, स्वच्छ ऊर्जा, दूरसंचार जैसे रणनीतिक क्षेत्रकों के साथ-साथ नई और उभरती प्रौद्योगिकियों में **आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन को बढ़ावा** देना।
- **अंतरिक्ष सहयोग:** भारत और जापान के बीच संयुक्त चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन (चंद्रयान-5) पर समझौता किया गया है।
- **अन्य परिणाम:**
    - सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा
    - भारत-जापान मानव संसाधन आदान-प्रदान हेतु कार्य योजना
    - भारत-जापान कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) पहल
    - सतत ईंधन पहल
    - अगली पीढ़ी की गतिशीलता साझेदारी: (रेलवे, विमानन, सड़क आदि क्षेत्रक, मेक-इन-इंडिया पर केंद्रित)।
    - भारत-जापान लघु एवं मध्यम उद्यम (SMEs) मंच

भारत-जापान संबंधों के स्तंभ

- **वर्तमान स्थिति: 2014 में,** दोनों देशों ने अपने संबंधों को **'विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी'**[7] तक बढ़ाया।
- **आर्थिक सहयोग: भारत-जापान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA)**[8] 2011 में प्रभाव में आया। इसमें वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, नैसर्गिक व्यक्तियों की आवाजाही, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) आदि शामिल हैं।
  - **द्विपक्षीय व्यापार:** वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल द्विपक्षीय व्यापार **22.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर** रहा, जिसमें जापान से भारत के लिए निर्यात 17.69 अरब अमेरिकी डॉलर था।
    - **भारत के प्राथमिक आयातों** में परमाणु रिएक्टर, तांबा, विद्युत मशीनरी आदि शामिल हैं, जबकि **निर्यातों** में कार्बनिक रसायन, वाहन, परमाणु रिएक्टर आदि शामिल हैं।
  - **भारत-जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता साझेदारी (IJICP):** यह साझेदारी 2021 में भारत की औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए की गई।

- **सुरक्षा सहयोग:** प्रमुख समझौतों में **2025 का सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा** तथा 2015 के रक्षा उपकरण हस्तांतरण तथा गोपनीय जानकारी की सुरक्षा पर समझौते शामिल हैं।
  - दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच **2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता**।
  - दोनों देश **जिमेक्स (JIMEX)** और **धर्म गार्जियन (Dharma Guardian)** जैसे **द्विपक्षीय अभ्यासों** तथा मिलन (MILAN) और मालाबार जैसे **बहुपक्षीय अभ्यासों** में भाग लेते हैं।
- **विकास सहयोग:** उदाहरण के लिए, **मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (MAHSR) प्रमुख परियोजना**
  - **भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम** भारत की "एक्ट ईस्ट पॉलिसी" और जापान के "स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत के विजन" के तहत भारत के पूर्वोत्तर के विकास के लिए भारत-जापान सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करता है।

वैश्विक और क्षेत्रीय व्यवस्था में भारत-जापान की भूमिका

- **नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था:** दोनों देश **नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था और स्वतंत्र एवं खुले हिंद-प्रशांत** के लिए प्रतिबद्ध हैं।
  - क्वाड के माध्यम से, वे **समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं** पर समन्वय करते हैं तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एकतरफा रुख को प्रतिसंतुलित करते हैं।
- **बहुपक्षवाद को मजबूत बनाना:** वे संयुक्त रूप से **G4 में** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) सुधारों पर **निकटता से सहयोग** करते हैं तथा सुधार किए गए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए एक-दूसरे की उम्मीदवारी का समर्थन करते हैं।
- **अफ्रीकी विकास:** भारत और जापान ने अफ्रीकी विकास में सहायता के लिए अफ्रीकी देशों के साथ त्रिपक्षीय सहयोग स्थापित किया है।
  - **एशिया–अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (AAGC):** भारत और जापान ने 2017 में अफ्रीका में लोकतांत्रिक, सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त रूप से स्थापित किया।
  - **सतत आर्थिक विकास के लिए जापान–भारत सहयोग पहल:** अफ्रीका में सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भी शुरू की गई।
- **आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन:** दोनों देशों ने आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने और किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए **आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल (Supply Chain Resilience Initiative)** में ऑस्ट्रेलिया के साथ सहयोग किया है।

[7] Special Strategic and Global Partnership

[8] Comprehensive Economic Partnership Agreement

निष्कर्ष

भारत द्वारा परमाणु अप्रसार संधि (NPT) पर हस्ताक्षर न करने के कारण जापान द्वारा परमाणु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर लगाए गए प्रतिबंधों जैसी चिंताओं के बावजूद, भारत-जापान साझेदारी हिंद-प्रशांत क्षेत्र की संरचना का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभरी है। जहाँ जापान, अमेरिका के नेतृत्व वाली गठबंधन प्रणाली के माध्यम से चीन की आक्रामकता और एकतरफा रुख का सामना करता है, वहीं भारत, अमेरिका, रूस और वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) के साथ संबंधों को संतुलित करते हुए एक गुटनिरपेक्ष, रणनीतिक स्वायत्तता दृष्टिकोण अपनाता है। साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और नियम-आधारित व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित यह साझेदारी बहुपक्षवाद, आर्थिक लचीलेपन और समावेशी विकास को बढ़ावा देती है और एक उभरते बहुध्रुवीय विश्व में विश्वास और पारदर्शिता पर आधारित सहयोग को मूर्त रूप देती है।

2.4. संक्षिप्त सुर्खियां (News in Shorts)

2.4.1. नया रणनीतिक यूरोपीय संघ-भारत एजेंडा (New Strategic Eu-India Agenda)

सुर्ख़ियों में क्यों?

यूरोपीय आयोग और उच्च स्तरीय प्रतिनिधि ने **'नए रणनीतिक यूरोपीय संघ-भारत एजेंडा**[9]' की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए एक संयुक्त संचार को अपनाया। यह भारत और यूरोपीय संघ के संबंधों में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपलब्धि है।

नए रणनीतिक यूरोपीय संघ-भारत एजेंडे की मुख्य विशेषताएं

- **आधार:** यह रणनीतिक साझेदारी 2004 में स्थापित हुई थी।
- **उद्देश्य:** समृद्धि और सुरक्षा को बढ़ाना और प्रमुख वैश्विक चुनौतियों का मिलकर सामना करना।
- **5 मुख्य स्तंभ:**
  - **समृद्धि और संधारणीयता**: ये आर्थिक संवृद्धि, रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और विकार्बनीकरण को प्रेरित करते हैं।
    - **व्यापार और निवेश:** व्यापार और निवेश में अप्रयुक्त क्षमता पर ध्यान केंद्रित करना, 2025 के अंत तक **मुक्त व्यापार समझौता (FTA)** संबंधी वार्ता को **अंतिम रूप देना**, और एक **निवेश संरक्षण समझौते (IPA)** पर हस्ताक्षर करना।
    - **आर्थिक सुरक्षा और आपूर्ति शृंखलाएँ**: **व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (TTC)** के भीतर आर्थिक सुरक्षा को सुदृढ़ करना, चुनिंदा मूल्य शृंखलाओं में निजी क्षेत्रक की भागीदारी के लिए **ब्लू वैलीज (Blue Valleys)** का निर्माण करना।
      - **स्वच्छ संक्रमण और लचीलेपन को बढ़ावा देना:** इसके लिए साझा प्रतिबद्धताएं की गई हैं - जैसे कि यूरोपीय संघ की 2050 और भारत की 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन की प्रतिज्ञाएँ। उदाहरण के लिए, हरित हाइड्रोजन पर यूरोपीय संघ-भारत कार्यबल का गठन।
  - **प्रौद्योगिकी और नवाचार:** यह खुले, सुरक्षित, मानव-केंद्रित नवाचार के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करता है।
    - **महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकियों का समर्थन:** उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ और भारत नवाचार केंद्र स्थापित करना।
    - **अनुकूल डिजिटल परिवेश को उन्नत बनाना:** उदाहरण के लिए, सेवा वितरण के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) पर सहयोग करना।
  - **सुरक्षा और रक्षा:** वैश्विक सुरक्षा खतरों, भू-राजनीतिक तनावों, **आतंकवाद-रोधी (काउंटर टेररिज्म) और सीमा-पारीय अपराधों** से निपटना। **उदाहरण के लिए:** हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समन्वय और नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था को बढ़ावा देना।
  - **कनेक्टिविटी (संपर्कता) और वैश्विक मुद्दे:** क्षेत्रीय संपर्कता, तीसरी दुनिया के देशों (जैसे अफ्रीका) में सहयोग और वैश्विक शासन को सुदृढ़ करना। **उदाहरण के लिए**: **यूरोपीय संघ के ग्लोबल गेटवे** और भारत के **महासागर (MAHASAGAR)** के माध्यम से सहयोग करना।
  - **विभिन्न स्तंभों में सक्षमकर्ता:** कौशल गतिशीलता, ज्ञान के आदान-प्रदान, व्यावसायिक भागीदारी और संस्थागत सहयोग को बढ़ाता है।

[9] New Strategic EU-India Agenda

यह एजेंडा इस बात को रेखांकित करता है कि निर्भरता के जारी शस्त्रीकरण, एकपक्षीय व्यापार प्रथाओं और विश्व भर में बढ़ती आर्थिक विषमताओं के मद्देनजर यूरोपीय संघ-भारत सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

2.4.2. भारत और इजरायल (India-Israel)

इजरायल भारत के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) पर हस्ताक्षर करने वाला पहला आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) देश बना। भारत और इजरायल के बीच 1996 में की गई द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) वर्ष **2017** में ही समाप्त हो गई थी।

भारत-इजरायल द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) की मुख्य विशेषताएं

- **निवेश में बढ़ोतरी:** यह संधि दोनों देशों के बीच निवेश को बढ़ावा देगी। वर्तमान में कुल निवेश लगभग **800 मिलियन अमेरिकी डॉलर** है।
- **निवेशक सुरक्षा:** यह निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करेगी और साथ ही सरकार द्वारा अपने विनियामक अधिकारों का उपयोग करने की स्वतंत्रता भी बनाए रखेगी। इसमें **न्यूनतम मानक की गारंटी** दी गई है।
- **विवाद निपटान:** व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए इसमें विवाद समाधान की व्यवस्था की गई है, जिसे **मध्यस्थता** के जरिए सुलझाया जाएगा।

भारत-इजरायल के बीच बढ़ता सहयोग:

- **आर्थिक सहयोग:** वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार **6.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर** रहा (रक्षा को छोड़कर), जिसमें भारत का निर्यात अधिशेष रहा।
- **क्षेत्रीय सहयोग: I2U2 साझेदारी** का पहला शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ था। इसमें **भारत, इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका** ने भाग लिया था।
- **नवाचार और विज्ञान-प्रौद्योगिकी:** उदाहरण के लिए- **2023-27 तक (5 वर्ष) के लिए भारत-इजरायल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास तथा तकनीकी नवाचार निधि (I4F)**[10] बनाई गई है।
- **रक्षा सहयोग:** दोनों ने मिलकर **बराक-8 मिसाइल प्रणाली** विकसित की है और **हाइफ़ा बंदरगाह** का नियमित पोर्ट कॉल के रूप में उपयोग किया जाता है।
- **अन्य क्षेत्र:** सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम, स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्रक में सहयोग, कृषि व जल संसाधन प्रबंधन पर विभिन्न समझौते (MoUs) आदि शामिल हैं।

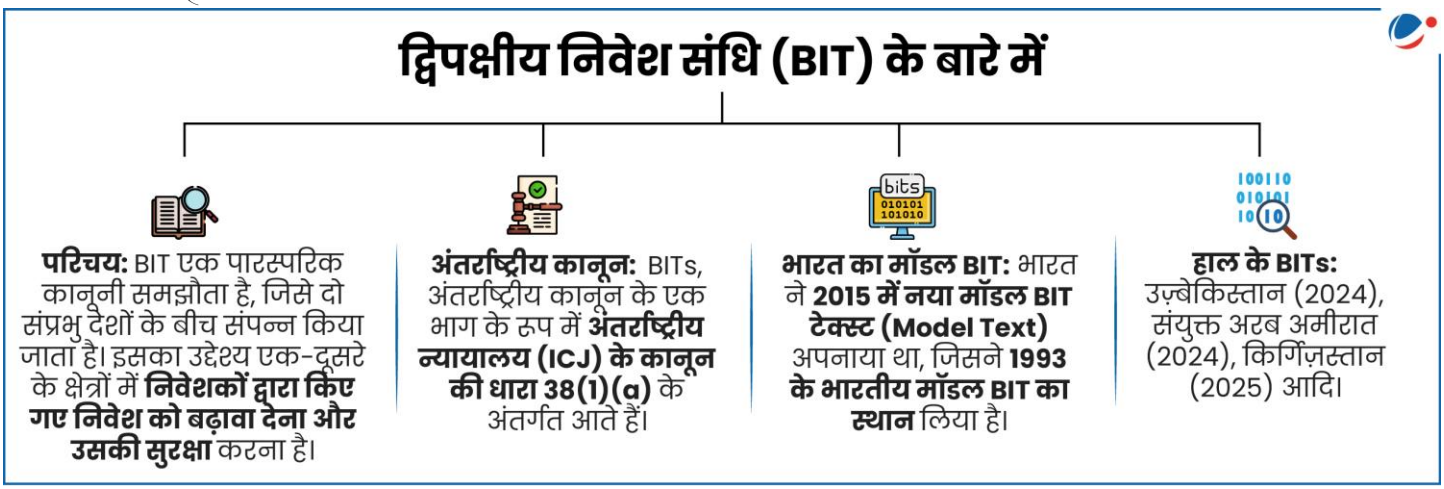

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION
NCERT Classes for UPSC
Laying the Academic Foundation for Civil Services Excellence

[10] India-Israel Industrial R&D and Innovation Fund

2.4.3. भारत-सिंगापुर (India-Singapore)

सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने भारत की आधिकारिक यात्रा की।

यह यात्रा **भारत-सिंगापुर कूटनीतिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने** के उपलक्ष्य को दर्शाती है। साथ ही, मित्रता, विश्वास और आपसी सम्मान की साझा विरासत की पुनर्पुष्टि करती है।

इस यात्रा के मुख्य परिणामों पर एक नजर:

व्यापक रणनीतिक साझेदारी (CSP) के लिए एक दूरदर्शी और ठोस **रोडमैप** अपनाया गया है। इसका उद्देश्य **आठ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करना है:**

- **आर्थिक सहयोग:** दोनों पक्ष **व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA)[11] की तीसरी समीक्षा** की शुरुआत करने के लिए वार्ता जारी रखेंगे एवं आगे बढ़ेंगे। साथ ही, **2025 में आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (AITIGA)[12]** की गहन समीक्षा पूर्ण करेंगे।
  - भारत के **सेमीकंडक्टर उद्योग को समर्थन और भारत-सिंगापुर पूंजी बाजार कनेक्टिविटी** को बढ़ावा दिया जाएगा।
  - **अंतरिक्ष: भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं उद्योग कार्यालय, सिंगापुर** के बीच संयुक्त सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
- **रक्षा और सुरक्षा सहयोग:** इसके तहत **क्वांटम कंप्यूटिंग, AI, ऑटोमेशन तथा मानव रहित पोत** जैसे उभरते क्षेत्रकों में रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत किया जाएगा।
  - सीमा-पार आतंकवाद और आतंकवाद के वित्तपोषण सहित **आतंकवाद से निपटने के लिए मजबूत प्रतिबद्धता की पुष्टि** की गई।
- **डिजिटलीकरण: डिजिटल वित्त व फिनटेक सहयोग, साइबर सुरक्षा एवं पूंजी बाजार संबंधी सहयोग** को मजबूत किया जाएगा।
  - सीमा-पार भुगतान के लिए **UPI-पेनाउ (PayNow) लिंकेज** की क्षमता का विस्तार और अधिकतम संभावनाओं को साकार किया जाएगा।
- **कौशल विकास:** इसमें **चेन्नई (तमिलनाडु) में उन्नत विनिर्माण के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस)** का संयुक्त रूप से विकास करना शामिल है।
- **संधारणीयता: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन** जैसे बहुपक्षीय मंचों पर हरित पहलों पर सहयोग किया जाएगा।
  - इसमें **ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया उत्पादन** में सहयोग को बढ़ाना, **शहरी जल प्रबंधन तथा असैन्य परमाणु क्षेत्र में सहयोग** की संभावनाएं तलाशना आदि शामिल है।
- **कनेक्टिविटी:** सिंगापुर पत्तन और भारत के पत्तनों के बीच **भारत-सिंगापुर ग्रीन एवं डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर (GDSC)** की स्थापना का समर्थन किया गया।
- **स्वास्थ्य देखभाल सेवा और चिकित्सा:** डिजिटल स्वास्थ्य व रोग की निगरानी में सहयोग को बेहतर बनाया जाएगा।
- **लोगों के बीच जुड़ाव और सांस्कृतिक आदान-प्रदान:** सामाजिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच जुड़ाव को मजबूत किया जाएगा।

2.4.4. पाकिस्तान और सऊदी अरब सामरिक पारस्परिक रक्षा समझौता (Pakistan and Saudi Arabia Strategic Mutual Defence Agreement)

इस समझौते का उद्देश्य **दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के विभिन्न पहलुओं को विकसित करना तथा किसी भी आक्रमण के विरुद्ध संयुक्त प्रतिरोध को मजबूत** करना है।

- इसमें कहा गया है कि **"दोनों में से किसी भी देश के खिलाफ किसी भी आक्रमण को दोनों के विरुद्ध आक्रमण माना जाएगा।"**

इस समझौते के प्रभाव

- **परमाणु युद्ध:** यह परमाणु युद्ध की चिंताओं को और बढ़ा देता है। समझौते के तहत पाकिस्तान द्वारा सऊदी अरब को अपनी परमाणु सुरक्षा प्रदान करना भी शामिल है, जबकि इस क्षेत्र में पहले से ही तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है।
- **सत्ता के समीकरण में बदलाव:** सऊदी अरब के लिए यह **ईरान, यमन के हूती विद्रोहियों और इजरायल से संबंधित खतरों के खिलाफ सुरक्षा** को मजबूत करता है।

[11] Comprehensive Economic Cooperation Agreement

[12] ASEAN India Trade in Goods Agreement

- यह क्षेत्र में सुरक्षा की गारंटी देने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका की पारंपरिक भूमिका को कम करता है, क्योंकि अमेरिका का सहयोगी इजरायल गाजा और अन्य क्षेत्रीय पड़ोसी देशों पर हमले कर रहा है।
- इससे क्षेत्र में उत्पन्न **रणनीतिक शून्य का फायदा चीन अपने प्रभाव को बढ़ाने** के लिए कर सकता है।

- **भारत के लिए निहितार्थ:** सीमा-पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई के आलोक में पाकिस्तान इस समझौते को भविष्य में भारत के साथ सैन्य टकराव की स्थिति में सामरिक प्रतिरोध के रूप में इस्तेमाल कर सकता है।

भारत-सऊदी अरब संबंध

- दोनों देशों के मध्य **रणनीतिक साझेदारी को 2010 में रियाद घोषणा के माध्यम से औपचारिक रूप** दिया गया था।
- **आर्थिक संबंध:** भारत, **सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है,** जबकि सऊदी अरब भारत का **पांचवां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार** है।
  - 2023 में **द्विपक्षीय व्यापार 42.98 बिलियन था और भारत निवल आयातक** बना रहा।
  - 2024 में **भारत में आने वाले कुल विप्रेषण (रेमिटेंस) में लगभग 6.7% सऊदी अरब** से आया था।
- **ऊर्जा साझेदारी:** सऊदी अरब भारत का **तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता** है।

2.4.5. अनेक देशों ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की (Palestinian State Recognised By Multiple Nations)

यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया- इन चार पश्चिमी देशों के साथ **अब संयुक्त राष्ट्र के 140 से अधिक सदस्य हो गए हैं, जिन्होंने फिलिस्तीन** को राज्य के रूप में मान्यता दी है।

- भारत ने **1988 में ही फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता** दे दी थी।
  - हाल ही में, भारत ने **संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में "न्यूयॉर्क घोषणा-पत्र"** के **पक्ष में मतदान** किया था। यह घोषणा-पत्र **फिलिस्तीन-इजरायल विवाद के शांतिपूर्ण समाधान और "द्विराष्ट्र समाधान"** के कार्यान्वयन का उल्लेख करता है।

राज्यों की मान्यता

- जब **कोई देश किसी अन्य इकाई (भू-भाग)** को राष्ट्र के रूप में स्वीकार करता है, तो इसे "मान्यता" कहा जाता है।
- **राष्ट्र के अधिकारों और कर्तव्यों पर 1933 के मोंटेवीडियो अभिसमय (Montevideo Convention) का अनुच्छेद 1 राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करने के मानदंडों को परिभाषित** करता है। ये मानदंड हैं-
  - स्थायी जनसंख्या; निश्चित भू-क्षेत्र; सरकार; अन्य राष्ट्रों से संबंध स्थापित करने की क्षमता आदि।
- **राष्ट्र की मान्यता के प्रभाव:**
  - मान्यता मिलने के बाद **वह अन्य राष्ट्रों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित** कर सकता है।
  - वह **अन्य राष्ट्रों के साथ संधियां** कर सकता है।
  - उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर **राष्ट्र के अधिकार और विशेषाधिकार** मिलते हैं।
  - वह **संयुक्त राष्ट्र संगठन (UNO) का सदस्य** बन सकता है।
    - फिलिस्तीन वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र का **"स्थायी पर्यवेक्षक राष्ट्र"** है, न कि पूर्ण सदस्य।

2.4.6. वैश्विक ए.आई. शासन के लिए नई पहलें (New Initiatives For Global AI Governance)

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के गवर्नेंस पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के भीतर दो तंत्र स्थापित करने की घोषणा की।**

- यह **"भविष्य के लिए संधि (पैक्ट फॉर द फ्यूचर)"** और **"वैश्विक डिजिटल समझौते (ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट)"** पर आधारित है, जो अंतर्राष्ट्रीय, **गैर-सैन्य AI शासन** की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।

नए तंत्रों के बारे में

- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल:** AI के अवसरों, जोखिमों और प्रभावों से संबंधित मौजूदा शोध का संश्लेषण और विश्लेषण करते हुए साक्ष्य-आधारित वैज्ञानिक आकलन जारी करके AI की वैज्ञानिक समझ को बढ़ावा देना।
- **AI शासन (गवर्नेंस) पर वैश्विक वार्ता:** अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा करने, सर्वोत्तम प्रथाओं तथा सीखे गए सबकों को साझा करने और AI गवर्नेंस पर खुली, पारदर्शी और समावेशी चर्चाओं को सुगम बनाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना।

ग्लोबल AI गवर्नेंस के लिए अन्य संयुक्त राष्ट्र तंत्र

- **भविष्य के लिए समझौता:** सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने और उभरती चुनौतियों और अवसरों का सामना करने की दिशा में एक मार्ग तैयार करने हेतु **सितंबर 2024 में भविष्य के शिखर सम्मेलन** में अपनाया गया।
- **वैश्विक डिजिटल समझौता:** भविष्य के समझौते के एक भाग के रूप में संलग्न, यह डिजिटल सहयोग और एआई शासन के लिए एक व्यापक वैश्विक ढाँचा है।
- **AI फॉर गुड ग्लोबल समिट (2017 से अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU)[13] द्वारा आयोजित):** सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को आगे बढ़ाने और वैश्विक प्रभावों के लिए ऐसे अनुप्रयोगों का विस्तार करने हेतु AI अनुप्रयोगों की पहचान की गई।
- **अन्य तथ्य: 2021 में AI नैतिकता पर पहले वैश्विक मानक** को अपनाना; **AI की नैतिकता पर यूनेस्को (UNESCO) की सिफारिश**, आदि।

2.4.7. नरसंहार के अपराध की रोकथाम और दंड पर अभिसमय (Convention on The Prevention and Punishment of The Crime of Genocide)

संयुक्त राष्ट्र द्वारा अधिकृत स्वतंत्र **अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग** की रिपोर्ट में **नरसंहार के अपराध की रोकथाम और दंड पर अभिसमय** के संबंध में **गाजा में इजरायल की कार्रवाई का कानूनी विश्लेषण** प्रस्तुत किया गया है।

- इस अभिसमय को **नरसंहार अभिसमय (जेनोसाइड कन्वेंशन)** भी कहा जाता है।

नरसंहार अभिसमय (जेनोसाइड कन्वेंशन) के बारे में

- इसके अनुसार "किसी राष्ट्रीय, नृजातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को पूर्णतः या अंशतः समाप्त करने के इरादे से की गई कार्रवाई" **नरसंहार** है।
  - नरसंहार एक ऐसा अपराध है जो **युद्ध और शांति, दोनों समय में घटित हो सकता है।**
- **पक्षकार:** 41 हस्ताक्षरकर्ता और **153 पक्षकार** देश हैं।
  - भारत ने **1949 में इस अभिसमय पर हस्ताक्षर** किया और **1959 में इसकी अभिपुष्टि** की।
- **अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ)** इस अभिसमय की व्याख्या और लागू करने से संबंधित मामलों का न्याय-निर्णयन करता है।

[13] International Telecommunication Union

2.4.8. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court: ICC)

बुर्किना फ़ासो, माली और नाइजर ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) की सदस्यता त्यागने की घोषणा की।

एक संयुक्त बयान में, इन तीनों देशों ने ICC पर आरोप लगाया है कि यह संस्था **"साम्राज्यवादी शक्तियों के नियंत्रण में एक नव-औपनिवेशिक दमन का उपकरण"** है।

ICC के बारे में

- **मुख्यालय: हेग, नीदरलैंड**
- यह **दुनिया का पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय** है।
- **उत्पत्ति:** इसे **रोम संविधि (Rome Statute)** द्वारा स्थापित किया गया है। इस संविधि को **1998** में अपनाया गया था और **2002** में लागू किया गया था।
- **अधिकार-क्षेत्र:** ICC गंभीर अपराध करने के आरोपी **व्यक्ति** की जांच, अभियोजन और सुनवाई करता है, **न कि समूहों या देशों की।**
  - **ICC के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अपराध:** नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध, आक्रामकता के अपराध आदि।
- **सदस्यता:** 125 देश सदस्य हैं।
  - **भारत, इजरायल, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस** और **चीन** रोम संविधि के पक्षकार (सदस्य) नहीं हैं।
- **वित्त-पोषण:** मुख्य रूप से सदस्य देशों द्वारा किया जाता है।
- **निर्णयों का प्रवर्तन:** ICC के निर्णय बाध्यकारी होते हैं।

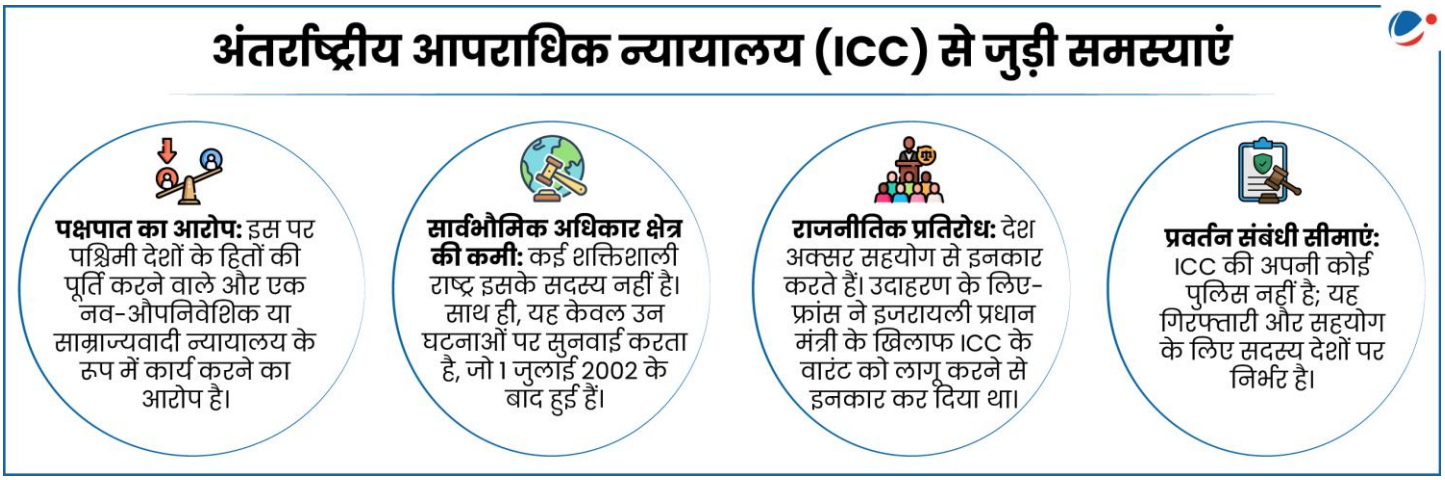

2.4.9. स्कारबोरो शोल (Scarborough Shoal)

फिलीपींस ने स्कारबोरो शोल पर **चीन द्वारा नेचर रिजर्व स्थापित करने के कदम की कड़ी आलोचना** की है।

स्कारबोरो शोल के बारे में

- **स्कारबोरो शोल** को चीन में **हुआंगयान द्वीप** और फिलीपींस में **पानाटैग शोल** कहा जाता है। यह **दक्षिणी चीन सागर** में स्थित एक लघु **प्रवाल द्वीप (एटॉल)** है।
- **चीन और फिलीपींस, दोनों** देश इसे अपना हिस्सा मानते हैं।

2.4.10. बगराम एयरबेस (Bagram Air Base)

संयुक्त राज्य अमेरिका, **अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस** पर फिर से नियंत्रण प्राप्त करने के लिए अफगानिस्तान के साथ बातचीत कर रहा है।

बगराम एयरबेस के बारे में

- यह **अफगानिस्तान का सबसे बड़ा एयरबेस है**। यह **राजधानी काबुल के उत्तर में स्थित** है।
- इसे मूल रूप से **1950 के दशक में सोवियत संघ** द्वारा विकसित किया गया था। सोवियत सेना के पीछे हटने के बाद 1990 के दशक में यह तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच संघर्ष का केंद्र बन गया।
- **अमेरिका पर 2001 के आतंकवादी हमले** के बाद यह अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ अमेरिकी युद्ध का मुख्य केंद्र बन गया।
- 2021 में अमेरिकी और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) के सैनिकों ने बगराम एयरबेस को खाली कर दिया था।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अंतर्राष्ट्रीय संबंध** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

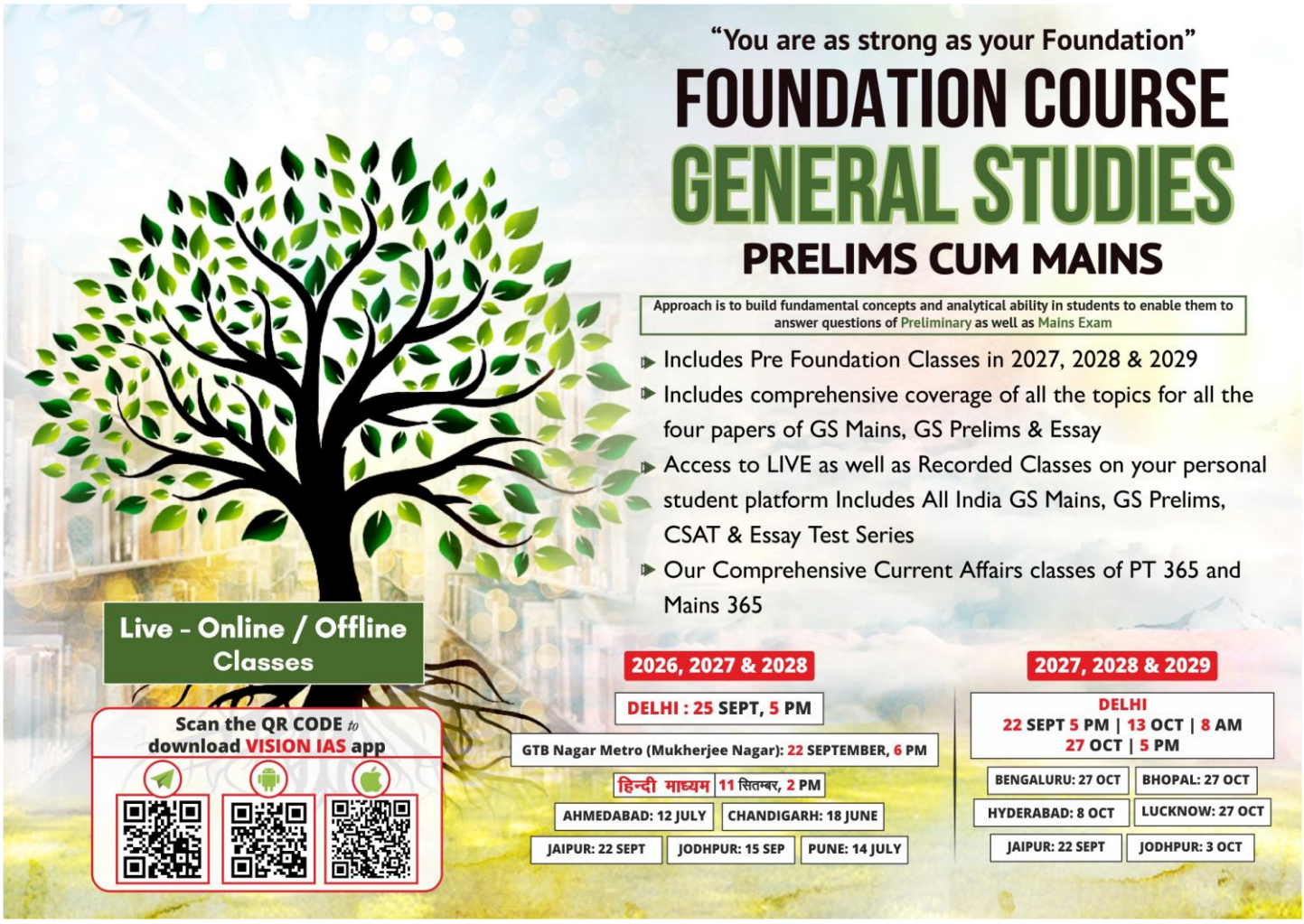

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION
SANDHAN

संधान के जरिए पर्सनलाइज्ड तरीके से UPSC प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए

(ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज)

UPSC प्रीलिम्स की तैयारी के लिए सिर्फ मॉक टेस्ट देना ही काफी नहीं होता है; बल्कि इसके लिए स्मार्ट तरीके से टेस्ट की प्रैक्टिस भी जरूरी होती है।

अभ्यर्थियों की तैयारी के अलग-अलग स्तरों और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, हमने संधान टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया है। यह ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत ही एक पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज है।

संधान की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

प्रश्नों का विशाल संग्रह: इसमें UPSC द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों (PYQs) के साथ-साथ VisionIAS द्वारा तैयार किए गए 25,000 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले प्रश्न उपलब्ध हैं।

प्रश्नों के चयन में फ्लेक्सिबिलिटी: अभ्यर्थी टेस्ट के लिए Vision IAS द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों या UPSC के विगत वर्षों के प्रश्नों में से चयन कर सकते हैं।

प्रदर्शन में सुधार: टेस्ट में अभ्यर्थी के प्रदर्शन के आधार पर, सुधार की गुंजाइश वाले क्षेत्रों पर पर्सनलाइज्ड फीडबैक दिया जाएगा।

पर्सनलाइज्ड टेस्ट: अभ्यर्थी अपनी जरूरत के अनुसार विषयों और टॉपिक्स का चयन करके पर्सनलाइज्ड टेस्ट तैयार कर सकते हैं।

समयबद्ध मूल्यांकन: अभ्यर्थी परीक्षा जैसी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए तय समय-सीमा में टेस्ट के जरिए अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल का मूल्यांकन कर उसे बेहतर बना सकते हैं।

स्टूडेंट डैशबोर्ड: स्टूडेंट डैशबोर्ड की सहायता से अभ्यर्थी हर विषय में अपने प्रदर्शन और ओवरऑल प्रगति को ट्रैक कर सकेंगे।

संधान के मुख्य लाभ

अपनी तैयारी के अनुरूप प्रैक्टिस: अभ्यर्थी अपनी जरूरतों के हिसाब से विषयों और टॉपिक्स का चयन कर सकते हैं। इससे अपने मजबूत पक्षों के अनुरूप तैयारी करने में मदद मिलेगी।

कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज: प्रश्नों के विशाल भंडार की उपलब्धता से सिलेबस की संपूर्ण तैयारी सुनिश्चित होगी।

प्रभावी समय प्रबंधन: तय समय सीमा में प्रश्नों को हल करने से टाइम मैनेजमेंट के लिए कौशल विकसित करने में मदद मिलेगी।

पर्सनलाइज्ड असेसमेंट: अभ्यर्थी अपनी आवश्यकता के अनुसार टेस्ट तैयार करने के लिए Vision IAS द्वारा तैयार प्रश्नों या UPSC में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का चयन कर सकते हैं।

लक्षित तरीके से सुधार: टेस्ट के बाद मिलने वाले फीडबैक से अभ्यर्थियों को यह पता लग सकेगा कि उन्हें किन विषयों (या टॉपिक्स) में सुधार करना है। इससे उन्हें तैयारी के लिए बेहतर रणनीति बनाने में सहायता मिलेगी।

आत्मविश्वास में वृद्धि: कस्टमाइज्ड सेशन और फीडबैक से परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की तैयारी का स्तर तथा उनका आत्मविश्वास बढ़ता है।

यह अपनी तरह की एक इनोवेटिव टेस्ट सीरीज है। संधान के जरिए, अभ्यर्थी तैयारी की अपनी रणनीति के अनुरूप टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे उन्हें UPSC प्रीलिम्स पास करने के लिए एक समग्र तथा टार्गेटेड अप्रोच अपनाने में मदद मिलेगी।

रजिस्ट्रेशन करने और "ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज" का ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

संधान पर्सनलाइज्ड टेस्ट कैसे एक परिवर्तनकारी प्लेटफ़ॉर्म बन सकता है, यह जानने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | राँची

3. अर्थव्यवस्था (Economy)

3.1. वस्तु एवं सेवा कर सुधार {Goods and Services Tax (GST) Reform}

सुर्ख़ियों में क्यों?

जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार (GST 2.0) को मंजूरी दी गई है, जिसमें दरों का तार्किक पुनर्गठन और एक सरल दो-स्लैब संरचना शामिल है।

जीएसटी 1.0 (GST 1.0) का मूल्यांकन

- **जीएसटी के बारे में:** यह वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एक **एकल अप्रत्यक्ष कर** है, जो पूरे भारत में लागू होता है।
  - इसे **101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2017** द्वारा लागू किया गया था।
- **जीएसटी के मुख्य घटक:** केंद्रीय जीएसटी (CGST), राज्य जीएसटी (SGST), केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी (UTGST) और एकीकृत जीएसटी (IGST)।
  - **CGST, SGST और UTGST** राज्य के भीतर लेनदेन पर लगाए जाते हैं; जबकि IGST अंतर्राज्यीय लेनदेन पर लागू होता है, जिसे केंद्र द्वारा एकत्र किया जाता है और राज्यों के साथ साझा किया जाता है।
- **गंतव्य-आधारित कर:** राजस्व उस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को प्राप्त होता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का अंतिम उपभोग किया जाता है।

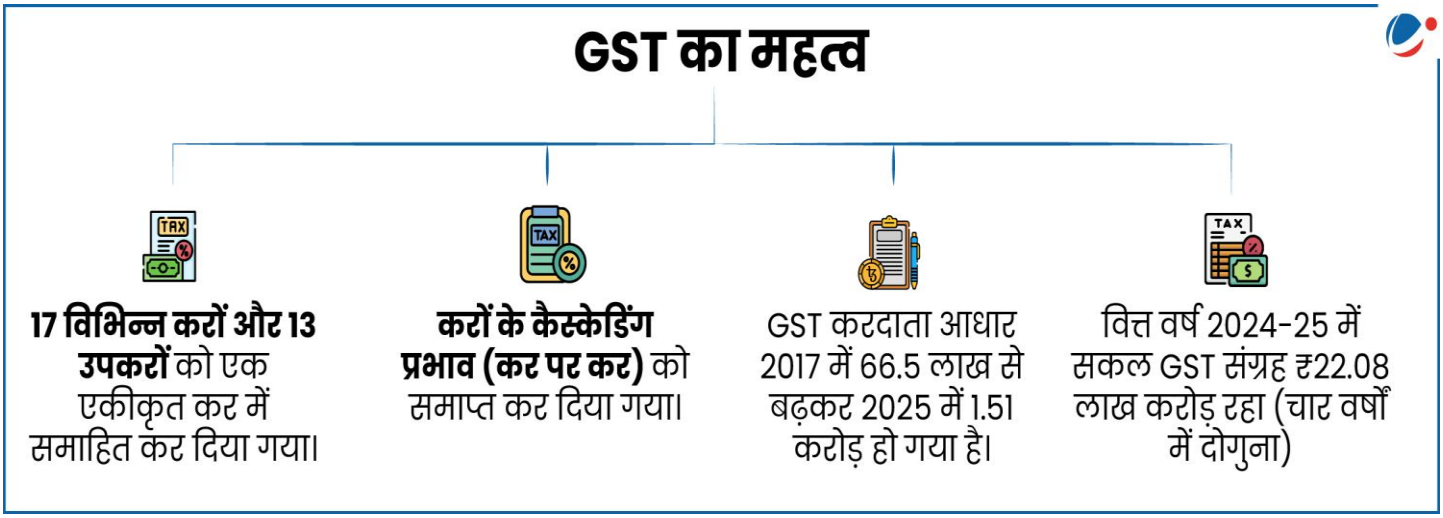

जीएसटी 2.0: प्रमुख सुधार और सिफारिशें

- **नई दर संरचना:**
  - पहले से चली आ रही 12% और 28% की दरों को समाप्त कर **5% और 18%** की **दो-स्लैब प्रणाली** लागू की गई है।
  - 'सिन' वस्तुओं और चुनिंदा विलासिता की वस्तुओं पर **40% की एक विशेष डी-मेरिट दर** लागू होगी, जो **क्षतिपूर्ति उपकर को प्रतिस्थापित करेगी**।
  - प्रभावी **मध्यम कर दर (Median tax rate)** 12% से घटकर 5% हो गई है।

नागरिकों और प्रमुख क्षेत्रकों के लिए राहत:

- **तेज़ी से बिकने वाली उपभोक्ता वस्तुएं (FMCG)/आवश्यक वस्तुएं (18% से घटकर 5%):** हेयर ऑयल, साबुन, शैम्पू और टूथपेस्ट जैसी वस्तुओं पर कर में कमी।
- **स्वास्थ्य (18% से घटकर छूट/5%):** सभी **व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों** और उनके पुनर्बीमा को जीएसटी से मुक्त किया गया है।
  - **इसके अतिरिक्त,** 36 विशेष जीवनरक्षक दवाओं को **शून्य (Nil) कर दर** में शामिल किया गया है, जबकि अन्य अधिकांश दवाओं पर दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।

- **प्रमुख आर्थिक प्रेरक (28% से घटकर 18%):** एयर कंडीशनर, डिशवॉशिंग मशीन और सभी टीवी सेट (सभी पर एक समान 18%) लागू की गई है। सीमेंट पर दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है।
- **परिवहन (28% से घटकर 18%):** छोटी कारें (पेट्रोल/LPG/CNG 1200cc तक; डीजल 1500cc तक, दोनों 4000mm लंबाई से कम) और 350cc तक की मोटरसाइकिलें।

- **विवाद निपटान :** अपीलों के लिए **वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण (GSTAT)** का परिचालन सितंबर 2025 के अंत तक शुरू होने जा रहा है।
  - सरकार द्वारा **औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत** की जा चुकी है (विवरण अगले लेख में देखें)।
- **पंजीकरण में सुविधा:** छोटे और कम-जोखिम वाले व्यवसायों के लिए एक सरल और **वैकल्पिक जीएसटी पंजीकरण योजना** लागू किए जाने की सिफारिश की गई है। यह योजना **स्वचालित पंजीकरण** की गारंटी देगी। यह योजना 1 नवंबर 2025 से लागू होगी।
  - साथ ही, ई-कॉमर्स ऑपरेटरों (ECOs) के माध्यम से काम करने वाले छोटे आपूर्तिकर्ताओं के लिए भी **सरल पंजीकरण प्रणाली** को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है।
- **निर्यात लाभ:** यह सिफारिश की गई है कि **"मध्यस्थ सेवाओं"** के लिए आपूर्ति का स्थान सेवा प्राप्तकर्ता के स्थान के अनुसार निर्धारित किया जाएगा (पहले यह आपूर्ति के स्थान के आधार पर तय किया जाता था)।
  - इससे ऐसी सेवाओं के भारतीय निर्यातकों को **निर्यात लाभ प्राप्त करने में** मदद मिलेगी।
  - मध्यस्थ सेवाएं दो पक्षों के बीच **वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति** को बिना **किसी परिवर्तन के सुगम** बनाती हैं।

हालिया परिवर्तनों के लाभ

- **सामाजिक सुरक्षा:** बीमा और आवश्यक दवाओं पर जीएसटी से छूट मिलने से परिवारों की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच मजबूत होगी।
- **कीमतों में कमी, मांग में वृद्धि होगी:** सस्ती वस्तुएं और सेवाएं घरेलू बचत को बढ़ाती हैं और उपभोग को प्रोत्साहित करती हैं।
  - **मौद्रिक जीडीपी विकास दर में 20-30 आधार अंकों (bps) की वृद्धि होने का अनुमान है**।
- **MSME को समर्थन:** सीमेंट, ऑटो पार्ट्स और हस्तशिल्प जैसी आगतों की दरों में कमी किए जाने से लागत घटती है और छोटे व्यवसाय अधिक प्रतिस्पर्धी बनते हैं।
- **जीवन की सुगमता:** दो-दर संरचना से विवाद कम होंगे, त्वरित निर्णय होंगे और सरल अनुपालन सुनिश्चित होगा।
- **व्यापक कर आधार:** सरल दरें अनुपालन को प्रोत्साहित करती हैं, जिससे कर आधार का विस्तार होता है और राजस्व में सुधार होता है।

हालिया परिवर्तनों के समक्ष प्रमुख चुनौतियां

- **राजस्व की हानि:** वित्त मंत्रालय के अनुसार, इससे लगभग ₹48,000 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2023-24 के उपभोग आधार पर) के राजस्व की हानि हो सकती है।
- **इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की समाप्ति:** स्वास्थ्य उत्पादों और बीमा सेवाओं जैसी वस्तुओं पर अब ITC का लाभ नहीं मिलेगा।
  - पहले, बीमा कंपनियां आगतों पर भुगतान किए गए जीएसटी को समायोजित करके प्रीमियम पर जीएसटी को कम करने के लिए ITC का उपयोग करती थीं।
  - अब, पॉलिसीधारकों पर कोई जीएसटी लागू नहीं होने के कारण, वे समायोजन नहीं कर सकेंगी, जिससे लागत बढ़ेगी।
- **अनुपालन की जटिलता और तकनीकी एकीकरण:** कर संरचना के सरलीकरण के बावजूद, व्यवसायों को मूल्य संरचनाओं को समायोजित करने और बिलिंग प्रणाली को उन्नत करने जैसी संक्रमणकालीन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- **व्युत्क्रम कर संरचना (IDS) की समस्या:** कुछ मामलों में, कच्चे माल पर जीएसटी अंतिम उत्पाद की तुलना में अधिक होता है। उदाहरण के लिए, साइकिल पर 5% कर है, लेकिन प्लास्टिक और स्टील जैसे आगतों पर 18% कर लगता है।
- **मुनाफाखोरी-रोधी तंत्र:** (NAA)[14] को (केंद्रीय जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 171 के तहत) यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया था कि कर दर में कमी या लाभ उपभोक्ता तक पहुँचे।

[14] राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण

- इसे 2022 में **भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)** के साथ विलय कर दिया गया था।
- अब **NAA या इसी प्रकार का कोई समर्पित** निकाय नहीं है, जबकि जीएसटी 2.0 में बड़े पैमाने पर दरों में बदलाव किए गए हैं और मुनाफाखोरी एक कर अनुपालन संबंधी मुद्दा है।

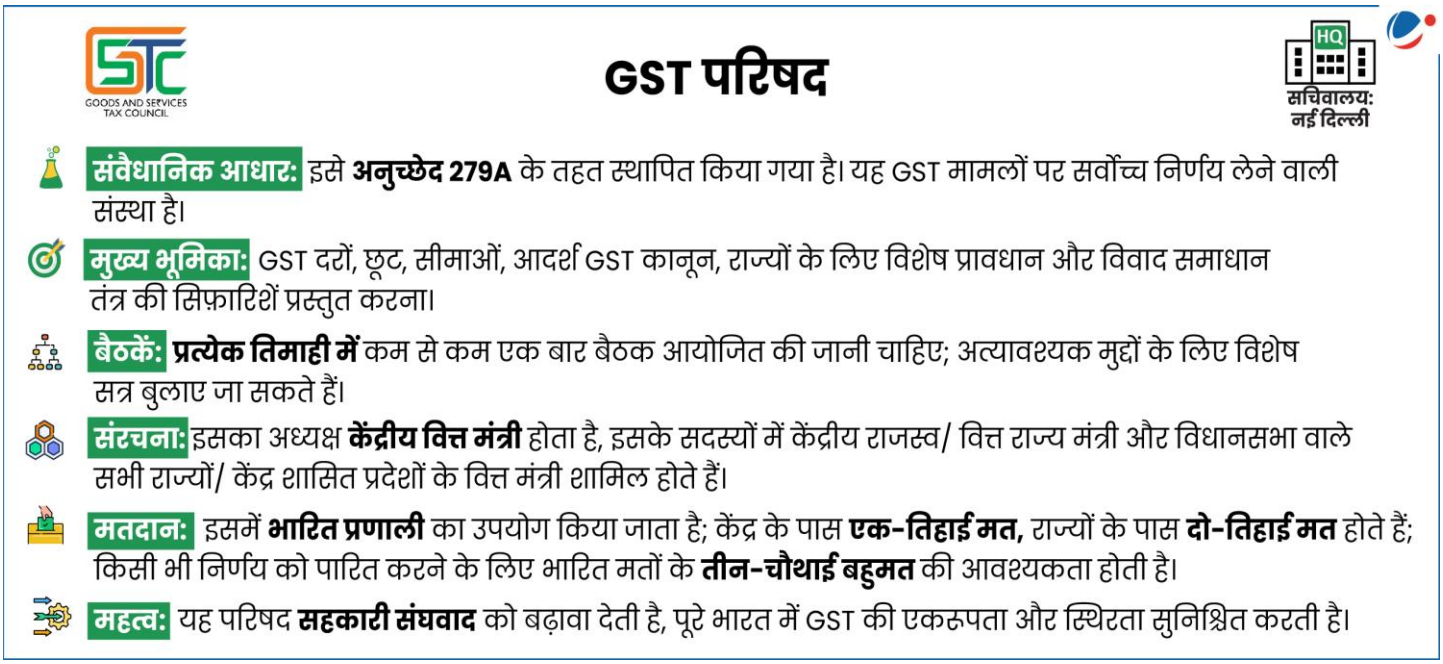

निष्कर्ष

सरलीकृत जीएसटी संरचना, जिसमें निम्नतर कर दरें शामिल हैं, भारत की कर प्रणाली के एक नए चरण की शुरुआत को दर्शाती है। इसका उद्देश्य वहनीयता को बढ़ाना, व्यवसायों की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रोत्साहित करना, अनुपालन को सरल बनाना, और साथ ही समावेशी विकास एवं आर्थिक परिवर्तन को गति देना है। नियमित दर समीक्षा, राजकोषीय निगरानी और करदाताओं में जागरूकता से विश्वास बढ़ेगा, कर आधार विस्तृत होगा, और राजस्व स्थिरता को और सुदृढ़ किया जा सकेगा।

3.1.1. GSTAT और GSTAT ई-कोर्ट पोर्टल का शुभारंभ (GSTAT and GSTAT E-Courts Portal Launched)

वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण (GSTAT) के बारे में

- यह एक **द्वितीय अपीलीय प्राधिकरण** है, जिसे केंद्रीय **वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 109** के तहत स्थापित किया गया है।
  - जब किसी करदाता के समक्ष कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो पहली अपील **कर प्रशासन** के भीतर की जाती है।
- **उद्देश्य: जीएसटी अपीलीय प्राधिकारी वर्ग** द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना और करदाताओं को न्याय के लिए एक स्वतंत्र मंच प्रदान करना।
- **पीठें:** यह **नई दिल्ली** में एक **प्रधान पीठ** और भारत के 45 स्थानों पर 31 राज्य पीठों के माध्यम से कार्य करेगी, जिससे इसकी पहुंच पूरे देश में सुनिश्चित होगी।
- **संरचना:** GSTAT की प्रत्येक पीठ में दो न्यायिक सदस्य, एक तकनीकी सदस्य (केंद्र) और एक तकनीकी सदस्य (राज्य) शामिल होंगे।
- **महत्व:** इसकी संरचना **सहकारी संघवाद** की भावना को दर्शाती है तथा इसका उद्देश्य निष्पक्ष एवं सुसंगत निर्णय प्रदान करना है।

GSTAT ई-कोर्ट पोर्टल के बारे में

- यह एक **डिजिटल प्लेटफॉर्म** है जो **करदाताओं को** ऑनलाइन अपील दायर करने, मामलों की प्रगति पर नजर रखने और डिजिटल माध्यम से सुनवाई में भाग लेने में **सक्षम बनाता है**।
- **इसका विकास: राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (NIC)** के सहयोग से वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN) द्वारा किया गया है।

3.2. भारत का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम (India's Semiconductor Ecosystem)

सुर्ख़ियों में क्यों?

बेंगलुरु में ARM के नए सेमीकंडक्टर डिज़ाइन कार्यालय के उद्घाटन के बाद, भारत में पहली बार 2nm चिप डिज़ाइन की जा रही है।

- **2 nm चिप्स का महत्व**
  - सेमीकंडक्टर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के मूलभूत घटक हैं।
  - सेमीकंडक्टर पदार्थों का उपयोग माइक्रोचिप बनाने में किया जाता है जो सुचना को संग्रहित, संसाधित और संप्रेषित करते हैं।
  - प्रत्येक चिप में लाखों सूक्ष्म-स्तरीय स्विच होते हैं जिन्हें ट्रांजिस्टर कहा जाता है, जो विद्युत संकेतों को उसी तरह नियंत्रित करते हैं जैसे मस्तिष्क की कोशिकाएं संदेशों को नियंत्रित करती हैं।
  - **पतली चिप्स का** अर्थ **कम स्थान में अधिक प्रोसेसिंग क्षमता — अर्थात हल्के और अधिक सक्षम उत्पाद है।**
  - **छोटे ट्रांजिस्टर अधिक दक्षता और कम ऊर्जा खपत को संभव बनाते हैं।**
  - इनका राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान और रक्षा अनुप्रयोगों में रणनीतिक महत्व है।

वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग के वर्ष 2030 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है। यह उद्योग मुख्य रूप से ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन और अमेरिका द्वारा नियंत्रित है। ताइवान विश्व के 60% से अधिक सेमीकंडक्टर और लगभग 90% अत्याधुनिक चिप्स का उत्पादन करता है। चूँकि आपूर्ति शृंखलाएँ कुछ ही भौगोलिक क्षेत्रों में केंद्रित हैं, इसलिए भारत स्वयं को वैश्विक विनिर्माण को विविधीकृत करने में एक विश्वसनीय और भरोसेमंद भागीदार के रूप में स्थापित कर रहा है।

भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए चल रही प्रमुख पहलें

- **इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM):** इसे 2021 में निम्नलिखित योजनाओं सहित शुरू किया गया था-
  - **सेमीकंडक्टर फैब्स योजना:** 28 nm या उससे अधिक उन्नत तकनीक वाली फैब्रिकेशन (Fab) इकाइयों की स्थापना को लक्षित करती है। साथ ही,यह भारत में सेमीकंडक्टर वेफर फैब यूनिट स्थापित करने हेतु **50% तक वित्तीय सहायता** प्रदान करती है।
  - **डिस्प्ले फैब्स योजना:** यह भारत में डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित करने के लिए **परियोजना लागत का 50%** तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है तथा AMOLED और LCD डिस्प्ले जैसी प्रौद्योगिकियों को शामिल करता है।
  - **कंपाउंड सेमीकंडक्टर एवं ATMP/OSAT योजना:** कंपाउंड **सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन फोटोनिक्स, MEMS/सेंसर, और डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर** के निर्माण का समर्थन करती है।
  - **डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव (DLI) योजना:** यह डिज़ाइन स्टार्टअप्स और MSMEs को प्रोत्साहित करती है तथा **प्रति कंपनी ₹15 करोड़** तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है।
- **सेमिकॉन इंडिया:** यह **विश्व भर में** आयोजित किए गए आठ प्रमुख **सेमिकॉन प्रदर्शनों** में से एक है, जो वैश्विक सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारितंत्र के **शीर्ष विशेषज्ञों एवं अधिकारियों** को एक मंच पर लाता है।
  - **सेमिकॉन इंडिया, 2025** (चौथा संस्करण) को इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) ने SEMI[15] के साथ साझेदारी में आयोजित किया। इस सम्मेलन का **थीम** 'अगली सेमीकंडक्टर महाशक्ति का निर्माण' था।
- **कौशल एवं प्रतिभा विकास कार्यक्रम:**
  - **AICTE VLSI पाठ्यक्रम:** पाठ्यक्रमों को उद्योग की आवश्यकता अनुसार अद्यतन किया गया है।
  - **स्किल्ड मैनपावर एडवांस्ड रिसर्च एंड ट्रेनिंग (SMART) लैब (NIELIT, कालीकट):** इसका उद्देश्य 1 लाख इंजीनियरों को प्रशिक्षित करना है।
  - **चिप्स टू स्टार्टअप (C2S) कार्यक्रम:** इसे वेरी लार्ज-स्केल इंटीग्रेशन (VLSI) और एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त संसाधन विकसित करने के लिए शुरू किया गया है।
  - **फ्यूचर स्किल्स प्रोग्राम:** मध्य प्रदेश में 20,000 इंजीनियरों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
- **वैश्विक सहयोग:** भारत और अमेरिका के बीच **महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल (iCET)** के माध्यम से सेमीकंडक्टर सहित प्रमुख प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने पर बल दिया गया है।

[15] सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स इंटरनेशनल

- **डिजाइन तथा अनुसंधान एवं विकास (R&D) को प्रोत्साहन:**
  - 2025 में, नोएडा और बेंगलुरु में **3 nm चिप डिजाइन** केंद्रों का उद्घाटन किया गया है।
  - **सिलिकॉन कार्बाइड (SiC) और 3D ग्लास पैकेजिंग** की दिशा में प्रगति हो रही है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs), रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रों में उपयोगी होगी।
  - **विक्रम 32-बिट प्रोसेसर,** भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर है, जिसे **लॉन्च व्हीकल (रॉकेट) जैसी कठोर परिस्थितियों में उपयोग के लिए प्रमाणित किया गया है।**

सेमीकंडक्टर पारितंत्र के समक्ष चुनौतियां:

- **सीमित कोर IP और स्वदेशी उत्पाद का विकास:** देश में स्वदेशी शोध और नवाचार की स्थिति अभी भी कमजोर बनी हुई है, तथा उन्नत चिप प्रौद्योगिकियों, AI चिप्स, या क्वांटम कंप्यूटिंग में मूल पेटेंट की संख्या भी बहुत कम है।
- **भूराजनीतिक जोखिम:** प्रमुख शक्तियों (विशेषकर अमेरिका) की निर्यात नियंत्रण जैसी नीतियां भारत की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और चिप निर्माण उपकरणों तक पहुंच को सीमित कर सकती हैं।
- **उन्नत फैब सुविधाओं पर कम ध्यान:** भारत की अधिकांश फैब इकाइयां पुरानी तकनीकी नोड (>28nm) पर केंद्रित हैं, जबकि वैश्विक बाजार 3nm, 5nm और AI व क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए विशेष चिप्स की ओर बढ़ रहा है।
- **अविकसित आपूर्ति श्रृंखला:** भारत के पास सिलिकॉन वेफर, विशेष रसायन, और अल्ट्रा-शुद्ध गैसों जैसी महत्वपूर्ण सामग्रियों के घरेलू स्रोतों का अभाव है, जो उन्नत चिप विनिर्माण के लिए आवश्यक हैं।
- **उच्च पूंजी तथा अनुसंधान एवं विकास की लागत: सेमीकंडक्टर फैब्स के लिए अरबों डॉलर के निवेश की आवश्यकता होती है, और डिजाइन की लागत इतनी अधिक है कि कई स्टार्टअप इसे वहन नहीं कर सकते हैं।**
- **अन्य समस्याएं:**
  - विनिर्माताओं, डिजाइन हाउस, फैब्स और अनुसंधान इकाइयों के बीच **सहयोग तथा पारितंत्र का खंडित विकास** देखा जाता है।
  - **इसके लिए विशेषीकृत विनिर्माण प्रतिभा की कमी है।**
  - **परियोजना कार्यान्वयन में देरी और विनियामक स्वीकृतियों की धीमी गति।**
  - **लॉजिस्टिक्स और परिवहन अवसंरचना का अपर्याप्त विकास।**
  - **पर्यावरण संबंधी चिंताएं**, क्योंकि सेमीकंडक्टर फैब्स में अत्यधिक जल और ऊर्जा की खपत होती है।

आगे की राह

- **स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास और बौद्धिक संपदा सृजन को बढ़ावा देना: सेमीकंडक्टर अनुसंधान एवं विकास** के लिए **सार्वजनिक और निजी वित्तपोषण** को बढ़ाया जाना चाहिए; एक **स्वदेशी बौद्धिक संपदा आधार** विकसित करने के लिए बौद्धिक संपदा पंजीकरण और प्रवर्तन को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- **भू-राजनीतिक परिवर्तनों का लाभ उठाना:** आपूर्ति श्रृंखला के पुनर्गठन के बीच **भारत को एक सुरक्षित और पारदर्शी निवेश स्थल के रूप** में स्थापित किया जाना चाहिए।
  - **उदाहरण:** भारत "चिप 4" गठबंधन जैसे संघों में शामिल होने का प्रयास कर सकता है।
- **उन्नत नोड्स के लिए प्रोत्साहन और अनुसंधान एवं विकास बढ़ाना:** वैश्विक अग्रणी देशों के साथ संयुक्त उद्यम और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से। उदाहरण: सेमिकॉन इंडिया 2023 के दौरान 12 समझौता ज्ञापनों की घोषणा की गई थी।
- **विनिर्माण अवसंरचना में सुधार करना: प्रशिक्षण और गठन हेतु एक प्रारंभिक रिफर्बिश्ड फैब स्थापित किया जाना चाहिए**; साथ ही **कर छूट** और अवसंरचना समर्थन के साथ **निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।**
- **कच्चे माल के उत्पादन को बढ़ाना:** विशेष रासायनिक उत्पादों आदि के लिए स्थानीय विनिर्माण संयंत्र स्थापित किए जाने चाहिए; साथ ही कच्चे माल उद्योगों की स्थापना के लिए विनियामक अनुमोदनों में तेजी लाई जानी चाहिए।
- **सहयोग को बढ़ावा देना:** एक संपूर्ण सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला के निर्माण के लिए **मूल उपकरण निर्माता (OEM), डिजाइन हाउस, फैब और परीक्षण इकाइयों** के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- **कुशल कार्यबल का विकास करना: व्यावहारिक सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण के साथ शैक्षिक पाठ्यक्रमों** को अद्यतन किया जाना चाहिए; व्यावहारिक अनुभव के लिए **नवीकरणीय फैब सहित समर्पित प्रशिक्षण केंद्र स्थापित** किए जाने चाहिए।

3.3. प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (पीएम मित्र) योजना {Prime Minister Mega Integrated Textile Region and Apparel (PM MITRA) Scheme}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने **मध्य प्रदेश के धार जिले में पीएम मित्र पार्क** की आधारशिला रखी।

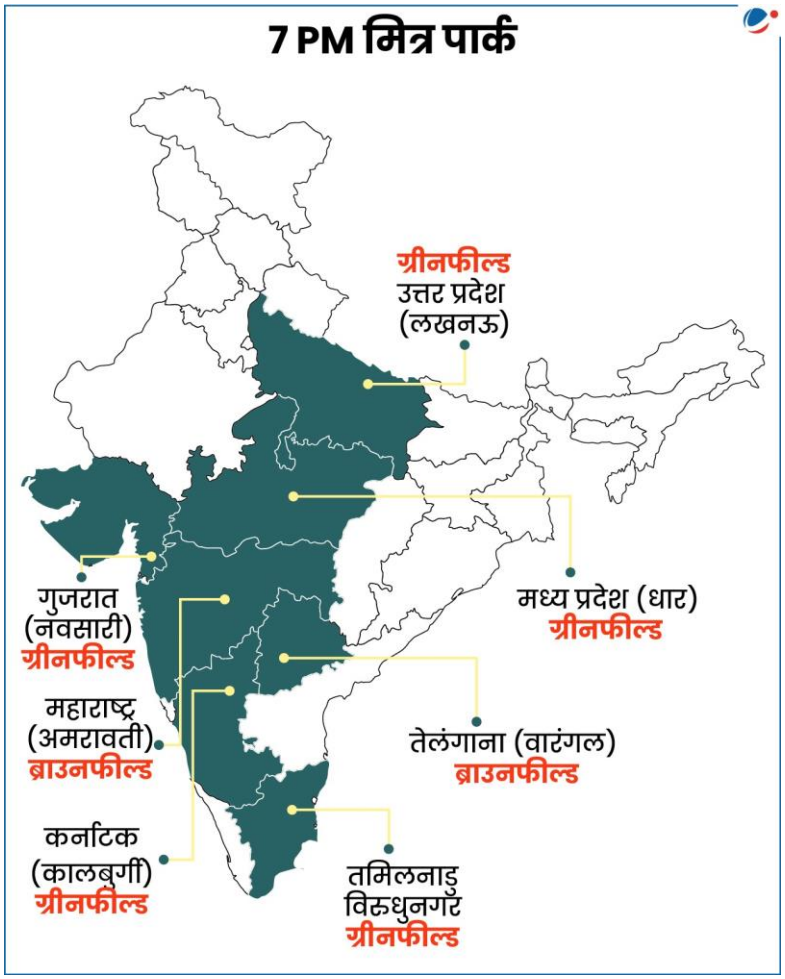

पीएम मित्र योजना के बारे में

- **शुभारंभ: वस्त्र मंत्रालय** द्वारा **2021-22 से 2027-28** की अवधि के लिए 4,445 करोड़ रुपये की कुल लागत के साथ इस योजना की शुरुआत की गई है।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य विश्वस्तरीय अवसंरचना और सुविधाओं के साथ **बड़े पैमाने पर वस्त्र विनिर्माण केंद्रों** की स्थापना करना है। वर्ष 2023 में **भारत में 7 स्थलों की पहचान की गई थी** (देखें मानचित्र)।
  - इन पार्कों में एक ही स्थान पर कताई, बुनाई, प्रसंस्करण, परिधान निर्माण, वस्त्र निर्माण, तथा प्रसंस्करण एवं मुद्रण मशीनरी उद्योग सहित वस्त्र उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- **दृष्टिकोण:** "5F" दृष्टिकोण (फार्म → फाइबर → फैक्टरी → फैशन → फॉरेन) का लक्ष्य वस्त्र उद्योग पारितंत्र को एकीकृत और विस्तारित करना है।
- **लक्ष्य**:
  - लगभग 70,000 करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करना।
  - लगभग 20 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करना।
- **राज्यों हेतु पात्रता एवं चयन मानदंड:**
  - संस्पर्शी और बाधा-मुक्त **भू-खंड (कम से कम 1000 एकड़)उपलब्ध होना चाहिए,**
  - वस्त्र एवं औद्योगिक नीति अनुकूल होनी चाहिए, और
  - वस्त्र क्षेत्रक में **पारंपरिक क्षमता** (मजबूत उपस्थिति)होनी चाहिए।
- **संरचना एवं कार्यान्वयन:**
  - प्रत्येक मित्र पार्क को एक **विशेष प्रयोजन वाहन (SPV)** के तहत विकसित किया जाएगा, जिसमें **केंद्र सरकार की 49% हिस्सेदारी** होगी, और **राज्य सरकार की 51% हिस्सेदारी** होगी।
  - यह मॉडल मुख्यतः **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)** पर आधारित होगा, जिसके तहत अवसंरचना के निर्माण और रखरखाव के लिए एक मास्टर डेवलपर का चयन किया जाएगा।
- **वित्तीय प्रोत्साहन एवं सहायता:** केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय, **ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए प्रति पार्क 800 करोड़ रुपये और ब्राउनफील्ड परियोजनाओं के लिए प्रति पार्क 500 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा**, जो निम्नलिखित रूपों में होगी:
  - **विकास पूंजी सहायता (DCS): परियोजना लागत का 30% तक।**
    - **ग्रीनफील्ड पार्क** (नई विकास): **प्रति पार्क सहयोग की** अधिकतम सीमा **500 करोड़ रुपये होगी।**
    - **ब्राउनफील्ड पार्क** (मौजूदा अवसंरचना का उन्नयन): शेष अवसंरचना विकास के लिए **200 करोड़ रुपये** तक का सहयोग प्रदान किया जाएगा।
  - **प्रतिस्पर्धात्मक प्रोत्साहन सहायता (CIS):** प्रारंभिक स्थापना और टर्नओवर आदि को प्रोत्साहित करने के लिए **प्रति पार्क 300 करोड़ रुपये** तक का अतिरिक्त सहयोग प्रदान किया जाएगा।

- **अन्य केंद्रीय योजनाओं के साथ अभिसरण:** अन्य भारत सरकार की योजनाओं के साथ विद्युत, कौशल विकास, लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में तालमेल स्थापित किया जाएगा, ताकि प्रोत्साहन को बढ़ावा दिया जा सके और दोहराव को कम किया जा सके।
- आम परिसंपत्तियों के रखरखाव और धारणीयता के लिए राजस्व उत्पन्न करने में सहायता हेतु, क्षेत्रफल का एक **छोटा हिस्सा (लगभग 10% तक) वाणिज्यिक विकास** (रियल एस्टेट, सेवाएं) के लिए अनुमत है।

प्रधानमंत्री मित्र (PM MITRA) योजना क्यों शुरू की गई?

- **विखंडन और संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का अभाव:** कई इकाइयां (विशेषकर MSME/ छोटे फर्म) केवल एक या दो चरणों (जैसे केवल कताई, या केवल बुनाई, या केवल परिधान निर्माण) में कार्य करती हैं, न कि एक पूर्ण एकीकृत श्रृंखला में। इससे **बड़े पैमाने पर बाधा उत्पन्न होती है, प्रतिक्रिया समय धीमी हो जाती है, लॉजिस्टिक्स लागत बढ़ जाती है और गुणवत्ता नियंत्रण कमजोर** हो जाता है।
- **अवसंरचनात्मक बाधाएं:** अविकसित प्रसंस्करण और फिनिशिंग इकाइयां, पर्यावरण-अनुकूल अपशिष्ट उपचार की कमी, मानकीकरण (परीक्षण, गुणवत्ता प्रयोगशालाओं) और विद्युत आपूर्ति जैसी कमियां निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करती हैं।
  - **पार्कों के भीतर इनक्यूबेशन सेंटर, डिजाइन लैब और प्रशिक्षण केंद्र** उत्पाद नवाचार एवं कुशल श्रमशक्ति को बढ़ावा दे सकते हैं, विशेष रूप से **तकनीकी वस्त्रों** जैसे उभरते क्षेत्रों में।
  - पार्कों में **केंद्रीकृत अपशिष्ट उपचार संयंत्र** स्थायी प्रदूषण नियंत्रण सुनिश्चित करेंगे, जो यूरोप जैसे क्षेत्रों के सख्त वैश्विक पर्यावरणीय मानदंडों और खरीदारों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
- **अप्रचलित प्रौद्योगिकी और निम्न उत्पादकता:** मौजूदा कई वस्त्र इकाइयों में पुरानी मशीनरी, अकुशल डाईंग/प्रोसेसिंग विधियों और न्यूनतम स्वचालन का उपयोग किया जा रहा है। इससे **लागत बढ़ती है** और चीन एवं वियतनाम जैसे वैश्विक प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले **प्रतिस्पर्धात्मकता घटती है**।
  - **'प्लग-एंड-प्ले' फैक्टरियों और राजकोषीय प्रोत्साहनों** के साथ, ये पार्क घरेलू और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक पारिस्थितिक तंत्र निर्मित करेंगे, यह ठीक वैसे ही होगा जैसा विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में किया था।
- **अपर्याप्त निवेश एवं सीमित पैमाना: एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (SITP)जैसी** मौजूदा योजनाएं वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए आवश्यक **आकार और पैमाने को प्राप्त नहीं कर सकी हैं।**
- **गुणक प्रभाव:** एक **श्रम-गहन और निर्यात-उन्मुख क्षेत्रक** के रूप में, एकीकृत पार्क **बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित कर सकते हैं**। इसके अतिरिक्त, ये **ग्रामीण आय को बढ़ा सकते हैं और कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत कर सकते हैं**, जिससे व्यापक आर्थिक प्रभाव पैदा होता है।

भारतीय वस्त्र एवं परिधान क्षेत्रक का अवलोकन

- **स्थिति: वस्त्र निर्माण क्षमता** के मामले में भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत वैश्विक व्यापार में **3.91% हिस्सेदारी** के साथ **छठा सबसे बड़ा निर्यातक** है।
- **अर्थव्यवस्था में योगदान:** यह **सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 2.3%**, **औद्योगिक उत्पादन में 13%** और **निर्यात में 12% (2023-24 में 34.4 अरब अमेरिकी डॉलर)** का योगदान करता है।
- **रोजगार:** यह कृषि के बाद रोजगार सृजन करने वाला **दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रक** है, जिसमें **4.5 करोड़ से अधिक लोग** प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं, जिनमें **बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण आबादी शामिल हैं।**
- **समावेशी प्रकृति:** इसकी लगभग 80% क्षमता MSME क्लस्टरों में फैली हुई है।

अन्य प्रमुख सरकारी पहलें एवं सहायताएं

- **वस्त्र/परिधान हेतु उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना:** यह मानव निर्मित फाइबर (MMF), तकनीकी वस्त्र आदि में बड़े पैमाने पर विनिर्माण को प्रोत्साहित करती है।
- **समर्थ योजना:** वस्त्र मूल्य श्रृंखला में रोजगार-योग्यता बढ़ाने हेतु **मांग-आधारित कुशल प्रशिक्षण** प्रदान करती है।
- **संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना (ATUFS):** MSME इकाइयों के **प्रौद्योगिकी उन्नयन** हेतु ऋण प्रवाह को प्रोत्साहित करती है।
- **कस्तूरी कॉटन ब्रांडिंग/प्रमाणन:** यह भारतीय कपास की ट्रेसबिलिटी (उत्पादन श्रृंखला का पता लगाने की क्षमता) और गुणवत्ता ब्रांडिंग हेतु एक कार्यक्रम है।
- **राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (NTTM):** यह तकनीकी वस्त्रों के अनुसंधान, उत्पादन और निर्यात प्रोत्साहन पर केंद्रित प्रयास है।
- वस्त्र क्षेत्र में वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए **स्वतः मार्ग से 100% FDI की अनुमति दी गई है।**

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री मित्र योजना का उद्देश्य भारत के वस्त्र क्षेत्र को एक वैश्विक प्रतिस्पर्धी केंद्र में परिवर्तित करना है, जो पूरी मूल्य श्रृंखला के एकीकरण, लॉजिस्टिक लागत में कमी, और प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से संभव होगा। सुदृढ़ PPP आधारित समर्थन, वित्तीय प्रोत्साहन और रोजगार क्षमता के साथ, यह निवेश को बढ़ावा दे सकती है, निर्यात को मजबूत कर सकती है और स्थायी एवं समावेशी विकास को बढ़ावा देकर '5F' दृष्टिकोण को आगे बढ़ा सकती है।

3.4. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, 2022 (National Logistics Policy, 2022)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP), 2022 की तीसरी वर्षगांठ मनाई गई।

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP), 2022 के बारे में:

- **उद्भव:** यह योजना प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (PMGS-NMP) के पूरक के रूप में शुरू की गई थी।
- **दृष्टिकोण:** इसका उद्देश्य एक प्रौद्योगिकी-सक्षम, एकीकृत, लागत-कुशल, लचीला, सतत और विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स पारितंत्र विकसित करना है, जिससे तीव्र और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले।
- **NLP** प्रक्रियागत सुधारों, लॉजिस्टिक्स सेवाओं में सुधार, डिजिटलीकरण, मानव संसाधन विकास और कौशल उन्नयन जैसे **सॉफ्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक** के विकास पहलू का समाधान करता है।
  - जबकि **PMGS-NMP** का लक्ष्य स्थायी अवसंरचना और नेटवर्क योजना का एकीकृत विकास करना है।
- **मुख्य लक्ष्य:**
  - **भारत में लॉजिस्टिक्स लागत को कम** करके 2030 तक वैश्विक मानकों के अनुरूप लाना है।
  - **लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (LPI) रैंकिंग में सुधार:** भारत को 2030 तक शीर्ष 25 देशों में शामिल करना है।
  - **डेटा-आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली विकसित करना** है ताकि लॉजिस्टिक्स पारितंत्र को अधिक कुशल बनाया जा सके।
- **समग्र लॉजिस्टिक्स कार्य-योजना (CLAP) के माध्यम से क्रियान्वयन:** इसके तहत 8 प्रमुख कार्य क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं (इन्फोग्राफिक देखें)।

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (2022–2025) के अंतर्गत प्रमुख उपलब्धियां

- **लॉजिस्टिक्स ईज एक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (LEADS) इंडेक्स:** इसने राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके परिणामस्वरूप भारत की विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 रैंकिंग में सुधार हुआ है।

- LEADS इंडेक्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन क्षमता का आकलन करता है।
  - **LEADS 2025** में अब **5–7 प्रमुख लॉजिस्टिक्स कॉरिडोरों** के प्रदर्शन (यात्रा समय, ट्रक गति, प्रतीक्षा अवधि) आकलन शामिल किया गया है। साथ ही प्रमुख सड़क कॉरिडोरों पर **API आधारित खंड-वार गति** आकलन प्रणाली भी शुरू की गई है।

- **यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP):** इसने 30 से अधिक डिजिटल प्रणालियों के बीच सुरक्षित API एकीकरण को सक्षम किया है। अगस्त 2025 तक **160 करोड़ से अधिक डिजिटल लेन-देन** इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जा चुके हैं।
  - **ULIP** एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से लॉजिस्टिक्स से संबंधित डेटा को एक ही इंटरफेस पर प्रस्तुत करता है।
- **डिजिटल एकीकरण में सुधार: ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स सर्विसेज (E-Logs)** पोर्टल पर **35+ लॉजिस्टिक्स** और उद्योग संघों को जोड़ा गया है। इस पोर्टल ने हितधारकों द्वारा प्रस्तुत **140 में से 100 समस्याओं का सफल समाधान** किया है।
- **क्षेत्रीय स्तर पर लॉजिस्टिक्स विकास:** 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी राज्य **लॉजिस्टिक्स नीतियां बनाई** हैं। इसके अतिरिक्त, 19 राज्यों ने लॉजिस्टिक्स को "उद्योग का दर्जा" प्रदान किया है, जिससे उन्हें **कर लाभ और प्रोत्साहन** प्राप्त हो रहा है।

भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक में सुधार हेतु अन्य पहलें

- **अवसंरचना का दर्जा प्रदान करना:** इससे लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक को सड़क और रेलवे की तरह कम ब्याज दर पर दीर्घकालिक वित्तपोषण तक पहुंच प्राप्त होगी। इससे भारत की विकास गाथा में लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक की भूमिका और सुदृढ़ होगी।
- **एकीकृत राज्य और नगर लॉजिस्टिक्स योजनाएं:** इसे एशियाई विकास बैंक (ADB) के सहयोग से SMILE कार्यक्रम के अंतर्गत लागू किया जा रहा है।
  - **स्ट्रेंथनिंग मल्टीमॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम (SMILE) कार्यक्रम** का उद्देश्य भारत की लॉजिस्टिक्स अवसंरचना में सुधार करना, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना, और दक्षता में वृद्धि करना है।
- **लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक (LDB) 2.0:** यह प्रणाली कंटेनर मूवमेंट की रीयल-टाइम ट्रैकिंग को और बेहतर बनाती है। इसमें खुले समुद्र में निर्यात कंटेनरों की ट्रैकिंग और मल्टी-मोडल शिपमेंट की दृश्यता भी शामिल की गई है।
- **अन्य पहलें:** भारतमाला परियोजना के तहत मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्कों का विकास, ULIP, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, गतिशक्ति विश्वविद्यालय, ई-वे बिल की शुरुआत आदि।

लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक से संबंधित अब भी बनी हुई चुनौतियां

- **मोडल असंतुलन:** माल ढुलाई में रेलवे और सड़क परिवहन की हिस्सेदारी क्रमशः 18% और 71% है। (नीति आयोग, 2021)
- **असंगठित क्षेत्रक का प्रभुत्व:** लॉजिस्टिक्स उद्योग अत्यधिक विखंडित है, जिस पर कई छोटे और असंगठित अभिकर्ताओं (लगभग 90%) का प्रभुत्व है। (KPMG, 2022)
- **डिजिटल साक्षरता:** छोटी लॉजिस्टिक्स फर्मों और स्वतंत्र संचालकों में डिजिटल माध्यमों को अपनाने की दर असमान बनी हुई है, विशेष रूप से शहरी केंद्रों के बाहर।
- **विनियामक जटिलता:** राज्य और केंद्र के अतिव्यापी नियम, लॉजिस्टिक्स के लिए GST का असंगत कार्यान्वयन, और विविध लाइसेंसिंग मानदंड, डिजिटल स्टार्टअप्स और स्थापित कंपनियों दोनों के लिए परिचालनिक अनिश्चितता पैदा करते हैं।

आगे की राह

- **कुशल मॉडल मिश्रण को बढ़ावा देना: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC)** के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करना, अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा देना, और रोल-ऑन/रोल-ऑफ (RORO) सेवाओं को प्रोत्साहित करना आदि, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करके दक्षता में सुधार कर सकते हैं।
- **बदलते प्रारूपों के अनुरूप अनुकूलन:** ई-कॉमर्स के बढ़ते प्रसार के साथ, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग कंपनियां ऑम्नीचैनल रिटेल, क्विक कॉमर्स और 'बाय ऑनलाइन, पिक अप इन स्टोर' (BOPIS) जैसे विकसित हो रहे प्रारूपों के अनुरूप अपने परिचालन की रणनीति बना सकती हैं और उनका प्रबंधन कर सकती हैं।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी:** रिविगो जैसी स्टार्टअप कंपनियों और छोटे फ्लीट ऑपरेटरों के बीच सहयोग से सस्ते, 'प्लग-एंड-प्ले' डिजिटल समाधान उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
  - **उदाहरण: रिविगो** के AI एल्गोरिदम इष्टतम मार्ग का सुझाव देते हैं, जिससे यात्रा की दूरी, ईंधन खपत और वितरण लागत में कमी आती है।

- **प्रौद्योगिकी एकीकरण:** स्कैनर और बारकोड का उपयोग करने वाली प्रक्रिया-उन्मुख स्वचालन प्रणालियां, जो डेटा संग्रह और एकीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करती हैं; ऐप-आधारित टूल के माध्यम से ऑन-डिमांड वेयरहाउसिंग आदि की सुविधा प्रदान करती हैं।

निष्कर्ष

चूंकि भारत एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने और अपने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की आकांक्षा रखता है। लागत कम करने, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में लॉजिस्टिक्स विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। एक अग्रदर्शी, नवोन्मेष-प्रेरित और सहयोगात्मक दृष्टिकोण भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक को न केवल वाणिज्य के एक सुविधाकर्ता के रूप में, बल्कि राष्ट्रीय प्रगति के एक रणनीतिक प्रेरक के रूप में परिवर्तित कर सकता है।

3.5. सरफेसी अधिनियम, 2002 (SARFAESI Act, 2002)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय में **सरफेसी (SARFAESI) अधिनियम, 2002 और सरफेसी नियम, 2002** में मौजूद विसंगतियों को उजागर किया।

शब्दावली को जानें?

गैर-निष्पादित अस्तियां (Non-Performing Assets - NPA)

- **गैर-निष्पादित अस्ति (NPA)** बैंक के ऐसे ऋणों या अग्रिमों का एक वर्गीकरण है, जिसक पुनर्भुगतान **चूक** के अधीन है या **बकाया** हैं।
- कोई ऋण **बकाया** तब कहलाता है जब मूलधन या ब्याज के भुगतान में **देरी होती है या उसमें चुक हो जाती है।** कोई ऋण **गैर-निष्पादित आस्ति (NPA)** तब माना जाता है जब **ब्याज और/या मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक समय तक विलंबित रहती है।**

उच्चतम न्यायालय की प्रमुख टिप्पणियां

- उच्चतम न्यायालय ने **सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(8) और सरफेसी नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9** के बीच विरोधाभास को उजागर किया।
- **विरोधाभास**:
  - **धारा 13(8) (2016 के बाद के संशोधन):** जैसे ही **नीलामी की अधिसूचना जारी होती है**, वैसे ही उधारकर्ता का पूरा **कर्ज चुकाकर संपत्ति पुनः प्राप्त करने का कानूनी अधिकार** समाप्त हो जाता है।
  - **नियम 8 और 9:** ये इंगित करते हैं कि नीलामी की **सूचना प्रकाशित होने के बाद भी**, नीलामी की तिथि तक उधारकर्ता को अपनी संपत्ति छुड़ाने का **अवसर मिलता है**।
- **न्यायालय की व्याख्या:**
  - धारा 13(8) के अंतर्गत **"अधिसूचना के प्रकाशन"** को नियमों में उल्लिखित प्रक्रियाओं के अनुरूप पढ़ा जाना चाहिए।
  - **उधारकर्ता का संपत्ति छुड़ाने का अधिकार** तभी समाप्त होगा जब नीलामी की अधिसूचना उचित रूप से प्रकाशित की जाए (जैसे अखबारों में, व्यक्तिगत रूप से, ईमेल द्वारा आदि)।.

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI Act), 2002

- **उद्देश्य:**
  - बैंकों और वित्तीय संस्थानों की **गैर-निष्पादित आस्तियों (NPAs)** की शीघ्र एवं प्रभावी **वसूली सुनिश्चित करना।**
    - **सहकारी बैंक** भी इसके दायरे में आते हैं।
  - यदि उधारकर्ता ऋण चुकाने में विफल रहता है, तो यह अधिनियम बैंक या वित्तीय संस्था को उसकी **आवासीय या वाणिज्यिक संपत्ति को नीलाम करने** की अनुमति देता है।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

- **NPA का वर्गीकरण और नोटिस:** RBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार ऋणों को NPAs में वर्गीकृत किया जाता है। कानूनी कार्रवाई से पहले उधारकर्ताओं को 60-दिनों का डिमांड नोटिस (माँग पत्र) देना अनिवार्य होता है।
- **वसूली की प्रमुख विधियां:**
  - **प्रतिभूतिकरण (Securitisation):** इसमें उन परिसंपत्तियों को व्यापार योग्य प्रतिभूतियों में बदलकर निवेशकों के बीच जोखिम का वितरण किया जाता है, ताकि तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की वसूली में जोखिम को कम किया जा सके।

- **परिसंपत्ति पुनर्निर्माण:** यह अधिनियम (**ARCs**)[16] के गठन का प्रावधान करता है, जो RBI द्वारा पंजीकृत और विनियमित होती हैं।
  - ARC एक ऐसा **वित्तीय संस्थान है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से NPA या बैड एसेट खरीदती है**, ताकि वे अपनी बैलेंस शीट (वित्तीय विवरण) को साफ़ कर सकें।
- **न्यायालय-मुक्त प्रवर्तन:** धारा 13 के तहत, सुरक्षित ऋणदाता (जिनके पास परिसंपत्ति गिरवी है) न्यायिक स्वीकृति के बिना, कृषि भूमि को छोड़कर, संपत्ति पर कब्जा कर सकते हैं और उसे बेच सकते हैं।

- **केंद्रीय डेटाबेस:** वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण लेन-देन के पंजीकरण के लिए एक **केंद्रीय रजिस्ट्री** की स्थापना की गई है।
- **उधारकर्ता के अधिकार:** उधारकर्ता ऋणदाता या अधिकृत अधिकारी के विरुद्ध अपनी शिकायतों के निवारण के लिए **ऋण वसूली अधिकरण (DRT)** की शरण ले सकते हैं।
  - **DRT** की स्थापना **'ऋणों की वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993'** के तहत की गई है।
- **कार्यप्रणाली:**
  - **जब किसी खाते या आस्तियों को NPA घोषित किया जाता है, तो** बैंक उधारकर्ता को 60 दिनों में देयताओं को चुकाने का निर्देश देते हैं।
  - यदि उधारकर्ता भुगतान करने में विफल रहता है, तो **बैंक वसूली की कार्रवाई शुरू करता है।**

सरफेसी अधिनियम से जुड़ी मुख्य समस्याएं/चुनौतियां

- **कुछ विशेष उधारकर्ताओं का बहिष्कार:** यह अधिनियम 1 लाख रुपये से कम के ऋणों या उन मामलों पर लागू नहीं होता है, जहां ऋण का 80% पहले ही चुकाया जा चुका है।
- **प्रक्रियात्मक और न्यायिक देरी:** उधारकर्ता प्रायः संपत्ति पर कब्जे की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए ऋण वसूली अधिकरण (DRT) की शरण लेते हैं, जिससे प्रक्रिया में देरी होती है।
- **आस्तियों की वसूली में निहित जटिलताएं:** ऋणदाताओं को संपार्श्विक की पहचान करने और उसे बेचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उदाहरण के लिए, आस्ति का तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करना।
- **ARCs का अपेक्षाकृत अपर्याप्त प्रदर्शन:** बैंक और वित्तीय संस्थान वित्तीय वर्ष 2004 से वित्तीय वर्ष 2013 तक ARCs को बेचे गए तनावग्रस्त आस्तियों में, उधारकर्ताओं द्वारा बकाया राशि का केवल लगभग 14.29% ही वसूल कर पाए हैं।
- **सामाजिक-आर्थिक प्रभाव:** बलपूर्वक परिसंपत्ति हस्तांतरण से आजीविका की हानि, कर्ज़ में वृद्धि और सामाजिक अशांति को बढ़ावा मिल सकता है, जो एक संतुलित वसूली ढांचे की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
- **अन्य:** उधारकर्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन (ऋणदाताओं द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग), संपत्तियों के मूल्यांकन में विवाद, असुरक्षित ऋणदाताओं का बहिष्कार आदि।

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण, पुनर्निर्माण एवं NPA समाधान के अन्य उपाय

- **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016:** इसने तनावग्रस्त आस्तियों के लिए समय-बद्ध समाधान ढांचा लागू किया, जिससे वसूली में होने वाली देरी में कमी आई है।
- **RBI प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क (2019):** इसने अंतर-ऋणदाता समझौतों के माध्यम से तनावग्रस्त आस्तियों की शीघ्र पहचान और समाधान को अनिवार्य किया।
- **राष्ट्रीय आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (NARCL), 2021:** यह एक सरकार समर्थित 'बैड बैंक' है, जिसका उद्देश्य उच्च-मूल्य वाली NPA को एकत्रित करके उनका समाधान करना है।
  - **बैड बैंक एक वित्तीय संस्थान है जिसकी स्थापना संकटग्रस्त बैंकों से NPAs** या बैड लोन को अधिग्रहित करने और **उनका प्रबंधन करने के लिए की जाती है।**
- **अन्य:** सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों (PSBs) के पुनर्गठन हेतु **इंद्रधनुष योजना** आदि की शुरुआत की गई है।

आगे की राह

- **कानून और नियमों का समन्वय:** उच्चतम न्यायालय ने वित्त मंत्रालय से विसंगतियों को दूर करने के लिए आवश्यक परिवर्तन करने का आग्रह किया है।

[16] आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों

- **IBC के साथ सामंजस्य स्थापित करना:** सरफेसी अधिनियम को IBC के साथ सामंजस्यपूर्ण बनाया जाना चाहिए, ताकि तनावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए एक सुसंगत और व्यापक ढांचा निर्मित किया जा सके।
- **प्रौद्योगिकी का एकीकरण:** आस्तियों के मूल्यांकन और निगरानी के लिए AI और डेटा एनालिटिक्स का लाभ उठाया जाना चाहिए।
- **विशेषीकृत ऋण वसूली अधिकरण (DRT):** विवादों के समाधान में तेजी लाने के लिए इनकी परिचालन क्षमता को सशक्त बनाया जाना चाहिए।
- **अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियां:** उदाहरण के लिए, यूनाइटेड किंगडम का दिवाला अधिनियम ऋणदाताओं के अधिकारों के साथ-साथ उधारकर्ता संरक्षण उपायों को भी शामिल करता है। साथ ही, यह सुनिश्चित करता है कि वसूली प्रक्रिया व्यक्तियों/छोटे व्यवसायों को असमान रूप से नुकसान न पहुंचाए।

निष्कर्ष

उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय ने सरफेसी अधिनियम के तहत मोचन अधिकारों को स्पष्ट किया है और क्रेताओं के संरक्षण को मजबूती प्रदान की है। हालांकि, अधिनियम और उसके नियमों के बीच मौजूदा असंगतियां अब भी अनिश्चितता पैदा करती हैं। इन प्रावधानों को सुव्यवस्थित करना तथा DRT और ARC जैसी संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत करना, NPAs के शीघ्र समाधान को सुनिश्चित करने के लिए अत्यावश्यक है।

3.6. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) की शुरुआत के 5 वर्ष पूरे हो गए हैं।

PMMSY के बारे में

- **उत्पत्ति:** इसकी शुरुआत 2010 में **केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय** के अधीन मत्स्य विभाग द्वारा की गई थी।
- **उद्देश्य:** मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, हार्वेस्ट उपरांत की अवसंरचना और विपणन में विद्यमान **महत्वपूर्ण खामियों** को दूर करना।
- **अवधि:** इसे **वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25** तक **पांच वर्ष** की अवधि के लिए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू किया गया था। हालांकि, इसकी अवधि को **वित्तीय वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दी गई है।**
- **नोडल एजेंसी:** प्रशिक्षण, जागरूकता और क्षमता विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (NFDB)[17]।
- **संरचना और घटक:** यह दो अलग-अलग घटकों वाली एक **छत्र योजना** है जो इस प्रकार है:
  - **केंद्रीय क्षेत्रक योजना (CS)[18]:** केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित और कार्यान्वित होने वाली योजना।
  - **केंद्र प्रायोजित योजना (CSS)[19]:** केंद्र सरकार द्वारा आंशिक रूप से समर्थित और राज्यों द्वारा कार्यान्वित होने वाली योजना।
    - **उत्पादन** और उत्पादकता **में वृद्धि।**
    - **बुनियादी ढांचा** और हार्वेस्ट उपरांत प्रबंधन।
    - **मत्स्य प्रबंधन** और नियामक ढांचा।

लक्ष्य और उपलब्धियां:

क्षेत्र	लक्ष्य	उपलब्धियां
मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता	• देश की औसत जलीय कृषि उत्पादकता को **3 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 5 टन प्रति हेक्टेयर** तक करना। • **प्रति व्यक्ति** मत्स्य उपभोग को वर्तमान **5–6 किलोग्राम से बढ़ाकर 12 किलोग्राम** तक करना।	• फरवरी 2025 तक **जलीय कृषि उत्पादकता** बढ़कर 4.7 टन प्रति हेक्टेयर हो गई। • फरवरी 2025 तक **प्रति व्यक्ति मत्स्य उपभोग 5–6 किलोग्राम से बढ़कर 12–13 किलोग्राम** तक पहुंच गया।

[17] National Fisheries Development Board

[18] Central Sector Scheme

[19] Centrally Sponsored Scheme

		• **भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश बनकर उभरा**, जो वैश्विक **मत्स्य उत्पादन** में लगभग **8%** योगदान देता है।
आर्थिक मूल्य वर्धन	**हार्वेस्ट उपरांत होने वाले नुकसान** को 20–25% से घटाकर लगभग **10%** तक लाना।	दिसंबर 2024 तक **हार्वेस्ट उपरांत नुकसान** घटकर 10–15% रह गए।
आय और रोजगार सृजन में वृद्धि	**55 लाख** प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर **सृजित करने** का लक्ष्य है।	दिसंबर 2024 तक मत्स्य पालन और जलीय कृषि से संबंधित गतिविधियों में **58 लाख रोजगार के अवसर** सृजित किए गए।

PMMSY के तहत प्रारंभ की गई प्रमुख पहलें

- **मत्स्य पालन में महिलाओं का सशक्तिकरण:** लाभार्थी-केंद्रित गतिविधियों और **उद्यमी मॉडल** के तहत **वित्तीय सहायता** के रूप में कुल परियोजना लागत का **60%** तक (₹1.5 करोड़/परियोजना तक) प्रदान किया जाता है।
- **जलवायु लचीलेपन का विकास:** मत्स्य विभाग ने **100 तटीय मछुआरा गांवों** को **जलवायु अनुकूल तटीय मछुआरा गांव (CRCFV)**[20] के रूप में चिन्हित किया है।
- **बायोफ्लॉक तकनीक के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाना:** यह एक संधारणीय जलीय कृषि पद्धति है जो लाभकारी सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके जल में पोषक तत्वों को पुनर्चक्रित करती है।
- **हार्वेस्ट उपरांत की अवसंरचना और विपणन पारितंत्र को मजबूत करना:** 2,195 मत्स्य पालन सहकारी समितियों को मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों (FFPOs)[21] के रूप में **₹544.85 करोड़** की परियोजना राशि के साथ समर्थन दिया गया है।
- **मूल्य श्रृंखलाओं और लचीलेपन को मजबूत करना:** प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना **(PMMKSSY)**, जो PMMSY के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की उप-योजना है, को 2024 में चार वर्षों के लिए शुरू किया गया था।

मत्स्य पालन क्षेत्रक में विद्यमान चुनौतियां

- **शासन संबंधी मुद्दे:** समुद्री मत्स्यिकी (प्रादेशिक जल के परे मत्स्यिकी) के विपरीत, प्रादेशिक मत्स्यिकी राज्य का विषय है, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न राज्यों में कानूनों और नीतियों में भिन्नता पाई जाती है। आजीविका और पोषण सुरक्षा में इसके महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद यह क्षेत्र उपेक्षित रहता है।
- **वैश्विक चुनौतियां:** वैश्विक संघर्षों के कारण परिवहन व्यवधान और नौपरिवहन मार्गों में अस्थिरता ने भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातकों पर दबाव बढ़ा दिया है कि वे चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया और इक्वाडोर के मुकाबले अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखें।
- **रोग प्रबंधन:** उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश में झींगा पालन उद्योग **एंटरोसाइटोजून हेपेटोपेनाई (EHP)**[22] नामक एक सूक्ष्मजीव परजीवी से गंभीर खतरे का सामना कर रहा है।
  - वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, हिमीकृत झींगा प्रमुख निर्यात वस्तु बना रहा, जिसकी कुल समुद्री खाद्य निर्यात में मात्रा के दृष्टि से हिस्सेदारी 40.19% और मूल्य के हिसाब से 66.12% हिस्सेदारी रही।

[20] Climate Resilient Coastal Fishermen Villages

[21] Fish Farmers Producer Organizations

[22] Enterocytozoon hepatopenaei

- **आपदाओं/दुर्घटनाओं से पर्यावरणीय क्षति:** उदाहरण के लिए, कोच्चि तट के पास **एमएससी एल्सा (MSC Elsa)-3** जहाज़ के डूबने से जल और तलछट दूषित हो गए, जिससे प्लवक, बेंथोस, मछली के अंडे एवं लार्वा, और उच्च पोषण स्तर के समुद्री जीवन प्रभावित हुए।

आगे की राह

- **अनुसंधान-किसान साझेदारी को बढ़ावा देना:** उदाहरण के लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-केंद्रीय खारा जलजीवन पालन अनुसंधान संस्थान (ICAR-CIBA) ने झींगा की बीमारियों जैसे हेपेटोपैंक्रिएटिक माइक्रोस्पोरिडियोसिस (HPM)[23] के प्रभावी प्रबंधन पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया था।
- **वैश्विक बाजार में संधारणीयता को बढ़ावा देना:** केंद्र सरकार ने पारंपरिक मात्स्यिकी की विधियों का उपयोग करने वाले लक्षद्वीप टूना मात्स्यिकी के लिए **वैश्विक इको-लेबलिंग टैग** प्राप्त करने के कदम उठाए हैं। इससे लक्षद्वीप टूना के लिए उच्च कीमत मिल सकेगी, जिससे पारंपरिक मछुआरों को लाभ होगा।
- **कृषि पर संसदीय स्थायी समिति ने निम्नलिखित हेतु सिफारिश की है:**
  - **भारतीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICFAR)[24] की स्थापना** की जानी चाहिए ताकि न केवल केंद्रित और गहन शोध को सुगम बनाया जा सके, बल्कि मत्स्य पालन क्षेत्रक की चुनौतियों का भी समाधान किया जा सके।
  - **न्यूनतम विधिक जाल आकार (MLS)** के नियमों को एक समान रूप से लागू किया जाना चाहिए और विनाशकारी मात्स्यिकी की विधियों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्राथमिकताओं के संतुलन के साथ-साथ मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग तथा संरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु क्षमता विकास पर ध्यान केंद्रित करने की सिफारिश की जाती है। साथ ही, अंतर-विषयक एवं अंतर-संस्थागत सहयोग से समर्थित एक सहभागी प्रबंधन दृष्टिकोण भी अपनाना चाहिए।

[23] Hepatopancreatic Microsporidiosis

[24] Indian Council for Fishery and Aquaculture Research

3.7. संक्षिप्त सुर्खियां (News in Shorts)

3.7.1. राज्य वित्त 2022-23 रिपोर्ट (State Finances 2022-23 Report)

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने राज्य वित्त 2022-23 रिपोर्ट जारी की।

यह 10 वर्ष की अवधि (2013-14 से 2022-23) में सभी 28 राज्यों के लिए **राजकोषीय मापदंडों के संबंध में व्यापक डेटा, विश्लेषण और रुझान** प्रदान करती है। यह रिपोर्ट **अपनी तरह की पहली** रिपोर्ट है।

Digital Current Affairs
राज्य वित्त पर हमारा पिछला कवरेज पढ़िए

मुख्य निष्कर्ष

- वर्ष 2022-23 में राज्यों का कुल ऋण देश के **सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 22.17 %** था।
  - **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम (2003) मानदंड:** राज्य सरकारों का ऋण **2024-25 तक GDP के 20% तक** होना चाहिए।
- **ऋण-GDP अनुपात:** यह सर्वाधिक **40.35 प्रतिशत पंजाब** में दर्ज किया गया। इसके बाद **नागालैंड** (37.15 प्रतिशत) और **पश्चिम बंगाल** (33.70 प्रतिशत) का स्थान है।
  - **राजकोषीय घाटा:** सभी 28 राज्यों में **राजकोषीय घाटा** दर्ज किया गया है। यह **गुजरात में GSDP के 0.76% से लेकर हिमाचल प्रदेश में GSDP के 6.46%** तक रहा है।
  - **FRBM मानदंड:** राज्यों द्वारा **वित्त वर्ष 2022-23 में GSDP के 3.5% का राजकोषीय घाटा** हासिल करने का लक्ष्य तय किया गया था।
- **राजस्व सृजन क्षमता में व्यापक अंतर:** राज्यों के राजस्व में स्वयं के कर (SOTR)[25] की हिस्सेदारी **हरियाणा में 70% है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में यह मात्र 9%** है।

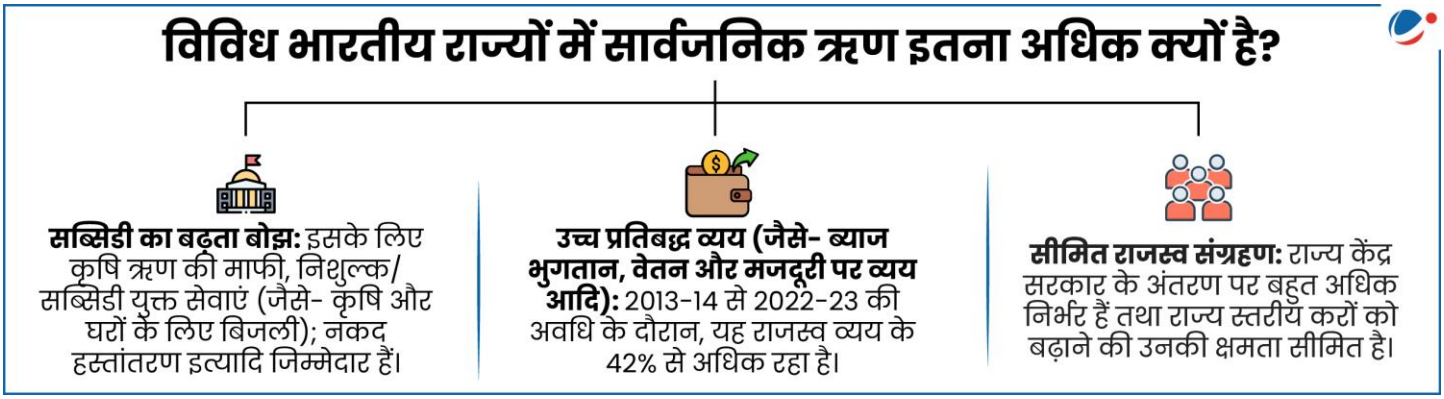

3.7.2. वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (ASI) 2023-24 के परिणाम जारी किए गए {Annual Survey of Industries (ASI) Results for 2023-24 Released}

सर्वेक्षण के परिणाम केंद्रीय **सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)** द्वारा जारी किए गए हैं।

- सर्वेक्षण का उद्देश्य **विनिर्माण उद्योगों की संरचना, वृद्धि और घटकों** में आए बदलावों का अध्ययन करना तथा इनमें **मूल्य-वर्धन, रोजगार सृजन और पूंजी निर्माण** पर महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करना है।
- वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण को प्रतिवर्ष **सांख्यिकी संग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 2017** के तहत आयोजित किया जाता है।
- इस सर्वेक्षण में निम्नलिखित विनिर्माण इकाइयां शामिल जाती हैं:
  - **कारखाना अधिनियम, 1948** के तहत पंजीकृत कारखाने;
  - **बीड़ी और सिगार श्रमिक (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966** के तहत बीड़ी और सिगार निर्माण इकाइयां; तथा
  - वैसे **विद्युत उपक्रम** जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) के पास पंजीकृत नहीं हैं।

[25] State's' Own Tax Revenue

- **रक्षा प्रतिष्ठान, तेल भंडारण व वितरण डिपो**, रेलवे वर्कशॉप, गैस भंडारण जैसी विभागीय इकाइयां आदि इस सर्वेक्षण में **शामिल नहीं किए जाते हैं**।
- सर्वेक्षण के परिणाम **राज्यों और प्रमुख उद्योगों के स्तर** पर तैयार किए गए हैं।

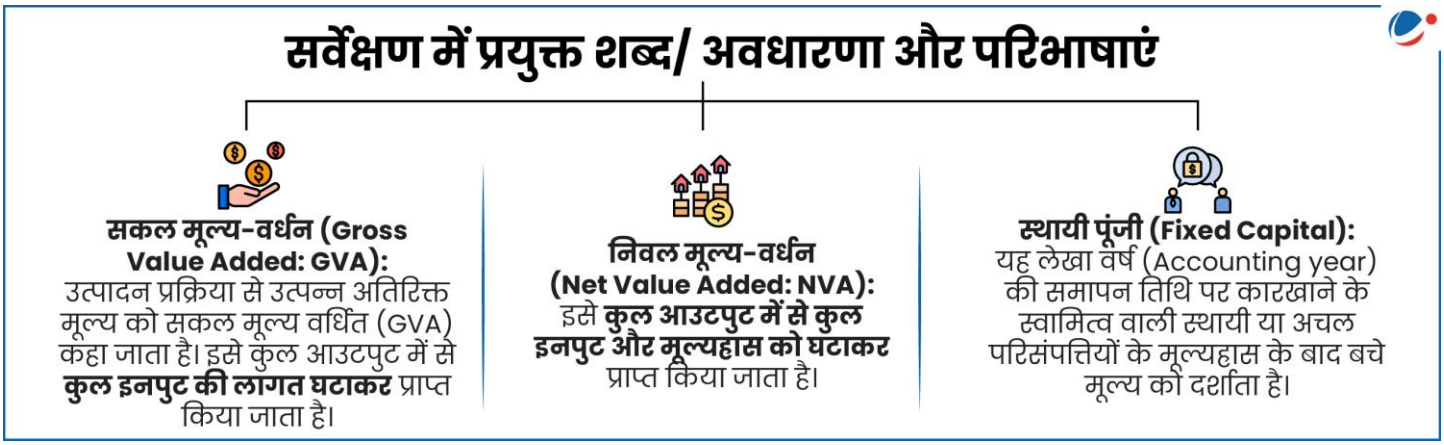

सर्वेक्षण के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **सकल मूल्यवर्धन (GVA) की दृष्टि से शीर्ष 5 उद्योग:** आधारभूत धातु, मोटर वाहन, रसायन एवं रासायनिक उत्पाद, खाद्य उत्पाद और औषधि उत्पाद।
- **रोजगार देने के मामले में शीर्ष 5 राज्य:** तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक।
- **सकल मूल्यवर्धन (GVA)** में पिछले वर्ष की तुलना में **11.89% वृद्धि** दर्ज की गई है।
- **औद्योगिक उत्पादन में** पिछले वर्ष की तुलना में 5.80% से अधिक की **वृद्धि दर्ज की गई** है।
- **नियोजित कर्मियों में प्रति व्यक्ति औसत पारिश्रमिक** में 2022-23 की तुलना में 5.6% की वृद्धि दर्ज की गई है।

3.7.3. औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली (IPRS) 3.0 {Industrial Park Rating System (IPRS) 3.0}

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने **औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली (IPRS) 3.0** की शुरुआत की है।

- **IPRS** को 2018 में एक पायलट चरण में लागू किया गया था तथा IPRS 2.0 की शुरुआत 2021 में की गई थी।
- **IPRS 3.0** ने **नए मापदंडों** के साथ एक **विस्तारित ढांचा** लागू किया है। इसके अंतर्गत **संधारणीयता, हरित अवसंरचना, लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी, डिजिटलीकरण, कौशल लिंकेज और बेहतर किरायेदार प्रतिपुष्टि** शामिल किए गए हैं।

औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली (IPRS) 3.0 के बारे में

- **उद्देश्य:** भारत के औद्योगिक पारितंत्र को सशक्त बनाना और औद्योगिक अवसंरचना की **प्रतिस्पर्धात्मकता** को बढ़ाना।
- **विकास:** इसे उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा, **एशियाई विकास बैंक (ADB)** के सहयोग से विकसित किया गया है।
- **औद्योगिक पार्कों का वर्गीकरण:** इनके प्रदर्शन के प्रमुख संकेतकों के आधार पर इन्हें तीन श्रेणियों अर्थात **अग्रणी (Leaders), चैलेंजर्स (Challengers), और आकांक्षी (Aspirers)** में वर्गीकृत किया गया है।
- **IPRS, इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक** (पूर्व औद्योगिक सूचना प्रणाली) का एक अभिन्न हिस्सा है।
    - **इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक (IILB)**[26] GIS प्लेटफॉर्म पर देश भर के संपूर्ण औद्योगिक अवसंरचनाओं का मानचित्रण करके सभी **औद्योगिक जानकारियों** के लिए एक एकल-बिंदु (वन-स्टॉप) प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है।

औद्योगिक पार्कों के बारे में

- औद्योगिक पार्क ऐसे आर्थिक क्षेत्र होते हैं जिन्हें विशेष रूप से **औद्योगिक गतिविधियों के एक समूह** को समायोजित करने के लिए विकसित किया जाता है। उदाहरण: **नरेला औद्योगिक क्षेत्र**।
- औद्योगिक पार्कों को **विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)**, उद्यम क्षेत्र आदि नामों से भी जाना जाता है।

[26] Enterocytozoon hepatopenaei

- भारत में 4000 से अधिक **परिचालनरत औद्योगिक पार्क** हैं।
    - **राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (NICDP)** के तहत सरकार सक्रिय रूप से **20 प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्क और स्मार्ट शहर** विकसित कर रही है।

3.7.4. वित्त मंत्रालय ने बड़े जहाजों को 'अवसंरचना' का दर्जा प्रदान किया (Ministry of Finance Gives Infrastructure Status to Large Ships)

वित्त मंत्रालय ने बड़े जहाजों को विनिर्माण क्षेत्रक की **इंफ्रास्ट्रक्चर हार्मोनॉइज्ड मास्टर लिस्ट (HML)**[27] **में 'ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स'** श्रेणी के तहत शामिल किया। इसका उद्देश्य घरेलू जहाज निर्माण और समुद्री उद्योग को मज़बूत करना है।

- **एक बड़े जहाज** को निम्नलिखित मानदंडों के तहत वाणिज्यिक जहाज घोषित किया जाता है:
    - 10,000 या उससे अधिक ग्रॉस टन (GT) भार वाले जहाज, जो भारतीय स्वामित्व और ध्वज के अधीन संचालित होते हों, या
    - 1,500 या उससे अधिक ग्रॉस टन (GT) भार वाले जहाज, जो **भारत में बने** हों और भारतीय स्वामित्व एवं ध्वज के अधीन संचालित होते हों।
- **HML में शामिल होने का महत्त्व:**
    - इससे आसान शर्तों पर अवसंरचना ऋण तक बढ़ी हुई सीमा सहित पहुंच प्राप्त होती है;
    - बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) के रूप में बड़ी मात्रा में धन तक पहुंच प्राप्त होती है;
    - व्यवहार्यता अंतराल वित्त-पोषण की सुविधा प्राप्त होती है;
    - कर प्रोत्साहन प्राप्त होते हैं आदि।

भारत के पोत परिवहन क्षेत्रक की स्थिति

- **विदेशी निर्भरता: भारत का 95% व्यापार विदेशी जहाजों पर निर्भर है**। इसके चलते भारत हर साल विदेशी पोत परिवहन कंपनियों को शिपिंग सेवाओं के लिए लगभग 75 बिलियन डॉलर का भुगतान करता है।
- **जहाज निर्माण में हिस्सेदारी:** वर्तमान में, **वैश्विक जहाज निर्माण में** भारत की हिस्सेदारी केवल **0.06%** है।
- **लक्ष्य:** सरकार का लक्ष्य **2047 तक जहाज निर्माण करने वाले शीर्ष पांच देशों** में शामिल होना है। मैरीटाइम अमृत काल विज़न 2047 के अनुसार, सरकार का अनुमान है कि 2047 तक **स्वदेशी पोत परिवहन और जहाज निर्माण क्षमताओं के निर्माण में 54 ट्रिलियन डॉलर का निवेश होगा**।

- **जहाजरानी क्षेत्रक की समस्याएं:** उच्च उधार लागत के साथ पूंजी की कमी, पुराने जहाजों का बेड़ा, कर संबंधी विसंगतियां, कौशल की कमी, आदि।

[27] Harmonized Master List

3.7.5. कैबिनेट ने जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए पैकेज को मंजूरी प्रदान की (Cabinet Approves Package to Boost Shipbuilding)

- यह पैकेज **चार-स्तंभीय दृष्टिकोण** प्रस्तुत करता है, जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
  - घरेलू क्षमता को मजबूत करना,
  - दीर्घकालिक वित्त-पोषण में सुधार करना,
  - ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड शिपयार्ड विकास को बढ़ावा देना,
  - तकनीकी क्षमताओं और कौशल को बढ़ाना, तथा कानूनी, कराधान एवं नीतिगत सुधारों को लागू करना।
- **पैकेज में शामिल है**:
  - **जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना (SBFAS)** का विस्तार 31 मार्च, 2036 तक कर दिया गया है। इसका उद्देश्य जहाज निर्माण को प्रोत्साहित करना है।
  - जहाज निर्माण क्षेत्रक के लिए दीर्घकालिक वित्त-पोषण हेतु एक **समुद्री विकास कोष (MDF)** स्थापित किया जाएगा।
    - MDF का उपयोग जहाज निर्माण, जहाज निर्माण क्लस्टर्स, जहाज मरम्मत, जहाज स्वामित्व, बंदरगाह विस्तार, अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन, और तटीय नौवहन में होगा।
  - घरेलू जहाज निर्माण क्षमता को सालाना 4.5 मिलियन सकल टन तक विस्तारित करने के लिए **जहाज निर्माण विकास योजना (SbDS)** आरंभ की जाएगी।
- सभी पहलों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक **राष्ट्रीय जहाज निर्माण मिशन** भी शुरू किया जाएगा।

3.7.6. एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम (Advance Authorisation Scheme)

केंद्र सरकार ने वस्त्र निर्यातकों को राहत प्रदान करने के लिए **एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम** के तहत उत्पादों के लिए **निर्यात दायित्व पूरा करने की अवधि बढ़ा दी** है।

एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के बारे में

- **आशय:** यह एक प्रकार का **निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम** है, जो **निर्यात उत्पाद** में भौतिक रूप से शामिल होने वाले आगतों (सामान्य अपशिष्ट की अनुमति सहित) के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति देता है। इसके लिए **अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO)** के अनुपालन की आवश्यकता नहीं होती है।
- इसमें **'विनिर्माता निर्यातक' अथवा सहायक विनिर्माता निर्यातक से जुड़े मर्चेंट निर्यातक** शामिल किए गए हैं।
- किसी दिए गए उत्पाद के लिए अनुमत आगतों की मात्रा उस निर्यात उत्पाद के लिए परिभाषित विशिष्ट मानदंडों पर आधारित होती है।

3.7.7. भारती पहल (Bharati Initiative)

APEDA ने कृषि खाद्य स्टार्टअप्स को समर्थन देने और भारत के कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारती (BHARATI) पहल की शुरुआत की है।

BHARATI के बारे में

- BHARATI का अर्थ है- **भारत हब फॉर एग्रीटेक, रेज़िलियंस, एडवांसमेंट एंड इन्क्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट एनेबलमेंट।**
- **मुख्य उद्देश्य:**
  - इसका उद्देश्य **100 कृषि-खाद्य स्टार्ट-अप्स** को बढ़ावा देना और **2030 तक 50 बिलियन डॉलर का निर्यात** लक्ष्य प्राप्त करना है।
    - चुने गए स्टार्ट-अप्स 3 महीने के विशेष कार्यक्रम से गुजरेंगे, जिसमें उत्पाद विकास, निर्यात की तैयारी, विनियमों का पालन, और बाजार तक पहुंच जैसे प्रशिक्षण शामिल होंगे।
  - **ऐसे स्टार्ट-अप्स को आकर्षित करना, जो उन्नत तकनीकों पर काम कर रहे हों:** जैसे- AI आधारित गुणवत्ता नियंत्रण, ब्लॉकचेन से जुड़ी ट्रेसेब्लिटी (उत्पाद की पूरी जानकारी ट्रैक करना), IoT आधारित कोल्ड चेन, एग्री-फिनटेक आदि।
  - **उच्च-मूल्य श्रेणियों में नवाचार को बढ़ावा देना:** जैसे- GI टैग किए गए कृषि उत्पाद, ऑर्गेनिक फूड्स, सुपरफूड्स, नए तरह के प्रोसेस्ड भारतीय कृषि-खाद्य उत्पाद, पशुपालन से जुड़े उत्पाद, आयुष उत्पाद आदि।

- **निर्यात से जुड़ी चुनौतियों का समाधान निकालना:** जैसे- उत्पाद विकास, मूल्य संवर्धन, गुणवत्ता आश्वासन, जल्दी खराब होने वाले उत्पादों की समस्या, बर्बादी और लॉजिस्टिक्स से जुड़े मुद्दे आदि।

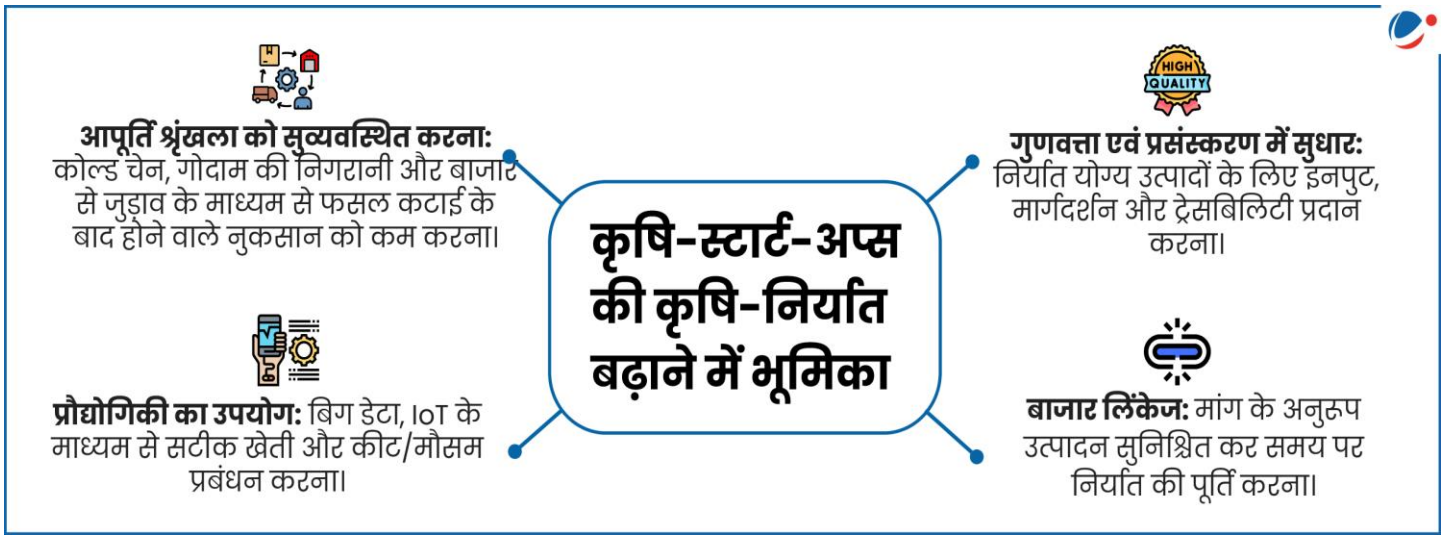

3.7.8. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) 2025 {Global Innovation Index (GII) 2025}

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) 2025 जारी किया।

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) दुनिया के **139 देशों के नवाचार प्रदर्शन** का मापन करता है। ऐसा निवेश पैटर्न, तकनीकी प्रगति, अपनाने की दर और सामाजिक-आर्थिक प्रभावों के आधार पर किया जाता है।

- इस **सूचकांक की शुरुआत 2007 में की गई थी**। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (STI) नीतियों के लिए एक आधिकारिक संदर्भ के रूप में मान्यता प्राप्त है।

GII 2025 के प्रमुख बिंदुओं पर एक नजर:

- **भारत का उदय:** 2015 में इस सूचकांक में भारत की रैंक 81वीं थी, जो वर्तमान में 38वीं हो गई है।
  - **भारत, वियतनाम के साथ सबसे लंबे समय तक बेहतर प्रदर्शन करने वाला देश रहा है।** भारत लगातार 15वें साल अपने विकास स्तर की उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।
- **सबसे नवोन्मेषी अर्थव्यवस्थाएं: सूचकांक में शीर्ष स्थान पर स्विट्ज़रलैंड है**। उसके बाद स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर का स्थान है।
- **शीर्ष नवाचार क्लस्टर्स:** शेन्ज़ेन-हांगकांग-गुआंगझोउ (चीन और हांगकांग) तथा उसके बाद टोक्यो-योकोहामा (जापान), तथा सैन जोस-सैन फ्रांसिस्को (संयुक्त राज्य अमेरिका) हैं।
  - **भारत के चार क्लस्टर्स शीर्ष 100 में हैं:** बेंगलुरु (21वाँ), दिल्ली (26वाँ), मुंबई (46वाँ) और चेन्नई (84वाँ)।

नवाचार में सुधार के लिए भारत की पहलें

- **स्टार्ट-अप इंडिया कार्यक्रम:** यह स्टार्ट-अप्स को आरंभिक सहायता, फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से वित्त-पोषण, क्रेडिट गारंटी, कर छूट आदि प्रदान करता है।
- **अटल इनोवेशन मिशन:** यह विभिन्न आर्थिक क्षेत्रकों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम एवं नीतियां तैयार करता है।
- **नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस (NIDHI/ निधि):** यह सफल स्टार्ट-अप्स में विचारों को पोषित करने के लिए एक छत्र कार्यक्रम है।
- **अन्य:** एक्सीलरेटिंग ग्रोथ ऑफ न्यू इंडियाज़ इनोवेशंस (AGNIi)[28] मिशन, नीति फ्रंटियर टेक रिपॉजिटरी, प्रधान मंत्री रिसर्च फेलोशिप योजना, आदि।

[28] Accelerating Growth of New India's Innovations

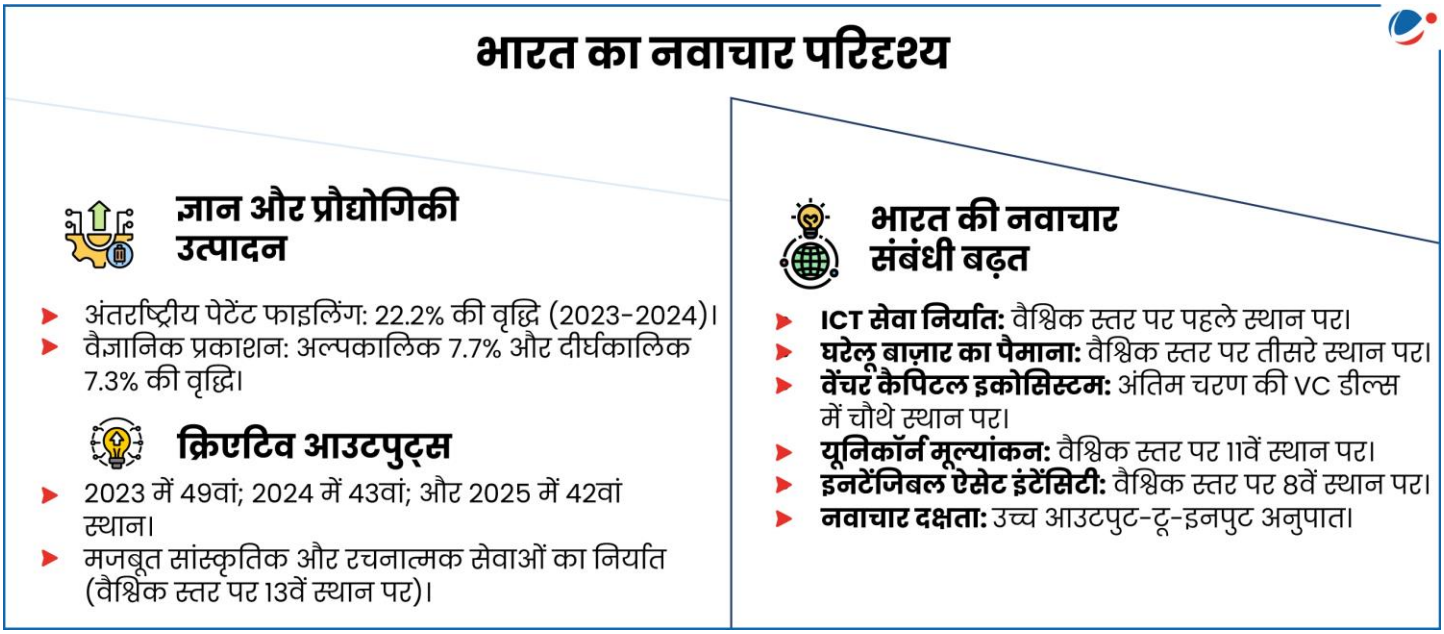

3.7.9. विश्व व्यापार रिपोर्ट 2025 (World Trade Report 2025)

यह रिपोर्ट विश्व व्यापार संगठन (WTO) ने जारी की है। इस रिपोर्ट में **AI की रूपांतरणकारी क्षमता** को उजागर किया गया है, जो **सामान्य प्रयोजन वाली तकनीक के रूप में अर्थव्यवस्थाओं (देशों) में समृद्धि और आय के वितरण को नया रूप** दे सकती है।

AI व्यापार और समावेशी विकास को कैसे बढ़ावा दे सकता है?

- **व्यापार की लागत में कमी और उत्पादकता में सुधार करके:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाकर, विनियामक अनुपालन को सरल बनाकर, भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करके और कॉन्ट्रैक्ट इंफोर्समेंट में सुधार करके 2040 तक वैश्विक व्यापार में 34-37% की वृद्धि कर सकता है।
- **'स्किल प्रीमियम' को कम करके:** AI से मध्यम और उच्च-कौशल वाले कामगारों द्वारा किए जाने वाले कार्यों में कमी आने की उम्मीद है, जबकि निम्न-कौशल वाले कामगारों पर इसका कम प्रभाव पड़ेगा। इससे उच्च-कौशल युक्त श्रम की सापेक्ष मांग कम होगी।
  - **स्किल प्रीमियम:** यह उच्च कौशल और निम्न कौशल वाले कामगारों के वेतन का अनुपात होता है, जिसके वैश्विक स्तर पर 3-4% तक घटने का अनुमान है।
- **ज्ञान का प्रसार:** जो अर्थव्यवस्थाएं व्यापार के लिए अधिक खुली होती हैं, उनमें नवाचार का अधिक मजबूत प्रभाव देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए- डिजिटल रूप से प्रदान की जाने वाली सेवाओं के व्यापार में 10% की वृद्धि से सीमा-पारीय AI पेटेंट के मामलों में 2.6% की वृद्धि होती है।
- **विकास के नए पथ:** जिन अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण खनिज या नवीकरणीय ऊर्जा प्रचुर मात्रा में हैं, वे हार्डवेयर विनिर्माण, डेटा होस्टिंग और अन्य श्रम-प्रधान गतिविधियों जैसे डेटा संग्रहण एवं एनोटेशन के लिए हब बन सकती हैं।

इससे संबंधित ऐसी चिंताएं जो तत्काल नीतिगत कार्रवाई की मांग करती हैं

- **AI का संकेंद्रण:** AI के विकास पर कुछ ही कंपनियों और अर्थव्यवस्थाओं का प्रभुत्व है, जिससे इसकी न्यायसंगत उपलब्धता के समक्ष जोखिम उत्पन्न होता है।
- **श्रम बाजार में व्यवधान:** कुछ कामगारों की जगह AI के उपयोग से वे विस्थापित हो सकते हैं। इसके लिए शिक्षा में निवेश और श्रम बाजार संबंधी बेहतर एवं सक्रिय नीतियों की आवश्यकता है, ताकि कामगारों को अनुकूलन में मदद मिल सके।

निष्कर्ष

AI और व्यापार की समावेशी क्षमता को साकार करने के लिए, सक्रिय एवं समन्वित नीतियों की आवश्यकता है। इसमें डिजिटल अवसंरचना और कौशल में निवेश करना, विनियामक समानता को बढ़ावा देना, प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना और WTO जैसे संगठनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का लाभ उठाना शामिल होना चाहिए।

3.7.10. OECD की इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट (Oecd Economic Outlook Report)

OECD ने वर्ष 2025 के लिए भारत की GDP के पूर्वानुमान को बढ़ाकर 6.7% कर दिया है, जबकि मुद्रास्फीति के अनुमान को घटाकर 2.9% कर दिया है।

इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के बारे में:

- **जारीकर्ता: आर्थिक सहयोग और विकास संगठन** (OECD)[29];
- **अवधि:** यह रिपोर्ट **वर्ष में दो बार प्रकाशित** होती है। यह रिपोर्ट वैश्विक और राष्ट्रीय आर्थिक रुझानों का विश्लेषण करती है।
- **कवरेज:** इसमें **GDP, मुद्रास्फीति, रोजगार, व्यापार और निवेश** का विश्लेषण शामिल होता है।
- **जोखिम:** रिपोर्ट में **मुद्रास्फीति का दबाव, वित्तीय अस्थिरता और भू-राजनीतिक तनाव** से जुड़े जोखिमों को रेखांकित किया जाता है।

3.7.11. पॉलीमेटैलिक सल्फाइड्स (Polymetallic Sulphides)

भारत ने कार्ल्सबर्ग रिज में पॉलीमेटैलिक सल्फाइड्स (PMS) के लिए ISA के साथ 15 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।

यह **इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी (ISA)**[30] के साथ भारत का तीसरा और PMS के लिए दूसरा खोज अनुबंध है।

- **पिछला अनुबंध:** भारत के पास **मध्य हिंद महासागर बेसिन में पॉलीमेटैलिक नॉड्यूल्स और हिंद महासागर रिज में PMS के लिए पहले से ही अनुबंध हैं।**
  - **पॉलीमेटैलिक नॉड्यूल्स को मैंगनीज नॉड्यूल्स भी कहते हैं।** ये चट्टान जैसी संरचनाएं होती हैं, जो लोहे और मैंगनीज हाइड्रॉक्साइड की संकेंद्रित परतों से बनी होती हैं। ये परतें शार्क के दांत या किसी खोल के चारों ओर संचित होने लगती हैं।
- वैश्विक पहला लाइसेंस: यह कार्ल्सबर्ग रिज में पॉलीमेटैलिक सल्फाइड नॉड्यूल्स की खोज के लिए **विश्व भर में दिया गया पहला लाइसेंस है।**
- **कार्ल्सबर्ग रिज:** यह **अरब सागर और उत्तर-पश्चिम हिंद महासागर** में 3,00,000 वर्ग किमी का क्षेत्र है।
  - यह **भारतीय और अरबी विवर्तनिक प्लेटों** के बीच की सीमा बनाता है। यह सीमा रॉड्रिक्स द्वीप के पास से लेकर ओवेन फ्रैक्चर क्षेत्र तक विस्तारित है।
- **अफनासी-निकितिन सागर (ANS)**: भारत ने ANS माउंट के लिए भी आवेदन किया है, जो अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है।
  - ANS **मध्य हिंद महासागर** में स्थित है। इस क्षेत्र पर श्रीलंका ने भी खोज अधिकारों के लिए दावा किया है।

पॉलीमेटैलिक सल्फाइड (PMS) के बारे में

- ये समुद्र नितल पर पाए जाने वाली तांबा, जस्ता, सोना और चांदी जैसी **धातुओं के समृद्ध स्रोत** हैं।
- ये निक्षेप उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां **पृथ्वी के मेंटल से गर्म व खनिज-समृद्ध तरल पदार्थ समुद्र में निर्मुक्त होता** है, जिससे धातु सल्फाइड्स का जमाव होता है।

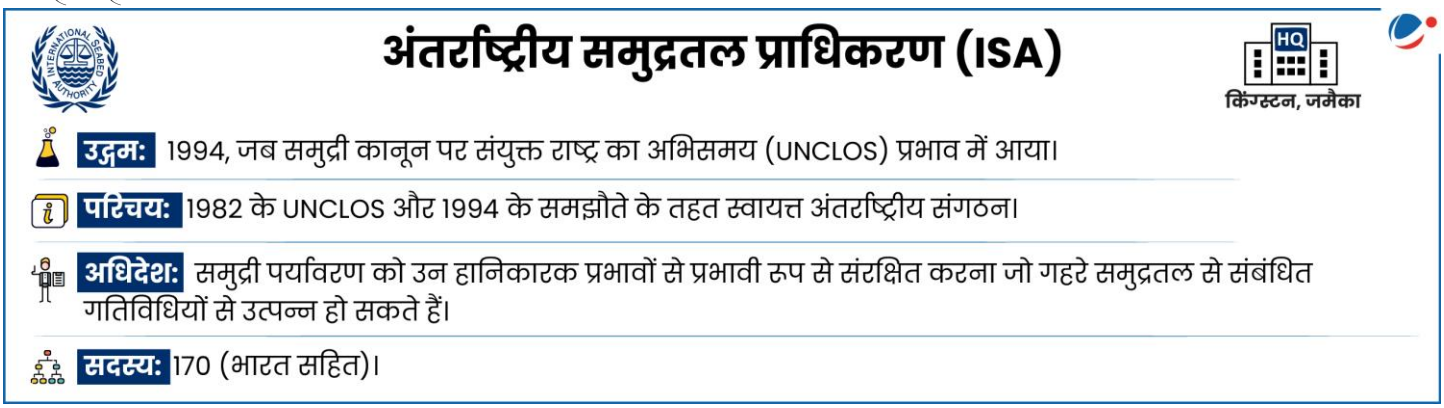

[29] Organisation for Economic Co-operation and Development

[30] International Seabed Authority

3.7.12. यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (Universal Postal Union: UPU)

केंद्रीय संचार मंत्री ने **यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस- यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPI- UPU) एकीकरण** परियोजना का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य **सीमा-पार धन-प्रेषण (रेमिटेंस)** को आसान बनाना है।

यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPU) के बारे में

- **स्थापना: 1874 में**
  - 1948 में यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बन गयी।
- **मुख्यालय:** बर्न (स्विट्जरलैंड)
- यह 1865 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU)[31] के बाद **दूसरा सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।**
- **सदस्य: भारत सहित** 192 सदस्य देश।
- **कार्य:** यह पोस्टल क्षेत्र की संस्थाओं के बीच सहयोग के लिए प्राथमिक मंच है। यह अद्यतित (अप-टू-डेट) उत्पादों और सेवाओं का एक वास्तविक सार्वभौमिक नेटवर्क सुनिश्चित करने में मदद करता है।

3.7.13. हॉलमार्किंग (Hallmarking)

भारत सरकार ने संशोधित मानक के तहत चांदी के आभूषणों के लिए स्वैच्छिक **हॉलमार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID)**[32]-आधारित हॉलमार्किंग शुरू की है। इससे आभूषणों की शुद्धता सुनिश्चित होगी। यह सोने की हॉलमार्किंग प्रणाली के अनुरूप है।

हॉलमार्किंग के बारे में

- हॉलमार्किंग किसी भी बहुमूल्य धातु से बनी वस्तु में उस धातु की मात्रा को सटीक रूप से निर्धारित करने और आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया है।
- यह उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के साथ-साथ आभूषणों और वस्तुओं की प्रामाणिकता, गुणवत्ता और सही पहचान सुनिश्चित करती है।
- भारत में इसे **भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)** द्वारा विनियमित किया जाता है।

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के बारे में

- इसका **मुख्यालय नई दिल्ली** में है।
- **यह केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय** के तहत राष्ट्रीय मानक निकाय है।
- इसकी स्थापना **भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986** के तहत की गयी है और अब यह **BIS अधिनियम 2016** के तहत संचालित होता है।
- **इसके मुख्य कार्य हैं:** मानक निर्धारित करना, उत्पादों को प्रमाणित करना (जैसे **ISI मार्क** और हॉलमार्किंग), और परीक्षण प्रयोगशालाओं का संचालन करना।

3.7.14. अफीम की खेती (Opium Cultivation)

केंद्र सरकार ने अफीम की खेती के लिए 'वार्षिक लाइसेंसिंग नीति 2025-26' की घोषणा की।

यह लाइसेंसिंग नीति स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (NDPS), 1985[33] के तहत हर साल जारी की जाती है। ये नियम **NDPS अधिनियम, 1985** के तहत बनाए गए हैं।

अफीम के बारे में

- अफीम पोस्ता (Opium poppy) के पौधे से **अफीम गोंद (Opium gum)** को निकाला जाता है। इसमें **कई अत्यावश्यक एल्केलॉइड्स** जैसे मॉर्फिन, कोडीन और थेबाइन होते हैं।
  - **एल्केलॉइड्स:** प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कार्बनिक नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं।
  - **मॉर्फिन का उपयोग सामान्यतः दर्द निवारक दवा** के रूप में किया जाता है, जबकि **कोडीन का उपयोग खांसी की दवा (कफ सिरप) बनाने में किया जाता है।**

[31] International Telecommunication Union

[32] Hallmarking Unique Identification

[33] Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Rules, 1985

- इसे **खाद्य योग्य बीज और बीज से तेल निकालने** के लिए भी उगाया जाता है।
- भारत **एकमात्र ऐसा देश है, जिसे यूनाइटेड नेशंस सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स (1961) द्वारा अफीम गोंद का उत्पादन करने के लिए अधिकृत किया गया है।**
    - उल्लेखनीय हैं कि 11 अन्य देश अफीम पोस्ता की खेती करते हैं, लेकिन **अफीम गोंद नहीं निकालते हैं।**

भारत में अफीम की खेती

NDPS अधिनियम केंद्र सरकार को अफीम पोस्ता की खेती की अनुमति देने और इसे **चिकित्सा एवं वैज्ञानिक उद्देश्यों** के लिए विनियमित करने का अधिकार देता है।

हर साल, केंद्र सरकार उन क्षेत्रों को अधिसूचित करती है, जहां अफीम की खेती के लिए लाइसेंस जारी किए जा सकते हैं। अफीम की खेती **मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश** राज्यों के अधिसूचित क्षेत्रों में की जाती है।

केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) किसानों को अफीम की खेती के लिए **लाइसेंस** जारी करता है। किसानों को **उनके द्वारा उत्पादित पूरी अफीम CBN को सौंपनी** होती है तथा इसकी **कीमत सरकार द्वारा तय** की जाती है।

SMART QUIZ

विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अर्थव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2024 में चयनित सभी उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई

10 in Top 10 Selections in CSE 2024 (from various programs of VISIONIAS)

हिन्दी माध्यम में 30+ चयन

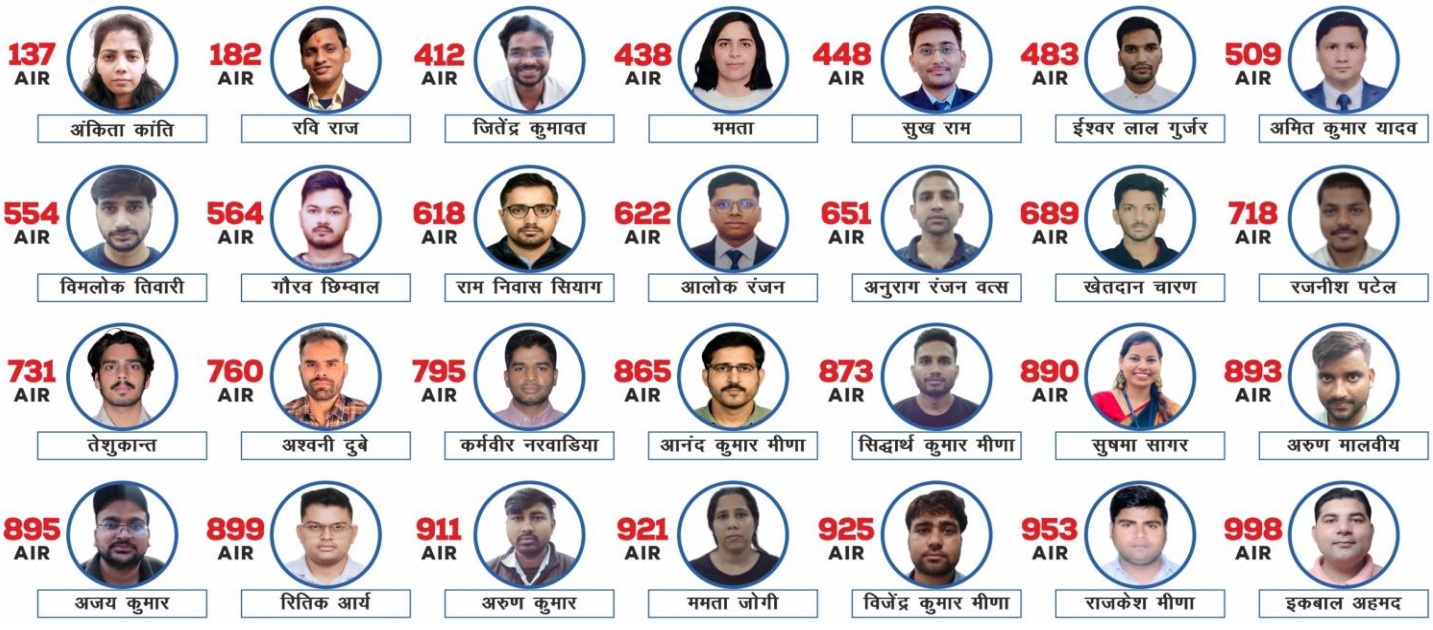

VISION IAS के PT 365 के साथ UPSC प्रीलिम्स में करेंट अफेयर्स की चुनौतियों में महारत हासिल कीजिए

करेंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें

करेंट अफेयर्स सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की आधारशिला है, जो प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू तीनों चरणों में जरूरी होता है। करेंट अफेयर्स से अपडेट रहना अभ्यर्थी को सिविल सेवा परीक्षा के नए ट्रेंड को समझने में सक्षम बनाता है। सही रिसोर्सेज और एक रणनीतिक दृष्टिकोण के जरिए अभ्यर्थी इस विशाल सेक्शन को अपना सकारात्मक पक्ष बना सकते हैं।

PT 365 क्या है?

PT 365 (हिंदी) डाक्यूमेंट के अंतर्गत, व्यापक तौर पर विगत 1 वर्ष (365 दिन) के महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं को ठोस तरीके से कवर किया जाता है ताकि प्रीलिम्स की तैयारी में अभ्यर्थियों को सहायता मिल सके। इसे करेंट अफेयर्स के रिविजन हेतु एक डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार किया गया है।

PT365 की विशेषताएं

व्यापक कवरेज

- पूरे साल के करेंट अफेयर्स की कवरेज।
- UPSC हेतु प्रासंगिक विषय, जैसे– राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आदि।
- आगामी प्रारंभिक परीक्षा में आने वाले संभावित विषयों पर जोर।

स्पष्ट एवं संक्षिप्त जानकारी

- प्रमुख मुद्दों के लिए स्पष्ट एवं संक्षिप्त प्रस्तुति
- विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी
- तेजी से रिविजन के लिए परिशिष्ट

QR आधारित स्मार्ट क्विज

- अभ्यर्थियों की समझ और पढ़े गए आर्टिकल्स के परीक्षण के लिए QR आधारित स्मार्ट क्विज़ को शामिल किया गया है।

इन्फोग्राफिक्स

- आर्टिकल्स एवं तथ्यों को समझने और याद रखने में सहायता मिलती है।
- आर्टिकल्स को समझाने के लिए अलग–अलग तकनीक, विधियों और प्रक्रियाओं का इस्तेमाल।
- लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए मानचित्रों का रणनीतिक उपयोग किया गया है।

सरकारी योजनाएं और नीतियां

- प्रमुख सरकारी योजनाओं, नीतियों और पहलों की गहन कवरेज।

नया क्या है?

- पिछले वर्ष के प्रश्नों के पैटर्न के अनुरूप तैयार किया गया है।

PT 365 का महत्त्व

रिविजन में आसानी: कंटेंट को विषयों या टॉपिक्स के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिससे अभ्यर्थी आसानी से टॉपिक खोज सकते हैं और रिविजन आसान हो जाता है।

वैल्यू एडिशन: इसमें ऐसे इन्फोग्राफिक्स, संबंधित घटनाक्रम या सुर्ख़ियाँ शामिल हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारी की व्यापक कवरेज सुनिश्चित करते हैं।

क्रिस्प मटेरियल: आर्टिकल्स में क्रिस्प पॉइंट्स का प्रयोग किया गया है। इससे अभ्यर्थियों को सीमित समय में आसानी से कई बार रिविजन करने में सुविधा मिलती है।

इंटीग्रेटेड एप्रोच: UPSC में पूछे गए प्रश्नों के पिछले ट्रेंड के अनुरूप ही करेंट अफेयर्स की सभी बुनियादी अवधारणाओं और सूचनाओं को स्पष्ट तरीके से शामिल किया गया है। इससे स्टेटिक पार्ट और महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को एकीकृत करने में भी मदद मिलती है।

और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

PT 365 एक भरोसेमंद रिसोर्स है जिसने पिछले कुछ वर्षों में लाखों अभ्यर्थियों को समग्र तरीके से करेंट अफेयर्स को कवर करने में मदद की है। इसकी प्रभावशाली विशेषताओं की वजह से UPSC सिविल सेवा परीक्षा में करेंट अफेयर्स को समझने और सफल होने में अभ्यर्थियों को मदद मिलती है।

4. सुरक्षा (Security)

4.1. भारत में साइबर अपराध (Cybercrime in India)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, गृह मामलों पर संसदीय समिति ने **'साइबर अपराध - प्रभाव, संरक्षण और रोकथाम'** शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें भारत में साइबर खतरों के विकास और बढ़ती जटिलता को रेखांकित किया गया है।

साइबर अपराध के बारे में

- **राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP)**[34] साइबर अपराध को **ऐसे किसी भी गैर-कानूनी कृत्य** के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें **कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग** किसी **अपराध** को करने या उसे सुविधाजनक बनाने के लिए उपकरण या लक्ष्य के रूप में किया जाता है।
- **साइबर अपराध के प्रकार**
  - **मैलवेयर, रैनसमवेयर,** फिशिंग, विशिंग (वॉयस फिशिंग), स्मिशिंग (एस.एम.एस. फिशिंग), पहचान की चोरी आदि सबसे सामान्य साइबर अपराध है।
  - **किंतु** जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी विकसित होती जा रही है, **नए खतरे सामने आ रहे है,** जैसे **डिजिटल अरेस्ट, क्रिप्टोजैकिंग, डीप फेक धोखाधड़ी और CaaS** (क्राइम-एज-ए-सर्विस)।

साइबर अपराध में वृद्धि के कारण

- **तीव्र डिजिटल परिवर्तन: आधार, यू.पी.आई., डिजिलॉकर** जैसी पहलों से डिजिटल प्लेटफॉर्म और हाई-स्पीड कनेक्टिविटी का विस्तार हुआ है, जिससे साइबर अपराधियों के लिए अपराध के अवसरों में भी वृद्धि हुई है।
- **साइबर अपराध की अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति:** सी.बी.आई. ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारतीय नागरिकों को विदेशों में तस्करी करके ले जाया गया है और उन्हें विशेष रूप से दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थित विदेशी नियंत्रण वाले "स्कैम फैक्ट्रियों" से साइबर अपराध करने के लिए मजबूर किया गया है।
  - इसमें फर्जी ऋण ऐप, कॉल सेंटर आधारित वसूली रैकेट और यहां तक कि क्रिप्टोकरेंसी भुगतान के माध्यम से मानव तस्करी जैसी गतिविधियां शामिल हैं।
- **साइबर अपराध की संगठित प्रकृति**: साइबरक्राइम-एज-ए-सर्विस (CaaS) के उभरने से साइबर अपराध में प्रवेश की तकनीकी बाधाएं काफी कम हो गई हैं। अब कम तकनीकी कौशल वाले व्यक्ति भी डार्क वेब से तैयार उपकरण खरीदकर शक्तिशाली साइबर हमले कर सकते हैं।
- **क्षेत्राधिकार संबंधी चुनौती:** इन हमलों की सीमापार प्रकृति, क्षेत्राधिकार संबंधी चुनौतियों और विभिन्न देशों में अलग-अलग कानूनी ढांचों के कारण कानून प्रवर्तन प्रयासों को जटिल बना देती है, जिससे अपराधियों को ***"सुरक्षित आश्रयों"*** से काम करने का अवसर मिल जाता है।
- **आपराधिक तरीकों का विकास:** अपराधी अपनी पहचान छिपाने के लिए **VPNs, बुलेटप्रूफ होस्टिंग, विकेन्द्रीकृत भंडारण (इंटरप्लेनेटरी फाइल सिस्टम - IPFS), ब्लॉकचेन)** का उपयोग करते हैं।
  - व्यापक स्तर पर **एन्क्रिप्शन** (जैसे एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन और सुरक्षित प्रोटोकॉल) के उपयोग तथा नई तकनीकों (जैसे **5G और OTT ऐप्स**) के आगमन से **कानूनी निगरानी और भी जटिल हो गई है।**
- **कानूनों में विद्यमान कमियां:** सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में विद्यमान खामियां, आई.टी. मध्यस्थों की जवाबदेही का अभाव, कम दंड, कमजोर शिकायत निवारण और प्रशिक्षित साइबर विशेषज्ञों की कमी आदि न्याय सुनिश्चित करने में बाधा उत्पन्न करते हैं।

साइबर अपराध में वृद्धि का प्रभाव

- **आर्थिक हानि: वर्ष 2019 से 2024 के बीच साइबर अपराध के कारण** भारत को **31,500 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान** हुआ और **अधिकांश अपराध वित्तीय प्रकृति (यू.पी.आई., क्यू.आर. धोखाधड़ी, डीपफेक, सिम स्वैप) के थे।**

[34] National Cybercrime Reporting Portal

- **महत्वपूर्ण अवसंरचना के लिए खतरे:** कई एजेंसियों ने महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (CII) को निशाना बनाकर किए गए रैनसमवेयर हमलों पर प्रकाश डाला है, जिनका उद्देश्य आवश्यक सेवाओं को ठप करना होता है।
- **सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव:** सेक्सटॉर्शन, साइबरस्टॉकिंग और डीपफेक के शिकार लोगों को **आघात, सामाजिक अलगाव और यहां तक कि आत्मघाती प्रवृत्ति का भी सामना** करना पड़ता है।
  - ए.आई. आधारित डीपफेक छात्रों को भी निशाना बना रहे हैं, जिससे उनके **मानसिक स्वास्थ्य** पर बुरा असर पड़ता है।
- **विश्वास का ह्रास:** बार-बार धोखाधड़ी के कारण नागरिक, विशेषकर **वृद्ध, डिजिटल सेवाओं पर से विश्वास खो रहे हैं।**

साइबर अपराध से निपटने के लिए सरकारी पहल

- **मजबूत कानूनी एवं विनियामक ढांचा:** राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) साइबर अपराधों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, भारतीय न्याय संहिता (BNS) अपराध और विशेष एवं स्थानीय कानून (SLL) के अंतर्गत वर्गीकृत करता है।
  - सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की महत्वपूर्ण धाराओं में **धारा 69A** (सूचना तक सार्वजनिक पहुँच को अवरुद्ध करना), **धारा 79** (मध्यस्थ की देयता और "सुरक्षित आश्रय" प्रावधान), तथा **धारा 70B** (भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In) की स्थापना) शामिल हैं।
- **एजेंसियां और संस्थागत तंत्र**
  - **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र - I4C (2020):** राष्ट्रीय समन्वय केंद्र; हेल्पलाइन 1930 और **राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल** संचालित करता है।
  - **भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In): साइबर सुरक्षा घटनाओं** का निपटान और परामर्श जारी करता है (जैसे: ए.आई.-आधारित फ़िशिंग पर अलर्ट)।
  - **राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC): महत्वपूर्ण सूचना** अवसंरचना **(विद्युत, बैंकिंग, दूरसंचार)** की सुरक्षा करता है।
  - **केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) & राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA): साइबर धोखाधड़ी और आतंकवाद संबंधी अपराधों के लिए विशेष प्रभाग।** (उदाहरण: डार्क वेब धोखाधड़ी के विरुद्ध ऑपरेशन चक्र।)
  - **राज्यों की पहलें: केरल (साइबरडोम) और महाराष्ट्र साइबर प्रयोगशालाओं और फोरेंसिक सुविधाओं में अग्रणी हैं।**
- **उन्नत तकनीकी उपकरण**
  - **धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए ए.आई./एम.एल.:** उदाहरण के लिए, NPCI की FRM प्रणाली, RBI की म्यूलहंटर.एआई (MuleHunter.ai)
  - **मैलवेयर और बॉटनेट को समाप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), C-DAC और साइबर स्वच्छता केंद्र द्वारा विकसित डीपफेक डिटेक्शन टूल।**
  - **ब्लॉकचेन और टोकनीकरण:** TRAI **(स्पैम नियंत्रण)** और RBI **(कार्ड सुरक्षा)** द्वारा उपयोग किया जाता है।
- **अंतर-एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: सहयोग (SAHYOG) पोर्टल (I4C)** सरकार, मध्यस्थ संस्थाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बीच **सामग्री हटाने के लिए** समन्वय मंच है।
- **जन-जागरूकता: 'साइबर दोस्त', 'RBI कहता है'** जैसे अभियान
  - स्कूलों और विश्वविद्यालयों में **साइबर साक्षरता**, निवेशकों के लिए **सेबी का 'निवेश शिविर'**।

आगे की राह

- **सी.बी.आई. को सशक्त बनाना:** गृह मामलों की संसदीय समिति ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम, 1946 में संशोधन की सिफारिश की है, **ताकि सी.बी.आई. को राज्य सरकारों की सामान्य सहमति के बिना देश भर में साइबर अपराध के मामलों की जांच करने का अधिकार मिल सके।**
  - इसका उद्देश्य संचालन में होने वाली देरी को दूर करना है, क्योंकि अब तक आठ राज्यों ने सामान्य सहमति वापस ले ली है।
- **कानूनी सुधार: आई.टी. अधिनियम** को अद्यतन किया जाए ताकि कठोर दंड, **एकीकृत साइबर अपराध कानून**, और पीड़ितों के लिए मुआवजा आदि प्रावधान जोड़े जा सके।
  - ए.आई.-आधारित सामग्री (**डीपफेक**), **ओ.टी.टी.** प्लेटफॉर्म **(आयु-सीमा नियंत्रण, अभिभावकीय नियंत्रण)** और **ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित** किया जाना चाहिए।

- **मध्यस्थ जवाबदेही: भारत में कार्यरत प्लेटफॉर्मों का अनिवार्य पंजीकरण, स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति और त्वरित कंटेंट हटाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।**
- **सहयोग:** राज्य स्तर पर साइबर अपराध समन्वय केंद्रों को सशक्त बनाना, **अंतर्राष्ट्रीय संपर्क इकाई** और **24×7 साइबर डेस्क स्थापित करना,** साथ ही **सीमापार डेटा साझाकरण को तीव्र** किया जाना चाहिए।
- **तकनीकी उन्नयन: ए.आई./एम.एल. आधारित खतरा खुफिया प्रणाली**, **ब्लॉकचेन** सत्यापन, **क्वांटम-प्रतिरोधी एन्क्रिप्शन** और एक **स्वदेशी ऐप स्टोर** में निवेश किया जाना चाहिए।
- **डेटा सुरक्षा: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDPA) 2023 के अनुरूप डेटा भंडारण, KYC, और निजता सुरक्षा उपायों** को लागू किया जाना चाहिए।
- **क्षमता निर्माण:** पुलिस, अभियोजकों, न्यायपालिका और छात्रों को **साइबर सुरक्षा में प्रशिक्षित करना; फोरेंसिक प्रयोगशालाओं और वी.आर.-आधारित प्रशिक्षण का विस्तार करना।**
- **जन-जागरूकता: बहुभाषी जागरूकता अभियान**, **वित्तीय साक्षरता** कार्यक्रम, और **वित्तीय प्रभावकों (फिनफ्लुएंसर्स)** पर विनियमन लागू किया जा चाहिए ताकि जनता को साइबर सुरक्षा के प्रति सचेत किया जा सके।

अन्य संबंधित सुर्खियां

सेबी का साइबर सुरक्षा और साइबर लचीलापन ढांचा (CSCRF)[35]

- CSCRF का उद्देश्य **नए साइबर खतरों का सामना करना,** उद्योग मानकों के अनुरूप कार्य करना, कुशल ऑडिट को सक्षम बनाना, तथा मानकीकृत रिपोर्टिंग प्रारूपों के माध्यम से अनुपालन सुनिश्चित करना है।
- यह रूपरेखा **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा विनियमित संस्थाओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर लागू** होती है, जिनमें स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड, स्टॉक ब्रोकर, वैकल्पिक निवेश कोष (AIFs) और के.वाई.सी. पंजीकरण एजेंसियां (KRAs) आदि शामिल हैं।
  - हाल ही में सेबी ने स्पष्ट किया कि **CSCRF केवल उन प्रणालियों पर लागू होगा, जो सेबी द्वारा विनियमित गतिविधियों के लिए विशेष रूप से उपयोग की जाती हैं।**
  - **साझा अवसंरचना का भी ऑडिट किया जाएगा, यदि वह पहले से भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) या किसी अन्य विनियामक के दायरे में नहीं आती है।**

4.2. प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate)

सुर्खियों में क्यों?

प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के मामलों में 94% दोषसिद्धि दर दर्ज की है और पीड़ितों के लिए 34,000 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली में मदद की है।

धन शोधन से क्या तात्पर्य है?

- धन शोधन का अर्थ अपराध से अर्जित धन को इस प्रकार संसाधित करना है कि उसके अवैध स्रोत को छिपाया जा सके। इस प्रक्रिया के माध्यम से अपराधी स्रोत को उजागर किए बिना अपने अवैध लाभों का उपयोग कर सकता है।
- **धन शोधन के 3 चरण:**
  - **प्लेसमेंट:** धन को अपराध से प्रत्यक्ष जुड़ाव वाले स्रोत से पृथक करना।
  - **लेयरिंग:** धन के स्रोत और उसकी पहचान को छिपाने के लिए कई जटिल लेन-देन करना।
  - **इंटीग्रेशन:** धन को वैध स्रोतों से प्राप्त प्रतीत कराने के लिए अर्थव्यवस्था में पुनः शामिल करना, ताकि अपराधी उसे वैध आय के रूप में उपयोग कर सके।

प्रवर्तन निदेशालय के बारे में: (मुख्यालय: नई दिल्ली)

- **स्थापना वर्ष:** 1956
- **प्रशासनिक नियंत्रण:** राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय।

[35] SEBI Cyber security & Cyber Resilience Framework

- प्रवर्तन निदेशालय का प्रमुख एक निदेशक होता है, **जिसका पद भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव से निम्न स्तर का नहीं हो सकता है।**
- यह एक बहु-विषयक संगठन है, जिसे **धन शोधन के अपराधों और विदेशी मुद्रा संबंधी कानूनों के उल्लंघनों की जांच करने का दायित्व सौंपा गया है।**
- **प्रवर्तन निदेशालय के वैधानिक कार्य:-**
  - **धन शोधन निवारण अधिनियम (2002)**: यह एक आपराधिक कानून है जिसका उद्देश्य धन शोधन को रोकना तथा धन शोधन में प्रयुक्त या उससे अर्जित संपत्ति को जब्त करना है।
  - **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (1999):** इस अधिनियम के अंतर्गत प्रवर्तन निदेशालय को संदेहास्पद विदेशी मुद्रा उल्लंघनों और विनियमों के विपरीत आचरण की जांच करने, दोष सिद्ध होने पर दंड लगाने और मामलों का निपटारा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
  - **भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (2018):** इस अधिनियम के तहत प्रवर्तन निदेशालय को उन भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्तियों को कुर्क करने और भारत से फरार अपराधियों की संपत्तियों को केंद्र सरकार के पक्ष में जब्त करने का अधिकार प्राप्त है।
  - **विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974 (COFEPOSA) के अंतर्गत, प्रवर्तन निदेशालय (ED) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA)** से संबंधित उल्लंघनों के मामलों में निवारक निरोध के लिए प्रायोजक एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

आर्थिक अपराधों से निपटने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद, प्रवर्तन निदेशालय (ED) को कई संचालनात्मक और संरचनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो इसकी प्रभावशीलता और विश्वसनीयता को प्रभावित करती हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समक्ष चुनौतियां:

संचालनात्मक चुनौतियां:-

- **अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण और संघीय तनाव:** उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाइयों की आलोचना की गई है, क्योंकि कभी-कभी यह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करती है तथा जिससे संभावित रूप से **"संघीय ढांचे का उल्लंघन" हो सकता है।**
- **राजनीतिक लक्षीकरण और स्वतंत्रता का ह्रास: राजनीतिक प्रभाव और पक्षपातपूर्ण** प्रेरणाओं के आरोपों के कारण **ED की संचालनात्मक स्वतंत्रता** के संबंध में प्रायः प्रश्न उठाए जाते हैं।
- **संसाधन और जनशक्ति की कमी:** भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (FEOA)[36], 2018 को लागू करने जैसी अतिरिक्त जिम्मेदारियां संभालने के बावजूद, 2011 से अब तक ED की स्वीकृत कार्मिक संख्या में वृद्धि नहीं हुई है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) से संबंधित प्रमुख न्यायिक निर्णय:

- **अभिषेक बनर्जी बनाम प्रवर्तन निदेशालय (2022):** दिल्ली उच्च न्यायालय ने धन शोधन मामलों की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय के राष्ट्रव्यापी अधिकार क्षेत्र को बरकरार रखा।
- **पंकज बंसल बनाम भारत संघ (2023):** उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के बाद, ED अधिकारियों के लिए गिरफ्तारी के आधारों को लिखित रूप में उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
- **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय (2024):** निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का लाभ उठाने के लिए, अभियुक्त को 'अविश्वसनीय दस्तावेजों' सहित दस्तावेजों के निरीक्षण के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

संरचनात्मक और विधिक चुनौतियां:

- **व्यापक विवेकाधीन शक्तियां:** PMLA के तहत प्रवर्तन निदेशालय को दी गई व्यापक शक्तियों, जिनमें गिरफ्तारी, सम्पत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क करने, तथा **साक्ष्य का भार उलटने का अधिकार** शामिल है, ने उचित प्रक्रिया और नागरिक स्वतंत्रता पर उनके संभावित नकारात्मक प्रभाव के बारे में बहस को जन्म दिया है।
- **न्यायिक लंबित मामले और संवैधानिक बाधाएँ:** PMLA से संबंधित कई संवैधानिक चुनौतियां उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं, जिससे **कई मुकदमे विलंबित** हुए हैं। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे FATF ने भी चिह्नित किया है।
- **अंतर-एजेंसी मुकदमेबाजी और संसाधन की कमी:** अभियुक्त व्यक्ति अक्सर एक **जटिल मुकदमेबाजी का जाल** खड़ा करते हैं, जिससे ED के संसाधनों पर दबाव पड़ता है और मामलों के निपटारे में देरी होती है।

उभरती तकनीकों से जुड़ी चुनौतियां:

- **डिजिटल और क्रिप्टो धोखाधड़ी में वृद्धि:** ED को तेजी से विकसित हो रहे वित्तीय अपराधों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें **साइबर और क्रिप्टो-संबंधित धोखाधड़ी जैसे कि पिग बुचरिंग (Pig Butchering) और फैंटम हैकिंग (Phantom Hacking) में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है।**

[36] Fugitive Economic Offenders Act

- **कार्यान्वयन अंतराल:** FATF के मूल्यांकन में छोटी वित्तीय संस्थाओं, **वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (VASPs)** के बीच AML/CFT कार्यान्वयन में अंतराल और घरेलू राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों के लिए कमजोर परिश्रम और कीमती धातु/रत्न व्यापारियों द्वारा खराब नकदी निगरानी को चिह्नित किया गया है।

प्रवर्तन निदेशालय को सशक्त बनाने हेतु आगे की राह

- **न्यायिक प्रक्रिया का कड़ाई से पालन:** सुव्यवस्थित मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया का सख्ती से पालन करने से राजनीतिक पक्षपात और उत्पीड़न के आरोपों को कम किया जा सकता है।
- **साक्ष्य-आधारित जांच:** प्रवर्तन निदेशालय को आसूचना आधारित अन्वेषण की ओर पुनः उन्मुख करने तथा साक्ष्य-समर्थित अभियोजन पर ध्यान केन्द्रित करने से दोषसिद्धि दर में सुधार हो सकता है तथा संस्थागत विश्वसनीयता मजबूत हो सकती है।
- **मानव संसाधन और विशेषज्ञता को बढ़ाना:** FATF की सिफारिश के अनुसार, देश के आकार, जोखिम और धन शोधन जांचों की मात्रा व जटिलता के आधार पर ED की **जनशक्ति बढ़ाने की आवश्यकता** है।
- **नवीनतम तकनीक का उपयोग:** उदाहरण के लिए, ED संदिग्ध मौद्रिक पैटर्न का पता लगाने के लिए वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) के उन्नत विश्लेषणात्मक ए.आई./एम.एल. उपकरणों का उपयोग करता है।
- **विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय:** उदाहरण: दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड और ED ने तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान में दिवाला कानून और PMLA के बीच इंटरफेस से संबंधित समस्या का समाधान करने के लिए एक समाधान निकाला है।

शब्दावली को जानें?

- **पिग बुचरिंग (Pig Butchering):** यह धोखाधड़ी का एक परिष्कृत रूप है, जिसमें रोमांस धोखाधड़ी और निवेश धोखाधड़ी का संयुक्त रूप से प्रयोग किया जाता है। यह विशेष रूप से क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) निवेश को लक्षित करता है। इस धोखाधड़ी का नाम पीड़ितों पर किए जाने वाले धोखे की प्रक्रिया को दर्शाता है: पहले विश्वास दिलाकर 'अपने जाल में फंसया' जाता है और फिर उन्हें आर्थिक रूप से 'क्षति' पहुंचाई जाती है।
- **फैंटम हैकिंग (Phantom Hacking):** इसे "फैंटम हैकर" धोखाधड़ी भी कहा जाता है। यह तकनीकी सहायता धोखाधड़ी (Tech Support Scams) का ही एक विकसित रूप है, जो विशेष रूप से सुभेद्य या वरिष्ठ नागरिकों को निशाना बनाता है।

4.3. संक्षिप्त सुर्खियां (News in Shorts)

4.3.1. हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी (Indian Ocean Naval Symposium: IONS)

हाल ही में, कोच्चि में हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी (IONS) में इमर्जिंग लीडर्स पर पैनल परिचर्चा आयोजित की गई।

IONS के बारे में

- यह एक स्वैच्छिक पहल है जिसे **भारतीय नौसेना ने 2008 में शुरू किया था।**
- **उद्देश्य:** हिंद महासागर क्षेत्र के तटवर्ती देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाना।
- इसका **पहला संस्करण** वर्ष 2008 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था।
- **सदस्य:** 25 सदस्य और 9 पर्यवेक्षक।
  - **सदस्यता के लिए पात्रता:** ऐसा राष्ट्र-राज्य जिसकी स्थायी भूमि-सीमा या सीमा हिंद महासागर को स्पर्श करती हो और जिसकी अपनी नौसेना या समुद्री एजेंसी हो।
  - IONS की **अध्यक्षता हर 2 वर्ष में** किसी नए देश को सौंपी जाती है। भारत 2025-27 के दौरान इसकी अध्यक्षता करेगा।

4.3.2. विदेश में स्थित भारत का पहला रक्षा निर्माण संयंत्र (First Overseas Defence Manufacturing Plant)

हाल ही में रक्षा मंत्री ने **मोरक्को में 'विदेश में स्थित भारत का पहला रक्षा निर्माण संयंत्र' का उद्घाटन किया।**

- यह फैक्ट्री स्वदेश में विकसित **व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म (WhAP) 8x8** का उत्पादन करेगी। इसे टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL) और DRDO ने मिलकर डिज़ाइन किया है।

व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म (WhAP) के बारे में

- **यह भारत का पहला एम्फीबियस इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल (व्हील्ड) है:** इसे बेहतर **बचाव क्षमता, सभी प्रकार के इलाकों में संचालन योग्य और अधिक मारक क्षमता के लिए डिजाइन किया गया है।**
- **उपयोग की गई महत्वपूर्ण तकनीकें: इसमें इंटीग्रेटेड पावर पैक** के साथ ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, तैरने और आगे बढ़ने की क्षमता शामिल है।

4.3.3. आन्द्रोत (Androth)

भारतीय नौसेना को स्वदेश में निर्मित एंटी-सबमरीन वारफेयर (ASW) पोत 'आन्द्रोत' सौंपा गया।

आन्द्रोत के बारे में

- यह आठ **एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट**[37] में से दूसरा पोत है। इन्हें गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE)[38], कोलकाता द्वारा बनाया जा रहा है।
  - **"अर्नाला"** आठ ASW SWCs में से पहला था।
- इसका नाम **आन्द्रोत द्वीप** से लिया गया है, **जो लक्षद्वीप का हिस्सा है।**
- ये पोत **डीजल इंजन-वाटर जेट के संयोजन से संचालित** होते हैं। यह **अत्याधुनिक हल्के टॉरपीडो और स्वदेशी एंटी-सबमरीन वारफेयर रॉकेट्स** से भी लैस है।

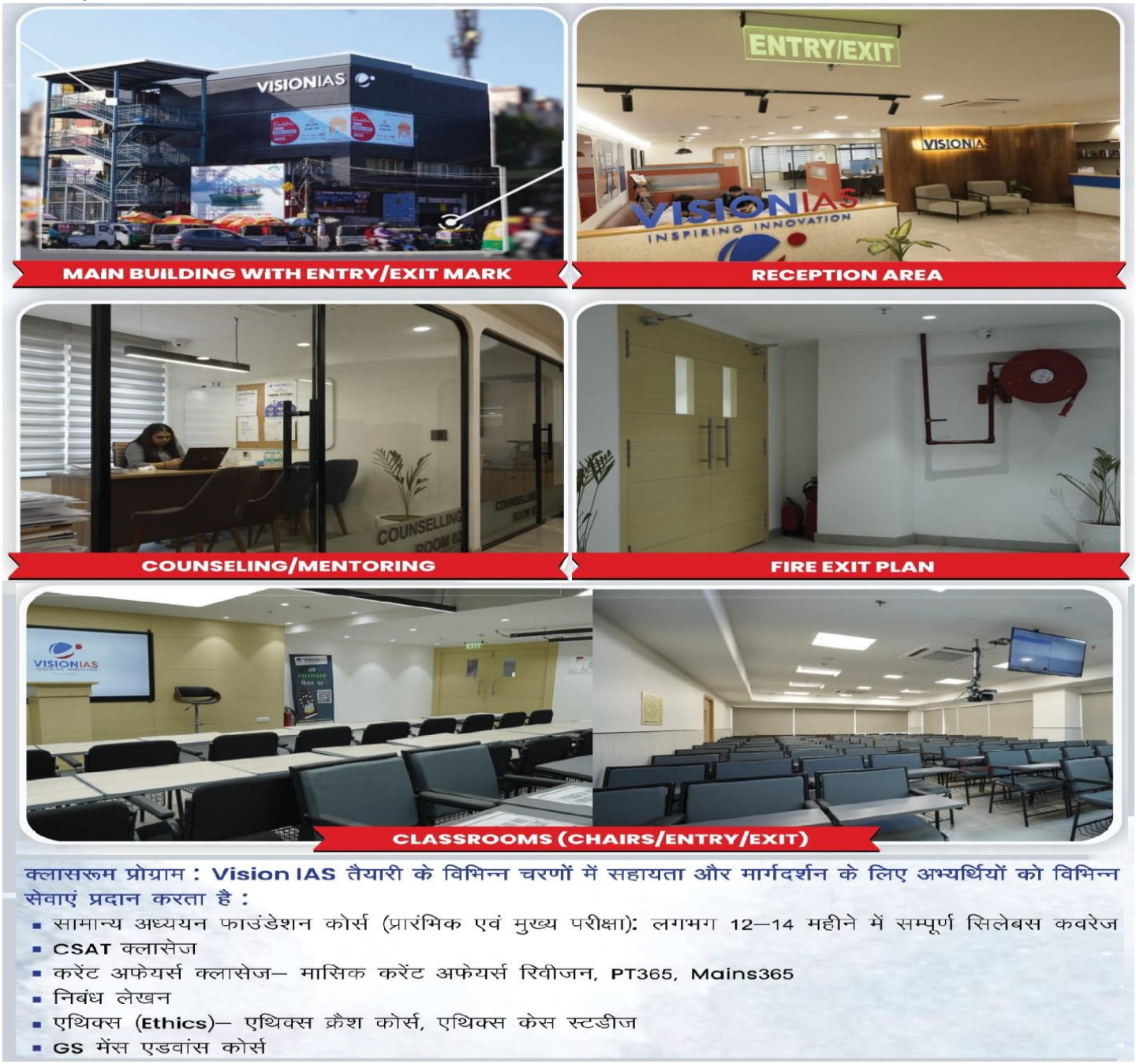

[37] Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft:ASW SWC

[38] Garden Reach Shipbuilders and Engineers

4.3.4. एक्सटेंडेड रेंज अटैक म्यूनिशन (Extended Range Attack Munitions)

संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन को **एक्सटेंडेड रेंज अटैक म्यूनिशन** (ERAMs) की आपूर्ति को मंजूरी दी है।

ERAMs के बारे में

- यह **हवा से प्रक्षेपित की जाने वाली और सटीक रूप से -निर्देशित नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल है।**
- **मारक क्षमता:** 240 से 450 किलोमीटर।
- **वारहेड्स:** यह अपने साथ 500-पाउंड का उच्च-विस्फोटक वारहेड्स ले जा सकती है, जो मजबूत बंकरों, फ्यूल डिपो, या गोला-बारूद के भंडारण को नष्ट करने में सक्षम है।
- **निर्देशन:** यह मिसाइल GPS, इनर्शियल नेविगेशन, और एक टर्मिनल सीकर प्रणालियों से युक्त है जो इसे लक्ष्य की ओर सटीक तरीके से निर्देशित कर सकती है। इससे यह लगभग 10 मीटर की सटीकता तक लक्ष्य भेद सकती है।

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज (All India Test Series) : इस परीक्षा में अपने प्रदर्शन को बेहतर करने हेतु हर तीन में से दो चयनित अभ्यर्थियों द्वारा इसे चुना जाता रहा है। VisionIAS पोस्ट टेस्ट एनालिसिस ठोस सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराता है एवं प्रदर्शन में निरंतर सुधार सुनिश्चित करता है। उत्तर लेखन में सुधार एवं मार्गदर्शन के लिए Vision IAS के Innovative Assessment System™ द्वारा अभ्यर्थी को फीडबैक दिया जाता है।

- ऑल इंडिया सामान्य अध्ययन (GS Mains) टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम
- ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम
- CSAT टेस्ट सीरीज
- वैकल्पिक विषय टेस्ट सीरीज– दर्शनशास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, समाजशास्त्र
- संधान टेस्ट सीरीज
- ओपन टेस्ट (Open Test)
- Abhyaas– Abhyaas Prelims & Mains

मेंटरिंग कार्यक्रम – UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दौरान किसी भी प्रकार की एकेडेमिक या गैर–एकेडेमिक समस्या के समाधान एवं मार्गदर्शन के लिए मेंटर की भूमिका बढ़ गई है। इसलिए Vision IAS प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों के लिए मेंटरिंग प्रोग्राम लेकर आया है।

- दक्ष (Daksha): आगामी वर्षों में मुख्य परीक्षा देने वाले
- लक्ष्य (Lakshya): मुख्य परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए।
- लक्ष्य प्रीलिम्स एवं मेंस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम।

करेंट अफेयर्स (Current Affairs)– सिविल सेवा परीक्षा में प्रायः प्रश्नों को करेंट अफेयर्स से जोड़कर पूछा जाता है। इसलिए Vision IAS द्वारा प्रतिदिन, साप्ताहिक और मासिक आधार पर करेंट अफेयर्स के अलग–अलग स्रोत अभ्यर्थियों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। जिनमें टॉपिक के स्टैटिक के साथ करेंट अफेयर्स के टॉपिक में महत्वपूर्ण समाचार पत्रों, सरकारी प्रकाशनों एवं वेब साइट का विश्लेषण सम्मिलित होता है।

- मासिक मैगजीन
- वीकली फोकस
- न्यूज टुडे
- PT 365
- Mains 365

स्टडी मैटेरियल– सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में अभ्यर्थियों को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए Vision IAS द्वारा विभिन्न मैटेरियल उपलब्ध कराए जाते हैं।

- क्लासरूम स्टडी मैटेरियल
- वैल्यू एडेड मैटेरियल
- मासिक मैगजीन, वीकली फोकस, न्यूज टुडे
- PT 365 एवं Mains 365
- केन्द्रीय बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण सारांश
- विगत वर्षों के प्रश्नों (PYQs) का विस्तृत विश्लेषण
- टॉपर्स कॉपी

Student Wellness Cell – देश की प्रतिष्ठित सेवा एवं उसकी भर्ती प्रक्रिया कई बार बोझिल हो जाती है, जिससे अभ्यर्थी चिंता, तनाव, अवसाद जैसी मानसिक समस्याओं का सामना करते हैं। जिसे ध्यान में रखकर Vision IAS द्वारा स्टूडेंट वेलनेस सेल की स्थापना की गई है। इसमें अभ्यर्थी प्रशिक्षित काउंसलर और प्रोफेशनल मनोविशेषज्ञ से मिलकर अपनी समस्या साझा करते हुए समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

4.3.5. कुकी-ज़ो समूहों के साथ शांति समझौता (Peace Pact with Kuki-Zo Groups)

हाल ही में, केंद्र सरकार, मणिपुर सरकार और उग्रवादी समूहों (कुकी-जो, जोमी और हमार) के बीच **त्रिपक्षीय "सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन" (SoO) समझौता नवीनीकृत** किया गया।

समझौते के बारे में

- **लागू हुआ:** यह समझौता 22 अगस्त, 2008 को लागू हुआ था।
- **उद्देश्य:** राजनीतिक वार्ता शुरू करके दुश्मनी खत्म करना और **भारत के संविधान के दायरे में रहते हुए राजनीतिक समाधान खोजना।**

पूर्वोत्तर भारत में अन्य शांति समझौते

- **नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (सबीर देबबर्मा गुट) समझौता (2019):** यह **त्रिपुरा के नेशनल लिबरेशन फ्रंट के साथ हस्ताक्षरित** हुआ था।
- **बोडो समझौता (2020): यह असम के बोडो समूहों के साथ हुआ था।** यह समूह मार्च 2020 तक भंग कर दिया गया।
- **कार्बी समझौता (2021):** यह **असम के कार्बी समूहों के साथ** हुआ था। इसके तहत 1,000 से अधिक कैडर मुख्यधारा में शामिल हुए।

4.3.6. सुर्खियों में रहे सैन्य अभ्यास (Exercises in News)

- **अभ्यास ब्राइट स्टार (Exercise Bright Star):** सशस्त्र बल और एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय ने बहुपक्षीय अभ्यास 'ब्राइट स्टार 2025' में भाग लिया।
  - **शुरुआत:** इस अभ्यास की शुरुआत **कैम्प डेविड समझौते (1977)** के बाद **संयुक्त राज्य अमेरिका और मिस्र के मध्य द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास के रूप में** हुई।
  - **प्रथम संस्करण:** 1980, मिस्र में आयोजित।
  - **विस्तार:** 1995 से इसमें कई देशों ने भाग लेना शुरू किया।
  - यह **क्षेत्र में तीनों सेनाओं के सबसे बड़े बहुपक्षीय सैन्य अभ्यासों में से एक** है।
- **मैत्री अभ्यास (Exercise Maitree): मैत्री अभ्यास का 14वां संस्करण** मेघालय (भारत) में शुरू हुआ।
  - इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। यह **भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित** महत्वपूर्ण संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यासों में से एक है।
  - यह **संयुक्त अभ्यास संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत,** अर्ध-शहरी क्षेत्रों में **कंपनी स्तर पर आतंकवाद-रोधी अभियानों पर केंद्रित** रहेगा।
- **अभ्यास ज़ापाड (Exercise Zapad): भारत ने रूस और बेलारूस द्वारा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास ज़ापाड-2025** में हिस्सा लिया। यह सैन्य अभ्यास रूस में आयोजित किया गया।
  - **इसकी शुरुआत 1999 में हुई थी।** यह बड़े पैमाने पर आयोजित होने वाला **बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास** है। यह 2009 से हर चार साल पर आयोजित होता है।
  - **उद्देश्य:** बाहरी खतरों के खिलाफ अपनी **रक्षा क्षमता का आकलन** करना।
  - **अभ्यास में शामिल हथियार:** इसमें **परमाणु-सक्षम हथियारों** के साथ प्रशिक्षण शामिल है। इसमें **रूस की हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल** भी शामिल होती है।
- **युद्ध अभ्यास (Yudh Abhyas):** भारतीय थल सेना की एक टुकड़ी **युद्ध अभ्यास 2025 के 21वें संस्करण** में भाग ले रही है। **यह भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है।**
  - वर्ष 2004 से यह संयुक्त सैन्य अभ्यास **भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच प्रतिवर्ष आयोजित** किया जा रहा है।
  - इसमें संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों और बहु-क्षेत्रीय चुनौतियों के लिए तैयारी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- **पैसिफिक रीच 2025 (Pacific Reach 2025):** भारतीय नौसेना का स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित नवीनतम **डाइविंग सपोर्ट वेसल (DSV) INS निस्तार** सिंगापुर में पैसिफिक रीच 2025 अभ्यास में भाग ले रहा है।
  - यह हर **दो साल में आयोजित होने वाला बहुपक्षीय अभ्यास है।**
  - यह अभ्यास **दो मुख्य चरणों में आयोजित** होता है:
    - **हार्बर फेज़:** इसमें **विशेषज्ञों के बीच विचारों का आदान-प्रदान (SMEE)[39], चिकित्सा संगोष्ठी, क्रॉस-डेक विजिट और सबमरीन रेस्क्यू सिस्टम पर विस्तृत चर्चा** शामिल होती है।

[39] Subject Matter Expert Exchanges

- **समुद्री चरण (Sea Phase):** इसमें समुद्र में **हस्तक्षेप और बचाव अभियान** शामिल होते हैं। इसमें भागीदार देशों के नौसैनिक पोत और उपकरण शामिल होते हैं।

- **अभ्यास सियोम प्रहार (Exercise Siyom Prahar):** भारतीय थल सेना ने अरुणाचल प्रदेश में सियोम प्रहार अभ्यास का आयोजन किया।
  - **उद्देश्य:** युद्ध जैसी परिस्थितियों में **सामरिक अभियानों में ड्रोन के उपयोग को परखना।**
  - **उपयोग किए गए ड्रोन:** निगरानी करने वाले, युद्धक्षेत्र की टोह लेने वाले, लक्ष्य तय करने वाले और सटीक हमले करने वाले ड्रोन।
- **अभ्यास युद्ध कौशल (Exercise Yudh Kaushal):** भारतीय थल सेना ने पूर्वी हिमालय के कामेंग क्षेत्र में 'युद्ध कौशल 3.0' अभ्यास आयोजित किया।

4.3.7. ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट (Operation Black Forest)

'ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट' **नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया अब तक का सबसे बड़ा अभियान** है। यह अभियान **छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर स्थित कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर** चलाया गया।

नक्सल-विरोधी अन्य मिशन

- **मिशन संकल्प (Mission Sankalp):** यह छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर स्थित कर्रेगुट्टा और आसपास की पहाड़ियों पर शुरू किया गया था।
- **ऑपरेशन ग्रीन हंट (Operation Green Hunt):** यह 2009 के अंत में शुरू किया गया था। यह पांच राज्यों - पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में चलाया गया था।

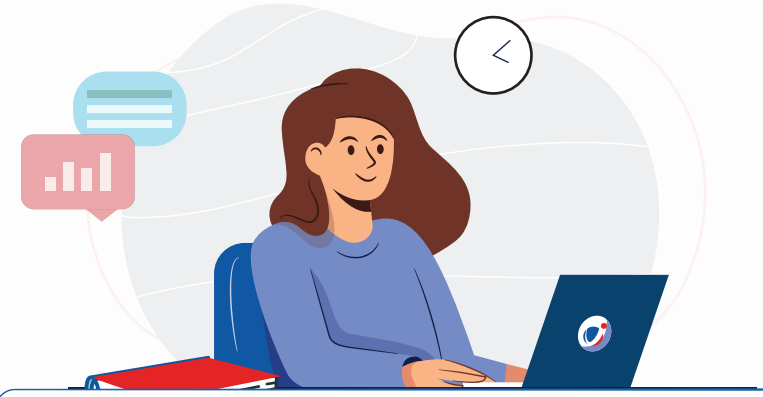

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

CSAT में महारत: UPSC प्रीलिम्स के लिए एक रणनीतिक रोडमैप

UPSC प्रीलिम्स सिविल सेवा परीक्षा का पहला एवं अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चरण है। प्रीलिम्स एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रकार के दो पेपर होते हैं: सामान्य अध्ययन (GS) और सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट (CSAT)। ये दोनों पेपर अभ्यर्थियों के ज्ञान, समझ और योग्यता का आकलन करते हैं।

पिछले कुछ सालों में CSAT पेपर के कठिन हो जाने से इसमें 33% का क्वालीफाइंग स्कोर प्राप्त करना भी कई अभ्यर्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। अतः इस पेपर को क्वालीफाइ करने के लिए अभ्यर्थियों को टाइम मैनेजमेंट के साथ–साथ CSAT में कठिनाई के बढ़ते स्तर के साथ सामंजस्य बिठाना और GS पेपर के साथ संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। साथ ही, इसमें गुणवत्तापूर्ण प्रैक्टिस मटेरियल से भी काफी मदद मिलती है। ये सारी बातें एक सुनियोजित रणनीति के महत्त्व को रेखांकित करती हैं।

इंस्टैंट पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग के लिए **QR कोड को स्कैन करें**

CSAT की तैयारी के लिए रणनीतिक रोडमैप

शुरुआत में स्व–मूल्यांकन: सर्वप्रथम पिछले वर्ष के CSAT के पेपर को हल करके हमें अपना मूल्यांकन करना चाहिए। इससे हमें अपने मजबूत एवं कमजोर पक्षों की पहचान हो सकेगी और हम उसी के अनुरूप अपनी तैयारी में सुधार कर सकेंगें।

स्टडी प्लान: अधिकतम अंक प्राप्त कर सकने वाले टॉपिक पर फोकस करते हुए एवं विश्वसनीय अध्ययन स्रोतों का चयन कर, एक व्यवस्थित स्टडी प्लान तैयार करें।

रेगुलर प्रैक्टिस एवं पोस्ट–टेस्ट एनालिसिस: पिछले वर्ष के पेपर एवं मॉक टेस्ट को हल करके तथा उनका विश्लेषण करके हम एग्जाम के पैटर्न एवं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इससे परिचित हो सकते हैं। इस अप्रोच से CSAT के व्यापक सिलेबस को प्रभावी ढंग से कवर करने के लिए एक बेहतर रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी।

व्यक्तिगत मेंटरशिप प्राप्त करें: CSAT की बेहतर तैयारी के लिए अपने अनुरूप रणनीति विकसित करने हेतु मेंटर से जुड़ें। इससे आप अपने स्ट्रेस को दूर कर सकेंगे और साथ ही फोकस्ड एवं संतुलित तैयारी कर पाएंगे।

रीजनिंग: क्लॉक, कैलेंडर, सीरीज एंड प्रोग्रेशन, डायरेक्शन, ब्लड–रिलेशन, कोडिंग–डिकोडिंग एवं सिलोगिज़्म जैसे विभिन्न प्रकार टॉपिक के प्रश्नों का अभ्यास करके अपने तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमताओं को बेहतर बनाएं।

एग्जाम के पैटर्न को समझने एवं प्रश्नों को हल करने के लिए स्टेप–बाय–स्टेप अप्रोच को विकासित करने पर ध्यान केंद्रित करें।

गणित एवं बेसिक न्यूमेरेसी: बेसिक कॉन्सेप्ट के रिवीजन एवं रेगुलर प्रैक्टिस के जरिए मूलभूत गणितीय अवधारणाओं पर अपनी पकड़ को मजबूत करें।

तेजी से कैल्कुलेशन करने के लिए शॉर्टकट और मेंटल मैथ टेक्निक का उपयोग करें।

रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन: नियमित रूप से अखबार पढ़कर अपनी पढ़ने की गति और समझ में सुधार करें। समझ बढ़ाने के लिए पैराग्राफ को संक्षेप में लिखने का अभ्यास करें और उसमें निहित मुख्य विचारों का पता लगाएं।

VisionIAS के CSAT क्लासरूम प्रोग्राम से जुड़कर अपनी CSAT की तैयारी को मजबूत बनाएं। इस कोर्स को अभ्यर्थियों में बेसिक कॉन्सेप्ट विकसित करने और उनकी प्रॉब्लम–सॉल्विंग क्षमताओं एवं क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस कोर्स की मुख्य विशेषताएं हैं– ऑफ़लाइन/ ऑनलाइन और रिकॉर्ड की गई कक्षाएं, वन–टू–वन मेंटरिंग सपोर्ट और ट्यूटोरियल्स के जरिए नियमित प्रैक्टिस। यह आपको CSAT में महारत हासिल करने की राह पर ले जाएगा।

रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए **QR कोड को स्कैन करें**

हमारे **ऑल इंडिया CSAT टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम** के साथ अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं, जिसमें शामिल हैं:

- UPSC CSAT के सिलेबस का विस्तार से कवरेज
- वन–टू–वन मेंटरिंग
- फ्लेक्सिबल टेस्ट शेड्यूल और इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम
- प्रत्येक टेस्ट पेपर की विस्तार से व्याख्या
- लाइव ऑनलाइन/ ऑफ़लाइन टेस्ट डिस्कशन एवं पोस्ट टेस्ट एनालिसिस

VisionIAS से जुड़कर सिविल सेवाओं में शामिल होने की अपनी यात्रा शुरू करें, जहां हमारी विशेषज्ञता और सपोर्ट सिस्टम से आपके सपने पूरे हो सकते हैं।

अहमदाबाद | बैंगलोर | भोपाल | चंडीगढ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

5. पर्यावरण (Environment)

5.1. संयुक्त राष्ट्र 'खुला समुद्र' संधि (UN 'High Seas' Treaty)

सुर्खियों में क्यों?

राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग हेतु संधि (BBNJ समझौता) को 60वें देश का अनुसमर्थन प्राप्त होने के बाद यह लागू हो जाएगी। इस संधि को 'खुला समुद्र संधि' (हाई सीज ट्रीटी) के नाम से भी जाना जाता है।

BBNJ समझौते के बारे में

- BBNJ संधि का उद्देश्य **राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार (अनन्य आर्थिक क्षेत्र)** से बाहर के क्षेत्रों में **समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को सुनिश्चित करना** है।
- यह **संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय (UNCLOS) के अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि** है।
  - BBNJ समझौता, UNCLOS के तहत तीसरा कार्यान्वयन समझौता होगा। इसके अलावा, अन्य दो समझौते हैं:
    - 1994 भाग-XI कार्यान्वयन समझौता (जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में खनिज संसाधनों की खोज और निष्कर्षण से संबंधित है) और
    - 1995 संयुक्त राष्ट्र मत्स्य भंडार समझौता (जो पारगमनशील और अत्यधिक प्रवासी मत्स्य भंडार के संरक्षण और प्रबंधन से संबंधित है)।
- यह समझौता **एक वित्तपोषण तंत्र** तथा **संस्थागत व्यवस्थाएं भी स्थापित करता है**। इसमें **पक्षकारों का सम्मेलन**[40], विभिन्न सहायक निकाय, एक क्लियरिंग-हाउस मैकेनिज्म और एक सचिवालय शामिल हैं।
- इस संधि में प्रावधान किया गया था कि यह 60 देशों द्वारा अनुसमर्थन प्राप्त होने के उपरांत 120 दिन बाद लागू होगी।
  - 30 सितंबर 2025 तक, इस संधि पर 145 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं तथा 74 देशों द्वारा इसे अनुसमर्थन प्रदान कर दिया गया है।
  - **भारत ने संधि पर हस्ताक्षर तो किए हैं, किंतु अभी तक इसका अनुसमर्थन नहीं किया है।**
  - जो देश UNCLOS के सदस्य नहीं हैं, वे भी BBNJ समझौते में शामिल हो सकते हैं।

संधि के प्रमुख स्तंभ

- **समुद्री संरक्षित क्षेत्र (MPAs)**: यह संधि खुले समुद्र में समुद्री संरक्षित क्षेत्रों तथा अन्य संरक्षण एवं प्रबंधन उपायों की स्थापना के लिए एक तंत्र का निर्माण करेगी।
  - समुद्री संरक्षित क्षेत्र सामान्यतः स्पष्ट रूप से परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र होते हैं, जो समुद्री जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए कानूनी या अन्य प्रभावी तरीकों के तहत मान्यता प्राप्त, समर्पित और प्रबंधित होते हैं।
- **समुद्री आनुवंशिक संसाधन (MGRs)**[41]: यह संधि खुले समुद्री जीवों (जैसे जीवाणु, प्रवाल, गहरे समुद्री स्पंज आदि) से प्राप्त आनुवंशिक पदार्थों के वाणिज्यिक उपयोग से उत्पन्न वित्तीय और गैर-वित्तीय लाभों के साझाकरण की व्यवस्था करती है। इन आनुवंशिक संसाधनों का उपयोग औषधि, सौंदर्य प्रसाधन, खाद्य और जैव प्रौद्योगिकी में किया जा सकता है।
- **क्षमता निर्माण और समुद्री प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण**: इसका उद्देश्य ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी साझाकरण के माध्यम से विकासशील देशों को संधि को लागू करने में सहायता करना है।
- **पर्यावरणीय प्रभाव आकलन**: राष्ट्रीय सीमाओं से परे क्षेत्रों में गहरे समुद्र में खनन[42] जैसी खुले समुद्र की गतिविधियों का पर्यावरणीय आकलन करना तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कार्य करना आवश्यक होगा, ताकि परिणामों को पारदर्शी रूप से साझा किया जा सके।

---

[40] Conference of the Parties

[41] Marine Genetic Resources

[42] Deep-sea mining

संधि के अपवाद

- यह संधि **किसी भी युद्धपोत, सैन्य विमान या नौसेना सहायक पोत पर लागू नहीं** होगी।
- **यह मत्स्यन और उससे संबंधित गतिविधियों पर लागू नहीं होगी,** क्योंकि ये गतिविधियाँ अन्य संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विनियमित होती हैं।
- समुद्री आनुवंशिक संसाधनों (MGRs) और उनकी डिजिटल अनुक्रम जानकारी के उपयोग से संबंधित दायित्व **किसी पक्ष की सैन्य गतिविधियों पर लागू नहीं होंगे,** जिनमें सरकारी पोतों या विमानों द्वारा की जाने वाली गैर-व्यावसायिक सेवाएं भी शामिल हैं।
    - हालांकि, ये दायित्व सदस्य देशों की गैर-सैन्य गतिविधियों पर लागू होंगे।

संधि का महत्व

- **महासागरीय शासन में महत्वपूर्ण रिक्तियों की पूर्ति**: यह समझौता पृथ्वी की लगभग आधी सतह और महासागर के 95% भाग के लिए साझा शासन का प्रावधान करता है।
    - वर्तमान में उच्च समुद्री क्षेत्रों का केवल 1% भाग ही संरक्षित है।
- **समानता और न्याय को बढ़ावा**: संधि का उद्देश्य एक अधिक न्यायपूर्ण और समतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित करना है, जो सभी देशों, विशेष रूप से विकासशील देशों, की आवश्यकताओं को ध्यान में रखती हो।
    - वानुअतु जैसे छोटे द्वीपीय देशों के लिए यह संधि निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं में समावेशिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अब तक उनकी पहुंच से बाहर था।
- **तापमान में कमी**: यह संधि जलवायु परिवर्तन और महासागरीय अम्लीकरण के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। इस संधि का उद्देश्य लचीलेपन को बढ़ाना है तथा इसमें प्रदूषक-भुगतान सिद्धांत[43] और विवाद निवारण तंत्र से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
- **पारंपरिक और स्थानीय ज्ञान**: यह समझौता आदिवासी समुदायों और स्थानीय समूहों द्वारा संजोए गए पारंपरिक ज्ञान के महत्व को स्वीकार करता है और उसे अपने मूल सिद्धांतों और परिचालन प्रक्रियाओं में सम्मिलित करता है।
- **2030 एजेंडा को साकार करने में सहायक**: यह संधि प्रत्यक्ष रूप से **सतत विकास लक्ष्य (SDG) 14** का समर्थन करती है, जिसका उद्देश्य सभी प्रकार के समुद्री प्रदूषण को रोकना और उसे महत्वपूर्ण रूप से कम करना है।
    - यह संधि **"30x30" लक्ष्य** को प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक है, जो वर्ष 2030 तक पृथ्वी की 30% भूमि और समुद्री क्षेत्र को संरक्षित करने की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है।
- **भारत के लिए महत्व**: यह संधि **"महासागरों का संविधान" कहे जाने वाले UNCLOS** के प्रति भारत के दीर्घकालिक समर्थन की पुष्टि करती है।
    - यह भारत की **ब्लू इकॉनमी नीति** और **डीप ओशन मिशन** जैसी पहलों के पूरक के रूप में कार्य करती है।

चुनौतियां

- **सार्वभौमिक अनुसमर्थन की कमी**: इस संधि की प्रभावशीलता अनिश्चित है क्योंकि अमेरिका, चीन और भारत जैसे विश्व के प्रमुख देशों ने अभी तक इसका अनुसमर्थन नहीं किया है।
- **राष्ट्रीय हितों के साथ टकराव**: संधि में समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (MPAs) की स्थापना का प्रावधान है, जो कई देशों के विवादित समुद्री क्षेत्रों (जैसे दक्षिण चीन सागर) में क्षेत्रीय दावों से टकराता है।
- **प्रवर्तन से संबंधित कठिनाइयां**: इस संधि में कोई दंडात्मक प्रवर्तन निकाय स्थापित नहीं किया गया है; यह मुख्यतः अलग-अलग देशों पर पृथक रूप से निर्भर करता है कि वे नियमों का उल्लंघन करने वाले अपने पोतों और कंपनियों को विनियमित करें।
    - इसके अलावा, संधि में जवाबदेही को लागू करने की ठोस व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यह समुद्री आनुवंशिक अनुसंधान में सक्रिय उच्च-आय वाले देशों के लिए यह बाध्य नहीं करती कि वे अपने द्वारा प्राप्त संसाधनों या अर्जित लाभों का प्रकटीकरण करें।
- **सीमित दायरा और विसंगतियां**: संधि में यह सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस तंत्र नहीं है कि विकसित देश अपनी प्रतिबद्धताओं के अनुसार प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण के संबंध में निम्न और मध्यम-आय वाले देशों की सहायता करेंगे।

[43] polluter-pays principle

आगे की राह

- **प्रमुख समुद्री शक्तियों को अनुसमर्थन के लिए प्रोत्साहित करना**: प्रमुख समुद्री शक्तियों का अनुसमर्थन प्राप्त करने के लिए **संयुक्त राष्ट्र महासभा, G20 और संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन** जैसे मंचों का उपयोग कर राजनयिक गति को बढ़ाया जाना चाहिए।
- **प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करना**: संधि के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र (UN) के अंतर्गत एक वैश्विक अनुपालन और निगरानी प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।
- **राष्ट्रीय हितों के साथ टकराव का समाधान**: समुद्री संरक्षित क्षेत्रों को राष्ट्रीय दावों के साथ सुसंगत बनाने के लिए क्षेत्रीय सहयोग ढांचे (जैसे दक्षिण चीन सागर के लिए आसियान या हिंद महासागर के लिए IORA) को बढ़ावा देना।
- **विकासशील देशों के लिए सुनिश्चित समर्थन**: वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) का महासागर कार्यक्रम और हरित जलवायु कोष के माध्यम से वित्तीय और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तंत्र स्थापित करना चाहिए।
- **पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को मजबूत करना**: अनियोजित और आकस्मिक गतिविधियों (तेल रिसाव, जहाज दुर्घटनाएं, गहरे समुद्र में खनन दुर्घटनाएं) को शामिल करने के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) का विस्तार किया जाना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय (UNCLOS)

- **UNCLOS**, जिसे प्रायः **"महासागरों का संविधान"** कहा जाता है, समुद्रों और महासागरों के उपयोग को नियंत्रित करने वाली प्राथमिक अंतर्राष्ट्रीय संधि है।
  - इसे वर्ष **1982** में अपनाया गया, और यह **1994** में लागू हुई।
- **सदस्य देश**: अब तक भारत सहित 171 सदस्य देशों ने इसका अनुसमर्थन किया है। हाल ही 20 सितंबर 2025 को किर्गिज़स्तान ने इसका अनुसमर्थन किया था।
- **समुद्री क्षेत्र**
  - **प्रादेशिक समुद्र**: **आधार रेखा से 12 समुद्री मील (nm) तक** → तटीय राज्य की पूर्ण संप्रभुता।
  - **सन्निहित क्षेत्र**: **24 समुद्री मील तक** → सीमा शुल्क, आव्रजन, स्वच्छता और सुरक्षा के लिए प्रवर्तन अधिकार।
  - **अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ)**: **200 समुद्री मील तक** → समुद्री संसाधनों के अन्वेषण और उपयोग के लिए संप्रभु अधिकार।
  - **उच्च समुद्र**: राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे का क्षेत्र → नौवहन, उड़ान, मत्स्यन, अनुसंधान की स्वतंत्रता।
- **गहरे समुद्र तल पर खनन**[44]: राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे समुद्री तल को **"मानव जाति की साझा विरासत"** माना गया है, जिसका प्रबंधन **अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण**[45] द्वारा किया जाता है।
- **विवाद निवारण**: संधि के अंतर्गत **अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण (ITLOS)** जैसे तंत्रों की स्थापना की गई है, जो समुद्री विवादों के समाधान के लिए कार्य करते हैं।

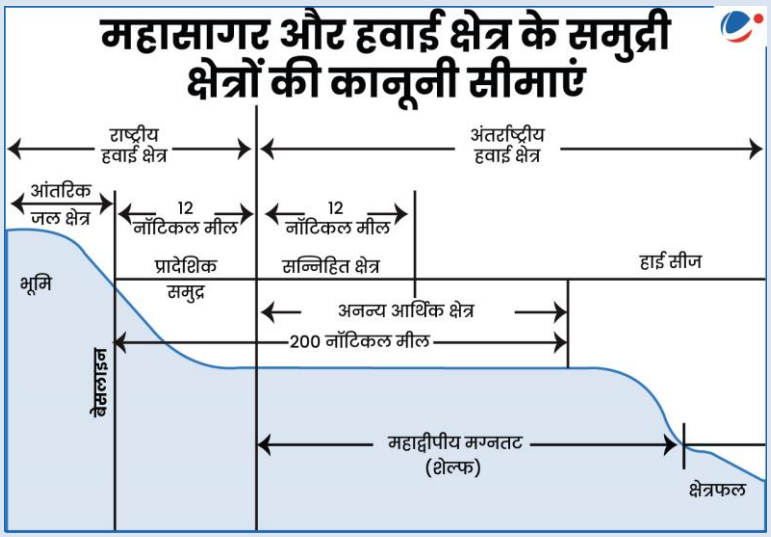

5.2. संधारणीय विकास: लोगों की आवश्यकताओं के साथ विकास का संतुलन (Sustainable Development: Harmonizing Growth with People's Needs)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने **भागीरथी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में नेताला बाइपास** के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इससे पूर्व उच्चतम न्यायालय की उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताओं के कारण इस परियोजना को अस्वीकार कर दिया था।

[44] Deep Seabed Mining

[45] International Seabed Authority

अन्य संबंधित तथ्य:

- यद्यपि रक्षा मंत्रालय ने इस परियोजना को **रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घोषित किया है, तथापि इसके पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।**
- हाल ही में आई **धराली आकस्मिक बाढ़ और विशेषज्ञों के विश्लेषण** से यह संकेत मिलता है कि प्रस्तावित बाइपास मार्ग भूस्खलन और धँसाव की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है।
- यह निर्णय **राष्ट्रीय सुरक्षा/रणनीतिक परियोजनाओं, संधारणीय विकास और स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं** के बीच संभावित टकराव को उजागर करता है।

पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) के बारे में

- ये संरक्षित क्षेत्रों के आसपास के **पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्र** होते हैं।
- इन्हें **केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986** के तहत अधिसूचित किया जाता है।
- **ESZ दिशानिर्देशों के अनुसार गतिविधियों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:**
  - **प्रतिबंधित:** वाणिज्यिक खनन, प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना आदि।
  - **विनियमित:** वृक्षों की कटाई, होटलों और रिसॉर्ट की स्थापना आदि।
  - **अनुमत:** स्थानीय समुदायों द्वारा की जाने वाली कृषि और बागवानी गतिविधियां, दुग्ध उत्पादन आदि।

संधारणीय विकास और लोगों की आवश्यकताओं के बीच टकराव क्यों होता है?

- **लोगों की प्राकृतिक संसाधनों पर आर्थिक निर्भरता:**
  - **आजीविका की निर्भरता:** आदिवासी, पशुचारक, छोटे किसान वनों, नदियों और चारागाहों पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण: राष्ट्रीय उद्यान चारण जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाते हैं।
  - **लघु उद्योग:** ईंट भट्टों जैसी प्रदूषणकारी इकाइयों को बंद करने या वस्त्र उद्योग जैसे क्षेत्रों में कड़े पर्यावरणीय नियम लागू करने से दिहाड़ी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं।
- **विकास और विस्थापन: विकासात्मक परियोजनाओं जैसे कि बड़े बांध, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं आदि** के कारण 40% से अधिक आदिवासी जनसंख्या विस्थापन की समस्या का सामना कर रही है।
- **राष्ट्रीय हितों की रक्षा:** उदाहरण के लिए, पर्यावरण मंत्रालय ने 2006 की पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना के तहत महत्वपूर्ण और परमाणु खनिजों की खनन गतिविधियों को सार्वजनिक परामर्श से रियायत दे दी है।
  - साथ ही, **वन (संरक्षण एवं संवर्धन) संशोधन नियम, 2025** में प्रतिपूरक वनीकरण के लिए महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र को भी विशेष रियायतें दी गई हैं।
- **नीति और शासन में विद्यमान कमियां:**
  - **टॉप-डाउन निर्णय-निर्माण प्रक्रिया:** पर्यावरणीय नियम अक्सर स्थानीय भागीदारी के बिना बनाए जाते हैं, जिससे गरीब और स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं की अनदेखी होती है।
  - **कमजोर सामाजिक सुरक्षा तंत्र:** "संक्रमण काल" के दौरान (जैसे मौसमी आधार पर मत्स्यन गतिविधियों पर प्रतिबंध, खनन बंदी) अन्य कोई प्रत्यक्ष सहायता नहीं मिलती।
- **पर्यावरणीय समाधान महंगे होते हैं:**
  - **स्वच्छ तकनीक तक सीमित पहुंच:** सौर पंप और इलेक्ट्रिक वाहन जैसी तकनीकों के लिए प्रारंभिक पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसे गरीब परिवार वहन नहीं कर सकते।
  - **ऋण बाधाएं:** हरित आजीविका की ओर रूपांतरण के लिए सस्ता ऋण या सूक्ष्म वित्त सेवाएँ उपलब्ध नहीं होतीं। उदाहरण: प्लास्टिक प्रतिबंध के बाद सस्ते प्लास्टिक पैकेजिंग को त्यागकर अन्य विकल्पों को अपनाने में छोटे व्यवसायों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।

टकराव को कम करने के लिए सरकारी पहलें:

- **भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम (RFCTLARR), 2013:** यह भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को विनियमित करता है और मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए प्रक्रिया और नियम निर्धारित करता है।
  - इस अधिनियम के तहत **सामाजिक प्रभाव आकलन** अनिवार्य है।
- **पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA):** यह पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अनिवार्य किया गया है।

- **अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006:** यह अधिनियम वन-निवासी समुदायों के ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने और उनके अधिकारों की रक्षा हेतु लागू किया गया।
- **प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, 2016:** इस अधिनियम के तहत प्राप्त कोष का कुछ हिस्सा सामुदायिक विकास के लिए उपयोग करना अनिवार्य है।
- **जिला खनिज प्रतिष्ठान (DMF), 2015:** यह खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, ताकि खनन से प्राप्त राजस्व को स्थानीय समुदायों के स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास के लिए उपयोग किया जा सके।

आगे की राह

- **क्षेत्रीय और जलवायु-विशेष योजना:** हिमालयी क्षेत्र (भूस्खलन-संवेदनशील अवसंरचना), तटीय क्षेत्र (मैंग्रोव बफ़र, चक्रवात आश्रय स्थल), शुष्क क्षेत्र (माइक्रो-सिंचाई, सूखा-प्रतिरोधी फसलें) के लिए विशिष्ट योजनाएं तैयार करना।
- **पर्यावरणीय न्याय प्रणाली को सशक्त बनाना:** NGT (राष्ट्रीय हरित अधिकरण) की प्रक्रिया को तेज करना, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की क्षमता बढ़ाना और पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) को अधिक पारदर्शी बनाना।
- **सहभागी निर्णय-निर्माण:** स्थानीय समुदायों को परियोजना नियोजन में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि आवश्यकताओं और संधारणीयता के बीच संतुलन बना रहे।
- **हरित आजीविका कार्यक्रम:** ईको-पर्यटन, बांस आधारित आजीविका, मैंग्रोव पुनर्स्थापन और वनोपज का मूल्य संवर्धन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देना।
- **न्यायसंगत संक्रमण कोष:** खदान बंदी, हरित ऊर्जा की ओर रूपांतरण या मौसमी प्रतिबंध (विशेषकर मत्स्य पालन) से प्रभावित श्रमिकों को सहायता प्रदान करने हेतु एक राष्ट्रीय कोष की स्थापना की जा सकती है।

5.3. सार्वजनिक परामर्श और पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) {Public Consultation and Environment Impact Assessment (EIA)}

सुर्खियों में क्यों?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA), 2006 के तहत **परमाणु, महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों से संबंधित खनन परियोजनाओं को सार्वजनिक परामर्श** से रियायत प्रदान की है।

अन्य संबंधित तथ्य:

- यह रियायत उन सभी खनन परियोजनाओं पर लागू होती है जो **परमाणु खनिजों** (जैसे यूरेनियम) और **महत्वपूर्ण तथा रणनीतिक खनिजों** (जैसे लिथियम) से संबंधित हैं, जो **खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023** की प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध हैं।
  - यद्यपि इन परियोजनाओं को **सार्वजनिक परामर्श से रियायत** दी गई है, किंतु अभी भी ये केंद्रीय स्तर पर मूल्यांकन के अधीन होंगी।

इन परियोजनाओं को सार्वजनिक परामर्श से रियायत क्यों दी गई है?

- **ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना:** इस रियायत से नए खनिज भंडारों का क्रियान्वयन संभव होगा, जिससे **यूरेनियम और थोरियम** जैसे खनिजों का उत्पादन बढ़ेगा।
  - **यूरेनियम** का उपयोग **भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम** के **प्रथम चरण में** किया जाता है। वहीं **थोरियम**, जो **मोनाजाइट** (समुद्र तटीय बालू खनिज) से निकाला जाता है, का उपयोग **तृतीय चरण में किया जाएगा।**
- **रणनीतिक उपयोग:** उदाहरण के लिए, रक्षा क्षेत्रक में, **दुर्लभ पृथ्वी तत्वों (REEs)** का उपयोग निगरानी और नौवहन सहायता (जैसे रडार और सोनार), संचार और प्रदर्शन उपकरणों (जैसे लेज़र) आदि के निर्माण में किया जाता है।
- **आयात पर निर्भरता और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान की सुभेद्यता को कम करना:** दुर्लभ पृथ्वी तत्व (REEs) भारत में दुर्लभ हैं और इनका उत्पादन व आपूर्ति विश्व के कुछ **सीमित क्षेत्रों** में संकेंद्रित है। ऐसे में भारत की निर्भरता को कम करने के लिए स्वदेशी उत्पादन को तीव्र करना आवश्यक है।
- **अन्य कारण:** यह निर्णय निवेश को आकर्षित करने, परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन, अनुमोदन प्रक्रिया में तीव्रता और आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में सहायक होगा।

EIA में सार्वजनिक परामर्श क्या है?

- **परिभाषा:** यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से परियोजना अथवा गतिविधि के **संभावित पर्यावरणीय प्रभावों से प्रभावित स्थानीय लोगों** तथा **अन्य हितधारकों** की चिंताओं को समझा और दर्ज किया जाता है।
- **परियोजनाओं की श्रेणी** यह सामान्यतः सभी श्रेणी-A और श्रेणी-B1 परियोजनाओं के लिए अनिवार्य होता है।
- **सार्वजनिक परामर्श के दो घटक:**
  - परियोजना स्थल या उसके निकटवर्ती क्षेत्र में **सार्वजनिक सुनवाई** आयोजित करना।
  - संबंधित हितधारकों से **लिखित प्रतिक्रियाएं प्राप्त करना**।
- **संचालन एजेंसी:** यह प्रक्रिया **राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB)** या **संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति (UTPCC)** द्वारा संचालित की जाती है।
  - आवेदक का अनुरोध प्राप्त होने के **45 दिनों** के भीतर सुनवाई की कार्यवाही **संबंधित नियामक प्राधिकरण** को प्रेषित करना अनिवार्य है।

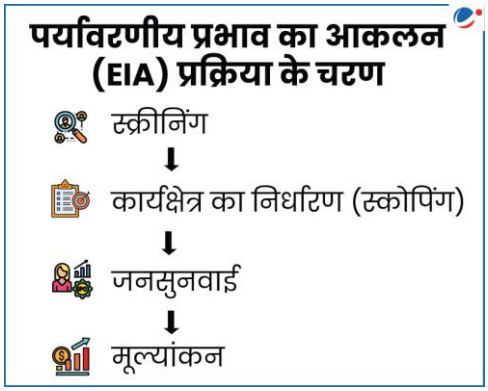

सार्वजनिक परामर्श में रियायत से संबंधित चिंताएं:

- **पर्यावरणीय शासन का कमजोर होना:** यह EIA 2006 के तहत निर्धारित कानूनी दायित्व को कमजोर करता है और EIA मानकों के और अधिक शिथिलीकरण का उदाहरण बन सकता है।
  - यह रियायत पर्यावरणीय लोकतंत्र को कमजोर करती है, जो **अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार) और अनुच्छेद 48A (पर्यावरण संरक्षण) की भावना के विरुद्ध है।**
- **परियोजना मूल्यांकन की गुणवत्ता में गिरावट:** स्थानीय लोग अपनी भौगोलिक अवस्थिति के बारे में अधिक जागरूक होते हैं, इसलिए वे **स्थान-विशिष्ट चिंताएं** प्रस्तुत करते हैं।
  - उदाहरण के लिए, उत्तराखंड की चार धाम परियोजना के तहत 2023 में ध्वस्त हुई सिलक्यारा सुरंग को EIA से रियायत दी गई थी।
- **रियायतें टकराव को उत्पन्न करती है:** प्रारंभिक संवाद की कमी के कारण विरोध प्रदर्शन, मुकदमेबाजी या सामाजिक अशांति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उदाहरण: तमिलनाडु में हिंसात्मक विरोध के बाद स्टर्लाइट ताम्र संयंत्र को बंद करना पड़ा था।
- **सहभागी शासन का ह्रास:** यह नागरिकों के उस अधिकार को कमजोर करता है जिसके अंतर्गत वे उन **नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन पर अपनी राय रख सकते हैं** जो प्रत्यक्ष रूप से उनके जीवन को प्रभावित करती हैं।
  - इससे **पारदर्शिता और जवाबदेही कमजोर होती है,** जिससे समुदाय परियोजनाओं की जानकारी से वंचित रह जाते हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का संभावित उल्लंघन:** रियायत का यह निर्णय रियो घोषणा (1992) और आरहूस कन्वेंशन[46] (1998) के सिद्धांतों की भावना के विपरीत है।
  - **1998 का आरहूस कन्वेंशन** पर्यावरण से जुड़ी जानकारी तक पहुंच, निर्णय-निर्माण में सार्वजनिक भागीदारी और पर्यावरणीय मामलों में न्याय तक पहुंच से संबंधित है।

पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA)

- **उत्पत्ति:** भारत में इसकी शुरुआत 1970 के दशक के अंत में नदी घाटी परियोजनाओं के प्रभाव आकलन से हुई थी।
  - 1994 में, **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986** के तहत प्रथम EIA अधिसूचना जारी की गई थी।
  - बाद में इसे **2006 की EIA अधिसूचना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।**
- **उद्देश्य:** यह किसी **प्रस्तावित परियोजना या विकास गतिविधि के पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन** करता है, जिसमें परस्पर जुड़े सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और मानव स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों (लाभकारी तथा हानिकारक दोनों) को ध्यान में रखा जाता है।
- **परियोजनाओं का वर्गीकरण:**
  - **श्रेणी A:** केंद्र सरकार से **पूर्व पर्यावरण मंजूरी** आवश्यक होती है।
  - **श्रेणी B:** राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिकरण (SEIAA) से पूर्व पर्यावरण मंजूरी आवश्यक होती है।
    - इसे दो उपश्रेणियों में विभाजित किया गया है: **B1** (EIA आवश्यक), **B2** (EIA से रियायत)

[46] Aarhus Convention

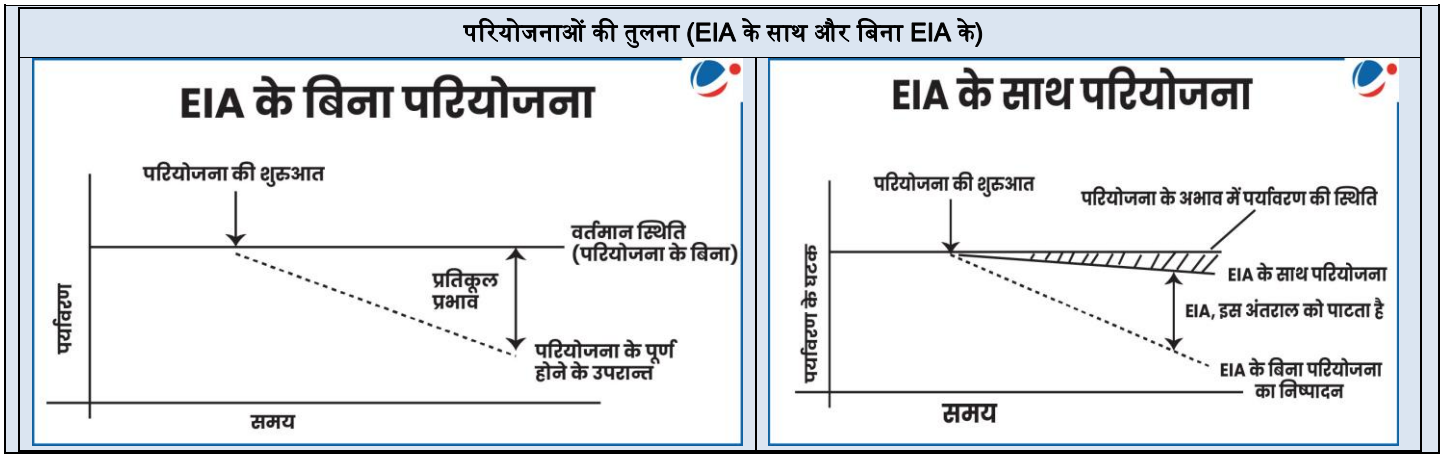

निष्कर्ष

सार्वजनिक परामर्श से रियायत देने से पर्यावरणीय शासन कमजोर होने, सहभागी लोकतंत्र को हानि पहुंचने जैसी गंभीर चिंताएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए एक संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है, जिसमें तीव्र अनुमोदन सुनिश्चित किया जाए, किंतु पारदर्शिता, जवाबदेही और संधारणीयता से कोई समझौता न किया जाए।

5.4. पर्यावरण लेखा परीक्षा नियम, 2025 (Environment Audit Rules, 2025)

सुर्खियों में क्यों?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने **पर्यावरण लेखा परीक्षा नियम, 2025** को अधिसूचित किया है।

पर्यावरण लेखा परीक्षा क्या है?

- यह किसी भी परियोजना, गतिविधि या प्रक्रिया का एक पद्धतिगत लेखा **परीक्षण, सत्यापन, निरीक्षण** या **विश्लेषण** है, जिसका पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है।
  - EA प्रक्रिया परियोजना के संचालन के दौरान या बाद में संचालित की जाती है, जबकि EIA परियोजना की स्थापना से पूर्व किया जाता है।
  - इसका उद्देश्य यह निर्धारित करना होता है कि परियोजनाएं और कार्यक्रम **अनुमोदित पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) के अनुरूप हैं या नहीं।**
- भारत में, पर्यावरण लेखा परीक्षा की अवधारणा 1992 में **पर्यावरण (संरक्षण) नियम,1986 के नियम 14** के माध्यम से लागू की गई थी।
  - यह नियम उन इकाइयों पर लागू होता है जो ऐसे उद्योगों, संचालन या प्रक्रियाओं में संलग्न हैं जिन्हें **जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981** के तहत सहमति या **खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं प्रहस्तन) नियमावली,1989** के तहत अनुज्ञा की आवश्यकता होती है।
    - इन इकाइयों को **प्रत्येक वर्ष राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB)** को वार्षिक पर्यावरण विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

पर्यावरण लेखा परीक्षा नियम, 2025 के बारे में:

- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य देश भर में **पर्यावरण लेखा परीक्षा के लिए एक औपचारिक ढांचा तैयार करना है**, ताकि पर्यावरणीय अनुपालन निगरानी को सुदृढ़ किया जा सके और व्यावसायिक सुगमता सुनिश्चित की जा सके।
- **महत्व:** ये नियम तृतीय-पक्ष लेखा परीक्षा के माध्यम से अनुपालन को सुदृढ़ करते हैं, वैश्विक ढांचों (जैसे इको-मार्क, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR), पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG), ग्रीन बॉन्ड) के अनुरूप हैं, विश्वसनीय पर्यावरणीय डेटा उत्पन्न करते हैं और समय रहते जोखिमों की पहचान व सुधारात्मक कार्रवाई को सक्षम बनाते हैं।
- ये नियम **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986)** के तहत विकसित किए गए हैं।
  - ये विभिन्न कानूनी प्रावधानों के तहत कानूनी सुरक्षा उपायों का पालन करते हैं, जिनमें **वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972** आदि शामिल हैं।

- **प्रमाणीकरण और पंजीकरण:** पर्यावरण लेखा परीक्षकों (EAs) का **प्रमाणन और पंजीकरण, पर्यावरण लेखा परीक्षा नामित एजेंसी (EADA) द्वारा किया जाएगा। EADA को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)** द्वारा अधिसूचित किया गया है।
  - **EADA** लेखा परीक्षकों के प्रदर्शन की निगरानी, अनुशासनात्मक कार्रवाई, क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने और एक ऑनलाइन रजिस्टर का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी निभाएगी।
  - **प्रमाणीकरण के तरीके:**
    - **पूर्व शिक्षण की मान्यता (RPL)** या राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा (NCE)।
  - **जिम्मेदारियां:**
    - **अनुपालन मूल्यांकन** और **उससे संबंधित गतिविधियां, जैसे सैंपलिंग, विश्लेषण, मुआवजा गणना, हरित ऋण (क्रेडिट) नियमों** के तहत सत्यापन, तथा अन्य पर्यावरण और वन संबंधित कानूनों के अंतर्गत कार्य करना।
    - पंजीकृत पर्यावरण लेखा परीक्षक[47] परियोजना प्रस्तावकों [48] द्वारा दिए गए ऑडिट कार्यों को भी कर सकते हैं, जिसमें **स्व-अनुपालन रिपोर्ट का सत्यापन शामिल है।**
    - पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA), 2006, तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ), 2011 आदि के अंतर्गत पर्यावरण लेखा परीक्षा करना।

निष्कर्ष

पर्यावरण लेखा परीक्षा के परिणाम प्रभावी संरक्षण और पुनर्जीवन प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करेंगे। साथ ही, "पर्यावरण के लिए जीवनशैली (LiFE)" सिद्धांतों को अपनाकर भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को भी समर्थन देंगे।

5.5. वन (संरक्षण एवं संवर्धन) संशोधन नियम, 2025 {Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Amendment Rules, 2025}

सुर्खियों में क्यों?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने **वन (संरक्षण एवं संवर्धन) संशोधन नियम, 2025** को अधिसूचित किया है, जो **वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023** में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को सूचित करते हैं।

अन्य संबंधित तथ्य:

- ये नियम केंद्र सरकार द्वारा **वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980** की धारा 4 के तहत बनाए गए हैं।

वन (संरक्षण एवं संवर्धन) संशोधन नियम, 2025 की मुख्य विशेषताएं

- **प्रतिपूरक वनीकरण:** नए नियमों के तहत **संरक्षित वन क्षेत्र की अधिसूचना वैकल्पिक हो गई है**, जिससे प्रतिपूरक वनीकरण के लिए भूमि या तो वन विभाग को हस्तांतरित की जा सकेगी या इसे भारतीय वन अधिनियम, 1927 या अन्य कानूनों के तहत संरक्षित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जा सकेगा।
  - **प्रतिपूरक वनीकरण का अर्थ है:** वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत **वन भूमि के** गैर-वन उपयोग के लिए **आवंटित भूमि के बदले किया गया वनीकरण।**
- **महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के लिए प्रावधान:** महत्वपूर्ण/रणनीतिक खनिजों (MMDR अधिनियम, 1957 के तहत) की खनन परियोजनाओं को **क्षतिग्रस्त वन भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण** करना अनिवार्य है, जिसकी मात्रा कम से कम वन भूमि के **दुगुने क्षेत्रफल के बराबर होनी चाहिए।**
- **कार्य अनुमति:** नियमों के अनुसार, राज्य सरकारों को कुछ **रैखिक परियोजनाओं** के लिए **प्रारंभिक 'कार्य अनुमति'**, जैसे सड़क निर्माण कार्य (ब्लैकटॉपिंग और कंक्रीटीकरण के अलावा), रेलवे ट्रैक बिछाना और ट्रांसमिशन लाइनें स्थापित करना, **प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है।**
  - इससे पहले, राज्य सरकारें परियोजना के लिए सैद्धांतिक **अनुमोदन या चरण-I अनुमोदन प्राप्त होने** के बाद ही संसाधन जुटा सकती थीं।

[47] Registered Environment Auditor

[48] Project Proponents

भारत में वन संरक्षण अधिनियम का विकास

- **भारतीय वन अधिनियम, 1865:** इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य **राज्य के वन क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित करना था**, बशर्ते कि पूर्व में स्थापित किसी भी अधिकार को कम नहीं किया जाए।
- **भारतीय वन अधिनियम 1878:** इस अधिनियम के तहत वनों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था – **आरक्षित वन, संरक्षित वन और ग्राम वन**।
  - इस नीति के तहत वन निवासियों द्वारा वनों से उत्पादों के संग्रह को विनियमित करने का प्रयास किया गया था और कुछ गतिविधियों को अपराध घोषित किया गया था। इस नीति के तहत राज्य का वन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया था।
- **भारतीय वन अधिनियम, 1927:** यह **पूर्ववर्ती वन कानूनों का संहिताकरण** था, जिसका उद्देश्य **वनों पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करना** और वनोपज की आवाजाही एवं उस पर लगने वाले शुल्क को विनियमित करना था।
- **1980 से पूर्व का दौर:** 42वें संविधान संशोधन (1976) से पहले, वन राज्य सूची का विषय था। किंतु इस संशोधन के बाद इसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया।
- **वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980:** इस अधिनियम के माध्यम से **वन भूमि को अन्य उपयोग हेतु परिवर्तित करने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करके वनोन्मूलन** को रोकने का प्रयास किया गया था।
  - **मुख्य प्रतिबंध: कोई भी राज्य सरकार या प्राधिकरण,** केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना:
    - किसी आरक्षित वन को **अनारक्षित** घोषित नहीं कर सकता।
    - किसी वन भूमि का उपयोग **गैर-वन उद्देश्य** के लिए नहीं कर सकता।
- **वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 1988:** इस संशोधन में **वन भूमि को निजी संस्थाओं को पट्टे पर देने पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही, "गैर-वन उद्देश्य"** की परिभाषा को भी विस्तारित किया गया।
- **वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023:**
  - **वन की परिभाषा:**
    - ऐसी भूमि जिसे किसी भी कानून (जैसे भारतीय वन अधिनियम, 1927) के तहत **वन घोषित या अधिसूचित किया गया हो**।
    - ऐसी भूमि जो 25 अक्टूबर 1980 या उसके बाद **सरकारी अभिलेखों (राजस्व या वन विभाग)** में वन के रूप में दर्ज की गई हो।
      - इसमें वह भूमि शामिल नहीं होगी **जिसका उपयोग 1996 से पहले ही** आधिकारिक रूप से **गैर-वन उद्देश्य के लिए** परिवर्तित कर दिया गया हो।
    - हालांकि उच्चतम न्यायालय ने 2024 के एक आदेश में सरकार को निर्देश दिया था कि वह **"वन" की उस परिभाषा** का पालन करे जो 1996 के **गोदावर्मन थिरुमलपाद बनाम भारत संघ के निर्णय में दी गई थी।**
  - **अधिनियम के प्रावधानों से रियायत प्राप्त भूमि की श्रेणियां:** भारत की सीमा से 100 किलोमीटर के भीतर स्थित भूमि, यदि उसका उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा, जनसुविधा हेतु सड़क निर्माण या ग्रामों से जुड़ने वाले मार्गों के लिए हो, तो उसे इस अधिनियम के प्रावधानों से रियायत प्राप्त होगी।

टी. एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ मामला (1996)

- यह 1995 का उच्चतम न्यायालय का एक महत्वपूर्ण निर्णय है जिसने **"वन" की व्यापक और समग्र परिभाषा** स्थापित की।
- **"वन" की परिभाषा का विस्तार करते हुए इसमें निम्नलिखित को भी शामिल किया गया है:**
  - सभी ऐसे क्षेत्र जो किसी भी **सरकारी (केंद्र और राज्य) अभिलेख में "वन"** के रूप में दर्ज हों, चाहे उनका स्वामित्व, मान्यता या वर्गीकरण कुछ भी हो।
  - सभी ऐसे क्षेत्र जो **"वन" के शब्दकोशीय अर्थ** के अनुरूप हों।
  - **वे क्षेत्र** जिन्हें 1996 के आदेश के बाद राज्य सरकारों द्वारा गठित विशेषज्ञ समितियों ने **"वन" के रूप में चिन्हित किया हो।**

निष्कर्ष

वन (संरक्षण एवं संवर्धन) संशोधन नियम, 2025 वन शासन को आधुनिक बनाते हैं, अनुमोदनों को स्पष्ट करते हैं, वनीकरण को बढ़ावा देते हैं, रणनीतिक परियोजनाओं का समर्थन करते हैं और इस अधिनियम को राष्ट्रीय जलवायु, जैव विविधता और कार्बन सिंक लक्ष्यों के अनुरूप बनाते हैं।

5.6. हरित ऋण (क्रेडिट) कार्यक्रम (Green Credit Program)

सुर्खियों में क्यों?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने हरित ऋण (ग्रीन क्रेडिट) नियम, 2023 के अंतर्गत वृक्षारोपण के लिए **ग्रीन क्रेडिट की गणना की नई कार्यप्रणाली** जारी की है।

इससे जुड़ी अधिक जानकारी:

- **ग्रीन क्रेडिट नियम, 2023 को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986** के तहत अधिनियमित किया गया है।
- यह सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के **वन विभागों के लिए** अपने नियंत्रणाधीन क्षतिग्रस्त भूमि क्षेत्रों की पहचान करने और उन पर हरित आवरण बढ़ाने का **प्रावधान करता है**।

वृक्षारोपण से संबंधित संशोधित ग्रीन क्रेडिट गणना कार्यप्रणाली:

- **ग्रीन क्रेडिट का दावा**: क्षतिग्रस्त वन भूमि पर 5 वर्षों तक पुनर्स्थापन करने के बाद और न्यूनतम 40% वृक्षावरण घनत्व प्राप्त होने पर किया जा सकता है।
- **1 ग्रीन क्रेडिट** = 1 नया वृक्ष (जो 5 वर्ष से अधिक पुराना हो)।
- **क्रेडिट अंतरण:** क्रेडिट **गैर-व्यापारिक और** गैर-अंतरणीय होते हैं और इनका **एक बार के लिए विनिमय किया जा सकता है, किंतु इनका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता।**

ग्रीन क्रेडिट के बारे में:

- ग्रीन क्रेडिट का अर्थ है — **किसी विशिष्ट गतिविधि के लिए प्रदान की गई प्रोत्साहन की एकल इकाई** और जिसका पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
  - इन ऋणों (क्रेडिट) का **व्यापार एक समर्पित एक्सचेंज पर** किया जा सकता है, ठीक उसी तरह जैसे कार्बन क्रेडिट का व्यापार किया जाता है।

ग्रीन क्रेडिट	कार्बन क्रेडिट
ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम (GCP), पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत संचालित होता है।	**कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना**, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत संचालित होती है।
यह कार्यक्रम **व्यक्तियों और समुदायों** को लाभ प्रदान करता है।	यह योजना मुख्य रूप से **उद्योगों और निगमों** को लाभ पहुंचाती है।
ग्रीन क्रेडिट गतिविधियां **कार्बन क्रेडिट के लिए** पात्र हो सकती हैं, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कटौती जैसे जलवायु सह-लाभ मिल सकते हैं, **किंतु इसका विपरीत संभव नहीं है।**	

हरित ऋण (क्रेडिट) कार्यक्रम के बारे में:

- यह देश भर में वनीकरण और जल संरक्षण के लिए स्वैच्छिक वृक्षारोपण गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु एक नवोन्मेषी, **बाजार-आधारित तंत्र** है।
- यह **"पर्यावरण के लिए जीवनशैली" या LiFE आंदोलन के अंतर्गत एक पहल** है।
  - **मिशन LiFE (2021)** भारत के नेतृत्व में वैश्विक जन आंदोलन है, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण हेतु प्रेरित करना है।
- **स्थापना:** पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत स्थापित है, जिसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) नोडल एजेंसी है।
- **उद्देश्य:**
  - **भूमि बैंक निर्माण:** वन विभागों द्वारा क्षतिग्रस्त वन भूमि के पंजीकरण के माध्यम से।
  - **भागीदारी को बढ़ावा देना:** सरकारी संस्थाएं, निजी कंपनियां, गैर-सरकारी संगठन (NGO), व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह (जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं) इसमें भाग ले सकते हैं।

- **शासन संरचना:**
  - ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम (GCP) की शासन व्यवस्था एक **अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति** द्वारा समर्थित है।
  - **भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (ICFRE)** इस कार्यक्रम की प्रशासक है, जो कार्यक्रम के क्रियान्वयन, प्रबंधन, निगरानी और संचालन के लिए जिम्मेदार है।
  - GCP ने एक उपयोगकर्ता-मित्र डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया है, जिससे **परियोजनाओं का पंजीकरण, सत्यापन और ग्रीन क्रेडिट जारी करने की प्रक्रिया** को सरल बनाया गया है।

वनीकरण के लिए अन्य पहलें:

- **तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल (MISHTI-2023):** तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वनों को पुनर्स्थापित करने और उन्हें एक अनूठे, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए यह पहल शुरू की गई है।
- **प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, 2016:** वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अनुसार, वन भूमि के परिवर्तन से होने वाले वन और पारिस्थितिक तंत्र के नुकसान की भरपाई हेतु यह अधिनियम कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
- **राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (2014):** इस योजना का उद्देश्य लोगों की भागीदारी के साथ क्षतिग्रस्त वन क्षेत्रों में वनीकरण गतिविधियां संचालित करना है।
- **राष्ट्रीय बांस मिशन (2006):** यह योजना बांस क्षेत्रक के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट रणनीतियों के माध्यम से बांस की खेती और विपणन को प्रोत्साहित करती है।

5.7. राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति (National Policy On Geothermal Energy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)) ने **राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति (2025)** अधिसूचित की है। यह स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के प्रयासों को बढ़ावा देने वाली भारत की पहली ऐसी नीति है।

भू-तापीय ऊर्जा के बारे में

- इस ऊर्जा का स्रोत भूपर्पटी (क्रस्ट) में संग्रहित ऊष्मा है।

- **प्रमुख स्रोत और उपयोग –**
  - **हाई-एन्थैल्पी (लगभग 200°C) संसाधन:** ज्वालामुखीय क्षेत्र, गीजर और हॉट स्प्रिंग्स। ये बिजली उत्पादन के लिए उपयुक्त हैं।
  - **निम्न से सामान्य एन्थैल्पी (100–180°C) संसाधन:** गर्म चट्टानें और उथली भूमिगत परतें। ये हीटिंग और कूलिंग, कृषि-खाद्य, जलीय कृषि तथा भू-तापीय हीट पंप जैसे प्रत्यक्ष उपयोगों के लिए उपयुक्त हैं।
- **भारत में अनुमानित क्षमता:** 10,600 मेगावाट (जियोथर्मल एटलस ऑफ इंडिया, 2022)
  - GSI ने 381 हॉट स्प्रिंग्स और **10 भू-तापीय प्रॉविन्सेस** की पहचान की है (इन्फोग्राफिक देखिए)।

भारत में भू-तापीय ऊर्जा के विकास से संबंधित चुनौतियां

- **शुरुआत में अधिक लागत: भू-तापीय ऊर्जा स्रोत की खोज** और ड्रिलिंग में बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है।
- **निवेश डूबने का खतरा**: व्यावसायिक रूप से लाभकारी भू-तापीय-जलाशयों को लेकर अनिश्चितता के कारण निजी क्षेत्र की भागीदारी सीमित रहती है।
- **भू-तापीय ऊर्जा स्रोत की खोज एवं इससे जुड़े उपयोगी डेटा की कमी**: डीप ड्रिलिंग आकलन और आंकड़ों की सीमित उपलब्धता, साथ ही भूवैज्ञानिक जटिलता (जैसे हिमालय और ज्वालामुखीय क्षेत्र) भू-तापीय संसाधन के आकलन को कठिन बनाती है।
- **व्यावसायिक परियोजनाओं की कमी:** 20 किलोवाट की केवल एक **पायलट परियोजना (तेलंगाना के मणुगुरु में) चालू** है, जबकि अभी तक कोई बड़ी यूटिलिटी परियोजना स्थापित नहीं हुई है।
- **प्रौद्योगिकी और कौशल की कमी**: भारत में स्वदेशी ड्रिलिंग और भू-तापीय जलाशय प्रबंधन से संबंधित तकनीक तथा विशेषज्ञता का अभाव है।
- **पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताएँ:** यदि पुनः-इंजेक्शन को सही ढंग से प्रबंधित न किया जाए तो भू-धंसाव, भूकंपीय गतिविधियां और जल प्रदूषण जैसे खतरे उत्पन्न हो सकते हैं।

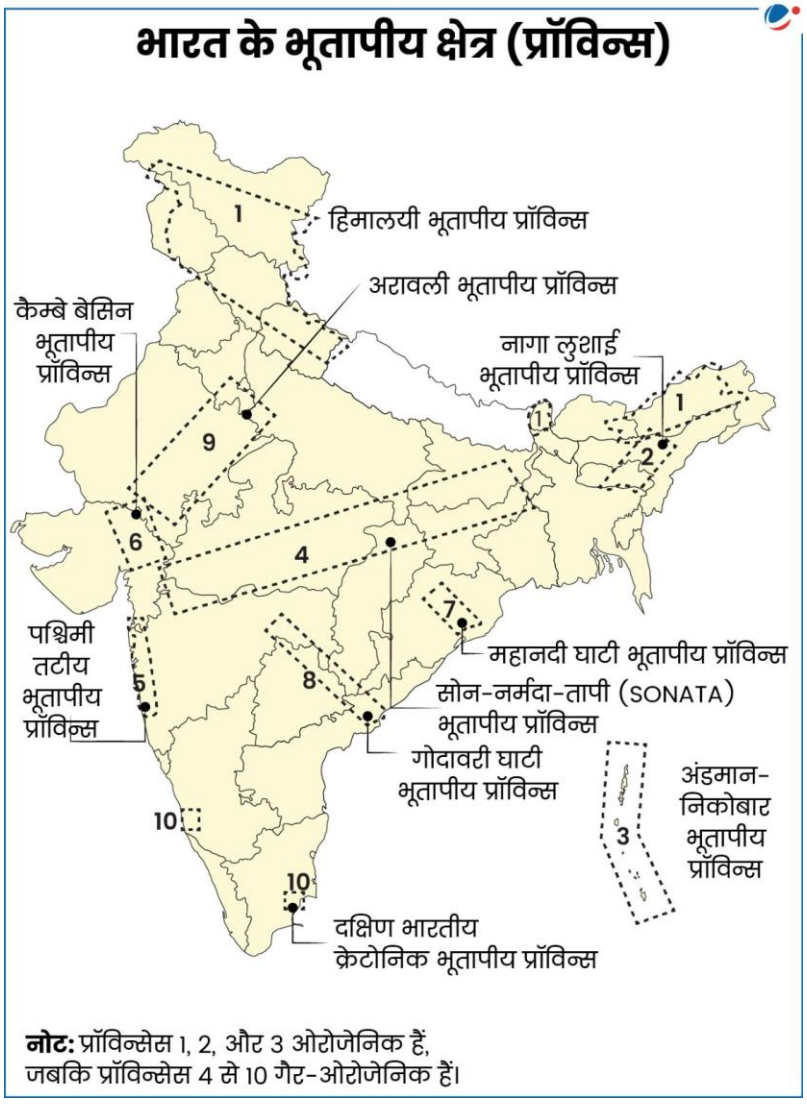

राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति (NPGE) 2025 के बारे में

- **विज़न:** भूतापीय ऊर्जा को भारत के **नवीकरणीय ऊर्जा मिश्रण (स्रोत) के अहम् हिस्सा के रूप में स्थापित करना** और **2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन** के लक्ष्य को प्राप्त करना।
- **भूतापीय ऊर्जा आधारित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय:** MNRE
- **NPGE 2025 के लक्ष्य**
  - भूतापीय ऊर्जा विकास और **उपयोग, अत्याधुनिक अन्वेषण व ड्रिलिंग तकनीक, जलाशय प्रबंधन और किफायती विद्युत उत्पादन पर अनुसंधान** में सुधार करना;
  - भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व की **सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाने** के लिए मंत्रालयों, अंतर्राष्ट्रीय भूतापीय विकास संस्थाओं और राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग करना;
  - भवनों, कृषि, उद्योगों आदि को कार्बन मुक्त बनाने के लिए भूतापीय हीटिंग और कूलिंग तकनीकों, और इसके अन्य प्रत्यक्ष-उपयोग से जुड़े **समाधानों को लागू करना।**
  - **सार्वजनिक-निजी भागीदारी**, क्षमता निर्माण और इससे जुड़े ज्ञान को साझा करने हेतु अनुकूल परिस्थितियां बनाना।

नीति की मुख्य विशेषताएँ

- **नीति का दायरा:**
  - भू-तापीय संसाधन का आकलन, बिजली उत्पादन प्रणालियाँ, प्रत्यक्ष उपयोग, ग्राउंड (भू-तापीय) सोर्स हीटिंग पंप (GSHP), आदि।
  - **उभरती हुई नवीन प्रौद्योगिकियाँ** जैसे अत्याधुनिक भू-तापीय प्रणालियां (EGS), अत्याधुनिक भू-तापीय प्रणालियाँ (AGS), भू-तापीय ऊर्जा भंडारण, अपतटीय भू-तापीय कूप आदि।
  - **परित्यक्त तेल और गैस कूपों से भू-तापीय ऊर्जा की प्राप्ति।**
  - **सिलिका, बोरेक्स, सीज़ियम, लिथियम जैसे खनिज उप-उत्पाद।** हालांकि इन पर खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (MMDR एक्ट) के तहत नियम और रॉयल्टी का भुगतान लागू होगा।
- **भू-तापीय संसाधन डेटा रिपॉजिटरी का निर्माण:** सरकारी संस्थाओं और एजेंसियों के बीच सहयोग से इस रिपॉजिटरी का निर्माण किया जाएगा। जैसे कि केंद्रीय खान मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बीच सहयोग; भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI), नेशनल **डेटा रिपॉजिटरी** (NDR), जैसे संस्थानों के बीच सहयोग।
  - ऑपरेटर्स/डेवलपर्स को अनुसंधान एवं विकास, आकलन आदि के लिए **भू-तापीय संसाधन आकलन सर्वेक्षण करने की अनुमति** होगी।
- **विकास मॉडल**
  - **स्वदेशी भू-तापीय प्रौद्योगिकियों को प्राथमिकता दी जाएगी** और स्थानीय इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा।
  - **आर्थिक रूप से लाभकारी मॉडल:** जैसे राजस्व साझा करना, उपलब्धि आधारित भुगतान आदि।
  - **केंद्रीय वित्तीय सहायता:** पूर्वोत्तर क्षेत्र और विशेष श्रेणी के राज्यों को दी जाएगी।
  - **संयुक्त उद्यम:** तेल और गैस कंपनियों, खनिज कंपनियों और भू-तापीय डेवलपर्स के बीच।
  - तेल और गैस उत्पादन केंद्रों का फिर से उपयोग: जैसे कि पाइपलाइन का उपयोग, आदि।
  - **अनुसंधान एवं विकास और प्रशिक्षण के लिए पायलट परियोजनाएं और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoEs)।**
- **संधारणीयता**
  - भू-तापीय तरल पदार्थों या उप-उत्पादों के सुरक्षित और प्रदूषण-रहित उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी के अपनाने को बढ़ावा देना।
  - भू-तापीय परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन दिशानिर्देश तैयार करना।
- **वित्तपोषण (फाइनेंसिंग) व्यवस्था**
  - **नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम** (RE-RTD)[49] सरकारी/गैर-लाभकारी अनुसंधान संगठनों को **100% तक** तथा उद्योग जगत, स्टार्टअप, निजी संस्थानों, उद्यमियों और विनिर्माण इकाइयों को **70% तक वित्तीय सहायता** प्रदान की जाएगी।
  - लंबे समय के लिए रियायती ऋण, सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड, वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) की सुविधाएँ, आदि।
  - **राजकोषीय प्रोत्साहन:** उपकरणों, सेवाओं पर जीएसटी/आयात शुल्क में छूट; कर छूट आदि।
  - **समर्थन तंत्र:** इस क्षेत्र की योजनाओं को भारतीय **कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम** में शामिल किया जाएगा; राज्यों के बीच ग्रिड की सुविधा, ओपन एक्सेस शुल्क में छूट; **नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व** (RPO)[50] के लिए पात्र होना, आदि।
- **राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए दिशा-निर्देश**
  - भूतापीय ऊर्जा स्रोत की खोज /विकास परमिट देने और भूमि-पट्टे प्रदान करने की जिम्मेदारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर होगी।
  - भूतापीय ऊर्जा स्रोत की खोज (अन्वेषण) संबंधी पट्टे **3 से 5 वर्षों के लिए** दिए जा सकते हैं।
  - भूतापीय ऊर्जा से बिजली उत्पादन या भूतापीय ऊर्जा के प्रत्यक्ष-उपयोग वाले समाधानों के विकास हेतु **30 वर्षों तक के लिए पट्टे** दिए जा सकते हैं।
  - नामित राज्य नोडल एजेंसियों द्वारा प्रबंधित **सिंगल विंडो क्लीयरेंस व्यवस्था** शुरू करनी होगी।
  - विशेष रूप से आदिवासी और सुदूर क्षेत्रों में, भूतापीय ऊर्जा के विकास से पहले हितधारकों से परामर्श करना और **पर्याप्त क्षतिपूर्ति उपाय सुनिश्चित करना।**

[49] Renewable Energy Research and Technology Development Programme

[50] Renewable Purchase Obligation

निष्कर्ष

राष्ट्रीय भू-तापीय नीति, 2025 मंजूरी और अन्य प्रक्रियाओं को सरल बनाकर, अनुसंधान एवं विकास (R&D) और साझेदारियों को बढ़ावा देकर, तथा वित्तीय प्रोत्साहन व सहायता प्रदान करके इस क्षेत्रक की चुनौतियों को दूर करने प्रयास करती है। स्थानीय इनोवेशन को बढ़ावा देकर, इस क्षेत्र से जुड़े या प्रभावित व्यक्तियों या संस्थाओं से परामर्श करके और विशेष पायलट परियोजनाओं के माध्यम से यह नीति भू-तापीय ऊर्जा के सतत और भरोसेमंद विकास के लिए मजबूत आधार तैयार करती है।

5.8. राष्ट्रीय बायोफाउंड्री नेटवर्क एवं बायोई3 नीति (National Biofoundry Network & Bioe3 Policy)

सुर्खियों में क्यों?

भारत का पहला **राष्ट्रीय बायो-फाउंड्री नेटवर्क** 25 अगस्त, 2025 को लॉन्च किया गया। **भारत की बायोई3 नीति (BioE3 Policy) जारी होने की पहली वर्षगांठ** के अवसर पर इसे लॉन्च किया गया।

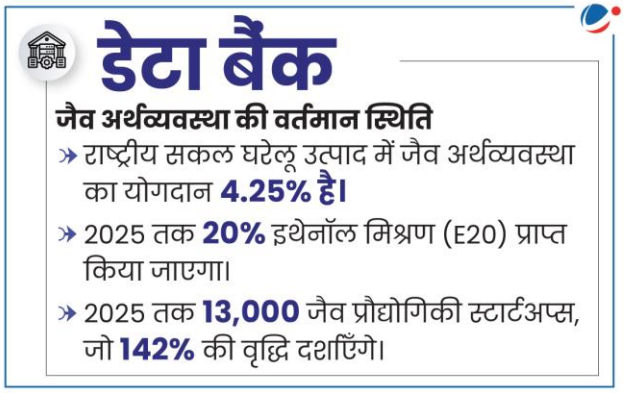

राष्ट्रीय बायोफाउंड्री नेटवर्क के बारे में:

- **उद्देश्य:** प्रयोग में सफल (प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट) परियोजनाओं को व्यवहारिक प्रौद्योगिकियों में परिवर्तित करने के लिए सहयोग प्रदान करना।
  - **प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (PoC):** यह वास्तव में किसी नई सोच या विचार की संभावना या व्यावहारिकता को परखने का एक तरीका है। यह बाजार में उसकी मांग या उत्पादन पद्धतियों का आकलन नहीं है।
- **घटक:** यह नेटवर्क **बायोई3 नीति** का एक घटक है और इसे **बायोएनबलर्स (Bioenablers)** की श्रेणी में रखा गया है।
- **बायोफाउंड्री:** बायोफाउंड्री एक ऑटोमेटेड फैसिलिटी है जो डीएनए संश्लेषण, जीन एडिटिंग और व्यापक बायो-मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रियाओं को एकीकृत कर **इंजीनियर्ड जीवों को तेजी से डिजाइन, निर्मित और अनुकूलित** करती है।
- **मुख्य कार्य:**
  - अलग-अलग थीमेटिक क्षेत्रों में **अनुसंधान गतिविधियों का विस्तार करना। उदाहरण के लिए:**
    - अंतर्राष्ट्रीय आनुवंशिक अभियांत्रिकी और जैव प्रौद्योगिकी केंद्र (ICGEB)[51] **प्रथम और द्वितीय पीढ़ी के जैव-ईंधनों के लिए सूक्ष्मजीवीय प्रजातियों की इंजीनियरिंग पर कार्य कर रहा है।**
    - आईआईटी-मद्रास पशु-रहित **हायल्यूरोनिक अम्ल के उत्पादन** को प्रोत्साहित कर रहा है।
  - यह नेटवर्क स्टार्टअप, लघु और मध्यम उद्यमों (SMEs), उद्योगों तथा शैक्षणिक संस्थानों के लिए **साझा आधारभूत संरचना** प्रदान करता है।
  - इसके साथ ही यह **प्रशिक्षण और इंटर्नशिप** के माध्यम से बायो-मैन्युफैक्चरिंग के लिए आवश्यक अलग-अलग संकायों और बहु-कार्यात्मक तकनीकी कौशल के साथ मानव संसाधन का विकास भी करता है।

बायोई3 (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी) नीति के बारे में:

- यह जैव प्रौद्योगिकी पर भारत की पहली नीति है। इसे 2024 में **मंजूरी** दी गई थी।
- **मंत्रालय/विभाग:** केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT)।
- **उद्देश्य:**
  - बायो-मैन्युफैक्चरिंग को **बेहतर दक्षता, संधारणीयता और गुणवत्ता** के साथ क्रांतिकारी रूप से विकसित करना और उच्च-मूल्य वाले जैव-आधारित उत्पादों के विकास और उत्पादन को तेज करना।
    - बायो-मैन्युफैक्चरिंग में **परिशुद्ध जैव चिकित्सकीय, कार्बन कैप्चर और उपयोग, फंक्शनल फूड्स और स्मार्ट प्रोटीन जैसे क्षेत्र शामिल हैं।**

[51] International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology

- **लक्ष्य:** 2030 तक भारत की **जैव-अर्थव्यवस्था को दोगुना कर 300 अरब अमेरिकी डॉलर** तक पहुंचाना।

- **BioE3 नीति की प्रमुख विशेषताएं:**
  - **नवाचार-आधारित अनुसंधान एवं विकास और उद्यमिता:** यह नीति अनुसंधान और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए मजबूत समर्थन प्रदान करती है।
  - **प्रौद्योगिकी विकास और व्यावसायीकरण:** यह नीति बायो-मैन्युफैक्चरिंग, बायो-एआई हब और बायोफाउंड्री के माध्यम से प्रगति को गति देती है।
  - **हरित विकास मॉडल:** रिजेनरेटिव और सर्कुलर बायो-इकॉनमी की पद्धतियों को प्राथमिकता देती है।
  - **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) आधारित कार्यान्वयन:** यह नीति उद्योग की भागीदारी बढ़ाने, कुशल कार्यबल का विस्तार करने और रोजगार सृजन के लिए पीपीपी (PPP) मॉडल का उपयोग करती है।

BioE3 नीति की प्रमुख उपलब्धियां:

- **अवसंरचना: 21** अत्याधुनिक **बायोएनेबलर सुविधाओं** की स्थापना और **BRIC-राष्ट्रीय कृषि-खाद्य जैव-विनिर्माण संस्थान (BRIC-NABI)** की स्थापना की गई।
- **मंत्रालयों के बीच सहयोग:** जैव प्रौद्योगिकी विभाग (**DBT**) और **इसरो (ISRO) के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन** (MoU) के अंतर्गत **अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन** पर लाइफ-साइंसेज से संबंधित प्रयोग किए गए।
- **केंद्र-राज्य साझेदारी: असम सरकार** के साथ साझेदारी की शुरुआत की गई, ताकि क्षेत्रीय जैव विविधता का लाभ उठाकर बायो-मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सके।
- **मानव संसाधन विकास:** BioE3 यूथ चैलेंज की शुरुआत की गई, जो स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण और उद्योग के लिए जमीनी स्तर के नवाचारों को प्रोत्साहित करता है।
- **जीन-एडिटेड फसलें:** भारत पोषण सुरक्षा और जलवायु अनुकूलन के लिए **जीन-एडिटेड चावल की किस्में** विकसित करने वाला पहला देश बना।

बायोई3 (BioE3) नीति की चुनौतियां:

- **कीर्तिमानों का अभाव:** इसकी वजह से नीति जारी होने के बाद हुई प्रगति नहीं दिखती है।
- **मानव संसाधन की कमी:** विशेष रूप से सूक्ष्मजीवीय प्रजातियों की इंजीनियरिंग और बायो-प्रोसेसिंग में विशेषज्ञता की भारी कमी है। इसके लिए अधिक व्यावहारिक प्रशिक्षण और इंटर-डिसिप्लिनरी कार्यक्रमों की आवश्यकता है।
- **विस्तार संबंधी बाधाएं:** वित्तपोषण की कमी और बाधाओं के कारण खोज या नए विचारों के व्यावसायिक उपयोग में चुनौतियां उत्पन्न होती हैं।
- **व्यावसायीकरण में बाधाएं:** गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज GMP) यूनिट्स के लिए उच्च पूंजी निवेश की आवश्यकता, कच्चे माल की स्थानीय स्तर पर कम आपूर्ति, महंगी आयातित सामग्री पर निर्भरता और असंबद्ध लॉजिस्टिक्स वास्तव में इस क्षेत्र में विकास की संभावनाओं को बाधित करते हैं।
- **बायो-सेफ्टी और लोगों का विश्वास**: जीन-एडिटेड फसलों को लेकर बायो-सेफ्टी से जुड़ी चिंताओं पर चल रही बहस और लोगों का विश्वास जीतने के लिए सक्रिय और जिम्मेदार वैज्ञानिक संचार की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

बायोई3 (BioE3) नीति और राष्ट्रीय बायोफाउंड्री नेटवर्क के साथ भारत एक संधारणीय, आत्मनिर्भर और हरित जैव-अर्थव्यवस्था के निर्माण की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। **2030 तक 300 अरब अमेरिकी डॉलर** और **2050 तक लगभग 2.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जैव-अर्थव्यवस्था** का महत्वाकांक्षी लक्ष्य लेकर, भारत **वैश्विक जैव-अर्थव्यवस्था की शक्ति** के रूप में उभरने की ओर अग्रसर है। इस रूप में वह राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

5.9. भारत में नदी प्रदूषण (River Pollution in India)

सुर्खियों में क्यों?

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने **"जल गुणवत्ता की पुनर्बहाली के लिए प्रदूषित नदी खंड - 2025"** शीर्षक से आकलन रिपोर्ट जारी की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- CPCB, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियों के सहयोग से देश में जलीय संसाधनों की जल गुणवत्ता का आकलन करने के लिए **राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (NWMP)**[52] संचालित करता है।
- CPCB ने देश में **प्रदूषित नदी खंडों** की पहचान की प्रक्रिया 2009 से शुरू की थी।

प्रदूषित नदी खंड के बारे में:

- **प्रदूषित नदी खंड:** किसी नदी अपवाह मार्ग में दो या अधिक प्रदूषित स्थान जो निरंतर क्रम में स्थित हों, उन्हें एक खंड (stretch) के रूप में चिन्हित किया जाता है और उसे **प्रदूषित नदी खंड** माना जाता है।
- **मापदंड:** वे नदी खंड जहां बायो-केमिकल ऑक्सीजन डिमांड (BOD) 3 मिलीग्राम प्रति लीटर (mg/L) से अधिक हो, उन्हें CPCB द्वारा प्रदूषित नदी खंड के रूप में पहचाना जाता है।
  - BOD जल की गुणवत्ता आकलन का एक प्रमुख संकेतक है और यह आर्गेनिक पदार्थ को विघटित करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को मापता है।
- **श्रेणियां:** अधिकतम BOD स्तर के आधार पर प्रदूषित नदी खंड को पांच प्राथमिकता वाले वर्गों (I से V) में वर्गीकृत किया गया है। उदाहरण के लिए: **प्राथमिकता वर्ग I** – जहां निगरानी स्थलों पर BOD सांद्रता 30.1 mg/L से अधिक पाई गई।
- **प्रदूषित खंड**: देशभर में 32 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 271 नदियों (645 में से) में 296 प्रदूषित नदी खंड पाए गए।
  - **कुल प्रदूषित नदी खंड की संख्या** 2018 में **351 थी, जो** 2025 में **घटकर 296 हो गई।**
- **भौगोलिक वितरण**: महाराष्ट्र में अब भी सबसे अधिक 54 प्रदूषित नदी खंड हैं।
- **प्रमुख प्रदूषित नदी खंड**: इनमें दिल्ली की यमुना, अहमदाबाद की साबरमती, मध्य प्रदेश की चंबल, कर्नाटक की तुंगभद्रा और तमिलनाडु की सरबंगा नदियां शामिल हैं।

नदी प्रदूषण के स्रोत:

- **अशोधित सीवेज:** केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, प्रतिदिन 60% से अधिक अशोधित सीवेज जल सीधे नदियों में प्रवाहित किया जाता है।
  - CPCB की **सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की राष्ट्रीय सूची (2021)** के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन **72,368 मिलियन लीटर प्रतिदिन (MLD)** सीवेज उत्पन्न होता है, जो स्थापित शोधन क्षमता से कहीं अधिक है।
- **अशोधित औद्योगिक अपशिष्ट:** रसायन, चीनी, कागज और चर्म उद्योग जैसे क्षेत्र विषाक्त रसायनों से युक्त अपशिष्ट जल उत्पन्न करते हैं, जो जल स्रोतों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करता है।
- **अन्य स्रोत: नगरीय ठोस अपशिष्ट, कृषि अपवाह: रेत खनन और अवैध अतिक्रमण।**

नदियों के कायाकल्प की रूपरेखा:

- **कानूनी रूपरेखा:**
  - **जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974:** इस अधिनियम के तहत पर्यावरण मामलों में योजना बनाने और नियमावली तैयार करने के लिए केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और राज्य स्तर पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) की स्थापना की गई हैं। ये संस्थाएं पर्यावरण मानकों को लागू करती हैं।
  - **जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977:** यह अधिनियम कुछ उद्योगों द्वारा उपयोग किए गए जल पर शुल्क लगाता है। इस राशि का उपयोग प्रदूषण नियंत्रण गतिविधियों के लिए किया जाता है।

[52] National Water Quality Monitoring Programme

- **पर्यावरण (संरक्षण) नियम:** पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित ये नियम औद्योगिक उत्सर्जन के लिए मानक निर्धारित करते हैं।
- **अपशिष्ट प्रबंधन नियम:** सरकार ने ठोस अपशिष्ट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट आदि पर नियम अधिसूचित किए हैं।

- **नदी कायाकल्प कार्यक्रम:**
  - **नमामि गंगे कार्यक्रम:** इसे 1985 की गंगा कार्य योजना (GAP) की जगह पर आरंभ किया गया है। इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG)[53] द्वारा किया जा रहा है।
  - **यमुना कार्य योजना:** 1993 में शुरू की गई इस कार्य योजना का उद्देश्य यमुना नदी खंड की सफाई करना है।
  - **राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (NRCP)-केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना:** यह योजना गंगा बेसिन को छोड़कर अन्य पहचाने गए नदी खंडों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।
  - **राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (NWQM):** राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड्स के नेटवर्क के माध्यम से यह कार्यक्रम केंद्र और राज्य सरकारों को जल प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और न्यूनीकरण पर सलाह देता है तथा नदियों और कुओं में जल गुणवत्ता के मानक निर्धारित करता है।
- **सीवेज अवसंरचना के लिए योजनाएं:** कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (AMRUT), स्मार्ट सिटी मिशन,स्वच्छ भारत मिशन।

प्रमुख सिफारिशें:

- **स्रोत पर प्रदूषण नियंत्रण:** प्रदूषण के स्रोतों की पहचान और प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए जैसे कि सीवेज शोधन संयंत्र (STPs) / अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र (ETPs) की कार्यशीलता/स्थिति की निगरानी करनी चाहिए, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और प्रसंस्करण सुविधाओं के प्रबंधन पर भी ध्यान देना चाहिए, आदि।
- **बेसिन प्रबंधन:** इसमें नदी के जलग्रहण क्षेत्र/बेसिन का प्रबंधन और बाढ़ के मैदानों की सुरक्षा एवं प्रबंधन शामिल हैं। जैसे कि बेहतर सिंचाई पद्धतियों को अपनाना, बाढ़ के मैदानों की सुरक्षा और प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, नदी का न्यूनतम **पर्यावरणीय प्रवाह (e-flow)** बनाए रखना और नदी के दोनों किनारों पर वृक्षारोपण।
  - **पर्यावरणीय प्रवाह (e-flow)** का अर्थ है हर समय नदी के अपवाह में जल की पर्याप्त मात्रा और गुणवत्ता सुनिश्चित करना ताकि ताजे जल और ज्वारनदमुखी पारिस्थितिक तंत्रों के साथ-साथ उन पारिस्थितिक तंत्रों पर निर्भर मानव आजीविका और रहन-सहन को सुरक्षित रखा जा सके। (**ब्रिस्बेन घोषणा-पत्र, 2007**)
- **अतिक्रमण हटाना:** बाढ़ के मैदानों से अतिक्रमण हटाकर जैव विविधता उद्यान स्थापित करना नदी कायाकल्प का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाना चाहिए।
- **सीवेज शोधन:** सीवेज शोधन संयंत्र (STP) की ओर बहाये जाने वाले सीवेज मार्गों का उचित प्रबंधन किया जाना चाहिए और शोधित सीवेज जल के उपयोग पर जोर दिया जाना चाहिए ताकि भूजल या सतही जल का दोहन कम किया जा सके।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक्स, रिमोट सेंसिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग रियल टाइम में निगरानी और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किया जा सकता है।

निष्कर्ष

प्रदूषित नदी खंडों की घटती संख्या दर्शाती है कि सामूहिक प्रयास धीरे-धीरे परिणाम देने लगे हैं। सीवेज और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करके, उद्योगों के लिए कड़ाई से नियमों का पालन सुनिश्चित करके और रियल टाइम में निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके भारत अपनी नदियों को समृद्धि की जीवन रेखा में बदल सकता है।

[53] National Mission for Clean Ganga

5.10. ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना (Great Nicobar Island Project)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन से वह तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है, जिसमें शिकायत की गई थी कि ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना के लिए वन भूमि के उपयोग से पहले वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत जनजातियों के **वन अधिकारों का निपटारा नहीं किया गया था।**

अन्य संबंधित तथ्य:

- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में '**अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (जनजातीय परिषद) विनियमन, 2009**' के तहत **सांविधिक निकाय के रूप में 'जनजातीय परिषदों'** की स्थापना की गई हैं।
    - इन परिषदों के पास **सीमित सलाहकार और कार्यकारी अधिकार हैं**, जबकि संविधान की छठी अनुसूची के तहत गठित स्वायत्त परिषदों को विधायी, कार्यकारी और सीमित न्यायिक अधिकार प्राप्त होते हैं और उन्हें अधिक स्वायत्तता प्राप्त है।
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन का यह कहना है कि उसे **वन अधिकार अधिनियम (FRA) को लागू करने की आवश्यकता नहीं है,** क्योंकि इन द्वीपों पर रहने वाले जनजातीय लोगों के वनों से संबंधित अधिकार पहले से ही **'आदिवासी जनजाति संरक्षण अधिनियम, 1956 (PAT, 56)'** के तहत संरक्षित हैं।
- **आदिवासी जनजाति संरक्षण अधिनियम** स्थानीय प्रशासन को **वन भूमि के हस्तांतरण का एकपक्षीय अधिकार प्रदान करता है**, जबकि **वन अधिकार अधिनियम (FRA)** के तहत, वन भूमि के उपयोग से पहले संबंधित **ग्राम सभाओं की सहमति लेना अनिवार्य** है — वह भी उनके अधिकारों को मान्यता और अधिकार प्रदान करने के बाद।

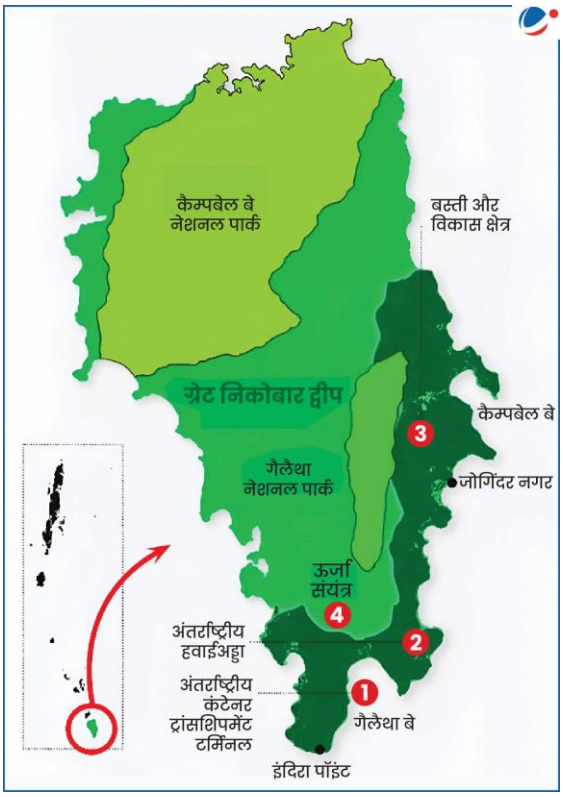

ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना के बारे में:

- **परिचय:** यह एक विशाल ग्रीनफील्ड अवसंरचना परियोजना है, जिसे नीति आयोग द्वारा परिकल्पित किया गया था और 2021 में इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिली थी।
- **नोडल एजेंसी:** इसकी नोडल एजेंसी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम (ANIIDCO)[54] है, जिसे 1988 में **कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एक सरकारी उपक्रम** के रूप में स्थापित किया गया था।
- **परियोजना के घटक:** यह एक बहुउद्देशीय मेगा-अवसंरचना पहल है, जिसके **चार प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं:**
    - **अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट पत्तन – गैलेथिया खाड़ी:** द्वीप के दक्षिणी तट पर गैलेथिया खाड़ी में डीप-सी बंदरगाह विकसित किया जाएगा।
        - इस ट्रांसशिपमेंट पत्तन परियोजना की निगरानी केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) करेगा।
    - **एक ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण।**
    - **450 मेगावाट** का विद्युत संयंत्र।
    - एक आधुनिक **टाउनशिप की स्थापना।**

परियोजना का महत्व:

- **सामरिक अवस्थिति:** ग्रेट निकोबार द्वीप की **भौगोलिक-सामरिक स्थिति** भारत की सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र पर प्रभाव बनाये रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

[54] Andaman and Nicobar Islands Integrated Development Corporation

- यह **मलक्का जलडमरूमध्य** के मुहाने पर स्थित है, जो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है और एक-तिहाई वैश्विक समुद्री व्यापार यहीं से होकर गुजरता है।
- यह **सुंडा जलडमरूमध्य**, **लोम्बोक जलडमरूमध्य** और **कोको द्वीपसमूह** के भी निकट है — जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र के महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंटस माने जाते हैं।

- **क्षेत्रीय समुद्री हब:** ट्रांसशिपमेंट पत्तन (पोर्ट), ग्रेट निकोबार की **मलक्का जलडमरूमध्य के निकटता** का लाभ उठाते हुए, वर्तमान में सिंगापुर या कोलंबो होकर जाने वाले मालवाहक (कार्गो) जहाजों को आकर्षित करेगा।
  - वर्तमान में, भारत के लगभग 75% ट्रांस-शिप्ड कार्गो का संचालन भारत के बाहर के पत्तनों पर होता है।
- **संचार में सुधार:** यह परियोजना भारत की मुख्य भूमि और अन्य स्थलों से निकोबार द्वीप की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी, जिससे यह द्वीप पर्यटन, व्यापार और रणनीतिक लॉजिस्टिक्स के लिए अधिक सुलभ बन जाएगा।
- **रक्षा:** ग्रेट निकोबार पर नौसेना-उपयोग वाले डीप वाटर पत्तन और हवाई अड्डा विकसित करके यह परियोजना **अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पहले से स्थापित त्रि-सेवा सैन्य कमान को मजबूत करेगी**।
  - इस परियोजना से भारत को पूर्वी हिंद महासागर के सामरिक चौराहे के पास पोत, विमान और ड्रोन तैनात करने की सुविधा मिलेगी, जिससे **महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की निगरानी** और क्षेत्र में **भारत की सुरक्षा क्षमता बढ़ेगी।**
- **आर्थिक विकास और क्षेत्रीय प्रगति:** ट्रांसशिपमेंट पत्तन से **विदेशी मुद्रा की बचत**, **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश**, **भारतीय पत्तनों पर आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि** और लॉजिस्टिक्स अवसंरचना का विस्तार जैसे अनेक आर्थिक लाभ मिलेंगे।

पारिस्थितिकी, सामाजिक और भूवैज्ञानिक चिंताएं:

- **जनजातीय अधिकार:** यह चिंता जताई जा रही है कि यह परियोजना ग्रेट निकोबार द्वीप की **शोम्पेन** (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह - PVTG) और **निकोबारी** जनजातियों पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी।
  - इससे जनजातीय आबादी का विस्थापन हो सकता है; साथ ही श्रमिकों और प्रवासियों का बड़े पैमाने पर आगमन होगा जो **शोम्पेन जनजाति को ऐसे संक्रामक रोगों के संपर्क में ला सकता है**, जिनके प्रति उनके पास कोई प्रतिरक्षा नहीं है।
- **पारिस्थितिकी से जुड़ी चिंताएं:** ग्रेट निकोबार भारत के सबसे समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है, जहां अब भी 85% से अधिक क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षावनों से आच्छादित है।
  - **प्रजातियों पर प्रभाव:** गैलेथिया खाड़ी, जहां नया पत्तन (बंदरगाह) बनाया जाना है, रामसर कन्वेंशन के तहत **संरक्षित आर्द्रभूमि** है और यह क्षेत्र **एंडेंजर्ड लेदरबैक समुद्री कछुए** की नेस्टिंग साइट है।
    - संरक्षणवादियों को आशंका है कि पत्तन के निर्माण के लिए समुद्र तल से **लाखों घन मीटर की खुदाई** करनी पड़ेगी, जिससे **प्रवाल भित्तियां और समुद्री घास के मैदान नष्ट** हो सकते हैं और कछुओं की नेस्टिंग साइट्स वाले पुलिनों (तटों) में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है।
  - **निर्वनीकरण:** परियोजना के तहत लगभग 9.6 लाख पेड़ों की कटाई की जाएगी, जिससे क्षेत्र की **कार्बन अवशोषण क्षमता पर नकारात्मक असर पड़ेगा।**
  - **तटरेखा में बदलाव:** यह विकास **प्राकृतिक तटीय सुरक्षा को भी कमजोर करता है**। उदाहरण के लिए, गैलेथिया की मैंग्रोव पट्टियां सुनामी और चक्रवातों से सुरक्षा प्रदान करती हैं, लेकिन परियोजना की वजह से ये नष्ट हो सकती हैं।
- **भूवैज्ञानिक और आपदा जोखिम:** ग्रेट निकोबार **भूकंप प्रवण क्षेत्र** में स्थित है और यह उसी **मेगाथ्रस्ट फॉल्ट लाइन** पर स्थित है, जिसने दिसंबर 2004 की विनाशकारी हिंद महासागर सुनामी को उत्पन्न किया था।

निष्कर्ष

ग्रेट निकोबार परियोजना के माध्यम से संचार, व्यापार और रक्षा को मजबूत करने में निस्संदेह मदद मिलेगी, किंतु निकोबार द्वीप की पारिस्थितिक महत्ता, जनजातीय अधिकारों और आपदा से जुड़ी चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आगे की राह यह है कि ऐसा चरणबद्ध, पारिस्थितिक अनुकूल और समुदाय-समावेशी विकास मॉडल को अपनाया जाए — जो जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करते हुए राष्ट्रीय हितों को जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाएं।

5.11. भारत में बांध-सुरक्षा (Dam Safety In India)

सुर्खियों में क्यों?

IISER भोपाल ने भारत के बड़े जलाशयों में गाद जमाव यानी अवसादन के कारण उत्पन्न संकटों का व्यापक आकलन किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह अध्ययन **केंद्रीय जल आयोग** द्वारा **'भारत के जलाशयों में गाद जमाव का सार'**[55] शीर्षक से जारी रिपोर्ट से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित है।
  - **गाद जमाव या अवसादन (Sedimentation)** ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मृदा के कण अपरदित होकर बहते जल या अन्य माध्यमों द्वारा जल निकायों में ठोस कणों की परतों के रूप में जमा हो जाते हैं।
- इस अध्ययन में **300 से अधिक बड़े जलाशयों** को शामिल किया गया जिनकी भंडारण क्षमता **100 मिलियन क्यूबिक मीटर** से अधिक है।

अध्ययन में गाद जमाव से जुड़े मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **जल भंडारण क्षमता में कमी:** गाद जमाव के कारण कई जलाशयों ने अपनी जल **भंडारण क्षमता का लगभग 50% से अधिक** खो दिया है।
  - **अनुमान है कि 2050 तक** गोदावरी के अलावा पूर्व की ओर बहने वाली नदियों और ताप्ती के अलावा पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के जलाशयों की 50% से अधिक भंडारण क्षमता खत्म हो जाएगी।
- **क्षेत्रीय भिन्नता:** इस मामले में हिमालयी क्षेत्र (HR), पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां (नर्मदा-तापी), पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, और गंगा का मैदान (IGP) सबसे अधिक संकट वाले **क्षेत्र माने गए** हैं।
  - सभी क्षेत्रों में, हिमालयी क्षेत्र के जलाशयों में गाद जमाव के कारण **वार्षिक जल भंडारण क्षमता की हानि सबसे अधिक** पाई गई।
- **गाद जमाव के मुख्य कारक: वनों की कटाई, कृषि भूमि से अपवाह**, कमजोर मृदा वाले इलाकों में मानसून के कारण मृदा अपरदन, और **भूमि-उपयोग में अनियंत्रित बदलाव**।
- **परिणाम:** गाद जमा होने से नदियों का प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित होता है, जल सुरक्षा घटती है, ऊर्जा उत्पादन कम हो जाता है, कृषि उत्पादकता घटती है और जल को लेकर संघर्षों का खतरा बढ़ता है।
  - **उदाहरण के लिए:** गोदावरी के अलावा पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ (जहाँ लगभग 160 जलाशय हैं) **दक्षिण भारत की कृषि और औद्योगिक जल आवश्यकताओं** को पूरा करने में अहम भूमिका निभाती हैं।

भारत में बांध सुरक्षा से जुड़े अन्य प्रमुख मुद्दे

- **बांधों का पुराना होना:** 2023 की स्थिति के अनुसार, भारत के बड़े बांधों में से **1,065 बांध 50-100 साल पुराने** थे, जबकि **224 बांध 100 साल से भी अधिक पुराने** थे।
- **संरचनात्मक विफलताएं:** ये मुख्य रूप से **रिसाव, क्षतिग्रस्त पाइपिंग**, और/ या **कमजोर नींव** के कारण होती हैं।
- **भूकंप से नुकसान का खतरा:** उदाहरण के लिए, 2001 में भुज (गुजरात) में आए भूकंप के कारण **चांग बांध** की नींव कमजोर हो गई थी।
- **ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट का खतरा:** उदाहरण के लिए, 2023 में, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट से आई बाढ़ की वजह से **चुंगथांग बांध (सिक्किम)** टूट कर बह गया था।

[55] Compendium on Sedimentation of Reservoirs in India

- **ओवरटॉपिंग (बाढ़ के पानी का बांध के शिखर के ऊपर से बहना):** भारत में बांध की पहली दर्ज विफलता (1917 में **तिगरा बांध** की विफलता) भी **ओवरटॉपिंग** के कारण हुई थी।
- **प्रबंधन/ नियमों के अनुपालन संबंधी मुद्दे:** उदाहरण के लिए, गांधी सागर (मध्य प्रदेश) की CAG ऑडिट रिपोर्ट में उजागर किया गया था कि राज्य बांध सुरक्षा संगठन (**SDSO**) ने आवश्यक उपायों पर **केंद्रीय जल आयोग की सिफारिशों का अनुपालन नहीं** किया।

भारत में बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई पहलें

- **बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021:** यह बांधों की विफलता को रोकने के लिए विशिष्ट बांधों की उचित निगरानी, संचालन और रखरखाव का प्रावधान करता है। इस अधिनियम में केंद्र और राज्य स्तर पर संस्थागत ढाँचा स्थापित करने का प्रावधान है।
  - **राष्ट्रीय स्तर पर:** राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण।
  - **राज्य स्तर पर:** राज्य बांध सुरक्षा समिति (**SCDS**)[56] और राज्य बांध सुरक्षा संगठन (**SDSO**)[57]।
- **बड़े बांधों का राष्ट्रीय रजिस्टर (NRLD)[58]:** यह **CWC** द्वारा संकलित और संरक्षित बड़े बांधों का राष्ट्रव्यापी रजिस्टर है।
- **बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (DRIP)[59]:** DRIP के दूसरे और तीसरे चरण में **19 राज्यों में 736 बांधों** के व्यापक पुनर्वास की परिकल्पना की गई है।
  - इस परियोजना को **विश्व बैंक** और **एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB)**[60] से ऋण प्राप्त होता है।
- **भूकंपीय जोखिम विश्लेषण सूचना प्रणाली (SHAISYS)[61] उपकरण:** इसका उद्देश्य भूकंपीय बलों की सीमा और बांध संरचनाओं की सुरक्षा पर उनके प्रभाव का पता लगाना है।
- **बांध सुरक्षा समीक्षा पैनल:** कुछ राज्यों ने अपने बांधों के व्यापक ऑडिट के लिए ये पैनल बनाए हैं।
- **अन्य पहलें:**
  - भूकंप से बांधों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय केंद्र {MNIT जयपुर (राजस्थान)} में स्थित),
  - डैम हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन (**DHARMA**),
  - राज्यों द्वारा बांध सुरक्षा समीक्षा पैनल का गठन, आदि।

बांध सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक कदम

- **वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम्स:** इसकी स्थापना 1998 में **विश्व बैंक** और **IUCN** ने की थी। इसका उद्देश्य बड़े बांधों का 'विकास पर पड़ने वाले प्रभावों' की समीक्षा करना और बांधों की योजना बनाने, निगरानी व डीकमीशनिंग (अप्रयुक्त होने पर हटाना) के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना है।
- **इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स (ICOLD):** यह 1928 में स्थापित एक **गैर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन** है। यह डैम इंजीनियरिंग में ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करता है।
  - **इंडियन नेशनल कमेटी ऑन लार्ज डैम्स (INCOLD):** यह एक भारतीय समिति है जो ICOLD के साथ संवाद करती है।

[56] State Committee on Dam Safety
[57] State Dam Safety Organization
[58] National Register of Large Dams
[59] Dam Rehabilitation and Improvement Project
[60] Asian Infrastructure Investment Bank
[61] Seismic hazard analysis information system

भारत में बांध सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आगे की राह

- **गाद जमाव का प्रबंधन:**
  - **जापान** के **सेडीमेंट बाईपास सिस्टम** और **स्विट्जरलैंड** की **कण्ट्रोल्ड सेडीमेंट फ्लशिंग जैसी अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों** को अपनाया जाना चाहिए।
  - **अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अलग-अलग तरीका** लागू करना।
    - अत्यधिक असुरक्षित क्षेत्रों में, **वनरोपण**, **एकीकृत जलसंभर प्रबंधन** पद्धतियों, और **समय-समय पर गाद निकालने के संचालन** जैसे लक्षित कदम गाद के प्रवाह को कम कर सकते हैं।
    - **अपरदन नियंत्रण संरचनाएं** जैसे- चेक डैम्स, तलछट के प्रवाह को कम कर सकते हैं।
- **भूमिगत बांध (सब-सरफेस डैम्स)**: जापान जैसे देशों में सतही बांधों के विकल्प के रूप में ये बनाए गए हैं। भारत में भी इसे अपनाया जा सकता है।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** उदाहरण के लिए, **अत्याधुनिक निगरानी और सेंसिंग तकनीक** का उपयोग (बांध संरचना में बदलावों की निगरानी के लिए सैटेलाइट्स का उपयोग), **इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT)**-आधारित सेंसर का उपयोग आदि।
- **अन्य पहलें:**
  - समय-समय पर स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा **अनिवार्य रूप से बांध का निरीक्षण**।
  - जो बांध अधिक असुरक्षित हो चुके हैं, उन्हें सूचीबद्ध किया जाना चाहिए और फिर **चरणबद्ध तरीके से बंद** किया जाना चाहिए।
  - संकटों को कम करने वाले सबसे प्रभावी उपायों को निर्धारित करने और बांध सुरक्षा से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए **जोखिम-स्तर आधारित निर्णय लेने की प्रणाली** विकसित की जानी चाहिए।

निष्कर्ष

भारत के बांध गाद जमाव, पुराना हो जाने, भूकंपीय व जलवायु संबंधी खतरों और नियमों का सही से अनुपालन नहीं होने जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और देश के जल संसाधनों की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए विश्व की सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाने, अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग रणनीतियाँ लागू करने और असुरक्षित संरचनाओं को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की आवश्यकता है।

5.12. आपदा जोखिम वित्तपोषण (Disaster Risk Financing)

सुर्खियों में क्यों?

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहाड़ी राज्यों की विशिष्ट कमजोरियों को अधिक सटीक ढंग से दर्शाने के लिए 16वें वित्त आयोग से आपदा जोखिम सूचकांक (DRI)[62] फिर से तैयार करने का आग्रह किया है।

भारतीय हिमालयी राज्यों में अधिक आपदाएं आने के कारण

भू-भौतिक कारण:

- **हिमालय की अस्थिर भू-संरचना:** हिमालयी क्षेत्र **विवर्तनिक रूप से सक्रिय** है और मुख्यतः **असंगठित** और **अर्ध-संगठित निक्षेपों** से बना है।
  - अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी नदी घाटियों में **नदी की धाराओं द्वारा भूतल का अपरदन**।
  - वर्षा, बादल फटने और बर्फ के पिघलने की वजह से पहाड़ियों के अंदर जल का प्रवेश हो जाता है। इससे वे कमजोर हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप **भू-धंसाव** की घटना सामने आती है। उदाहरण के लिए- 2023 में **जोशीमठ भू-धंसाव** की घटना।

जलवायु का प्रभाव:

- **तापमान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव और परिवर्तनशीलता:** ये **हिमनदों के सिकुड़ने**, **अत्यधिक वर्षा**, **बादल फटने** और **हिमस्खलन** का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए- 2013 में उत्तराखंड में आई बाढ़।

सामाजिक-आर्थिक कारण:

- **पहाड़ी ढलानों पर वनों की कटाई:** कृषि, चराई, निर्माण कार्य आदि के लिए वनों की कटाई से **हिमस्खलन** और **भूस्खलन** का खतरा बढ़ जाता है।

[62] Disaster Risk Index

- टिहरी गढ़वाल जिले में **टिहरी बांध जलाशय** जैसी कई **बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं** के कारण **जल के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा** उत्पन्न हुई है।

मानवजनित कारण:

- **विकास गतिविधियां: सड़क और टनेल निर्माण, जलविद्युत परियोजनाएं, नदी तटों और बाढ़ के मैदानों का अतिक्रमण,** आदि।
  - **बढ़ता पर्यटन:** भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) में हर साल लगभग **100 मिलियन पर्यटक** आते हैं। 2025 तक यह संख्या **240 मिलियन** तक बढ़ने की उम्मीद है, जिससे संसाधनों पर **भारी दबाव** पड़ रहा है।

आपदा जोखिम सूचकांक (DRI)

- **मापने का तरीका:** DRI एक **समग्र माप** है जो किसी क्षेत्र के विभिन्न आपदाओं से जुड़े जोखिम के स्तर को मापता है। इसका उपयोग आपदा जोखिम से निपटने के लिए वित्त-पोषण में किया जाता है। इसे निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए तैयार किया गया है:
  - आपदाओं की **संभावना और इनकी गंभीरता** का आकलन करना।
  - **आपदा प्रवण** और **जोखिम स्तरों** का मापना।
  - **साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने** का समर्थन।
  - आपदा शमन और इससे निपटने की तैयारियों के लिए **संसाधन आवंटन** का मार्गदर्शन करना।
- **शुरुआत: 15वें वित्त आयोग (2021-26)** ने आपदा से निपटने के लिए फंड आवंटित करने हेतु DRI को औपचारिक रूप से अपनाया। आयोग ने प्रत्येक राज्य के DRI स्कोर को **राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF)**[63] और राज्य आपात निधि के वितरण के फार्मूले में शामिल किया।
- **घटक:** DRI एक समग्र स्कोर पर पहुंचने के लिए **खतरों की संभाव्यता** (70 का स्कोर) और **वल्नेरेबिलिटी** (30 का स्कोर) का उपयोग करता है।
  - खतरों में मुख्य रूप से **भूस्खलन, बाढ़, भूकंप, सूखा** और अन्य **प्राकृतिक आपदाओं** जैसी घटनाओं की संभाव्यता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
  - वल्नेरेबिलिटी का आकलन करने के लिए एक बुनियादी उपाय के रूप में **गरीबी रेखा से नीचे (BPL) वाली आबादी** का उपयोग किया जाता है।

भारत में आपदा जोखिम से निपटने हेतु वित्त-पोषण

- **नई पद्धति: 15वें वित्त आयोग** ने राज्य-वार आवंटन के लिए एक **नई पद्धति** अपनाई, जिसने पहले की **व्यय-आधारित पद्धति** का स्थान लिया। यह नई पद्धति तीन कारकों का मिश्रण है:
  - **क्षमता** (जो पिछले व्यय के माध्यम से दिखाई देती है),
  - **जोखिम का प्रभाव** (प्रभावित क्षेत्रफल और जनसंख्या) और
  - **विपदा की प्रवणता तथा वल्नेरेबिलिटी** (**आपदा जोखिम सूचकांक**)।
- **आपदा शमन कोष: 15वें वित्त आयोग** ने **राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (NDMF)**[64] और **राज्य आपदा शमन कोष (SDMF)**[65] के गठन की सिफारिश की।
  - परिणामस्वरूप, केंद्र सरकार ने **NDMF** का गठन कर दिया है, और अब तक **तेलंगाना को छोड़कर** सभी राज्यों ने **SDMF** स्थापित करने की सूचना दी है।
  - SDMF में केंद्र के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार सभी राज्यों के लिए **75%** (पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए **90%**) का योगदान करती है।

आपदा जोखिम वित्त-पोषण (DRF) से जुड़ी चिंताएं और सीमाएं

- **एकसमान मैट्रिक्स: 'वन साइज फिट्स ऑल'** तरीका पहाड़ी राज्यों, तटीय क्षेत्रों और संकट वाले अन्य क्षेत्रों के विशिष्ट संकटों का सही से आकलन नहीं करता है।
  - उदाहरण के लिए- मैट्रिक्स में **भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल स्फोट, वनाग्नि** और **ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOFs)** जैसे खतरों को शामिल नहीं किया गया है, जिनकी संख्या हाल के दिनों में बढ़ी है।
- **अपर्याप्त संसाधन आवंटन:** कुछ राज्यों जैसे **हिमाचल प्रदेश** का DRI स्कोर कम होने के कारण उन्हें 15वें वित्त आयोग से पर्याप्त संसाधन नहीं मिलते, जबकि यह राज्य अधिक और गंभीर आपदाओं का सामना करता है।

---

[63] National Disaster Response Fund

[64] National Disaster Mitigation Fund

[65] State Disaster Mitigation Fund

- **भौगोलिक असमानताएं:** भौगोलिक रूप से बड़े राज्यों को अधिक धनराशि मिलती है, भले ही वे प्राकृतिक आपदाओं के कम जोखिमों का सामना कर रहे हों। इससे संसाधनों का **असमान वितरण** होता है।
- **पिछले व्यय को अधिक महत्व:** वर्तमान व्यवस्था पिछले सात वर्षों में राहत उपायों पर हुए **औसत व्यय** पर भी बहुत अधिक निर्भर करता है। **70%** आवंटन इसी मानदंड पर आधारित होता है।
    - इस कारण जिन राज्यों ने पहले अधिक खर्च किए हैं, उन्हें अब भी अधिक धनराशि मिलती है, भले ही वर्तमान में उनका **जोखिम स्तर कम** हो।

आगे की राह

- **अनुकूली DRI:** वैज्ञानिक रूप से सत्यापित DRI फार्मूला तैयार किया जाए जिसमें **विपदा, वल्नेरेबिलिटी, जोखिम-का प्रभाव,** और **लचीलापन (रेजिलिएंस)** से जुड़े संकेतकों को शामिल किया जाए।
    - साथ ही, इसमें आपदाओं की सूची का विस्तार करके **भूस्खलन, बादल स्फोट, हिमस्खलन और कीट हमलों** को शामिल करना चाहिए।
- **भौगोलिक विशिष्टता:** DRF में, एकल भौगोलिक क्षेत्र पर विचार करने की बजाय, **प्राकृतिक आपदाओं के खतरे वाले भौगोलिक उप-क्षेत्रों**, जैसे कि **पहाड़ी क्षेत्र, आर्द्रभूमि और समुद्र तटों के विशिष्ट खतरों** को ध्यान में रखकर विचार करने की आवश्यकता है।
- **सामाजिक-आर्थिक संकेतकों को शामिल करना:** गरीबी-आधारित जोखिम (वल्नेरेबिलिटी) मूल्यांकन की जगह **समग्र जोखिम स्कोर** का उपयोग किया जाना चाहिए।
    - NDMA के **समग्र सूचकांक** में असुरक्षित मकान, सामाजिक अवसंरचना, उद्योग, ग्रामीण-शहरी आबादी, वनों की कटाई आदि कारकों को शामिल किया गया है। यह आपदाओं के संभावित जोखिम की अधिक सटीक तस्वीर प्रस्तुत करता है।
- **डेटा एकीकरण:** आपदा-जोखिम वित्तपोषण (DRF) आवश्यकताओं का बेहतर आकलन करने के लिए **रिमोट सेंसिंग, IoT सेंसर और पंचायत-स्तरीय मानचित्रण** के जरिए स्थानीय डेटा संग्रह को मजबूत करने और **जिला आपदा डेटा भंडार** स्थापित करने की आवश्यकता है।
    - **समय-समय पर समीक्षा:** DRF पद्धति की हर **पाँच वर्ष** में एक बार समीक्षा की जाए ताकि यह **जलवायु और आपदा संबंधी अद्यतन आंकड़ों** के अनुरूप बनी रहे।

निष्कर्ष

आपदा जोखिम वित्तपोषण (DRF) भारत की आपदा से निपटने की गवर्नेंस प्रणाली का एक प्रमुख स्तंभ है, जो संसाधनों के आवंटन और रेजिलिएंस योजना के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करती है। हालांकि जलवायु परिवर्तन, क्षेत्रीय असमानताओं और एक-दूसरे से जुड़ी जटिल आपदाओं के दौर में, DRF को पहाड़ी क्षेत्रों के विशिष्ट संकटों, स्थानीय अनुकूलन क्षमताओं और जलवायु की वास्तविकताओं को ध्यान में रखना होगा। एक पुनर्गठित और न्यायसंगत DRF फ्रेमवर्क न केवल वित्तीय न्याय सुनिश्चित करेगा, बल्कि भारत को जलवायु-अनुकूल और 'आपदा से निपटने के लिए तैयार भविष्य' की दिशा में सशक्त रूप से आगे बढ़ाएगा।

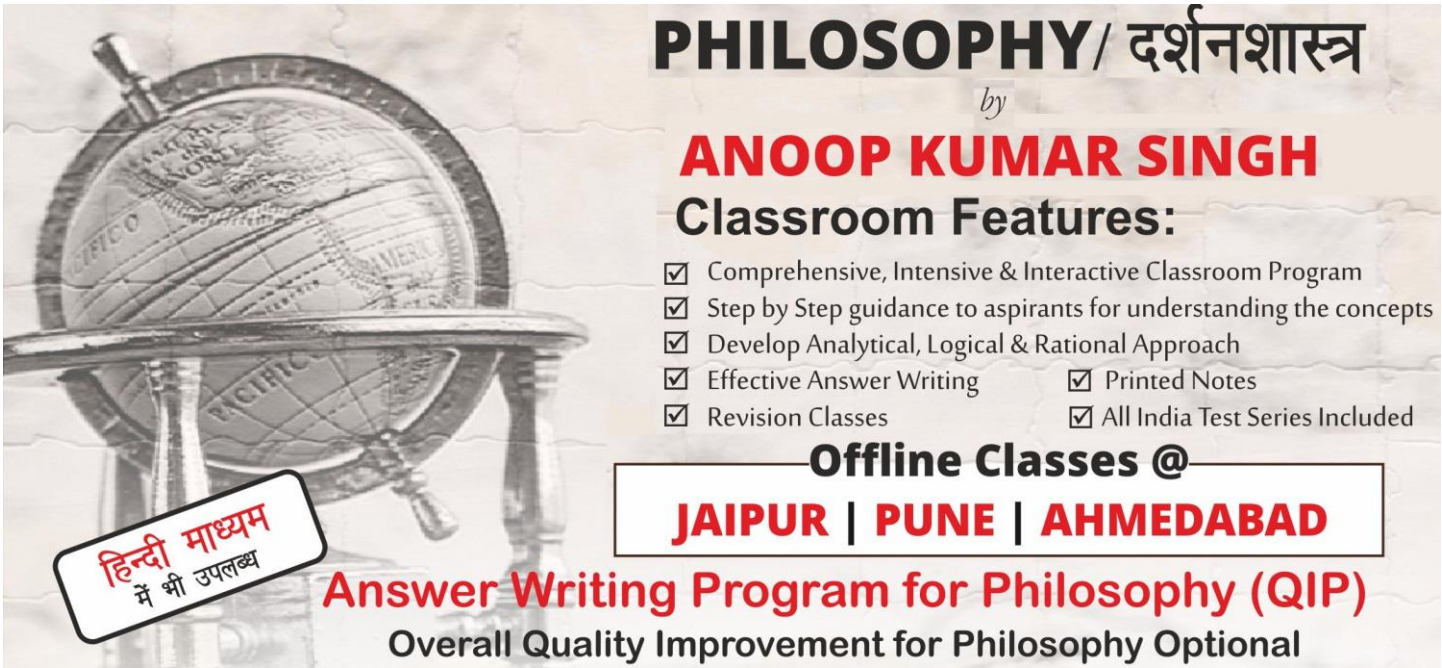

5.13. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

5.13.1. राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (SEEI), 2024 {State Energy Efficiency Index (SEEI), 2024}

हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में **महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम और त्रिपुरा ने अपने-अपने राज्य समूहों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन** किए।

- यह **राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (SEEI)** का छठा संस्करण है।

राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (SEEI) के बारे में

- **विकासकर्ता**: ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) द्वारा **अलायन्स फॉर ऐन एनर्जी एफिशिएंट इकॉनमी (AEEE)** के सहयोग से।
- **उद्देश्य**: यह सूचकांक **36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ऊर्जा दक्षता में प्रदर्शन का आकलन** करता है। इससे डाटा-आधारित निगरानी, सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का आदान-प्रदान और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है।
- **राज्यों को चार प्रदर्शन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:** फ्रंट-रनर्स (60% से अधिक), अचीवर्स (50-60%), कंटेंडर्स (30-50%), एस्पिरेंट्स (30% से कम)।
    - BEE द्वारा शुरू की गई **राज्य ऊर्जा दक्षता कार्य योजनाएँ,** सबसे अधिक ऊर्जा-खपत वाले क्षेत्रकों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने में अहम् भूमिका निभाती हैं।

5.13.2. मानसून से संबंधित चरम मौसमी घटनाएं (Monsoon-related Extreme Weather events)

हालिया घटनाक्रम जैसे **पंजाब में बाढ़; उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन एवं फ्लैश फ्लड** मानसून से जुड़ी चरम मौसमी घटनाओं की बढ़ती संख्या एवं तीव्रता को दर्शाते हैं।

मानसून का बदलता स्वरूप

- **वर्षा का अनियमित पैटर्न:** वर्तमान अनुसंधानों के अनुसार मानसूनी पवनें कमजोर पड़ रही हैं। हालांकि, बढ़ते तापमान के कारण वायुमंडलीय आर्द्रता बढ़ रही है, जिससे काफी प्रचंड वर्षा होती है और **बीच-बीच में वर्षा रहित दिन** भी होते हैं।
- **अल नीनो और मानसून के संबंध में परिवर्तन:** वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण पैटर्न में परिवर्तन के कारण **अल नीनो और भारत में मानसूनी वर्षा में कमी के बीच संबंध कमजोर** हो रहा है।
- **मानसून का स्थानिक वितरण: पहले जहां अधिक वर्षा होती थी वहां कम वर्षा हो रही है** तथा जहां **कम वर्षा होती थी वहां अधिक वर्षा** हो रही है।
    - उदाहरण के लिए- **गंगा बेसिन में स्थित राज्यों में कम वर्षा** हो रही है, जबकि **गुजरात के सौराष्ट्र व राजस्थान में अधिक वर्षा** हो रही है।
- **जलवायु परिवर्तन: समुद्र के जलस्तर और तापमान में वृद्धि** के परिणामस्वरूप मानसून के पैटर्न में परिवर्तन हो रहा है तथा **बादलों की जलवाष्प धारण क्षमता बढ़** रही है। इससे वर्षा की तीव्रता प्रभावित हो रही है।

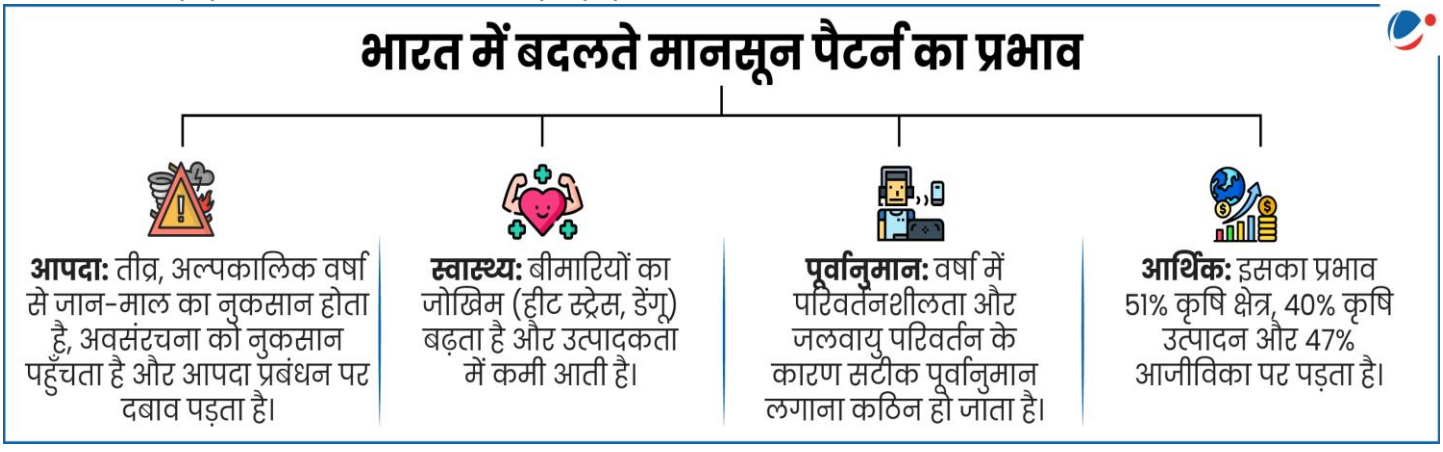

निष्कर्ष

आपदा के बाद कार्रवाई करने की बजाय आपदा के पूर्व कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इसके तहत **संधारणीय अवसंरचना और प्रभावी अग्रिम चेतावनी प्रणालियों के माध्यम से जलवायु एवं आपदा संबंधी सुभेद्यताओं को कम** करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

5.13.3. वैश्विक जल संसाधनों की स्थिति 2024 (State of Global Water Resources 2024)

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने 'वैश्विक जल संसाधनों की स्थिति 2024' रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि **जल चक्र अब और अधिक अस्थिर एवं चरम** होता जा रहा है, जो **कभी बाढ़ तो कभी सूखे** के रूप में सामने आ रहा है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:

- **ग्लेशियर का पिघलना:** लगातार तीसरे साल, दुनिया भर के सभी ग्लेशियर क्षेत्रों में ग्लेशियरों के पिघलने के कारण नुकसान दर्ज किया गया है।
  - कई छोटे-छोटे ग्लेशियर क्षेत्र पहले ही **"पीक वाटर पॉइंट"** तक पहुंच चुके हैं या पहुंचने की कगार हैं। यह वह स्थिति है, जब **किसी ग्लेशियर का पिघलना अपने अधिकतम वार्षिक अपवाह तक पहुंच** जाता है, जिसके बाद ग्लेशियर के सिकुड़ने के कारण यह अपवाह कम हो जाता है।
- **अनियमित जल चक्र:** दुनिया के **दो-तिहाई नदी जलग्रहण क्षेत्रों** में या तो बहुत ज्यादा पानी है या बहुत कम पानी है।
  - यह **बढ़ती हुई चरम घटनाओं** का कारण बन रहा है, जैसे - अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में असामान्य रूप से भारी वर्षा, यूरोप और एशिया में बड़े पैमाने पर बाढ़, अमेजन बेसिन में सूखा, आदि।

जल चक्र

- जल चक्र पृथ्वी और वायुमंडल के भीतर जल की निरंतर गति का वर्णन करता है, जिसमें **पूल एवं फ्लक्स** शामिल होते हैं।
  - **पूल** उन विभिन्न रूपों और स्थानों को संदर्भित करता है, जहां पानी जमा होता है, जैसे झील, ग्लेशियर, वायुमंडल, आदि।
  - **फ्लक्स** जल के पूल्स के बीच जाने के तरीकों को कहते हैं, जिसमें वाष्पीकरण या संघनन जैसे अवस्था परिवर्तन शामिल हैं।
- **जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:** वैश्विक जलवायु का गर्म होना **जल चक्र को तेज** करता है, क्योंकि यह वाष्पीकरण की दर को बढ़ाता है।
  - इससे **वायुमंडल में जल का जमाव अधिक** होता है, जिससे **सूखा, भारी वर्षा और तूफान** जैसी चरम मौसम की घटनाएं बढ़ जाती हैं।
  - यह ग्लेशियरों के पिघलने और समुद्री जल के विस्तार के कारण **समुद्र के जलस्तर को बढ़ा** रहा है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ रही है।

5.13.4. प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट 2025 (Production Gap Report 2025)

प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट 2025 को स्टॉकहोम एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एनालिटिक्स और 'इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट' ने जारी किया।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **अत्यधिक उत्पादन:**
  - वर्ष 2030 में निर्धारित जीवाश्म ईंधन उत्पादन, वैश्विक तापवृद्धि को 1.5°C तक सीमित करने के लिए आवश्यक स्तर से **120% अधिक** और **2°C तक सीमित करने के लिए आवश्यक स्तर से 77%** अधिक होगा।
  - इसमें कोयला की भूमिका सबसे नुकसानदेह है, क्योंकि 2030 तक इसका अनुमानित वैश्विक उत्पादन, तापवृद्धि को 1.5°C सीमित रखने के लिए आवश्यक स्तर से 500% अधिक होगा।
- **सरकारों द्वारा दी जाने वाली जीवाश्म ईंधन सब्सिडियां** अब तक के सर्वोच्च स्तर के करीब बनी हुई हैं, जबकि इनको कम करने की प्रतिबद्धताएं पहले से की जा चुकी हैं।

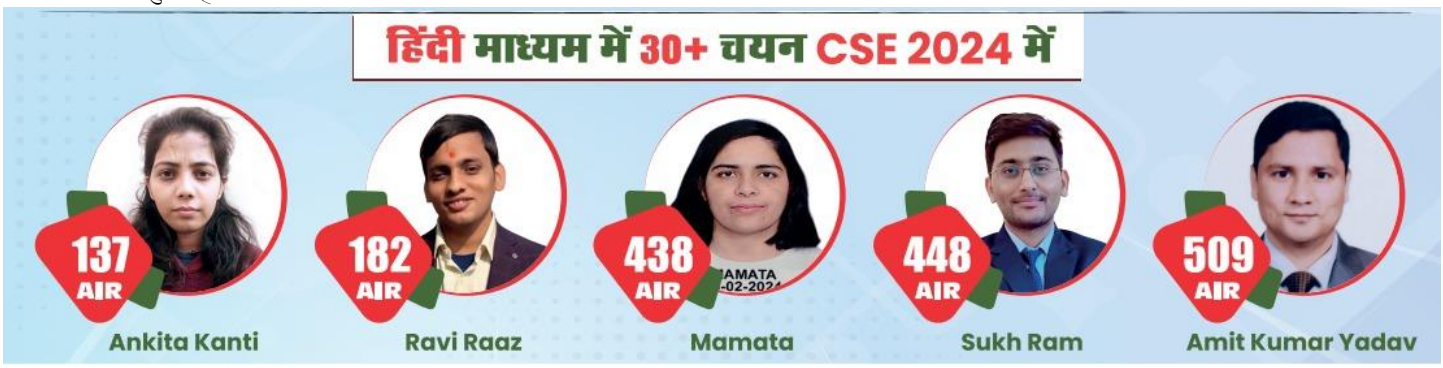

5.13.5. ग्रे राइनो परिघटना (Grey Rhino Event)

हाल के एक अध्ययन के अनुसार **वायनाड भूस्खलन** वास्तव में एक **'ग्रे राइनो परिघटना'** थी।

ग्रे राइनो परिघटना क्या है?

- ग्रे राइनो ऐसी परिघटनाओं को कहते हैं जिनके घटित होने की आशंका अधिक होती है और जिनका **असर बहुत व्यापक होता** है, फिर भी इन्हें **नज़रअंदाज़ किया जाता** है।
  - ये परिघटनाएं **अचानक या अप्रत्याशित नहीं घटित होती** (जैसे कि **ब्लैक स्वान** घटित होती हैं) बल्कि **इनके बारे में पहले से चेतावनी दी गई होती है और सबूत भी मौजूद होते** हैं।

वायनाड भूस्खलन को 'ग्रे राइनो परिघटना' क्यों कहा गया?

- अध्ययन के अनुसार, **वायनाड भूस्खलन** उस क्षेत्र में हुआ जिसे पहले से ही **भूस्खलन-प्रवण क्षेत्र** के रूप में पहचान की गई थी। हाल के वर्षों में यहाँ बार-बार भूस्खलन भी हुए थे, फिर भी सरकार ने इसे अनदेखा कर दिया।

5.13.6. सुपर टाइफून (Super Typhoon)

फिलीपींस में हाल ही में **सुपर टाइफून रागासा** से जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया।

सुपर टाइफून के बारे में

- यह एक प्रकार का **उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इसमें पवन का अधिकतम वेग 185 किलोमीटर प्रति घंटे या 100 नॉट से अधिक होता है।**
  - उष्णकटिबंधीय चक्रवात **गर्म केंद्र और निम्न-दाब वाली प्रणाली है**। इसमें निचले स्तर पर पवन अंदर की ओर सर्पिल रूप से और ऊपरी स्तर पर बाहर की ओर सर्पिल रूप से बहती हैं।
  - इनकी उत्पत्ति हमेशा महासागर के ऊपर होती हैं **जहां समुद्री सतह जल का तापमान 26°C से अधिक होता है।**
  - ये सामान्यतः भूमध्य रेखा से **5° अक्षांश से ऊपर** के क्षेत्रों में विकसित होते हैं।

उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए अलग-अलग नाम:

- **हरिकेन:** उत्तरी अटलांटिक, पूर्वी उत्तरी-प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत महासागर में।
- **साइक्लोन (चक्रवात):** हिंद महासागर में।
- **टाइफून:** पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर में।.
- **विली-विली:** दक्षिणी हिंद महासागर के पूर्वी हिस्से में।

5.13.7. सुर्ख़ियों में रही जलविद्युत परियोजनाएं (Hydro Electric Projects In News)

- **सावलकोट परियोजना:** यह **रन-ऑफ-द-रिवर प्रोजेक्ट** है। यह **चिनाब नदी** पर प्रस्तावित है।
  - **अवस्थिति:** केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के **रामबन और उधमपुर जिले में**।
- **हेओ और टाटो-I:** हाल ही में, प्रधान मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा के करीब सियोम नदी पर **हेओ और टाटो-I** नामक दो जलविद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी।
  - **सियोम नदी के बारे में:** यह **पूर्वी हिमालय** से निकलती है। यह नदी अपने अधिकांश अपवाह मार्ग में **पश्चिम से पूर्व की ओर** बहती है और अंत में **सियांग नदी** में मिल जाती है।
  - **अरुणाचल प्रदेश की सियांग नदी** आगे कई नदियों के मिलने के बाद **ब्रह्मपुत्र नाम से बहती है।**
- **ओजू जलविद्युत परियोजना: भारत-चीन सीमा के पास सुबनसिरी नदी पर ओजू जलविद्युत परियोजना को मंजूरी दी।**
  - **सुबनसिरी नदी** तिब्बत से निकलती है। यह **ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी** है। यह **ट्रांस-हिमालयी पूर्ववर्ती नदी (Antecedent river)** है।
    - यह **भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश** करती है और असम से होकर बहती हुई अंत में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है।
    - इस नदी को **"स्वर्ण नदी"** (Gold River) भी कहा जाता है, **क्योंकि इसके पानी में सोने के कण** पाए जाते हैं।

5.13.8. बैरन द्वीप ज्वालामुखी (Barren Island Volcano)

अंडमान द्वीप समूह के **बैरन द्वीप** ज्वालामुखी में फिर से उद्गार हुआ है।

बैरन द्वीप के बारे में

- **अवस्थिति:** यह पोर्ट ब्लेयर के उत्तर-पूर्व में **अंडमान सागर** (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह,भारत) में स्थित है।
- **विशेषता:** यह भारत का **एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी** है।
- **प्रकार:** यह एक प्रकार का **स्ट्रैटोवोलकानो** है, जो अंडमान ज्वालामुखी चाप का हिस्सा है।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **पर्यावरण** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION
SANDHAN
Vision IAS की ओर से पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज
(UPSC प्रीलिम्स के लिए स्मार्ट रिवीजन, प्रैक्टिस और समग्र तैयारी हेतु ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत एक पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज)

- UPSC द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के साथ–साथ VisionIAS द्वारा तैयार किए गए 25,000 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले प्रश्नों का विशाल संग्रह
- अपनी जरूरत के अनुसार विषयों और टॉपिक्स का चयन करके पर्सनलाइज्ड टेस्ट तैयार करने की सुविधा
- परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट टेस्ट (PIT)
- टेस्ट में अभ्यर्थी के प्रदर्शन के आधार पर, सुधार की गुंजाइश वाले क्षेत्रों पर फीडबैक

अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

2026 | ENGLISH MEDIUM 5 OCTOBER | हिन्दी माध्यम 5 अक्टूबर

Vision Publication
Igniting Passion for Knowledge..!
Scan the QR code to explore our collection and start your journey towards success.

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

6.1. नेपाल में जेन-Z का विरोध प्रदर्शन (Gen Z Protest in Nepal)

सुर्ख़ियों में क्यों?

नेपाल में "जनरेशन Z' या 'जेन-Z' के विरोध-प्रदर्शन के कारण सत्तारूढ़ सरकार के पतन के बाद **सुशीला कार्की को 2026 के चुनाव तक अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त** किया गया है।

नेपाल में जेन-Z विरोध-प्रदर्शन के कारण

- **सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध:** नेपाल सरकार द्वारा 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स (जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि) पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस प्रतिबंध को **'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' को दबाने और नागरिकों के मूल अधिकारों के उल्लंघन** के रूप में देखा गया।
- **बढ़ता भ्रष्टाचार और जवाबदेही की कमी:** व्यापक भ्रष्टाचार, उच्च-स्तरीय घोटालों और कानूनी सुधारों की कमी ने जनता में सरकार के प्रति अविश्वास पैदा किया।
  - **सोशल मीडिया पर वायरल हुए पोस्ट्स** से जीवन में संघर्ष कर रहे आम युवाओं और **राजनेताओं के बच्चों की विलासितापूर्ण जीवन-शैली** के बीच के अंतर को उजागर किया।
- **अन्य कारण:** विरोध-प्रदर्शन के खिलाफ सरकार की जवाबी कार्रवाई, नेपाल की 21% आबादी का 15–24 वर्ष के आयु वर्ग में होने से **युवा जोश की अभिव्यक्ति**, बांग्लादेश जैसे **वैश्विक युवा आंदोलनों से प्रेरणा** तथा 1990 और 2006 के जन-आंदोलन जैसे राजनीतिक विरोधों का इतिहास।

जेन-Z के विरोध-प्रदर्शनों ने वास्तव में **विरोध प्रदर्शनों के बदलते स्वरूप और युवा आबादी द्वारा निभाई जा रही भूमिका को रेखांकित किया है।**

युवा आंदोलनों की विशेषताएं

- **विकेन्द्रीकृत और नेतृत्व-रहित आंदोलन**: **"बी वाटर"** यानी **"पानी जैसा बनो" रणनीति** के तहत बिना किसी स्थायी नेतृत्व के लचीलापन और परिस्थिति के अनुसार ढलना।
  - **उदाहरण के लिए**: **हांगकांग विरोध-प्रदर्शन (2019)** का कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं होने के कारण प्रशासन के लिए आंदोलन को समाप्त करना कठिन हो गया।
- **प्रौद्योगिकी और डिजिटल माध्यमों का उपयोग:** अधिकारियों की निगरानी से बचने के लिए एन्क्रिप्टेड ऐप्स (जैसे टेलीग्राम, सिग्नल), वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क(VPNs) और पहचान को गुप्त रखने वाले ऑनलाइन टूल्स का प्रयोग किया जाता है।
  - **उदाहरण के लिए**: म्यांमार के युवा कार्यकर्ताओं ने 2021 के सैन्य तख्तापलट के दौरान सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद विरोध-प्रदर्शन में सहयोग के लिए VPNs का उपयोग किया।
- **सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जुटाना:** वायरल **हैशटैग, मीम्स और इन्फ्लुएंसर्स** के जरिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाया जाता है और मुद्दों का प्रसार किया जाता है।
  - **उदाहरण के लिए: #MilkTeaAlliance** (हांगकांग, ताइवान, थाईलैंड, म्यांमार) तथा **अरब स्प्रिंग** (ट्यूनीशिया, मिस्र, 2011)।
- **मिश्रित रणनीतियां**: जैसे, हांगकांग के प्रदर्शनकारियों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर योजना बनाई और ऑफलाइन **"लेनन वॉल्स"** के माध्यम से इसे अभिव्यक्ति दी।
- **युवा-केंद्रित और विद्यार्थी-प्रेरित:** जेन-Z स्वयं को बदलाव का माध्यम मानती है और पुरानी पीढ़ियों की तुलना में सत्ता को चुनौती देने के लिए अधिक तत्पर है।
  - **उदाहरण के लिए**: थाईलैंड में राजशाही व्यवस्था में सुधार के लिए छात्रों के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन (2020)।
- **अलग-अलग मुद्दे एक साथ जुड़ना**: अलग-अलग सामाजिक और पर्यावरणीय सरोकारों को एक साथ जोड़ना।
  - **उदाहरण के लिए:** FridaysForFuture (जलवायु परिवर्तन के लिए) और **ईरान में जेन-Z महिलाओं के नेतृत्व वाले "वीमेन, लाइफ, एंड फ्रीडम" आंदोलन (2022)।**

- **अपरंपरागत और प्रतीकात्मक विरोध की शैली:** अलग-अलग संस्कृतियों के तत्वों का मिश्रण (अंतरराष्ट्रीय गीतों व कला का उपयोग), मौन प्रदर्शन, ब्लैंक प्लेकार्ड्स, फ्लैश मॉब, वायरल डांस चैलेंज आदि।
  - **उदाहरण के लिए**: चीन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए **"ब्लैंक पेपर प्रोटेस्ट"** (2022)।
- **अल्पकालिक लेकिन उच्च प्रभाव वाले आंदोलन:**
  - **उदाहरण के लिए:** श्रीलंका का **"अरगलया" आंदोलन (2022)** — जो कम समय के लिए चला, लेकिन गहरा प्रभाव छोड़ गया।

नागरिक आंदोलनों में युवाओं की भूमिका

- **औपनिवेशिक शासन से मुक्ति आंदोलनों में:** उदाहरण के लिए, कांग्रेस के युवा संगठन ने शांतिपूर्ण आंदोलन का नेतृत्व किया, जबकि **अनुशीलन समिति और युगांतर समूह** जैसे क्रांतिकारी संगठनों ने भारत में सशस्त्र प्रतिरोध किया।
- **नागरिक अधिकार आंदोलनों में:** उदाहरण के लिए, अमेरिका का **सिविल राइट्स मूवमेंट** और विद्यार्थियों के नेतृत्व में वियतनाम युद्ध का विरोध प्रदर्शन — इन आंदोलनों ने अधिनायकवाद (Authoritarianism), युद्ध और सामाजिक असमानता के प्रति युवाओं के विरोध को उजागर किया।
- **लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा में:** उदाहरण के लिए, **बेलारूस (2020)** में चुनावी धोखाधड़ी और सत्तावादी दमन के खिलाफ विद्यार्थियों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन।
- **सुशासन और पारदर्शिता की मांग में:** उदाहरण के लिए, भारत में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन (2011) जिसने सरकारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यापक जन-जागरूकता पैदा की और अंततः **लोकपाल संस्था के गठन** का मार्ग प्रशस्त किया।

आगे की राह

- **युवा-केंद्रित आर्थिक नीति बनाना:** उद्यमिता, व्यावसायिक (वोकेशनल) प्रशिक्षण और कौशल विकास को बढ़ावा देना चाहिए।
  - **उदाहरण के लिए: मेडेलिन (कोलंबिया)** में लाइब्रेरी पार्क और **रूटा N (इनोवेशन हब)** जैसी पहलों ने युवाओं को अपराध से दूर रखते हुए उन्हें विकास के वाहक में बदल दिया।
- **नीति-निर्माण में युवाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाना**: सार्थक भागीदारी से युवाओं की आकांक्षाओं को सही दिशा दी जा सकती है। इससे उनमें व्यवस्था के प्रति नीरसता की भावना कम होती है और सामाजिक एकजुटता एवं स्थिरता सुनिश्चित होती है।
- **शहरी रेजिलिएंस का विस्तार:** उदाहरण के लिए: **केपटाउन की रेज़िलिएंस स्ट्रैटेजी** ने अपने रेजिलिएंस एजेंडे में युवा बेरोजगारी और सामाजिक असुरक्षा को शामिल किया है तथा सामुदायिक सुरक्षा कार्यक्रमों और गरीब इलाकों में नागरिक भागीदारी मंचों को बढ़ावा दिया है।
- **उत्तरदायी शासन सुनिश्चित करना**: डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का बेहतर उपयोग करते हुए संवाद, शिकायत निवारण और नीति के प्रचार के लिए सोशल मीडिया के सही उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए, साथ ही गलत सूचना से निपटने के लिए प्रयास करना चाहिए और नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देना चाहिए।
- **सॉफ्ट पावर और समुदाय को जोड़ना**: नागरिक शिक्षा, स्वयंसेवा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर युवाओं में व्यवस्था या इसकी पहलों के प्रति जुड़ाव की भावना विकसित करनी चाहिए। जैसे कि जलवायु कार्रवाई, सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) और स्थानीय समस्याओं के समाधान में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष

"ऐसे समय आ सकते हैं जब हम अन्याय को रोकने में असमर्थ हों, लेकिन ऐसा समय कभी नहीं आना चाहिए जब हम विरोध करने में असफल हों" — (एली विज़ल)। जेन Z के विरोध-प्रदर्शन इसी प्रकार की नागरिक सक्रियता का प्रतीक हैं — जो सत्ता को चुनौती देते हैं, हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज को बुलंद करते हैं और लोकतांत्रिक भागीदारी के स्वरूप को फिर से परिभाषित करते हैं।

6.2. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (PWDVA), 2005 {Protection of Women From Domestic Violence Act (PWDVA), 2005}

सुर्ख़ियों में क्यों?

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (PWDV Act, 2005) को लागू हुए **20 वर्ष पूरे हो गए।**

PWDVA के बारे में

- इस अधिनियम का उद्देश्य **संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत** महिलाओं को प्रदान किए गए **मूल अधिकारों की सुरक्षा** सुनिश्चित करना है।
- भारत, **"महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव का उन्मूलन पर अभिसमय (CEDAW)**[66] का हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते, घरेलू हिंसा को मानवाधिकारों के उल्लंघन के रूप में मान्यता देते हुए इस पर विशेष कानून बनाने के लिए बाध्य था।

अधिनियम के मुख्य प्रावधान

- **घरेलू हिंसा (DV) की व्यापक परिभाषा:** इस अधिनियम के अंतर्गत "घरेलू हिंसा" की परिभाषा अत्यंत व्यापक है, इसमें वास्तविक हिंसा या हिंसा की धमकी - **शारीरिक, यौन, भावनात्मक, मौखिक तथा आर्थिक उत्पीड़न** सभी शामिल हैं।
  - दहेज की अवैध मांगों के माध्यम से महिला या उसके परिजनों को प्रताड़ित करना भी घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है।
- **विस्तार**: यह अधिनियम **विवाह, लिव-इन रिलेशनशिप, पारिवारिक संबंधों और साझा गृहस्थी** में रहने वाली सभी महिलाओं पर लागू होता है।
- **महिलाओं के अधिकार:**
  - साझा गृहस्थी में रहने का अधिकार (**भले ही घर का स्वामित्व किसी के पास हो**)।
  - **बच्चे की अस्थायी कस्टडी या अभिरक्षा** का अधिकार।
  - **अन्य राहतें, जैसे —**
    - **संरक्षण आदेश:** घरेलू हिंसा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए;
    - **मौद्रिक राहत (Monetary Orders):** स्वयं और बच्चों के भरण-पोषण के लिए।
    - **क्षतिपूर्ति आदेश:** हिंसा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए।
- **संस्थागत व्यवस्था**:
  - **संरक्षण अधिकारी**: इनकी नियुक्ति पीड़िता की सहायता करने, कानूनी मदद दिलाने, राहत आदेशों का पालन सुनिश्चित करने और मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देने के लिए की जाती है।
    - उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे शिकायत प्राप्त होने पर घरेलू हिंसा के मामलों की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को दें और मजिस्ट्रेट को अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता करें।
  - **सेवा प्रदाता**: एनजीओ और सरकारी एजेंसियां जो पीड़ित महिलाओं को **परामर्श, आश्रय, चिकित्सीय सहायता** तथा **कानूनी सहायता** प्रदान करती हैं।
  - **सरकार के कर्तव्य:** घरेलू हिंसा संबंधी **जन जागरूकता बढ़ाना**, संबंधित अधिकारियों एवं संगठनों को **प्रशिक्षण** देना तथा सभी हितधारकों के बीच **समन्वय स्थापित करना**।
- **प्रक्रिया और प्रवर्तन:**
  - **समय पर न्याय:** पीड़िता 60 दिनों के भीतर त्वरित सिविल न्यायिक राहत प्राप्त कर सकती है।
  - **साक्ष्य:** पीड़िता का स्वयं का बयान साक्ष्य के रूप में पर्याप्त माना जाता है, जिससे उस पर प्रमाण प्रस्तुत करने का बोझ कम होता है।
  - **दंड:** न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने पर कारावास या जुर्माना हो सकता है।

क्या यह अधिनियम सफल रहा है?

- **न्यायिक निर्णयों के माध्यम से संरक्षण के दायरे का विस्तार:** महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों ने इस अधिनियम के दायरे का विस्तार किया है।

---

[66] Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women

- उदाहरण के लिए: **डी. वेलुसामी बनाम डी. पचैअम्मल, 2010 वाद** में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को भी संरक्षण अधिकार दिए गए। इसी तरह **हीरालाल पी. हरसोरा बनाम कुसुम हरसोरा, 2016 वाद** में अधिनियम के तहत प्रतिवादी के रूप में केवल पुरुषों के होने की बाध्यता हटाई गई।

- **घरेलू हिंसा कानून के तहत दर्ज मामलों में गिरावट:** अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की संख्या 2021 में 507 थी जो 2022 में घटकर 468 हो गई।
  - **इसी प्रकार, पति-पत्नी के बीच हिंसा के मामलों में भी कमी आई है।** राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)-4 (2015–16) के अनुसार 31.2% विवाहित महिलाओं ने इस तरह की हिंसा की शिकायत की थी, जो NFHS-5 (2019–20) में कम होकर 29.3% रह गई।
- **महिला अधिकारों को मान्यता और सांस्कृतिक परिवर्तन:** इस कानून ने घरेलू हिंसा को एक निजी पारिवारिक मामले की बजाय एक गंभीर सामाजिक और कानूनी मुद्दे के रूप में प्रस्तुत किया है, जिससे समाज की सोच में बदलाव आया है।
- **त्वरित संरक्षण हेतु नागरिक उपाय:** आपराधिक कानून कई बार महिलाओं को शिकायत दर्ज करने से हतोत्साहित करते हैं, वहीं PWDVA महिलाओं को **संरक्षण आदेश, आश्रय का अधिकार, और भरण-पोषण के आदेश** जैसी सिविल राहत प्रदान करता है, जो सुरक्षा और पुनर्वास पर केंद्रित हैं।
- **अन्य प्रमुख उपलब्धियां:**
  - इसने शारीरिक क्रूरता और दहेज उत्पीड़न के अलावा **दुर्व्यवहार के विभिन्न रूपों को कानूनी मान्यता** दी है, जो IPC की धारा 498A जैसे पिछले कानूनों के दायरे से बाहर थे।
  - **सहायता प्राप्त करने के कई अन्य साधन प्रदान किए गए हैं।**

क्रियान्वयन में चुनौतियां

- **दोषसिद्धि की कम दर**: PWDVA के तहत **दोषसिद्धि** दर लगभग 18% (राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट 2022) है, जो दर्शाता है कि बहुत कम मामलों में सज़ा हो पाती है।
- **न्यायिक और कानूनी सीमाएँ:** कुछ न्यायिक व्याख्याओं ने अधिकारों को सीमित किया है जैसे कि **एस.आर. बत्रा बनाम तरूणा बत्रा (2007)** मामले में सुप्रीम कोर्ट ने **"साझा घर" (Shared Household) की परिभाषा को संकीर्ण करते हुए** कई महिलाओं के लिए संरक्षण का दायरा सीमित कर दिया।
  - **साक्ष्य और प्रमाण जुटाने में समस्याओं का सामना** करना पड़ता है। पीड़िता के मौखिक बयान को मान्यता दिए जाने के बावजूद ठोस गवाहों और दस्तावेजों की कमी के चलते कानून के तहत सजा दिलाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- **सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं:** समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता गहरी पैठ जमा चुकी है। घरेलू हिंसा को निजी पारिवारिक मामला माना जाता है और विवाह विच्छेद या तलाक से जुड़ा सामाजिक कलंक, वास्तव में महिलाओं को कानूनी सहायता लेने से रोकता है।
- **कानूनी सुरक्षा के बावजूद घरेलू हिंसा की अधिक घटनाएं:** 2022 में महिलाओं के खिलाफ दर्ज सभी प्रकार के अपराधों में 31.4% मामले पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता (IPC धारा 498A) से संबंधित थे।
- **अन्य चुनौतियां**:
  - **संरक्षण अधिकारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं** देना और कर्मचारियों की कम संख्या इस कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने में मुख्य बाधा है।
  - विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में **आश्रय गृहों और सेवा प्रदाताओं की संख्या कम** है।
  - पुलिस अधिकारी घरेलू हिंसा से जुड़े मामले में **असंवेदनशीलता दिखाते हैं।**
  - घरेलू हिंसा में **केवल महिला को ही पीड़ित माना जाता है।** पीड़ित पुरुषों के मामलों की उपेक्षा की जाती है।

घरेलू हिंसा से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए प्रमुख उपाय

- **वन स्टॉप सेंटर (OSC):** यह **मिशन शक्ति** नामक अम्ब्रेला योजना का एक घटक है। इसके तहत हिंसा की पीड़िता और संकट का सामना कर रहीं महिलाओं को एक ही जगह एकीकृत सहायता प्रदान की जाती है।
- **आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ERSS-112)[67]:** इसे अलग-अलग आपात स्थितियों से निपटने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित किया गया है। इसमें क्षेत्रीय/पुलिस संसाधनों का **कंप्यूटर एडेड डिस्पैच** शामिल है।
- **निर्भया कोष:** इसके अंतर्गत, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) ने जांच अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए हैं।
- **अन्य उपाय:** पुलिस थानों में **महिला हेल्प डेस्क (WHD)** स्थापित किए गए हैं; पूरे देश के लिए **एकल महिला हेल्पलाइन नंबर** जारी किया गया है, आदि।

[67] Emergency Response Support System

आगे की राह

- पीड़ितों को उत्कृष्ट सहायता प्रदान करने तथा अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु **संरक्षण अधिकारियों के लिए निर्धारित मानकों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार की जरूरत** है।
- घरेलू हिंसा की घटनाओं की रिपोर्टिंग को सुगम बनाने एवं पुलिस के प्रति जन विश्वास को सुदृढ़ करने के लिए **महिला-केंद्रित पुलिस इकाइयों का विस्तार तथा उनका संवेदीकरण** अनिवार्य है।
- पीड़िताओं को आजीवन समग्र सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से **आश्रय गृहों तथा पुनर्वास कार्यक्रमों में वृद्धि** की जानी चाहिए।
- पितृसत्तात्मक मानसिकता के उन्मूलन हेतु **महिलाओं के शैक्षिक, आर्थिक एवं सामुदायिक सशक्तिकरण को बढ़ावा** दिया जाना चाहिए।
- घरेलू हिंसा की महिला अभियुक्तों से निपटने एवं उनकी पुनर्वास व्यवस्था के विस्तार के लिए विधिक ढांचे में **आवश्यक संशोधन** किए जाने चाहिए।
- घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की स्वायत्तता सुनिश्चित करने हेतु उन्हें **STEP जैसी सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित** किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

अपने प्रवर्तन के दो दशकों के पश्चात, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में स्थापित होने के साथ-साथ समाज का प्रतिबिंब भी प्रस्तुत करता है। यह अधिनियम भारत में महिला अधिकारों को मान्यता प्रदान करने की दिशा में हुई प्रगति का प्रतीक है। हालांकि, उन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अवरोधों को समाप्त करने हेतु अभी एक लंबी यात्रा अभी बाकी है, जो महिलाओं को हिंसात्मक घरेलू परिवेश में बने रहने के लिए विवश करती हैं।

6.3. भारत में प्रजनन दर में गिरावट (Decline in Fertility Rate in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) की सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार, **ग्रामीण भारत में कुल प्रजनन दर** (TFR)[68] ने पहली बार **2.1 की प्रतिस्थापन दर** को प्राप्त किया है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **कुल प्रजनन दर (TFR):** यह किसी महिला द्वारा अपने संपूर्ण प्रजनन काल में उत्पन्न होने वाली संतानों की औसत संख्या को दर्शाती है।
  - **राष्ट्रीय स्तर:** 2023 में भारत में कुल प्रजनन दर **1.9** थी।
    - **18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से कम दर्ज की गई।**
  - **ग्रामीण बनाम शहरी:** ग्रामीण क्षेत्रों में कुल प्रजनन दर **2.1** है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह **1.5** है।
    - यह पहली बार है जब ग्रामीण भारत में कुल प्रजनन दर (TFR) प्रतिस्थापन स्तर तक पहुँच गई है।
  - **सर्वाधिक कुल प्रजनन दर:** बिहार (2.8)
  - **न्यूनतम कुल प्रजनन दर:** दिल्ली (1.2)
- **शैक्षिक स्तर के आधार पर कुल प्रजनन दर (TFR):** माँ के शिक्षा का स्तर और कुल प्रजनन दर के बीच प्रतिकूल (व्युत्क्रम) संबंध होता है।
  - **निरक्षर महिलाएं**: भारत में निरक्षर महिलाओं में कुल प्रजनन दर 3.3 थी।
  - **साक्षर महिलाएं**: साक्षर महिलाओं में कुल प्रजनन दर 1.8 थी।
- **सकल प्रजनन दर (GRR)[69]:** यह एक महिला के जीवनकाल में होने वाली बेटियों की औसत संख्या को संदर्भित करती है।
  - **राष्ट्रीय स्तर:** भारत में सकल प्रजनन दर 0.9 थी।
  - **ग्रामीण बनाम शहरी:** ग्रामीण सकल प्रजनन दर (1.0) शहरी सकल प्रजनन दर (0.7) से थोड़ा अधिक थी, जिससे पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएँ शहरी क्षेत्रों की महिलाओं की तुलना में अधिक बेटियों को जन्म दे रही हैं।
- **आयु-विशिष्ट प्रजनन दर (ASFR)[70]:** यह किसी विशिष्ट आयु वर्ग में प्रति 1,000 महिला जनसंख्या पर जीवित जन्मों की संख्या को मापती है।

[68] Total Fertility Rate

[69] Gross Reproduction Rate

[70] Age-Specific Fertility Rates

- **युवा महिलाओं (15-29 वर्ष) की ASFR** में तीव्र कमी दर्ज की गई है, जबकि वृद्ध महिलाओं (30-49 वर्ष) में वृद्धि दर्ज की गई है।
- **सर्वाधिक प्रजनन दर 25-29** आयु वर्ग की महिलाओं में (136.8) दर्ज की गई है, उसके बाद 20-24 आयु वर्ग (107.5) का स्थान है।

- **अशोधित जन्म दर (CBR)**[71] से आशय एक वर्ष में प्रति 1,000 जनसंख्या पर जीवित जन्मों की संख्या से है।
  - **राष्ट्रीय स्तर:** भारत में कुल अशोधित जन्म दर 2023 में **18.4** थी, जो 2022 से 0.7 अंकों की गिरावट दर्शाती है।
    - **पिछले पांच वर्षों में राष्ट्रीय कुल अशोधित जन्म दर में 1.6 अंकों की गिरावट** दर्ज की गई है।
  - **ग्रामीण बनाम शहरी:** शहरी क्षेत्रों (14.9) की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों (20.3) में **कुल अशोधित जन्म दर अधिक है।**
  - **सबसे अधिक कुल अशोधित जन्म दर वाला राज्य**: बिहार (25.8)
  - **सबसे कम कुल अशोधित जन्म दर वाला राज्य**: तमिलनाडु (12.0)

प्रजनन दर में गिरावट के कारण

- **परिवार नियोजन कार्यक्रमों का प्रभावी तरीके से लागू होना:** इन कार्यक्रमों ने "छोटा परिवार" जैसी सोच को सामाजिक रूप से स्वीकार्य बनाया है, जिससे परिवार नियोजन के प्रति अनुकूल माहौल तैयार हुआ है।
- **विवाह और मातृत्व के प्रति सामाजिक सोच में बदलाव:** महिलाएँ अब विवाह में देरी कर रही हैं या विवाह न करने का निर्णय ले रही हैं और मातृत्व की तुलना में करियर व आर्थिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता दे रही हैं।
- **पालन-पोषण के उच्च मानक:** प्रत्येक संतान के विकास पर अधिक समय, ध्यान और संसाधन खर्च करने की सामाजिक अपेक्षाओं के कारण अधिक बच्चों का पालन-पोषण चुनौतीपूर्ण अथवा अव्यावहारिक होता जा रहा है।
- **स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में सुधार और शिशु मृत्यु दर में कमी:** बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ और कम शिशु मृत्यु दर (IMR) गर्भनिरोधक के अधिक उपयोग और कम प्रजनन दर से जुड़ी हुई हैं।

जनसंख्या वृद्धि के लिए कुछ सरकारी पहलें

- **राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000:** इसका उद्देश्य प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन दर प्राप्त करके जनसंख्या को स्थिर करना था। इसमें मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, परिवार नियोजन सेवाओं की सुलभता और गर्भनिरोधक साधनों के प्रसार पर विशेष ध्यान दिया गया।
- **गर्भनिरोधक साधनों में वृद्धि**: सरकार ने लोगों को अधिक विकल्प देने के लिए इंजेक्टेबल गर्भनिरोधक **"अंतरा" (Antara)** और नॉन-हार्मोनल गोली **"छाया" (Centchroman)** जैसे नए विकल्प जोड़े हैं।
  - ये विकल्प कंडोम, गर्भनिरोधक गोलियों, IUCDs और नसबंदी के साथ उपलब्ध हैं ताकि हर दंपति अपनी आवश्यकता और सुविधा के अनुसार विकल्प का चयन कर सके।
- **मिशन परिवार विकास:** यह एक लक्षित कार्यक्रम है जो **सात उच्च प्रजनन दर वाले राज्यों** और **छह पूर्वोत्तर राज्यों पर केंद्रित** है। इसका उद्देश्य परिवार नियोजन सेवाओं की पहुँच एवं गुणवत्ता में सुधार कर जनसंख्या स्थिरीकरण को प्रोत्साहित करना है।

- **पुत्र के जन्म को प्राथमिकता देने की सोच में कमी आना:** पहले जहाँ पुत्र के जन्म होने तक संतान उत्पत्ति जारी रहती थी, वहीं अब लैंगिक समानता की सोच और महिलाओं की शिक्षा व सशक्तिकरण के कारण यह सोच कमजोर पड़ी है।
- **बढ़ती इनफर्टिलिटी और गर्भपात की दर:** पुरुषों और महिलाओं दोनों में इनफर्टिलिटी के मामलों में वृद्धि तथा गर्भपात की बढ़ती दर भी प्रजनन दर में गिरावट के प्रमुख कारणों में शामिल हैं।

कुल प्रजनन दर में गिरावट के प्रभाव

सकारात्मक प्रभाव:

- **आर्थिक रूप से सक्रिय आबादी में वृद्धि:** प्रजनन दर घटने से 15–59 वर्ष आयु वर्ग की "आर्थिक रूप से सक्रिय" आबादी का अनुपात बढ़ा है, जिससे श्रम शक्ति में अधिक भागीदारी हो रही है।
- **आर्थिक विकास को प्रोत्साहन:** घटती प्रजनन दर से श्रम भागीदारी, बचत दर और मानव एवं भौतिक पूंजी के संचय में वृद्धि होती है, जो आर्थिक संवृद्धि को गति प्रदान करती है।
- **सामाजिक असमानताओं में कमी:** जनसंख्या वृद्धि की गति कम होने से सरकार के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य-देखभाल और सामाजिक सेवाओं को सबके लिए सुलभ बनाना आसान होता है, जिससे सामाजिक और क्षेत्रीय विषमताओं में कमी आती है।
- **पर्यावरणीय संधारणीयता:** धीमी जनसंख्या वृद्धि से जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और पर्यावरणीय क्षरण पर दबाव कम होता है, जिससे सतत विकास को बल मिलता है।

[71] Crude Birth Rate

नकारात्मक प्रभाव

- **आर्थिक और सामाजिक प्रगति में बाधा:** निम्न जन्म दर और कम जनसंख्या का अर्थ है — कम श्रमिक, बचतकर्ताओं की कम संख्या और कम उपभोक्ता, जिससे अर्थव्यवस्था में संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- **आबादी में वृद्धजनों का बढ़ता अनुपात (Ageing Population):** जिन राज्यों में दीर्घकाल से प्रजनन दर कम रही है, जैसे केरल (TFR 1.5), वहाँ अब वृद्धजनों का अनुपात सर्वाधिक (15.1%) है।
- **असमान क्षेत्रीय विकास:** प्रजनन दर में क्षेत्रीय असमानताएं, क्षेत्रीय विषमताओं और राजनीतिक प्रतिनिधित्व यानी संसद में प्रतिनिधित्व में असंतुलन को बढ़ा सकती हैं।
  - **उदाहरण के लिए:** बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे उत्तरी राज्यों में जन्म दर अभी भी प्रतिस्थापन स्तर से अधिक हैं।
- **प्रजनन दर में गिरावट को रोकने की चुनौती:** एक बार प्रजनन दर घटने के बाद इसे वापस बढ़ाना अत्यंत कठिन होता है।
  - **उदाहरण के लिए**: दक्षिण कोरिया द्वारा जनसंख्या संकट को रोकने के कई प्रयास करने के बाद भी वहाँ की प्रजनन दर 2022 के 0.78 से घटकर 2023 में 0.73 रह गई।

आगे की राह

- **अलग-अलग नीतियां अपनाना**: कम प्रजनन दर वाले राज्यों में जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देने वाले उपायों की आवश्यकता है, वहीं उच्च प्रजनन दर वाले राज्यों में महिला शिक्षा, स्वास्थ्य-देखभाल सेवाओं तक पहुँच और जन-जागरूकता में निरंतर निवेश आवश्यक है।
- **अधिकार-आधारित परिवार नियोजन दृष्टिकोण अपनाना**: परिवार नियोजन को स्वैच्छिक एवं अधिकार-आधारित बनाए रखते हुए, गर्भनिरोधक विकल्पों का विस्तार किया जाना चाहिए तथा केवल महिला नसबंदी पर निर्भरता से इतर व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।
- **आबादी में वृद्धजनों के बढ़ते अनुपात को देखते हुए योजना बनाना:** सामाजिक सुरक्षा, पेंशन योजनाओं और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को प्रभावी बनाने के लिए वृद्धजन-अनुकूल नीतियाँ बनाना आवश्यक है।
- **सुलभ और सब्सिडी युक्त बाल देखभाल**: कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बनाए रखने के लिए **"पालना योजना"** जैसी सार्वभौमिक, उच्च-गुणवत्ता वाली और सब्सिडी युक्त शिशु-देखभाल (क्रेच) सुविधाओं का विस्तार शहरी तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में किया जाना चाहिए।
- **महिला एवं पुरुष, दोनों को पैरेंटल अवकाश की सुविधा देना:** माता-पिता, दोनों के लिए सवेतन पैरेंटल अवकाश को लागू और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि संतान के 'साझा-देखभाल' की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिले। इससे संतान के पालन-पोषण का बोझ अकेले महिलाओं को नहीं उठाना पड़ेगा और उन्हें अपने करियर से समझौता नहीं करना पड़ेगा।

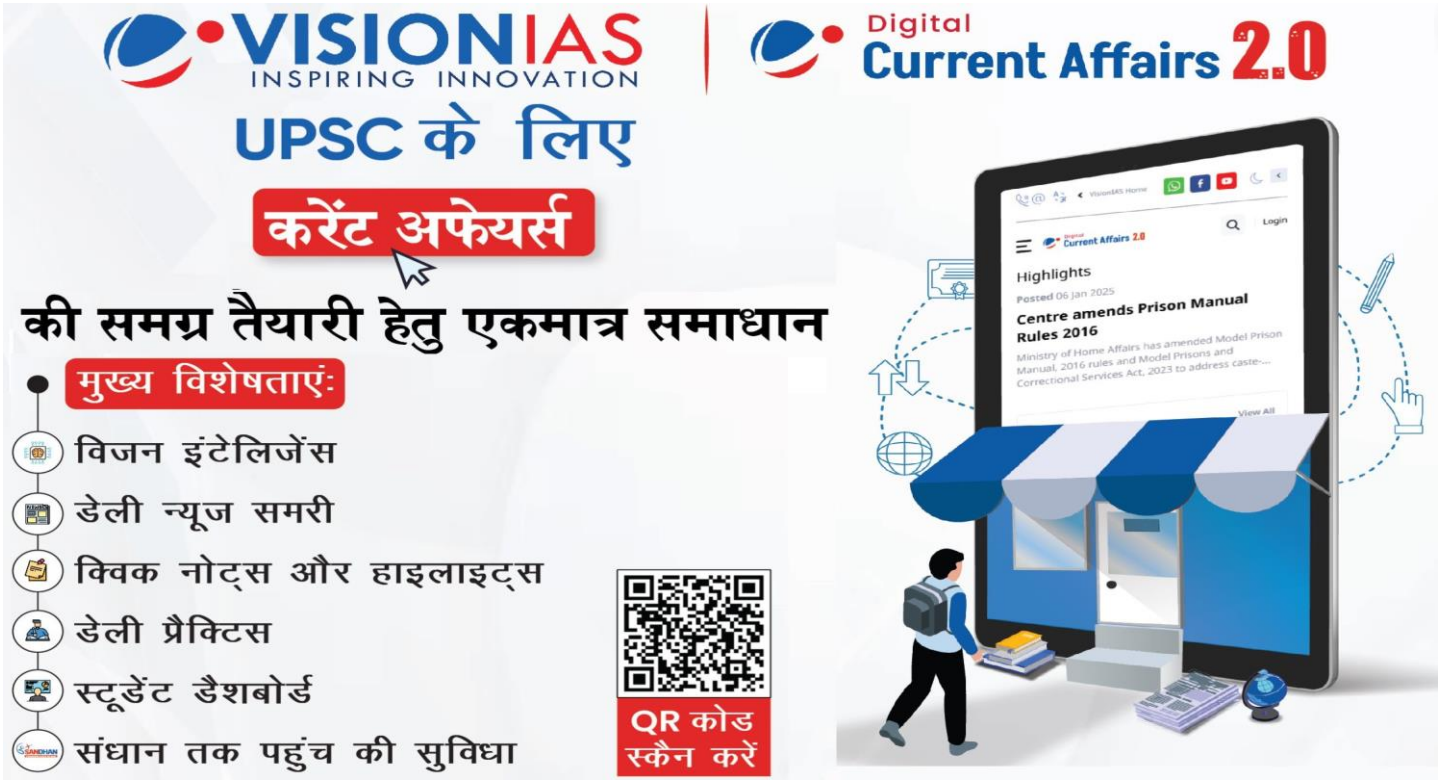

6.4. मोटापा और ओवरवेट (Obesity and Overweight)

सुर्ख़ियों में क्यों?

यूनिसेफ की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, **पहली बार बच्चों और किशोरों में मोटापे की व्यापकता कम वजन वाले बच्चों के अनुपात से अधिक** हो गई है। यह वैश्विक बाल पोषण प्रवृत्तियों में एक बड़े बदलाव को दर्शाता है।

यूनिसेफ रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **5-19 वर्ष की आयु के बच्चों और किशोरों में मोटापे का अनुपात (9.4%)** वास्तव में **कम वजन वाले बच्चों के अनुपात (9.2%)** से अधिक हो गया है।
  - इस आयु वर्ग में **मोटापा वर्ष 2000 के 3% के अनुपात से तीन गुना बढ़कर 9.4%** हो गया है, जबकि **कम वजन वाले बच्चों का अनुपात लगभग 13% से घटकर 9.2%** हो गया है।
- वैश्विक स्तर पर, **5 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बीस में से एक शिशु (5%)** तथा **5-19 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक पाँच में से एक बच्चा और किशोर (20%) अधिक वज़न** (ओवरवेट) की श्रेणी में है।
- निम्न और मध्यम आय वाले देशों में ओवरवेट की समस्या में तीव्रतम वृद्धि दर्ज की जा रही है।
- **उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया** को छोड़कर प्रत्येक क्षेत्र में मोटापे की दर, कम वजन की दर से अधिक है।

NFHS-3 (2005-06) से NFHS-5 (2019-21) तक भारत में ओवरवेट और मोटापे की बढ़ती दरें

- **बच्चों में (5 वर्ष से कम):** 1.5% से बढ़कर 3.4%।
- **किशोरों में:**
  - **बालिकाओं में:** 2.4% से बढ़कर 5.4%।
  - **बालकों में:** 1.7% से बढ़कर 6.6%।
- **वयस्कों में:**
  - **महिलाओं में:** 12.6% से बढ़कर 24.0%।
  - **पुरुषों में:** 9.3% से बढ़कर 22.9%।

बाल मोटापे में वृद्धि के कारण

- **स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले आहार का सेवन:** बच्चों के भोजन में अब अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों (UPFs) का समावेश बढ़ गया है। इन फूड्स में चीनी, नमक, अस्वास्थ्यकर वसा और एडिटिव्स प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती हैं। इन उत्पादों की अधिक मार्केटिंग बच्चों में भोजन की पसंद को गहराई से प्रभावित कर रही है।
- **आर्थिक कारण:** अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ प्रायः पोषक एवं ताज़े खाद्य पदार्थों की तुलना में सस्ते होते हैं।
  - यह मूल्य असमानता आंशिक रूप से मक्का, सोयाबीन और गेहूं जैसे मुख्य कृषि उत्पादों पर दी जाने वाली सब्सिडी और शेल्फ-लाइफ (भंडारण अवधि) बढ़ाने वाले खाद्य संरक्षक (प्रिजर्वेटिव्स) के उपयोग के कारण है।
- **विद्यालयी भोजन कार्यक्रमों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का उपयोग:** 2024 के 'ग्लोबल सर्वे ऑफ स्कूल मील प्रोग्राम्स' के अनुसार, विश्व भर के प्रत्येक चार में से एक स्कूल मील प्रोग्राम में प्रसंस्कृत मांस परोसा जाता है। अनेक विद्यालय मिष्ठान्न, तले हुए खाद्य पदार्थ तथा शर्करा युक्त पेय भी परोसते हैं।
- **शारीरिक निष्क्रियता में वृद्धि**: खुले स्थानों की कमी, परिवहन के साधनों में बदलाव और तीव्र शहरीकरण के कारण शारीरिक गतिविधियों में वैश्विक स्तर पर कमी आई है।
- **आनुवंशिक कारण और विकार:** कुछ मामलों में, मोटापा कई वजहों से होने वाला रोग है, जिस पर आनुवंशिक विविधताओं का भी प्रभाव पड़ता है।
- **अप्रभावी नीतियां**: केवल 7% देशों में अनिवार्य **'फ्रंट-ऑफ-पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग'** की व्यवस्था है और **केवल 8% देशों में स्वस्थ खाद्य पदार्थों पर सब्सिडी** दी जाती है।

बढ़ते बाल मोटापे के दुष्प्रभाव

- **कुपोषण का दोहरा बोझ:** भारत जैसे देश में **ओवरवेट और अल्पपोषण दोनों एक साथ मौजूद हैं,** जिससे नीति-निर्माताओं के समक्ष एक दोहरी चुनौती उत्पन्न हो गई है।
- **गैर-संचारी रोगों (NCDs) का बढ़ता खतरा:** ओवरवेट या मोटापे से ग्रस्त बच्चों और किशोरों में आगे चलकर टाइप-2 मधुमेह, हृदय रोग, मांसपेशी और हड्डी संबंधी विकार जैसे गंभीर गैर-संचारी रोगों का खतरा बढ़ जाता है।
- **देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:** बाल मोटापे में वृद्धि से स्वास्थ्य देखभाल की लागत बढ़ती है और कार्यबल की उत्पादकता घटती है।
  - वैश्विक स्तर पर **मोटापे की आर्थिक लागत वर्ष 2035 तक 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** से अधिक हो जाने का अनुमान है।
- **मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां:** ओवरवेट और मोटापा बच्चों और किशोरों में आत्म-सम्मान में कमी, चिंता और अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ा है।

बाल मोटापे और ओवरवेट से निपटने हेतु सरकारी पहलें

- **पोषण अभियान:** यह बच्चों, किशोरियों और माताओं के पोषण संबंधी संकेतकों में सुधार के लिए शुरू किया गया प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य कुपोषण, एनीमिया और अल्पवजन की समस्या को दूर करना है।
- **ईट राइट इंडिया मूवमेंट:** यह अभियान उपभोक्ता जागरूकता, आपूर्ति-पक्षीय कार्यक्रमों और विद्यालय-स्तरीय उपायों के माध्यम से एक सुरक्षित, स्वस्थ और सतत खाद्य प्रणाली को बढ़ावा देता है।
- **'आज से थोड़ा कम' अभियान:** यह एक राष्ट्रीय स्तरीय जन-जागरूकता अभियान है। इसका उद्देश्य वसा, शर्करा और नमक के उपभोग में धीरे-धीरे कमी लाना है।
- **RUCO (रिपरपज यूज्ड कुकिंग ऑयल) पहल:** इसके अंतर्गत प्रयुक्त खाद्य तेल को एकत्रित कर उसे बायोडीजल या साबुन बनाने में पुन: उपयोग किया जाता है, ताकि यह तेल भोजन बनाने में दोबारा उपयोग न हो सके।

वैश्विक स्तर पर नीतिगत उपाय

- **WHO और UNICEF के उपाय:** इन संस्थाओं ने बाल मोटापे को नियंत्रित करने के लिए अनेक नीतिगत सुझाव दिए हैं, जैसे:
  - विद्यालयों में स्वास्थ्य-अनुकूल माहौल बनाना,
  - मीठे पेय पदार्थों पर कर लगाना,
  - जंक फूड के विज्ञापनों पर नियंत्रण, और
  - बाल मोटापे के ट्रेंड की राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी सुनिश्चित करना।
- **सतत विकास लक्ष्य (SDG) लक्ष्य 3.4:** यह लक्ष्य गैर-संचारी रोगों (NCDs) से होने वाली असामयिक मृत्यु को कम करने पर केंद्रित है। इसमें बाल मोटापे को नियंत्रित करना एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में रेखांकित किया गया है।

आगे की राह

- **पौष्टिक खाद्य पदार्थों के सेवन को बढ़ावा देना:** सामाजिक सहायता योजनाओं (जैसे फूड, कैश, वाउचर आदि) के माध्यम से पोषक आहार की उपलब्धता और वहनीयता में सुधार किया जाना चाहिए। स्थानीय खाद्य प्रणालियों को सुदृढ़ कर ताज़े और स्वास्थ्यवर्धक आहार की आपूर्ति में वृद्धि की जानी चाहिए।
- **सुरक्षित स्तनपान: 'ब्रेस्ट-मिल्क सब्स्टिट्यूट्स के विपणन पर अंतर्राष्ट्रीय कोड'** को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से ब्रेस्ट-मिल्क के विकल्पों के प्रचार-प्रसार पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।
- **कानूनी उपाय:** अस्वास्थ्यकर या अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों की मार्केटिंग, लेबलिंग और कराधान पर कठोर नियम लागू किए जाने चाहिए। उदाहरण के तौर पर, **मीठे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर 40% जीएसटी लगाया गया है।**
- **शारीरिक व्यायाम को प्रोत्साहन:** फिट इंडिया मूवमेंट और खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों और किशोरों में सक्रिय जीवनशैली अपनाने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **जन-जागरूकता:** परिवारों और समुदायों को स्वस्थ भोजन, जंक फूड के खतरों और नियमित शारीरिक गतिविधि के महत्व के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

बाल मोटापे की समस्या से निपटने के लिए एक ऐसे समग्र एवं बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुरूप हो। इसके लिए कानूनी उपायों, पौष्टिक आहार की आसान उपलब्धता, जन-जागरूकता, और शारीरिक गतिविधि जैसे उपायों के माध्यम से ऐसा अनुकूल परिवेश बनाना होगा, जहां बच्चे अधिक स्वस्थ, सशक्त और सक्षम बन सकें।

6.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

6.5.1. महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध व निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH Act) {Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (POSH Act)}

सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि **राजनीतिक दलों को "कार्यस्थल" नहीं माना जा सकता है।** इसलिए POSH अधिनियम के प्रावधान उन पर लागू नहीं होते हैं।

POSH अधिनियम 2013 के बारे में:

- **न्यायिक पृष्ठभूमि:** यह अधिनियम **1997 के विशाखा निर्णय** पर आधारित है।
- **विस्तार:** यह कानून सभी प्रकार के कार्यस्थलों पर लागू होता है। इनमें शामिल हैं:
  - सरकारी और निजी क्षेत्र,
  - गैर-सरकारी संगठन (NGOs),
  - शैक्षणिक संस्थान,
  - अस्पताल और खेल परिसर, आदि।
  - इनमें **घरेलू कामगार (डोमेस्टिक वर्कर्स)** भी शामिल हैं।
- **आंतरिक शिकायत समिति (ICC):** 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले हर कार्य-स्थल में इसका गठन अनिवार्य है।
  - इस समिति के कम-से-कम 50% सदस्य और अध्यक्ष महिला होनी चाहिए।
- **स्थानीय शिकायत समिति (LCC):** इसका गठन प्रत्येक जिले में किया जाता है। यह 10 से कम कर्मचारियों वाले कार्यस्थलों से जुड़ी शिकायतों का निपटारा करती है।
- **शिकायत दायर करना:** घटना की तारीख से **3 महीने** की अवधि के भीतर **आंतरिक शिकायत समिति** या **स्थानीय शिकायत समिति** के पास शिकायत दर्ज करवाना अनिवार्य है, और **90 दिनों** के भीतर जांच पूरी करनी आवश्यक है।

6.5.2. स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान (Swasth Nari Sashakt Parivar Abhiyan)

हाल ही में प्रधान मंत्री ने **'स्वस्थ नारी सशक्त परिवार' अभियान** की शुरुआत की।

'स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान' के बारे में

- इस अभियान के तहत देशभर में **एक लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर** लगाए जाएंगे। इनमें महिलाओं में **एनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कैंसर** की जांच होगी। साथ ही, **टीकाकरण और पोषण** पर सलाह देकर मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने का प्रयास किया जाएगा।
- **शामिल मंत्रालय:** यह अभियान **केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय** तथा केंद्रीय **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** की संयुक्त पहल है।
- **तकनीक: सशक्त (SASHAKT) पोर्टल** के जरिए इस दिशा में प्रगति पर नजर रखी जाएगी और रियल टाइम में जवाबदेही तय होगी।
- **समुदाय की भागीदारी:** आंगनवाड़ी, निक्षय मित्र, निजी अस्पताल आदि भी इस अभियान में हिस्सा लेंगे।

6.5.3. "सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति: जेंडर स्नैपशॉट 2025" ("Progress on the Sustainable Development Goals: The Gender Snapshot 2025")

यह रिपोर्ट संयुक्त रूप से **UN वीमेन और UN-DESA (संयुक्त राष्ट्र-आर्थिक और सामाजिक कार्य विभाग)** ने जारी की है। इसमें सभी **17 सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के मामले में वैश्विक स्तर पर लैंगिक समानता की स्थिति का विस्तृत परिदृश्य** प्रस्तुत किया गया है।

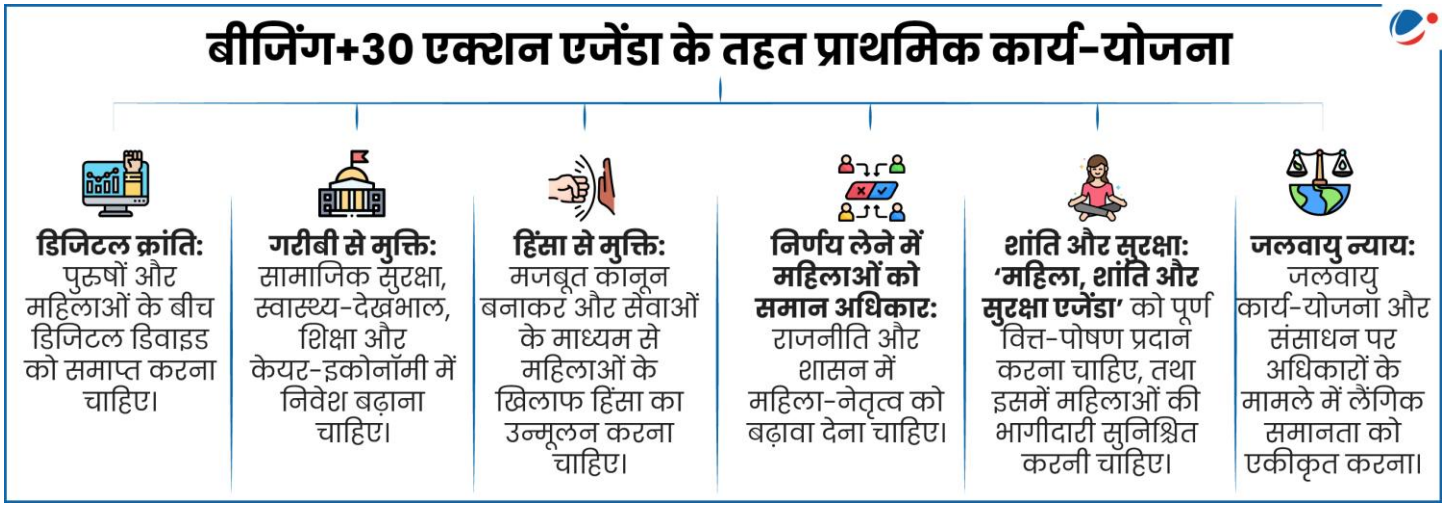

जेंडर स्नैपशॉट, 2025 के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **गरीबी और खाद्य सुरक्षा:** 37.6 करोड़ महिलाएं यानी **विश्व की 9.2% महिलाएं चरम गरीबी में** जीवन जी रही हैं। **एनीमिया के प्रसार में 2030 तक 33% तक की वृद्धि** का अनुमान है।
- **स्वास्थ्य:** मातृ मृत्यु दर में **2000–23 के बीच 39% की कमी** आई है। हालांकि, महिलाएं पुरुषों की तुलना में औसतन 3 वर्ष अधिक खराब सेहत के साथ जीवन बिताती हैं।
- **शिक्षा:** नामांकन के मामले में लड़कियां लड़कों से आगे रहीं हैं। हालांकि, **अफ्रीका और एशिया में माध्यमिक शिक्षा पूरी करने में वे पिछड़** जाती हैं। बहुत कम महिलाएं स्कूल में प्रधानाध्याक के पद पर पहुंच पाती हैं।
- **नेतृत्व और कार्य:** संसद में **महिलाओं की भागीदारी 27%** है और **30% प्रबंधन पदों** पर महिलाएं कार्यरत हैं।
- **लैंगिक हिंसा: 12.5% महिलाएं** अपने नजदीकी साथी द्वारा **हिंसा** की शिकार होती हैं और **19% लड़कियों** की शादी **18 वर्ष की आयु से पहले** हो जाती है।
- **डिजिटल डिवाइड: 65%** महिलाएं **इंटरनेट** से जुड़ी हुई हैं, जबकि पुरुषों में यह औसत **70%** है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेशन की वजह से **महिलाओं की नौकरियां अधिक खतरे** में हैं।
- **जलवायु और संसाधन:** जलवायु परिवर्तन की वजह से **15.8 करोड़ और अधिक महिलाएं गरीबी रेखा के नीचे** जा सकती हैं। **89.6 करोड़ महिलाओं के पास खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध नहीं** है।
- **शांति और सुरक्षा:** 2024 में 67.6 करोड़ महिलाएं प्राण-घातक संघर्ष वाले क्षेत्रों में रह रहीं थीं।
- **इंटरसेक्शनैलिटी:** दिव्यांग महिलाओं को प्रजनन अधिकार, इंटरनेट से जुड़ने और राजनीतिक भागीदारी में गंभीर बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

6.5.4. यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (UDISE+) 2024-25 रिपोर्ट {UDISE+ 2024-25 Report}

- **केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय** ने यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (UDISE+) 2024-25 रिपोर्ट जारी की
- यह रिपोर्ट **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020** की सिफारिशों के अनुरूप है। साथ ही, इसमें पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर देश के सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों से **व्यक्तिगत छात्रवार डेटा एकत्र** किया गया है।

2024-25 के लिए प्रमुख निष्कर्ष

- UDISE+ की शुरुआत के बाद पहली बार **देशभर में शिक्षकों की कुल संख्या** 2024-25 में **1 करोड़** से अधिक हो गई है। यह 2022-23 की तुलना में **6% की वृद्धि** दर्शाता है।

- **छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR)** NEP द्वारा अनुशंसित **1:30 अनुपात** से अधिक हो गया है।
  - **वर्तमान PTR: फाउंडेशनल (10), प्रिपरेटरी (13), मिडिल (17) और सेकेंडरी स्तरों पर (21) है।**
- **स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों की दर (Drop out rates):** इसमें प्रिपरेटरी (2.3%), मिडिल (3.5%) और सेकेंडरी (8.2%) स्तरों पर गिरावट आई है।
- **सकल नामांकन अनुपात (GER):** यह मिडिल स्तर पर 90.3% और सेकेंडरी स्तरों पर 68.5% तक सुधर गया है।
- **एकल शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या में लगभग 6 प्रतिशत की कमी** आई है। इसी प्रकार, **शून्य नामांकन वाले स्कूलों की संख्या में भी लगभग 38 प्रतिशत की भारी गिरावट** दर्ज की गई है।

भारतीय स्कूली शिक्षा में व्यापक डेटा और रुझान (2022-23 से 2024-25)

श्रेणी	संकेतक	2023-24	2024-25
अवसंरचना सुविधाएं	कंप्यूटर एक्सेस	57.2	64.7
	इंटरनेट	53.9	63.5
	लड़कियों के लिए शौचालय	97.2	97.3
महिला प्रतिनिधित्व	लड़कियों का नामांकन	48.1	48.3
	महिला शिक्षक	53.3	54.2

6.5.5. व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण (CMS): शिक्षा {Comprehensive Modular Survey (CMS) On Education}

हाल ही में, शिक्षा पर व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण (**CMS**) जारी किया गया, जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) के 80वें दौर का हिस्सा है।

- इसे **राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)**, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (**MoSPI**) द्वारा जारी किया गया है।
- इसमें डेटा संग्रह के लिए **कंप्यूटर-सहायता प्राप्त व्यक्तिगत साक्षात्कार (CAPI) पद्धति** का उपयोग किया गया।
- यह सर्वेक्षण अपने पिछले सर्वेक्षणों से अलग है (NSS द्वारा किया गया सबसे हालिया CMS सर्वेक्षण 75वां दौर (जुलाई 2017-जून 2018) था)।
  - **कवरेज:** पिछले सर्वेक्षण में सभी स्तरों की शिक्षा शामिल थी, जबकि यह सर्वेक्षण केवल स्कूली शिक्षा पर केंद्रित है।
  - **आंगनवाड़ी केंद्र:** इस सर्वेक्षण में आंगनवाड़ी केंद्रों को पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जबकि 75वें दौर में 'अन्य अनौपचारिक' शिक्षा के रूप में गिना गया था।
  - **निजी कोचिंग:** 75वें दौर के विपरीत, इस CMS में स्कूली शिक्षा और निजी कोचिंग पर व्यय को अलग-अलग एकत्र और प्रस्तुत किया गया है।

सर्वेक्षण की मुख्य बिन्दुओं पर एक नजर

- **सरकारी शिक्षा की भूमिका:** कुल छात्र नामांकन में सरकारी स्कूलों का हिस्सेदारी 55.9% है।
  - कुल छात्र नामांकन में इनकी हिस्सेदारी **शहरी क्षेत्रों (30.1%) की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों (66%)** में अधिक है।
  - **निजी स्कूलों में नामांकन:** देश भर में कुल नामांकन में निजी गैर-सहायता प्राप्त (मान्यता प्राप्त) स्कूलों की हिस्सेदारी 31.9% है।
- **निजी कोचिंग का प्रचलन:** वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के दौरान लगभग **एक तिहाई छात्र (27%) निजी कोचिंग** ले रहे थे या ले चुके थे।
  - यह प्रवृत्ति **ग्रामीण क्षेत्रों (25.5%) की तुलना में शहरी क्षेत्रों (30.7%)** में अधिक सामान्य है।
  - **शिक्षा के मुख्य स्रोत के रूप में पारिवारिक वित्तपोषण:** लगभग 95.0% छात्र शिक्षा व्यय के वित्तपोषण के प्राथमिक स्रोत के रूप में परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर हैं।

6.5.6. राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) 2025 {National Institutional Ranking Framework (NIRF) 2025}

हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा **NIRF रैंकिंग 2025** जारी की गई।

NIRF रैंकिंग 2025 के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- समग्र श्रेणी में **IIT मद्रास** को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ।
- **इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु** ने विश्वविद्यालयों की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया।

NIRF के बारे में

- **शुरुआत**: इसे केंद्रीय **शिक्षा मंत्रालय** द्वारा भारतीय शैक्षिक संस्थानों को रैंक देने के लिए **2015 में** लॉन्च किया गया।
  - यह रैंकिंग विद्यार्थियों, अभिभावकों और नीति निर्माताओं के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन करने हेतु पारदर्शी और विश्वसनीय प्रणाली प्रदान करती है।
- **मूल्यांकन मापदंड**: रैंकिंग के लिए अलग-अलग भारांश वाले निम्नलिखित 5 व्यापक श्रेणियों का उपयोग किया जाता है:
  - शिक्षण, लर्निंग और संसाधन (0.30)
  - अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास (0.30)
  - स्नातक परिणाम (0.20)
  - आउटरीच और समावेशिता (0.10)
  - धारणा (0.10)

6.5.7. भारत में सड़क दुर्घटनाएं, 2023 रिपोर्ट (Road Accidents in India 2023 Report)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 'भारत में सड़क दुर्घटनाएं, 2023 रिपोर्ट' जारी की।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **कुल दुर्घटनाएं और मौतें**: 2023 में, **4,80,583 सड़क दुर्घटनाएं** हुई थीं। यह 2022 की तुलना में **4.2% की वृद्धि** है।
  - 2023 के दौरान, कुल दुर्घटना पीड़ितों में **18-45 वर्ष** की आयु के युवाओं का प्रतिशत **66.4%** था।
- **सर्वाधिक हिस्सेदारी:** 2023 में **तमिलनाडु में सबसे अधिक** सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई। इसके बाद **मध्य प्रदेश** का स्थान रहा।
  - **सड़क दुर्घटना के कारण सर्वाधिक मौतें उत्तर प्रदेश** में तथा इसके बाद **तमिलनाडु** में हुई।
- **दुर्घटना-प्रवण राजमार्ग:** ऐसे राजमार्ग, जो कुल सड़क नेटवर्क का **लगभग 5% हिस्सा हैं,** उन पर कुल दुर्घटनाओं का **53% से अधिक** दर्ज किया गया। इसके अलावा, कुल मौतों में से **59% इन्ही राजमार्गों** पर हुई।
- **सड़क उपयोगकर्ता श्रेणियां: दोपहिया वाहन चालकों** की दुर्घटना में हुई मौतों में सबसे अधिक हिस्सेदारी **(45%)** थी, जिसके **बाद पैदल चलने वाले** लोग थे।

सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण:

- **मानवीय गलतियां:** इनमें यातायात नियमों का उल्लंघन; वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाना और सुरक्षा उपकरणों का उपयोग न करना शामिल है।
- **सड़क का परिवेश:** इसमें किसी **विशेष भौगोलिक क्षेत्र (जैसे आवासीय क्षेत्र)** में होने वाली दुर्घटनाएं तथा सड़क की दशा, मौसम की स्थिति आदि से संबंधित दुर्घटनाएं शामिल हैं।
- **वाहनों की स्थिति:** उदाहरण के लिए- वाहन की उपयोग अवधि और ओवरलोडिंग।

दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किए गए उपाय

शिक्षा संबंधी उपाय: सड़क सुरक्षा सहायता योजना, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह/ सप्ताह जागरूकता अभियान।

इंजीनियरिंग संबंधी उपाय: सड़क सुरक्षा ऑडिट, दुर्घटना संभावित स्थानों की पहचान, वाहन सुरक्षा सुविधाएं (एयरबैग्स, बच्चों की सुरक्षा)।

प्रवर्तन संबंधी उपाय: इसमें मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से दंड और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी शामिल है।

आपातकालीन देखभाल: इसमें नेक व्यक्तियों को सुरक्षा, पीड़ितों के लिए मुआवजा और एम्बुलेंस का प्रावधान शामिल है।

QUIZ
SMART QUIZ

विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **सामाजिक मुद्दे** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

.

फास्ट ट्रैक कोर्स 2026

सामान्य अध्ययन प्रीलिम्स

क्या आप "प्री" के लिए तैयार हैं?

इस कोर्स का उद्देश्य

GS प्रीलिम्स कोर्स विशेष रूप से उन अभ्यर्थियों के लिए तैयार किया गया है जो GS पेपर I की तैयारी में अपने स्कोर को बढ़ाना चाहते हैं। इसमें GS पेपर I प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस, विगत वर्षों के UPSC पेपर का विश्लेषण और Vision IAS के क्लासरूम टेस्ट की प्रैक्टिस एवं चर्चा शामिल होगी। हमारा लक्ष्य है कि अभ्यर्थी बेहतर परफॉर्म करें और कोर्स पूरा करने के बाद अपने प्रीलिम्स स्कोर में एक बड़ा सुधार करें।

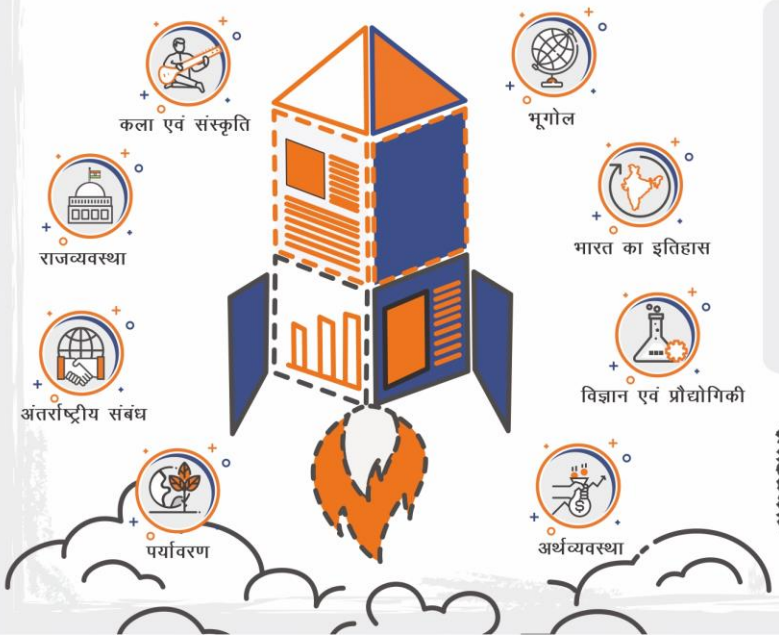

इसमें निम्नलिखित शामिल है:

- पर्सनल स्टूडेंट प्लेटफ़ॉर्म पर रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस तक पहुंच
- प्रीलिम्स सिलेबस के लिए विस्तृत, प्रासंगिक और अपडेटेड स्टडी मटेरियल की सॉफ्ट कॉपी
- सेक्शनल मिनी टेस्ट और कॉम्प्रिहेंसिव करेंट अफेयर्स

हिन्दी माध्यम
13 OCT, 5 PM

ENGLISH MEDIUM
13 OCT, 2 PM

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

7.1. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) एवं स्वास्थ्य देखभाल (Artificial Intelligence & Healthcare)

सुर्खियों में क्यों?

भारत स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रक में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उपयोग की निगरानी को मजबूत करने के लिए हेल्थ AI ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क (GRN) में शामिल हो गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **हेल्थ AI (HealthAI)** जिनेवा में स्थित एक स्वतंत्र, गैर-लाभकारी संगठन है। इसका लक्ष्य विनियामक प्रणालियों और वैश्विक मानदंडों के संयुक्त कार्यान्वयन द्वारा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रक में **उत्तरदायी AI** समाधानों के विकास एवं उन्हें अपनाने को प्रोत्साहित करना है।
- GRN के सदस्यों को **'ग्लोबल पब्लिक रिपॉजिटरी ऑफ AI-रिलेटेड रजिस्टर्ड सॉल्यूशंस फॉर हेल्थ'** तक विशेष पहुंच प्राप्त होती है। इसमें भाग लेने वाले विनियामक प्राधिकरण अपने देशों से **AI-संबंधित पंजीकृत समाधानों का प्रदर्शन** कर सकते हैं।
- **भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद - राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य और डेटा विज्ञान अनुसंधान संस्थान (ICMR-NIRDHDS)**[72] और **इंडिया AI**, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर जैसे अन्य GRN सदस्यों के साथ हेल्थ AI को सहयोग प्रदान करेंगे।
- यह कदम **इंडिया AI रणनीति** के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य एक व्यापक और समावेशी AI इकोसिस्टम का निर्माण करना है।
    - **इंडिया AI, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)** के अधीन डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के माध्यम से संचालित होता है। इसका उद्देश्य भारत को AI संबंधी नवाचार और विकास में अग्रणी बनाना है।

स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रक में AI के उपयोग की निगरानी को मजबूत करने की आवश्यकता क्यों है?

- **रोगी सुरक्षा और जोखिम को कम करना:** स्वास्थ्य देखभाल में AI का उपयोग निदान और उपचार को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। इसलिए इससे संबंधित सुरक्षा सुनिश्चित करने, जोखिमों को कम करने और किसी भी प्रकार की क्षति को रोकने के लिए विनियमन अनिवार्य है।
- **डेटा की निजता एवं सुरक्षा:** स्वास्थ्य देखभाल में प्रयुक्त AI रोगी से जुड़े संवेदनशील डेटा का उपयोग करता है। इसलिए निजता की रक्षा और डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विनियमन महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत के ICMR नैतिक दिशा-निर्देश विभिन्न चरणों में रोगी के स्वास्थ्य संबंधी डेटा की सुरक्षा पर ज़ोर देते हैं।
- **नैतिक उपयोग और निष्पक्षता:** AI को जिस डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता है उसके आधार पर AI पूर्वाग्रह भी प्रदर्शित कर सकता है, जिससे भेदभाव की आशंका बनी रहती है। इसलिए AI टूल्स से संबंधित निष्पक्षता, गैर-भेदभावपूर्ण व्यवहार तथा नैतिक कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु विनियमन अनिवार्य है।
- **पारदर्शिता तथा जवाबदेही:** कई AI प्रणालियाँ **"ब्लैक बॉक्स"** की तरह कार्य करती हैं, अर्थात निर्णय तो प्रदान करती हैं, लेकिन यह स्पष्ट होता कि वे उस निर्णय तक कैसे पहुँची हैं। इसलिए विनियामक यह मांग कर सकते हैं कि AI टूल्स निर्माता बताएं कि उनका AI निर्णय कैसे लेता है।
- **दायित्व का निर्धारण:** AI-आधारित स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के उपयोग से यह सवाल उठता है कि अगर AI की वजह से कोई मेडिकल गलती या नुकसान होता है, तो जिम्मेदारी किसकी होगी।

स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रक में AI का उपयोग

रोगों का पता लगाने में AI का उपयोग	अस्पताल और क्लिनिकल व्यवस्था में AI का उपयोग	स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन में AI का उपयोग
• **रोग की शीघ्र पहचान:** iOncology.ai (एम्स और CDAC द्वारा विकसित AI प्लेटफॉर्म) कैंसर की शीघ्र पहचान में सहायता करता है।	• **रोबोटिक सर्जरी: डा विंची रोबोट** (एम्स, दिल्ली) जैसी प्रणालियाँ जटिल शल्य-चिकित्सा को उच्च सटीकता के साथ करती हैं।	• **इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड:** यह रोगी के स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों में पैटर्न की पहचान कर बेहतर निर्णय लेने में सहायता करता है,

[72] Indian Council of Medical Research -National Institute for Research in Digital Health and Data Science

• **दवा अनुसंधान एवं विकास:** यह आणविक संरचनाओं का विश्लेषण कर और क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए उपयुक्त घटकों की पहचान कर नई दवाओं के निर्माण की प्रक्रिया को गति प्रदान करता है।	• **वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंट्स:** 'क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम' को **eSanjeevani** से जुड़ा गया है, जो मरीज की मुख्य समस्याओं और लक्षणों के आधार पर चिकित्सक को अलग-अलग संभावित बीमारियों के सुझाव देती है।	जैसा कि **आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन** में होता है। • **दैनिक कार्यों का स्वचालन:** डेटा की एंट्री, दावों का निपटान और अपॉइंटमेंट लेने जैसे रोजमर्रा के कार्य स्वचालित हो जाते हैं।

स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रक में AI के एकीकरण से संबंधित चुनौतियाँ

- **प्रौद्योगिकी संबंधी चुनौतियां**
  - **इंटरऑपरेबिलिटी एवं मानकीकरण:** विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल प्रौद्योगिकियों और मानकीकरण की कमी के कारण AI का एकीकरण चुनौतीपूर्ण हो जाता है एवं डेटा तक अनधिकृत पहुँच का जोखिम को बढ़ा जाता है।
  - **एल्गोरिथम आधारित पूर्वाग्रह (Algorithmic Bias):** उदाहरण के लिए एक **प्रिडिक्टिव** मॉडल ने स्वास्थ्य देखभाल संबंधी जरूरतों को मापने के लिए स्वास्थ्य की स्थिति की जगह 'लागत' को एक प्रतिनिधि कारक (proxy) के रूप में इस्तेमाल किया। ऐतिहासिक रूप से अश्वेत मरीजों को कम स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं मिली हैं (यानी, उनकी स्वास्थ्य देखभाल पर कम खर्च हुआ है), इसलिए एल्गोरिदम ने गलती से यह मान लिया कि उन्हें कम स्वास्थ्य देखभाल की ज़रूरत है, जबकि उनकी वास्तविक स्वास्थ्य देखभाल ज़रूरतें अधिक थी।
- **नैतिक चुनौतियां**
  - **न्याय और निष्पक्षता:** AI को स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक समान पहुँच सुनिश्चित करनी चाहिए और **निष्पक्ष निर्णय** देने चाहिए, ताकि स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं सेवा की उपलब्धता में असमानता और न बढ़े।
  - **रोगी की सहमति एवं निजता:** AI को सहमति और संरक्षण संबंधी मजबूत प्रणालियों के साथ स्वास्थ्य संबंधी संवेदनशील आंकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।
  - **भ्रामक सूचना एवं अमानवीकरण:** AI की त्रुटियाँ या इस पर अत्यधिक निर्भरता गलत जानकारी फैला सकती है और डॉक्टर तथा मरीज़ के बीच सार्थक बातचीत (मानवीय जुड़ाव) को कम कर सकती है।
- **समावेशिता एवं पहुँच से जुड़ी चुनौतियां**
  - **प्रतिनिधित्व संबंधी पूर्वाग्रह:** यह तब होता है जब AI मॉडल को शहरी, धनी, या समृद्ध समूहों के से संबंधित डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता हैं, जिसके कारण ग्रामीण, स्वदेशी, या वंचित समूहों के डेटा की अनदेखी हो जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि AI उन वंचित समूहों के लिए ठीक से काम नहीं कर पाता है।
  - **प्रतिरोध एवं विश्वास की कमी:** स्वास्थ्य देखभाल सेवा से जुड़े पेशेवर, AI की सीमित समझ, रोजगार खोने की आशंका या इसकी विश्वसनीयता पर संदेह के कारण इसे अपनाने में संकोच कर सकते हैं।

इससे सम्बंधित वैश्विक नवाचार जिनसे भारत सीख सकता है

- **भौगोलिक रूप से दूर मौजूद रोगी की निगरानी हेतु AI:** फिनलैंड में गंभीर रोगों से ग्रस्त मरीजों की रियल टाइम निगरानी के लिए AI आधारित वियरेबल उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इसके चलते अस्पताल आने-जाने से बचा जा सकता है। इसका उपयोग भारत में गैर-संक्रामक रोगों के प्रबंधन के लिए एक मॉडल के रूप में किया जा सकता है।
- **डेटा सुरक्षा हेतु फेडरेटेड लर्निंग (Federated Learning): सिंगापुर** संवेदनशील डेटा को साझा किए बिना विकेंद्रीकृत डेटा पर AI मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए इस तकनीक का उपयोग करता है। इसे **भारत आयुष्मान भारत के तहत निजता के बेहतर संरक्षण के लिए अपना सकता है।**

भारत में स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रक में AI के एकीकरण हेतु सिफारिशें

- **आंकड़ों की विविधता बढ़ाना तथा पूर्वाग्रह घटाना:** AI मॉडलों को विविध सामाजिक-आर्थिक, भौगोलिक और जनसांख्यिकीय डेटासेट पर प्रशिक्षित करके उनकी सटीकता को बढ़ाया जा सकता है एवं पूर्वाग्रह को कम किया जा सकता है।
- **शहरी-ग्रामीण अंतर को समाप्त करना:** AI-आधारित टेलीमेडिसिन शहर में मौजूद चिकित्सकों को ग्रामीण समुदायों से जोड़कर स्वास्थ्य देखभाल सेवा की समान पहुंच का विस्तार कर सकती है।

- **रेगुलेटरी सैंडबॉक्स दृष्टिकोण अपनाना:** संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान और इंडोनेशिया जैसे देश विनियामकीय (रेगुलेटरी) नवाचार को बढ़ावा देने और AI-संचालित डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों का मूल्यांकन करने के लिए सैंडबॉक्स का उपयोग करते हैं।
- **AI प्रौद्योगिकी में 'ह्यूमन-इन-द-लूप' मॉडल का उपयोग करना:** यह AI मॉडल आधारित सिस्टम के प्रदर्शन और कार्यों का मनुष्यों द्वारा निरीक्षण को संभव करता है।

स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रक में AI के उपयोग हेतु WHO के मार्गदर्शक सिद्धांत

- मानवीय स्वायत्तता का संरक्षण
- मानव कल्याण, मानव सुरक्षा और सार्वजनिक हित को बढ़ावा देना
- पारदर्शिता, व्याख्यात्मकता (Explainability) और बोधगम्यता (Intelligibility) सुनिश्चित करना
- जिम्मेदारी और जवाबदेही को बढ़ावा देना
- समावेशिता और समता सुनिश्चित करना
- उत्तरदायी और संधारणीय AI को बढ़ावा देना

निष्कर्ष

निःसन्देश AI में निदान, उपचार और स्वास्थ्य देखभाल सेवा की पहुँच में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की अपार क्षमता है, किंतु सुरक्षा, पूर्वाग्रह, निजता और समावेशिता से जुड़ी चुनौतियों के समाधान हेतु इसका विनियमन भी अनिवार्य है। अतः नवाचार, क्षमता निर्माण, नैतिक शासन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मामले में मिलकर जाने वाले प्रयास, भारत को व्यापक पैमाने पर बेहतर स्वास्थ्य देखभाल परिणाम प्राप्त करने के लिए AI का उपयोग करने में सक्षम बनाएंगे।

7.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

7.2.1. ऑन्कोलिटिक एवं व्यक्तिगत mRNA वैक्सीन (Oncolytic & Personalized mRNA Vaccines)

रूस कैंसर के इलाज के लिए ऑन्कोलिटिक वैक्सीन एंटेरोमिक्स और व्यक्तिगत mRNA कैंसर वैक्सीन विकसित कर रहा है।

एंटेरोमिक्स ऑन्कोलिटिक वैक्सीन के बारे में

- ऑन्कोलिटिक वैक्सीन एक प्रकार की कैंसर चिकित्सा है जो **कैंसर कोशिकाओं को सीधे मारने और ट्यूमर-रोधी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रेरित करने के लिए ऑन्कोलिटिक वायरस (OV) का उपयोग** करती है।
- एंटेरोमिक्स चार **गैर-रोगजनक वायरसों के संयोजन** पर आधारित है, जिनमें घातक कोशिकाओं को नष्ट करने और साथ ही रोगी की **ट्यूमर-रोधी प्रतिरक्षा को सक्रिय करने** की क्षमता होती है।
- इस वैक्सीन को **mRNA तकनीक का उपयोग** करके बनाया गया है। इसे **कैंसर के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया या इम्यून रिस्पॉन्स** को सक्रिय करने के लिए निर्मित किया गया है।
  - रूस की mRNA वैक्सीन "एंटेरोमिक्स" ने **प्रीक्लिनिकल परीक्षणों में 100% सफलता** दिखाई
- प्रारंभ में यह **कोलोरेक्टल कैंसर के इलाज** के लिए बनाई जा रही थी। इसकी हर खुराक अलग-अलग मरीज के **ट्यूमर की म्यूटेशन प्रोफाइलिंग** (यानी ट्यूमर में मौजूद बदलावों की जांच) के आधार पर विशेष रूप से तैयार की जाती है।

व्यक्तिगत mRNA वैक्सीन के बारे में

- **व्यक्तिगत वैक्सीन (Personalized Vaccine):** प्रत्येक रोगी के ट्यूमर के **आनुवंशिक विश्लेषण** के आधार पर एक **विशिष्ट वैक्सीन** तैयार किया जाता है, जो **प्रतिरक्षा तंत्र** को **कैंसर कोशिकाओं की पहचान करना "सिखाता"** है।
- mRNA टीके एक प्रकार के टीके हैं, जो **मैसेंजर आरएनए (mRNA) के एक छोटे टुकड़े का उपयोग करके हमारी कोशिकाओं को वायरस के लिए विशिष्ट प्रोटीन का उत्पादन** करने का निर्देश देते हैं।

- यह वैक्सीन प्रोटीन उत्पादन को सक्रिय करने के लिए **लिपिड नैनोकणों में संग्रहित आनुवंशिक सामग्री** को शरीर में पहुंचाती है। इनसे शरीर को ऐसे प्रोटीन उत्पन्न करने के लिए संकेत प्राप्त होता है, जो **एंटीजन नामक रोगजनकों के समान** होते हैं।
  - उदाहरण के लिए- कोविड-19 के खिलाफ mRNA वैक्सीन शरीर की कोशिकाओं को यह निर्देश देती है कि वे कोरोनावायरस की बाहरी सतह पर पाए जाने वाले स्पाइक प्रोटीन जैसी प्रतिकृति (Copy) बनाएं।
- शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इन **बाहरी एंटीजन को शरीर के दुश्मन के रूप में** देखती है तथा उन्हें नष्ट करने के लिए **एंटीबॉडी और T-कोशिका** नामक रक्षा प्रणाली को सक्रिय करती है। साथ ही, यह **भविष्य में रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्षम भी बना** देती है।

mRNA वैक्सीन्स से संबंध में चुनौतियां:

- **भंडारण संबंधी अनिवार्यता:** इनके भण्डारण के लिए अल्ट्रा-कोल्ड स्टोर करने की आवश्यकता होती है, जिससे वितरण मुश्किल हो सकता है।
- **अल्पकालिक दुष्प्रभाव या साइड इफेक्ट्स:** इसमें बुखार आना, थकान और इंजेक्शन जहां लगाया जाता है, वहां दर्द होना शामिल है।
- **दीर्घकालिक सुरक्षा:** mRNA वैक्सीन्स अपेक्षाकृत नवीन हैं, इसलिए इनके दीर्घकालिक प्रभावों का अभी भी अध्ययन किया जा रहा है।

7.2.2. विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत न्यूट्रिनो डिटेक्टर सक्रिय हुआ (World's Largest Neutrino Detector Activated)

चीन में विश्व का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टर सक्रिय हो गया है। इसे **जियांगमिन भूमिगत न्यूट्रिनो वेधशाला (JUNO)** नाम दिया गया है।

- यह वेधशाला **700 मीटर** की गहराई में स्थित है।
  - अधिकांश न्यूट्रिनो वेधशालाएं इसलिए भूमिगत बनाई जाती हैं, ताकि पृथ्वी की सतह कणों को रोक सके। इससे **म्यूऑन्स जैसे कणों से होने वाले हस्तक्षेप को कम** किया जा सकता है। **म्यूऑन्स** एक प्रकार के प्राथमिक उप-परमाणिक कण हैं, जो **इलेक्ट्रॉन के समान** होते हैं।
- **JUNO के मुख्य उद्देश्य:**
  - **द्रव्यमान क्रम (Mass Hierarchy) निर्धारित करना:** इसका एक लक्ष्य तीन प्रकार के न्यूट्रिनो **(इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो)** के बीच द्रव्यमान के क्रम को निर्धारित करना है। ये सभी अपने-अपने संबंधित अणुओं से जुड़े रहते हैं।
  - **दोलन आवृत्ति (Oscillation Frequency) को मापना:** इसका उद्देश्य न्यूट्रिनो के दोलन की आवृत्ति को मापना है, यानी यह पता लगाना कि न्यूट्रिनो कितनी बार एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदलते हैं।

न्यूट्रिनो के बारे में

- **प्रकृति:** ये **उप-परमाणिक** कण हैं। इन्हें अक्सर **'घोस्ट पार्टिकल्स** भी कहा जाता है। इनमें कोई **विद्युत आवेश नहीं** होता, इनका **द्रव्यमान अत्यंत कम या शून्य** भी हो सकता है।
- **उपस्थिति:** ये **फोटॉन (प्रकाश के कण) के बाद दूसरे सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कण** हैं। साथ ही, ये **ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले ऐसे कण** हैं, जिनका **द्रव्यमान** होता है।
- **पता लगाना:** इनका पता लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि **ये केवल कमजोर परमाणु बल और गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से ही पदार्थ के साथ अंतर्क्रिया** करते हैं।
- **विशेषताएं:** ये सबसे **शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र से भी अप्रभावित** रहते हैं। ये अपने स्रोत से लगभग **प्रकाश की गति से और सीधी रेखाओं में गमन** करते हैं।

7.2.3. एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट्स (ENTs) {Extreme Nuclear Transients (ENTs)}

खगोलविदों ने 'एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट्स (ENTs)' नामक एक नई प्रकार की परिघटना की पहचान की है।

एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट्स के बारे में:

- यह परिघटना तब घटित होती है जब सूर्य से **कम से कम तीन गुना बड़े सितारे** सुपरमैसिव ब्लैक होल द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं।
- जब कोई सितारा ब्लैक होल के **इवेंट होराइज़न** के पास पहुंचता है, तो उसकी **प्रबल गुरुत्वीय शक्तियां (Tidal forces)** उसे लंबा और पतला, स्पेगेटी जैसी आकृति में बदल देती हैं।
    - इस प्रक्रिया में बहुत बड़ी मात्रा में **इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा** उत्पन्न है, और यही उत्सर्जन **एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट्स** कहलाता है।

7.2.4. क्वासी-मून (Quasi-Moon)

खगोलविदों ने एक लघु क्वासी-मून **'2025 PN7'** की पहचान की है जो लगभग 60 वर्षों से पृथ्वी के पास परिक्रमा कर रहा है।

क्वासी-मून के बारे में

- **क्वासी-मून** को **क्वासी-सैटेलाइट** भी कहते हैं। क्वासी-मून एक खगोलीय पिंड है।
    - यह सूर्य की परिक्रमा करता है, लेकिन ग्रह की **समानांतर कक्षा** की वजह से ऐसा लगता है मानो वह उस ग्रह के साथ गति कर रहा हो।
    - यह **मुख्य रूप से सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है,** न कि ग्रह के गुरुत्वाकर्षण से।
    - यह एक **वास्तविक चंद्रमा (मून) नहीं है,** क्योंकि यह चंद्रमा की तरह प्रत्यक्ष रूप से ग्रह की परिक्रमा नहीं करता है।
- खगोलविद अब तक पृथ्वी के **6 ज्ञात क्वासी-मून** की खोज कर चुके है।

7.2.5. भारत का सबसे बड़ा लिथियम-आयन (Li-ion) बैटरी विनिर्माण संयंत्र {India's Largest Lithium-ion (Li-ion) Battery Manufacturing Plant}

भारत के सबसे बड़े लिथियम-आयन (Li-ion) बैटरी विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन हरियाणा में किया गया।

- यह संयंत्र जब पूरी तरह से तैयार होगा, तो यह **हर साल लगभग 20 करोड़ बैटरी पैक्स** का उत्पादन करेगा। यह भारत के **50 करोड़ पैक्स संबंधी वार्षिक आवश्यकता का लगभग 40%** पूरा करेगा।
    - इसकी स्थापना केंद्र की **इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (EMC) योजना** के तहत की जा रही है।

लिथियम-आयन (Li-ion) बैटरी के बारे में

- यह एक प्रकार की **रिचार्जेबल बैटरी** होती है, जिसमें **लिथियम आयन ऋणात्मक इलेक्ट्रोड (ग्रेफाइट) और धनात्मक इलेक्ट्रोड (लिथियम ट्रांज़िशनल मेटल ऑक्साइड्स) के बीच चार्जिंग एवं डिस्चार्जिंग** के दौरान गमन करते हैं।

लिथियम-आयन बैटरियों के लाभ

- **उच्च ऊर्जा घनत्व:** ये बैटरियां बहुत कम जगह और वजन में ज्यादा ऊर्जा (प्रति किलो 75 से 200 वाट-घंटे) स्टोर कर सकती हैं। इसलिए इन्हें बार-बार चार्ज करने की ज़रूरत कम पड़ती है।
- **हल्की और कम विषाक्त भारी धातुएं: पुरानी लेड-एसिड बैटरियों** की तुलना में इनमें कम विषाक्त पदार्थ होते हैं। साथ ही, हल्के **लिथियम एवं कार्बन इलेक्ट्रोड** के उपयोग के कारण इनका वजन भी तुलनात्मक रूप से बहुत कम होता है ।
- **बेहतर प्रदर्शन:** इन्हें बार-बार चार्ज और डिस्चार्ज करने पर भी इनके प्रदर्शन में ज्यादा कमी नहीं आती है। ये ऊर्जा को अच्छे से स्टोर और उपयोग करती हैं। ये लंबे समय तक सही ढंग से काम करती हैं। जब ये इस्तेमाल में नहीं होतीं, तो इनकी बैटरी अत्यंत मंद गति से ही सेल्फ डिस्चार्ज होती है। साथ ही, बार-बार चार्ज करने से इनकी क्षमता कम नहीं होती है।

चुनौतियां

- **आपूर्ति श्रृंखला संबंधी सुभेद्यता: उदाहरण के लिए- चीन** वैश्विक लिथियम उत्पादन का आधा और लिथियम-आयन बैटरी उत्पादन का 70% नियंत्रित करता है।
    - भारत ने 2018-2022 के बीच **1.2 अरब डॉलर** की लिथियम-आयन बैटरियां आयात की थीं।
- **सुरक्षा संबंधी खतरे:** इनमें **ज्वलनशील पदार्थ जैसे इलेक्ट्रोलाइट** होते हैं, जिन्हें गलत तरीके से संभालने पर विस्फोट हो सकता है।

- **पर्यावरणीय प्रभाव:** उदाहरण के लिए- लिथियम खनन में **जल की अधिक खपत** होती है (प्रति टन लिथियम के लिए लगभग 2,000 टन जल)।
  - **पुनर्चक्रण इकाइयों की कमी से इन बैटरियों के सुरक्षित निपटान** की समस्या और भी गंभीर हो जाती है।

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (EMC) योजना के बारे में

शुरुआत: इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 2012 में शुरू किया था।

उद्देश्य: इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण क्षेत्रक में निवेश आकर्षित करने के लिए विश्व स्तरीय अवसंरचना के निर्माण हेतु सहायता प्रदान करना।

अनुदान संबंधी सहायता: ग्रीनफील्ड EMC: प्रति 100 एकड़ भूमि पर 50 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन रहते हुए परियोजना लागत का 50% तक। ब्राउनफील्ड EMC: प्रति परियोजना अधिकतम 50 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन रहते हुए परियोजना लागत का 75% तक।

लाइव / ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION

सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स 2026 प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों

दिल्ली 11 सितम्बर, 2 PM अवधि – 12 महीने

- सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स में GS मेन्स के सभी चारों पेपर, GS प्रीलिम्स, CSAT और निबंध के सिलेबस को विस्तार से कवर किया जाता है।
- अभ्यर्थियों के ऑनलाइन स्टूडेंट पोर्टल पर लाइव एवं ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाओं की सुविधा भी उपलब्ध है, ताकि वे किसी भी समय, कहीं से भी लेक्चर और स्टडी मटेरियल तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकें।
- इस कोर्स में पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शामिल है।
- 2025 के प्रोग्राम की अवधि: 12 महीने
- प्रत्येक कक्षा की अवधि: 3–4 घंटे, सप्ताह में 5–6 दिन (आवश्यकता पड़ने पर रविवार को भी कक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं)

नोट: अभ्यर्थी फाउंडेशन कोर्स की लाइव वीडियो कक्षाएं घर बैठे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। साथ ही, अभ्यर्थी लाइव चैट के जरिए कक्षा के दौरान अपने डाउट्स और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा, वे अपने डाउट्स और प्रश्न को नोट कर दिल्ली सेंटर पर हमारे क्लासरूम मेंटर को बता सकते हैं, जिसके बाद फोन / मेल के जरिए अभ्यर्थियों के प्रश्नों का समाधान किया जाता है।

GS फाउंडेशन कोर्स की अन्य मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मूल्यांकन
अभ्यर्थियों को नियमित ट्यूटोरियल, मिनी टेस्ट एवं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के माध्यम से व्यक्तिगत व अभ्यर्थी के अनुरूप और ठोस फीडबैक दिया जाता है

सभी द्वारा पढ़ी जाने वाली एवं सभी द्वारा अनुशंसित
विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम द्वारा तैयार की गई मासिक समसामयिकी मैगजीन, PT 365 और Mains 365 डॉक्यूमेंट्स तथा न्यूज टुडे जैसी प्रासंगिक एवं अपडेटेड अध्ययन सामग्री

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन
इस कोर्स के तहत अभ्यर्थियों के डाउट्स दूर करने और उन्हें प्रेरित रखने के लिए नियमित रूप से फोन / ईमेल / लाइव चैट के माध्यम से "वन–टू–वन" मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़
प्रत्येक 3 सफल उम्मीदवारों में से 2 Vision IAS की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज को चुनते हैं। Vision IAS के पोस्ट टेस्ट एनालिसिस के तहत टेस्ट पेपर में स्टूडेंट्स के प्रदर्शन का विस्तार से विश्लेषण एवं समीक्षा की जाती है। यह अपनी गलतियों को जानने एवं उसमें सुधार करने हेतु काफी महत्वपूर्ण है।

कोई क्लास मिस ना करें
प्रत्येक अभ्यर्थी को एक व्यक्तिगत "स्टूडेंट पोर्टल" उपलब्ध कराया जाता है। इस पोर्टल के जरिए अभ्यर्थी किसी भी पुराने क्लास या छूटे हुए सेशन और विभिन्न रिसोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं एवं अपने प्रदर्शन का सापेक्ष एवं निरपेक्ष मूल्यांकन कर सकते हैं।

बाधा रहित तैयारी
अभ्यर्थी VisionIAS के क्लासरूम लेक्चर्स एवं विभिन्न रिसोर्सेज़ को कहीं से भी तथा कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और वे इन्हें अपनी जरुरत के अनुसार ऑर्गनाईज़ कर सकते हैं।

/c/VisionIASdelhi /vision_ias /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC

7.2.6. हाइरार्किकल रीजनिंग मॉडल (HRM) {Hierarchical reasoning model (HRM)}

सैपिएंट के वैज्ञानिकों ने मानव मस्तिष्क पर आधारित एक **नया AI मॉडल विकसित** किया है।

- गौरतलब है कि ChatGPT जैसे मौजूदा **लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स (LLM) में चेन-ऑफ-थॉट (CoT)** संबंधी रीजनिंग पर निर्भरता के कारण **कुछ कमियां** हैं।

हाइरार्किकल रीजनिंग मॉडल (HRM) के बारे में

- **मॉडल:** यह मानव मस्तिष्क की **हाइरार्किकल** और मल्टी-टाइम स्केल प्रोसेसिंग पर आधारित है।
  - यह वैसे ही कार्य करता है जैसे मस्तिष्क के अलग-अलग हिस्से अलग-अलग समय अवधि की जानकारी को जोड़ते हैं

7.2.7. आयुर्वेद आहार (Ayurveda Ahara)

FSSAI और केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने हाल ही में **'आयुर्वेद आहार'** उत्पादों की एक निश्चित सूची जारी की है।

आयुर्वेद आहार

- यह **खाद्य सुरक्षा और मानक (आयुर्वेद आहार) विनियम, 2022** का हिस्सा है।
- यह आयुर्वेदिक खाद्य उत्पाद बनाने वाले **खाद्य व्यवसाय संचालकों (FBOs)** के लिए नियमों का प्रावधान करता है। इससे उपभोक्ताओं को यह जानने में मदद मिलेगी कि उत्पाद प्रामाणिक और सुरक्षित हैं।
- ये फॉर्मूलेशन **शास्त्रीय आयुर्वेदिक ग्रंथों** से लिए गए हैं।
- खाद्य उत्पादों में **अंगारकरकटी** (बेक्ड गेहूँ के गोले), **कृशरा** (खिचड़ी), **पानक** (फलों के पेय), **दधि** (दही-आधारित), और **गुलकंद** (गुलाब की पंखुड़ियों का जैम) जैसे उत्पाद निर्माण शामिल हैं।

7.2.8. द्रव्य पोर्टल (Dravya Portal)

राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर **23 सितंबर, 2025** को **द्रव्य (DRAVYA) पोर्टल** का शुभारंभ किया गया।

- DRAVYA से आशय है: **डिजिटाइज्ड रिट्रीवल एप्लीकेशन फॉर वर्सेटाइल यार्डस्टिक ऑफ आयुष सब्सटेंसेस।**

DRAVYA पोर्टल के बारे में:

- **मंत्रालय:** यह केंद्रीय **आयुष मंत्रालय** की पहल है।
- यह **आयुर्वेदिक सामग्रियों और उत्पादों का सबसे बड़ा डेटा संग्रह** है, जो सभी के लिए उपलब्ध है।
- इस **डेटाबेस में लगातार वृद्धि** हो रही है और यह विकसित हो रहा है। इस पर **पारंपरिक आयुर्वेदिक ग्रंथों** के साथ-साथ **आधुनिक वैज्ञानिक साहित्य** और क्षेत्रीय अध्ययन शामिल हैं।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

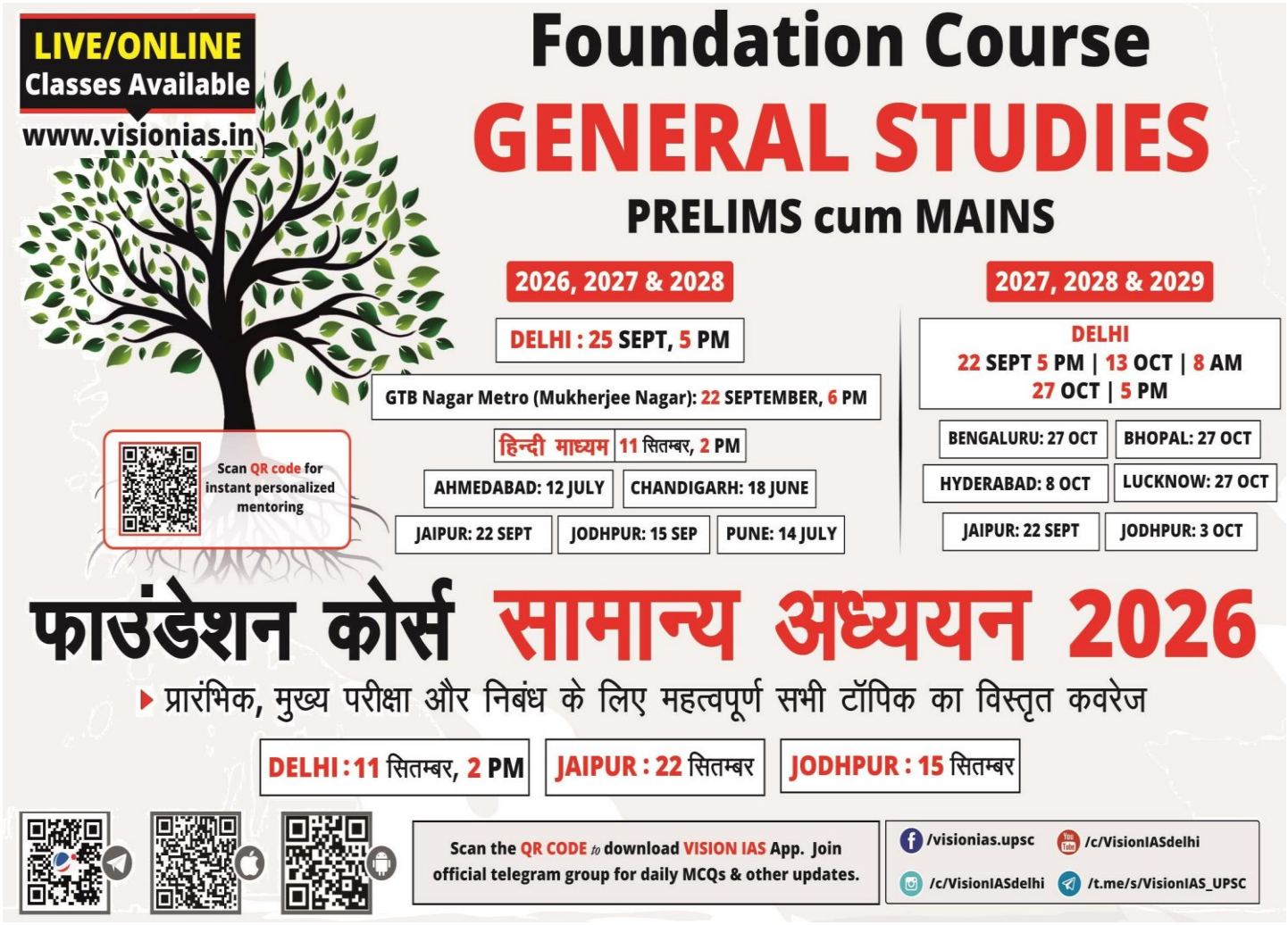

8. संस्कृति (Culture)

8.1. दादाभाई नौरोजी की 200वीं जयंती (200TH Birth Anniversary of Dadabhai Naoroji)

सुर्खियों में क्यों?

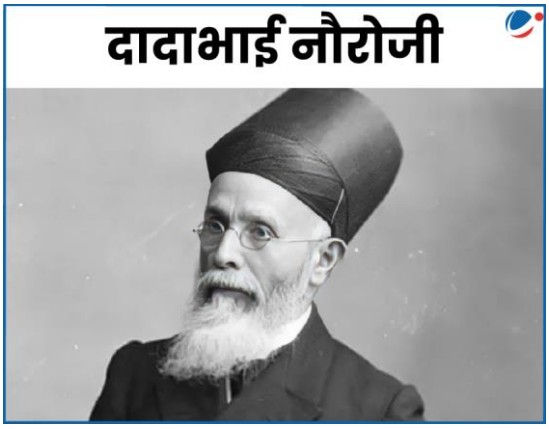

हाल ही में, पूरे देश में **दादाभाई नौरोजी की 200वीं जयंती** मनाई गई।

दादाभाई नौरोजी के बारे में (1825-1917)

- वे एक प्रख्यात भारतीय विद्वान, व्यवसायी और राजनीतिज्ञ थे।
- उन्हें **"ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया"** और **"ऑफिसियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया"** के नाम से भी जाना जाता है।
- वे **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस** के संस्थापक सदस्य और **तीन बार अध्यक्ष (1886, 1893 और 1906)** रहे थे।
    - 1906 में, उन्हें नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच मतभेदों को समाप्त करने के उद्देश्य से कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था।
- वे एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रोफ़ेसर के पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे और उन्होंने महिला शिक्षा के प्रसार के लिए आयोजित विशेष कक्षाओं में भी पढ़ाया।
- 1855 में, वे व्यावसायिक गतिविधियों के लिए लंदन चले गए, जहाँ उन्होंने **यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में गुजराती भाषा के प्रोफ़ेसर** के रूप में भी कार्य किया।
- 1875 में, उन्हें **बॉम्बे नगर निगम का सदस्य निर्वाचित किया गया** था।

दादाभाई नौरोजी के प्रमुख योगदान

सामाजिक सुधार

- **महिला शिक्षा को बढ़ावा:** उन्होंने **1848 में लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी** की स्थापना की थी। इस संस्था ने **1849 तक बालिकाओं के लिए 6 स्कूल** स्थापित किए थे।
- **सुधारवादी विचारों का प्रसार:** उन्होंने **रास्त गोफ्तार** समाचार-पत्र की शुरुआत की थी। **पारसी समाज में सुधार** के लिए **रहनुमाई मज़दायासन सभा (1851)** की सह-स्थापना की थी।

आर्थिक

- **धन के बहिर्गमन का सिद्धांत:** उन्होंने ही सबसे पहले यह बताया था कि कैसे ब्रिटिश नीतियों ने **कराधान, वेतन, पेंशन और विप्रेषण (Remittances)** के नाम पर भारत की संपत्ति को ब्रिटेन भेजा है।
- **प्रमुख साहित्यिक कृतियां: पॉवर्टी ऑफ इंडिया**, **पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया** आदि।
    - उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत सरकार की वित्तीय नीति की जांच के लिए एक **शाही आयोग, वेल्बी आयोग (अध्यक्ष)** की नियुक्ति हुई। **(दादाभाई नौरोजी इसके सदस्य थे)**
    - इसके अतिरिक्त, उन्होंने **'वॉयस ऑफ इंडिया'** नामक समाचार पत्र का भी शुरू किया।

राजनीतिक

- **नरमपंथी नेता:** वे संसदीय लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे और याचिका, प्रार्थना तथा विरोध जैसे संवैधानिक एवं शांतिपूर्ण तरीकों के पक्षधर भी थे।
- **संस्थाओं की स्थापना:** उन्होंने **1865 में लंदन इंडियन सोसाइटी और 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन** की स्थापना की थी।

- **ब्रिटिश संसद में पहले भारतीय सांसद:** वे 1892 के आम चुनाव में **फिन्सबरी सेंट्रल से लिबरल पार्टी** के लिए चुने गए थे।
- **नेतृत्व एवं मार्गदर्शन:** नौरोजी ने बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी जैसे भविष्य के कांग्रेसी नेताओं को सलाह देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

नैतिक

- उन्होंने अपनी पुस्तक **'द ड्यूटीज ऑफ द जोरोस्ट्रियंस'** में विचार, वाणी और कर्म में शुद्धता की आवश्यकता पर बल दिया है।

शिक्षा

- **प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण:** भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को लागू करने की दिशा में प्रथम सार्थक प्रयास दादाभाई नौरोजी ने किया था।
- उन्होंने, ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर, 1882 में **भारतीय शिक्षा आयोग (हंटर आयोग)** के समक्ष चार वर्ष की अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की मांग रखी थी।

निष्कर्ष

दादाभाई नौरोजी एक दूरदर्शी राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने **सामाजिक सुधार, आर्थिक समालोचना और राजनीतिक सक्रियता** का समन्वय कर भारत के स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। उनके द्वारा **स्वराज के समर्थन और धन के बहिर्गमन के सिद्धांत** ने राष्ट्रवादी आकांक्षाओं को एक नई एवं स्पष्ट दिशा दी। आज भी, **समानता, शिक्षा और स्वशासन** से संबंधित उनका दृष्टिकोण भारत की लोकतांत्रिक एवं विकासात्मक यात्रा के लिए प्रेरणास्रोत बना हुआ है।

8.2. आत्म-सम्मान आंदोलन के 100 वर्ष (100 Years of the Self-Respect Movement)

सुर्खियों में क्यों?

यह वर्ष **आत्म-सम्मान आंदोलन** के सौ वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। यह एक ऐसा आंदोलन था, जिसने दक्षिण भारत की राजनीतिक परिचर्चा को एक नई दिशा प्रदान की थी।

आत्म-सम्मान आंदोलन के विषय में

- **आरंभ:** इस आंदोलन की शुरुआत 1925 में ई.वी. रामासामी ने की थी। उन्हें आमतौर पर पेरियार के नाम से भी जाना जाता है।
- **आत्म-सम्मान की अवधारणा:** यह एक वैचारिक अवधारणा है, जिसका उद्देश्य एक ऐसे **समतावादी समाज** की स्थापना करना है, जो जाति, धर्म और लिंग पर आधारित सभी प्रकार के विभेद और द्वेष से मुक्त हो।
- **विवरण:** पेरियार द्वारा इसे **'अरिवु विदूतलाई इयक्कम'** अर्थात् **बौद्धिक मुक्ति का आंदोलन** कहा गया।
- इस आंदोलन के उद्देश्यों का विवरण दो पुस्तिकाओं में किया गया है: **नमतु कुरिक्कोल और तिरावितक कालक लेईयम्।**

इस आंदोलन की कुछ विशेषताओं पर एक नजर

- **सामाजिक उत्थान:** इस आंदोलन ने विधवा पुनर्विवाह पर रोक, देवदासी प्रथा और जातीय भेदभाव का विरोध किया तथा सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया।
- **आत्म-सम्मान विवाह:** इसने बिना पुरोहितों के संपन्न हुए विवाहों को मान्यता दी, जिससे ब्राह्मण पुरोहितों के एकाधिकार को चुनौती मिली और अनुष्ठान संबंधी खर्चों में कमी आई।
- **अंतर-जातीय विवाह:** इसने बाल विवाह का विरोध किया तथा प्रेम विवाह और अंतर-जातीय विवाह को बढ़ावा दिया।
- **आत्म-सम्मान सम्मेलन: 1929 में, पेरियार ने चेंगलपट्टु में** पहला प्रांतीय सम्मेलन आयोजित किया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता **डब्ल्यू.पी.ए. सौंदर पांडियन** ने की थी।

ई. वी. रामास्वामी (पेरियार) के बारे में (1879-1973)

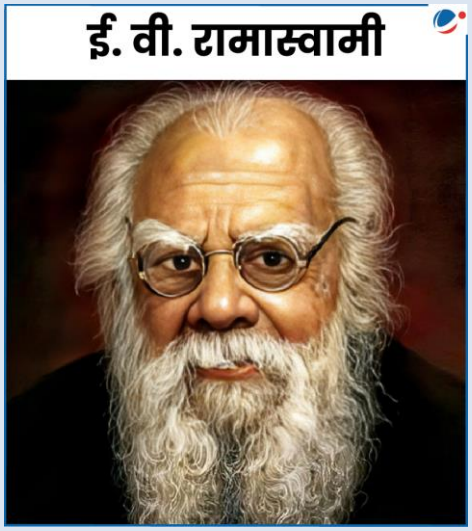

- वे एक समाज सुधारक, मौलिक चिंतक एवं दार्शनिक थे, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि **तर्कपूर्ण वैज्ञानिक ज्ञान** से युक्त सामाजिक समानता ही समतावादी समाज की संरचना का एकमात्र साधन है।
- वे महात्मा गांधी के रचनात्मक राजनीतिक कार्यक्रमों, जैसे खादी कार्यक्रम और निम्न जातियों (untouchables) के लिए मंदिर में प्रवेश संबंधी कार्यक्रमों से प्रभावित थे।
- उन्होंने **वायकोम सत्याग्रह** और **असहयोग आंदोलन** में अपनी सक्रिय भागीदारी की थी। साथ ही, उन्होंने **'कुडी अरासु'** नामक एक तमिल साप्ताहिक पत्र का भी प्रकाशन किया।
- उन्हें उनके अनुयायियों द्वारा **"वायकोम वीरन"** और **"पेरियार"** (जिसका अर्थ 'महान व्यक्ति' है) की उपाधि दी गई।
- उन्होंने प्रत्येक समुदाय की जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर सभी सरकारी अधिकारों के **आनुपातिक वितरण** का समर्थन किया था।
- 1932 में, पेरियार ने कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियनिस्ट **सिंगारा वेलु चेट्टियर** के सहयोग से **'आत्म-सम्मान समाजवादी पार्टी'** के नाम से एक नए राजनीतिक दल का गठन किया।

आत्म-सम्मान आंदोलन का महत्व

- **ब्राह्मणवादी वर्चस्व को चुनौती:** इसने **तमिलनाडु में** उच्च जातियों को विशेष अधिकार देने वाली सामाजिक-धार्मिक व्यवस्था की वैधता पर सवाल उठाया और **जाति-विरोधी राजनीति** की नींव रखी।
- **महिला अधिकार:** इसने **विधवा पुनर्विवाह, संपत्ति के अधिकार, विवाह-विच्छेद के अधिकार और जनन संबंधी अधिकार** जैसे सुधारों में अग्रणी भूमिका निभाई, जिससे लैंगिक न्याय की प्रारंभिक मिसालें कायम हुई।
- **तर्कवाद को बढ़ावा:** इसने तार्किक चिंतन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अंधविश्वास के खंडन को बढ़ावा किया, जिससे सामाजिक दृष्टिकोणों के आधुनिकीकरण में मदद मिली।
- **भाषा और सांस्कृतिक पुनर्जागरण:** इसने तमिल भाषा, द्रविड़ संस्कृति और स्थानीय पहचान को मजबूत किया।
- **शिक्षा तक पहुँच:** इसने वंचित समुदायों के लिए साक्षरता और शिक्षा की वकालत की, जिससे गैर-ब्राह्मणों को ज्ञान से दूर रखने की पारंपरिक प्रथा को चुनौती मिली।
- **आर्थिक न्याय:** इसने **जातीय असमानता को आर्थिक शोषण** के साथ जोड़ा तथा सरकारी नौकरियों एवं संसाधनों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग उठाई।
- **राजनीतिक प्रभाव:** इसने द्रविड़ पार्टियों (जस्टिस पार्टी, DMK, AIADMK) के उत्थान हेतु वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार की तथा तमिलनाडु की विशिष्ट कल्याणकारी राजनीति को दिशा दी।
- **वैश्विक प्रभाव:** इसने मलेशिया, सिंगापुर जैसे देशों में तमिल प्रवासियों के आंदोलनों को प्रेरणा दी, जिससे विदेशों में उनकी पहचान और अधिकारों के प्रति चेतना सुदृढ़ हुई।

अन्य समाज सुधार एवं जाति-विरोधी आंदोलन

- **सत्यशोधक समाज (1873):** इसकी स्थापना महाराष्ट्र में **ज्योतिराव फुले** द्वारा ब्राह्मणवादी प्रभुत्व का मुकाबला करने, निम्न जातियों एवं महिलाओं में शिक्षा का प्रसार करने तथा धार्मिक कट्टरता पर प्रश्न उठाने के उद्देश्य से की गई थी।
- **श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन (1903):** इसे **नारायण गुरु** द्वारा शुरू किया गया, जिन्होंने मानवता के लिए **"एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर"** के सिद्धांत का प्रचार किया। साथ ही, इन्होंने केरल में एझावा समुदाय के मध्य जातीय भेदभाव का भी विरोध किया।
- **बहिष्कृत हितकारिणी सभा (1924):** इसे **डॉ. बी. आर. अंबेडकर** द्वारा दलित समुदाय के शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु गठित किया गया था।
- **वायकोम सत्याग्रह (1924-25):** यह त्रावणकोर (केरल) में शोषित जातियों के लिए मंदिर के आस-पास की सड़कों का उपयोग करने के अधिकार की मांग हेतु एक सामाजिक आंदोलन था।

- **अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ (1930):** यह **डॉ. बी. आर. अंबेडकर** द्वारा अनुसूचित जातियों (दलितों) के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था।
- **अखिल भारतीय अस्पृश्यता-विरोधी लीग (1932):** इसे समाज से अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए **गांधी जी** द्वारा गठित किया गया था।

निष्कर्ष

आत्म-सम्मान आंदोलन दक्षिण भारत के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने **जाति व्यवस्था और धार्मिक कट्टरता को चुनौती दी**। इस आंदोलन ने **तर्कवाद, लैंगिक न्याय और सामाजिक समानता** की नींव रखी, जिससे तमिल समाज और राजनीति में बड़ा परिवर्तन आया। आज भी इसका प्रभाव **सामाजिक सुधार, समावेशन और सशक्तीकरण** संबंधी आंदोलनों को प्रेरित करता है।

8.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

8.3.1. FIDE विश्व कप (FIDE World Cup)

हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ (FIDE)[73] ने घोषणा की है कि FIDE विश्व कप 2025 का आयोजन भारत के गोवा में किया जाएगा।

FIDE विश्व कप के बारे में

- यह FIDE द्वारा आयोजित **एक प्रमुख शतरंज प्रतियोगिता** है। FIDE शतरंज के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है।
  - **FIDE** की स्थापना 1924 में पेरिस में एक **ग़ैर-सरकारी संस्था** के रूप में हुई थी। हालांकि, अब इसका मुख्यालय **स्विट्ज़रलैंड के लॉज़ेन** में है।
- इस प्रतियोगिता में शीर्ष तीन स्थान पर रहने वाले खिलाड़ी 2026 के **कैंडिडेट्स टूर्नामेंट** के लिए क्वालीफाई करेंगे।

8.3.2. वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 (World Boxing Championships 2025)

जैस्मिन लंबोरिया और मीनाक्षी हुड्डा ने हाल ही में आयोजित **वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025** में स्वर्ण पदक जीते हैं।

वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 के बारे में

- यह **यूनाइटेड किंगडम** के **लिवरपूल** में आयोजित की गई थी।
- **पहली बार पुरुष और महिला, दोनों वर्गों** की प्रतिस्पर्धाएं एक साथ आयोजित की गईं थीं।
- भारत ने कुल **चार पदक** जीते: **जैस्मिन लंबोरिया (57 किलोग्राम वर्ग)** और **मीनाक्षी हुड्डा (48 किलोग्राम) ने स्वर्ण पदक तथा नूपुर श्योराण ने रजत पदक** और **पूजा रानी ने कांस्य पदक** जीते।
- **कज़ाख़िस्तान** पदक तालिका में **शीर्ष** पर रहा।

[73] International Chess Federation

8.3.3. राजा पृथु राय (Raja Prithu Rae)

उन्होंने **13वीं शताब्दी के प्रारम्भ** में **कामरूप (असम) पर शासन** किया।

- वह **खेन राजवंश** से संबंधित थे। यह राजवंश खुद को **नरकासुर का वंशज** मानता था।
  - वह **देवी कामतेश्वरी (देवी दुर्गा** का एक अवतार) की उपासना करते थे
  - **पाल राजवंश के पतन** के बाद खेन शासक स्थानीय सरदार के रूप में उभरे।
    - खेन राजवंश ने **कामता साम्राज्य की शुरुआत की।** इस साम्राज्य को **कामरू, कामरुद, कामरूप, कामता, कोच या कोच-हाजो** के नाम से भी जाना जाता है।
- **योगदान:**
  - उन्होंने कामरूप पर आक्रमण करने वाले **बख्तियार खिलजी को पराजित** किया।
    - **कनाई वरसी शिलालेख में** तुर्कों को हुए नुकसान का प्रमाण प्राप्त होता है।
  - उन्होंने **युद्धबंदियों को क्षमादान दिया तथा धर्मयुद्ध** के सिद्धांतों का पालन किया।

8.3.4. मैग्सेसे पुरस्कार (Magsaysay Award)

हाल ही में, एक गैर-सरकारी संगठन (NGO)[74], **'एजुकेट गर्ल्स' ने 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार** जीता है। **'एजुकेट गर्ल्स' यह पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला संगठन** है।

रेमन मैग्सेसे पुरस्कार (स्थापना: 1957 में) के बारे में

- **पहला पुरस्कार**: यह **1958 में दिया** गया था। इसे **एशिया का सर्वोच्च सम्मान** और **एशिया का नोबेल पुरस्कार भी** माना जाता है।
- **कब दिया जाता है**: प्रतिवर्ष।
- यह फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति **रेमन मैग्सेसे** की स्मृति में और उनके नेतृत्व कौशल के सम्मान में दिया जाता है।
- **मान्यता और सम्मान**: यह पुरस्कार एशिया के उन **व्यक्तियों और संगठनों** को दिया जाता है, जिन्होंने **नृजाति, पंथ, जेंडर या राष्ट्रीयता की सीमा से परे जाकर**, किसी सार्वजनिक मान्यता की अपेक्षा रखे बिना **उदारतापूर्वक दूसरों की मदद** की है।

8.3.5. ज्ञान भारतम पोर्टल (Gyan Bharatam Portal)

प्रधान मंत्री ने पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए 'ज्ञान भारतम पोर्टल' लॉन्च किया

यह पोर्टल **भारत की पांडुलिपि (Manuscript) विरासत को डिजिटल बनाने** में मदद करेगा। इससे इन्हें आसानी से **एक्सेस** किया जा सकेगा और **सांस्कृतिक ज्ञान को भी संरक्षित** किया जा सकेगा।

- **केंद्रीय बजट 2025-26** में ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य भारत की पांडुलिपि विरासत का **सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण** करना है।

पांडुलिपि के बारे में

- ये कम-से-कम **75 साल पुरानी कागज, वृक्ष की छाल, कपड़ा, धातु, ताड़पत्र या किसी अन्य सामग्री पर हस्तलिखित रचनाएं** होती हैं। इनका **वैज्ञानिक, ऐतिहासिक या कलात्मक** महत्त्व होता है।
- **लिथोग्राफ और मुद्रित ग्रंथ** पांडुलिपियां नहीं माने जाते हैं।
  - **लिथोग्राफ** एक तकनीक है, जिसमें **पत्थर पर चित्र, अक्षर आदि उकेर कर उसे कागज पर छापा** जाता है।
- भारत के पास **'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड'** जैसी धरोहर है, जिसमें लगभग **1 करोड़ पांडुलिपियां** सुरक्षित हैं। ये **80 प्राचीन लिपियों** में लिखी गई हैं, जैसे- **ब्राह्मी, कुषाण, गौड़ी, लेपचा, मैथिली आदि।**
  - इनमें से लगभग **75% संस्कृत** में तथा **25% क्षेत्रीय भाषाओं** में हैं।

[74] Non-Governmental Organization

- **इनका महत्त्व**
  - ये मानव गतिविधियों के **साक्ष्य** प्रदान करती हैं।
  - सदियों तक इनके विनाश के बावजूद ये **ज्ञान, विज्ञान और शिक्षा के प्रति पूर्वजों के समर्पण** को दर्शाती हैं।
  - ये समाज के विभिन्न पहलुओं, जैसे- **सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक** आदि पर ज्ञान प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए- **कौटिल्य का अर्थशास्त्र।**

पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए शुरू की गई अन्य पहलें

- **राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन (NMM):** इसे पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय द्वारा पांडुलिपियों का पता लगाने तथा उन्हें संरक्षित करने के लिए 2003 में शुरू किया गया था।
- **भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता:** यहां लगभग 3600 दुर्लभ और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पांडुलिपियां संरक्षित हैं।
- **एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल:** इसे 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित किया गया था। अब यह प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण का कार्य करती है।

QUIZ SMART QUIZ

विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **संस्कृति** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

न्यूज़ टुडे

- 4 पृष्ठों में कवर किया जाने वाला दैनिक समसामयिकी समाचार बुलेटिन।
- सुर्खियों के प्राथमिक स्रोत: द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी (PIB)। अन्य स्रोतों में शामिल हैं. न्यूज ऑन एयर, द मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स आदि।
- इसका उद्देश्य प्रचलित विभिन्न घटनाओं के बारे में जानने के लिए प्राथमिक स्तर की जानकारी प्रदान करना है।
- इसमें दो प्रकार के दृष्टिकोणों को शामिल किया गया है यथा:
  - दिवसीय प्राथमिक सुर्खियां – 180 से कम शब्दों में दिन की मुख्य सुर्खियों को शामिल किया गया है।
  - अन्य सुर्खियाँ– ये मूल रूप से समाचारों में आने वाली एक पंक्ति की जानकारियाँ हैं। यहां शब्द सीमा 80 शब्द है।
- यह अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। हिंदी ऑडियो, VISIONIAS हिंदी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है।

9. नीतिशास्त्र (Ethics)

9.1. नैतिक सत्यनिष्ठा (Moral Integrity)

परिचय

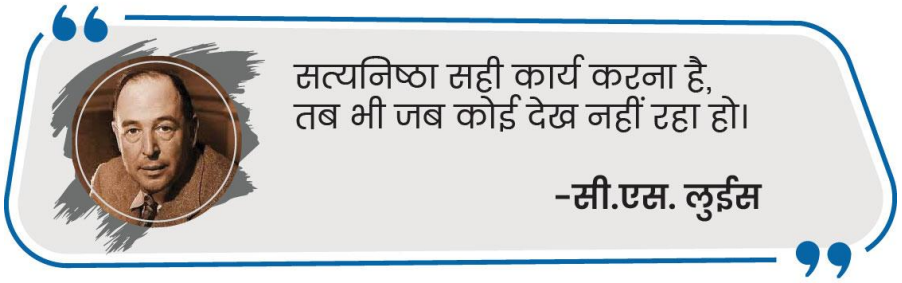

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने टिप्पणी की है कि नैतिक सत्यनिष्ठा एक मार्गदर्शक शक्ति है, जो रास्तों को समाप्त नहीं करती, बल्कि उन्हें परिभाषित करती है। यह कथन इस बात पर बल देता है कि सत्यनिष्ठा कोई सीमित करने वाला कारक नहीं है; बल्कि, यह नैतिक दिशा को निर्धारित करती है, जिससे न्याय, निष्पक्षता और जवाबदेही पर आधारित निर्णय संभव हो पाते हैं।

नैतिक सत्यनिष्ठा क्या है?

- **परिभाषा:** नैतिक सत्यनिष्ठा का अर्थ है- कठिन परिस्थितियों में भी **नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों का दृढ़तापूर्वक पालन** करना।
    - यह व्यक्ति के **विश्वास, अभिव्यक्ति और कर्म के बीच आंतरिक एकरूपता** को दर्शाती है। यह सुनिश्चित करती है कि निर्णय और व्यवहार बाहरी दबावों या प्रलोभनों की परवाह किए बिना **नैतिक मानकों** के अनुरूप हों।

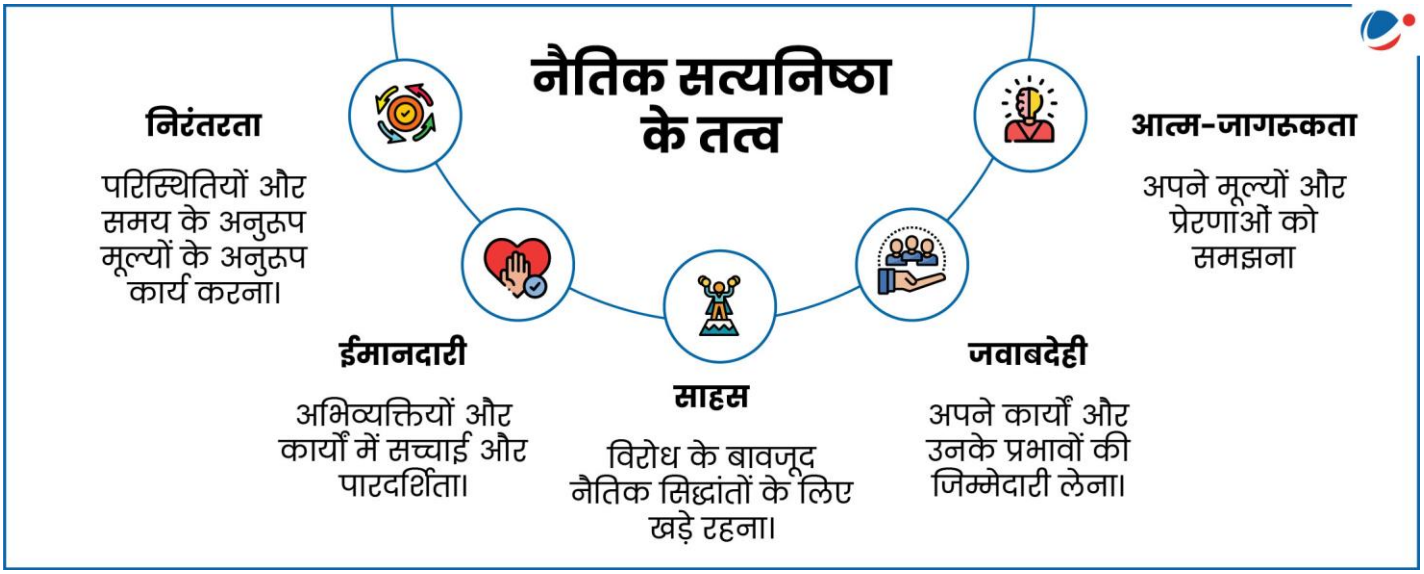

प्रमुख हितधारक और उनके हित

हितधारक	हित/ चिंताएं
सामान्य व्यक्ति	• व्यक्तिगत विश्वसनीयता और भरोसेमंदता का निर्माण करना। • दैनिक जीवन में भ्रष्टाचार का विरोध करने के लिए नैतिक साहस विकसित करना।
लोक सेवक	• शासन में ईमानदारी और निष्पक्षता को बनाए रखना। • निजी लाभ के लिए पद के दुरुपयोग को रोकना। • पारदर्शिता और जवाबदेही पर आधारित नागरिक-केंद्रित शासन प्रदान करना। • राजनीतिक दबाव और संस्थागत भ्रष्टाचार से सुरक्षा करना।
न्यायपालिका	• संवैधानिक नैतिकता और न्याय के संरक्षक के रूप में कार्य करना। • राजनीतिक या सामाजिक प्रभाव से मुक्त होकर निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित करना।

कॉर्पोरेट लीडर	• दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने वाली नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं को बनाए रखना। • ईमानदारी-आधारित नीतियों के माध्यम से निवेशक और उपभोक्ताओं का विश्वास बनाना।
राजनीतिक नेतृत्व	• व्यक्तिगत या दलीय लाभ के बजाय जनहित को प्राथमिकता देना। • निष्पक्षता, समानता और समावेशिता के लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखना। • यह सुनिश्चित करना कि नीतियाँ और निर्णय नैतिक रूप से सुदृढ़ और जनकेंद्रित हों।
समग्र समाज	• ईमानदारी, निष्पक्षता और न्याय की संस्कृति का विकास करना। • लोभ-लालच, भौतिकवाद या दण्डमुक्ति के कारण मूल्यों के क्षरण से सुरक्षा। • स्थायी शासन, नैतिक नेतृत्व और सामाजिक सामंजस्य सुनिश्चित करना।

नैतिक सत्यनिष्ठा को बाधित करने वाले कारक

- **हितों का टकराव: व्यक्तिगत लाभ बनाम सार्वजनिक कर्तव्य** निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं।
  - **उदाहरण के लिए, 2G स्पेक्ट्रम मामले** में लाइसेंस आवंटन ने निजी हितों को प्राथमिकता दी थी, जिससे जनता का विश्वास कमजोर हुआ।
- **संस्थागत और प्रणालीगत दबाव: अवास्तविक लक्ष्य, नौकरशाही की लालफीताशाही और राजनीतिक हस्तक्षेप** व्यक्तियों को नैतिक विकल्पों से समझौता करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
  - **उदाहरण के लिए,** मध्य प्रदेश में **व्यापम घोटाले** जैसे मामले दिखाते हैं कि कैसे संस्थागत कमज़ोरी ईमानदारी को कमज़ोर करती है।
- **लोभ-लालच और भौतिकवाद:** बढ़ता हुआ **उपभोक्तावाद** और **धन एवं शक्ति की लालसा** अनैतिक व्यवहार को बढ़ावा देती है।
  - **उदाहरण के लिए, सत्यम घोटाले** जैसे कॉर्पोरेट घोटाले लोभ पर आधारित थे, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हुई।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव: अपारदर्शी प्रणाली** और **धीमी एवं अक्षम न्यायिक तंत्र के कारण** हेर-फेर और नैतिक समझौते के अवसर पैदा होते हैं।
  - **उदाहरण के लिए,** सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से पहले सरकारी सूचनाओं तक पहुँच की कमी ने कल्याणकारी योजनाओं में अनियंत्रित भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया।
- **सहकर्मी और सामाजिक दबाव: समूह व्यवहार** के अनुरूप होना, **परिणामों का भय (जैसे- स्थानांतरण)** या स्वीकृति की इच्छा अक्सर नैतिक सिद्धांतों पर भारी पड़ जाती है।
  - **उदाहरण के लिए, एडवर्ड स्नोडेन** को निगरानी प्रणालियों को उजागर करने के लिए कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा, जिससे समूह के खिलाफ जाने के परिणाम का पता चलता है।
- **अनैतिक व्यवहार और दंड से मुक्ति की संस्कृति:** जब भ्रष्टाचार या अनैतिक आचरण को दंडित नहीं किया जाता है, तो इससे सत्यनिष्ठा हतोत्साहित होती है।
  - **उदाहरण के लिए, चुनावी राजनीति** में **आपराधिक पृष्ठभूमि** वाले उम्मीदवार अक्सर जीत जाते हैं, जिससे यह धारणा मजबूत होती है कि अनैतिक आचरण पुरस्कृत होता है।

मौजूदा दौर में नैतिक सत्यनिष्ठा का महत्व

- **व्यक्तियों के लिए**
  - **व्यक्तिगत विश्वसनीयता और भरोसेमंदता:** किसी नेता की नैतिक सत्यनिष्ठा विश्वास को प्रेरित करती है।
    - **उदाहरण के लिए, रतन टाटा** ने नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं, परोपकार और विनम्रता के माध्यम से नैतिक सत्यनिष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत किया।
  - **जटिल परिस्थितियों में नैतिक मार्गदर्शक:** बढ़ती **नैतिक दुविधाओं (जलवायु न्याय, निगरानी के लिए AI का उपयोग)** के साथ, नैतिक सत्यनिष्ठा निष्पक्ष निर्णय लेने में मदद करती है।
    - **उदाहरण के लिए, एडवर्ड स्नोडेन** जैसे व्हिसलब्लोअर ने सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने में सत्यनिष्ठा की भूमिका को दर्शाया।
    - **उदाहरण के लिए,** NHAI[75] के एक इंजीनियर **सत्येंद्र दुबे** ने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया।

[75] National Highways Authority of India

- **लोक प्रशासन एवं शासन**
  - **भ्रष्टाचार की रोकथाम:** सत्यनिष्ठा व्यक्तिगत लाभ के लिए पद के दुरुपयोग को रोकती है।
    - **उदाहरण के लिए, आई.ए.एस. अधिकारी अशोक खेमका** ने बार-बार तबादलों के बावजूद सत्यनिष्ठा को बनाए रखा।
    - **उदाहरण के लिए**, भारत में **सूचना का अधिकार अधिनियम** नागरिकों को अधिकारियों से सत्यनिष्ठा की मांग करने का अधिकार देता है।
  - **नागरिक-केंद्रित शासन:** नैतिक प्रशासक सत्ता के बजाय कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
    - **उदाहरण के लिए, मेट्रो मैन ई. श्रीधरन** ने पारदर्शी कॉन्ट्रैक्ट और परियोजनाओं का समय पर पूरा करना सुनिश्चित किया।
    - **उदाहरण के लिए, सिंगापुर की लोक सेवा संहिता** निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करती है, जिससे यह एक वैश्विक मानक बन गया है।
  - **जनता का विश्वास बहाल करना: उदाहरण के लिए, भारत के निर्वाचन आयोग** ने मॉडल आचार संहिता के सख्त पालन के माध्यम से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में विश्वास पैदा किया है।
- **न्यायपालिका में संवैधानिक नैतिकता को कायम रखती है:** न्यायाधीशों को निष्पक्षता के साथ कार्य करना चाहिए और राजनीतिक या सामाजिक दबावों का विरोध करना चाहिए।
  - **उदाहरण के लिए**, सुप्रीम कोर्ट ने **नवतेज जौहर मामले (2018)** में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा।
- **कॉर्पोरेट क्षेत्र और व्यावसायिक नैतिकता**
  - **नैतिक व्यावसायिक व्यवहार:** सत्यनिष्ठा अनैतिक शॉर्टकट, जैसे- कर चोरी, श्रम शोषण या पर्यावरणीय क्षति को रोकती है।
    - **उदाहरण के लिए**, नारायण मूर्ति के नेतृत्व में इंफोसिस ने पारदर्शिता, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार के लिए प्रतिष्ठा हासिल की।
  - **पर्यावरण, सामाजिक, शासन (ESG) मानदंड:** यह आधुनिक समय की चुनौतियों से निपटने के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार कॉर्पोरेशन के लिए फ्रेमवर्क है।
    - **उदाहरण के लिए**, ऑटोमोटिव दिग्गज **टोयोटा** ने 2050 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई है।
- **नागरिक समाज की सक्रियता और पत्रकारिता:** सत्यनिष्ठा खबरों को सनसनीखेज बनाने की बजाय तथ्यों को प्राथमिकता देती है और फेक न्यूज़ को रोकने का प्रयास करती है।
  - **उदाहरण के लिए, कोविड-19 के दौरान नैतिक पत्रकारिता ने गलत सूचनाओं के प्रसार** को रोककर लोगों की जान बचाने के लिए महत्वपूर्ण हो गई।
  - **उदाहरण के लिए, अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन।**
- **प्रौद्योगिकी और डिजिटल युग:** निगरानी, गोपनीयता और एल्गोरिथम संबंधी पूर्वाग्रहों से संबंधित निर्णयों के लिए नैतिक सत्यनिष्ठा आवश्यक है।
  - **उदाहरण के लिए**, वर्ल्ड वाइड वेब के निर्माता **टिम बर्नर्स-ली** एक मुक्त, विकेन्द्रीकृत और गोपनीयता का सम्मान करने वाले इंटरनेट के पक्षधर हैं।

निष्कर्ष

नैतिक सत्यनिष्ठा एक न्यायपूर्ण और विश्वसनीय समाज का आधार है। यह व्यक्तियों और संस्थाओं को दबाव के बावजूद नैतिक रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे जीवन के सभी क्षेत्रों में निष्पक्षता, जवाबदेही और करुणा सुनिश्चित होती है। सत्यनिष्ठा बनाए रखना केवल एक विकल्प नहीं है, बल्कि यह सतत शासन, नैतिक नेतृत्व और मजबूत लोकतंत्र के लिए आधार स्तंभ है। जैसा कि **महात्मा गांधी** ने कहा था, "नैतिकता ही सभी चीजों का आधार है और सत्य ही सभी नैतिकताओं का सार है।"

अभ्यास प्रश्न (केस स्टडी)

विजय एक IAS अधिकारी है, जिन्हें गंभीर जल संकट से ग्रस्त क्षेत्र में जिला कलेक्टर के रूप में तैनात किया गया है। एक निजी बहुराष्ट्रीय कंपनी ने बड़े पैमाने पर भूजल निष्कर्षण परियोजना का प्रस्ताव रखा है, जिसमें स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों सहित स्थानीय अवसंरचना के विकास के लिए महत्वपूर्ण वित्त-पोषण का वादा किया गया है। हालांकि, यह परियोजना तत्काल राहत प्रदान कर सकती है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति दे सकती है, लेकिन इसके कारण कृषि और ग्रामीण आजीविका के लिए महत्वपूर्ण जल स्रोतों के क्षरण होने का खतरा है।

कृषक और सामुदायिक नेता इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं, उन्हें सिंचाई के नुकसान और दीर्घकालिक पर्यावरणीय क्षति का डर है। साथ ही, राज्य सरकार और राजनीतिक नेता निवेश आकर्षित करने और विकास दिखाने के लिए इसकी मंजूरी पर जोर दे रहे हैं। मीडिया और सोशल मीडिया अभियान

इस मुद्दे को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं, अक्सर इसे ध्रुवीकृत तरीके से पेश किया जा रहा है। विजय के सामने विकास लक्ष्यों, पर्यावरणीय स्थिरता, जन कल्याण और राजनीतिक अपेक्षाओं के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है। उनके इस फैसले के समुदाय, उनके करियर और शासन में जनता के विश्वास पर तत्काल और दीर्घकालिक दोनों तरह के प्रभाव होंगे।

उपर्युक्त केस स्टडी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

a) इस परिदृश्य में विजय के सामने आने वाली नैतिक दुविधाओं की पहचान कीजिए।

b) विजय के सामने क्या-क्या विकल्प हैं? इनमें से प्रत्येक विकल्प का आलोचनात्मक मूल्यांकन और परीक्षण कीजिए।

c) आपके विचार से विजय के लिए कौन-सा विकल्प सबसे उपयुक्त होगा और क्यों?

9.2. बिग टेक कंपनियाँ और AI की नैतिकता: एक बढ़ती नियामक चुनौती (Big Tech & Ethics of AI: A Growing Regulatory Challenge)

परिचय

हाल ही में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में बिग टेक के प्रभुत्व को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि अमेरिकी अदालतें AI के उपयोग सहित गूगल के सर्च में एकाधिकार की जांच कर रही हैं। ठीक इसी दौरान, दो लेखकों ने एप्पल के खिलाफ संघीय अदालत में मुकदमा दायर किया है। इसमें एप्पल पर आरोप लगाया गया है कि इसने बिना अनुमति के, बिना सहमति, क्रेडिट या भुगतान के पायरेटेड डेटासेट में शामिल करके अपने "OpenELM" आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए उनकी पुस्तकों का उपयोग किया है।

ये मामले जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) LLMs[76] के प्रशिक्षण में कॉपीराइट सामग्री के उपयोग और इंटरनेट पर डिजिटल एकाधिकार बनाने को लेकर AI कंपनियों के खिलाफ कानूनी चुनौतियों की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाते हैं।

प्रमुख हितधारक और उनके हित

हितधारक	हित/ चिंताएं
बिग टेक AI कंपनियां	• बाजार में प्रभुत्व, उच्च लाभ और वैश्विक विस्तार। • एल्गोरिदम, डेटासेट और नवाचार पर नियंत्रण। • शेयरधारक मूल्य को अधिकतम करते हुए जनता का विश्वास बनाना।
कंटेंट क्रिएटर्स	• कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा। • उनके कार्यों के उपयोग के लिए उचित मुआवजा और स्वीकृति।
उपभोक्ता	• किफायती, सुरक्षित और भरोसेमंद AI सेवाएं। • गोपनीयता और संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा।
सरकारें	• निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना और डिजिटल एकाधिकार को रोकना। • राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। • सतत विकास के लिए नवाचार और विनियमन में संतुलन स्थापित करना। • स्वतंत्र रूप से उपलब्ध ज्ञान के निजीकरण को रोकना।
समग्र समाज	• AI का दीर्घकालिक नैतिक, न्यायसंगत और सतत उपयोग। • तकनीकी लाभों का उचित वितरण। • पक्षपातपूर्ण AI सिस्टम, गलत सूचना और लोकतांत्रिक मूल्यों के क्षरण जैसे अपरिवर्तनीय नुकसानों से सुरक्षा।

[76] Large Language Models

AI LLMs के संचालन के संबंध में नैतिक चिंताएं क्या हैं?

- **डिजिटल एकाधिकार और अनुचित प्रतिस्पर्धा:** प्रमुख AI कंपनियों (गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, OpenAI) पर **डेटा, एल्गोरिदम और बाजारों पर नियंत्रण** जैसे **प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार** के आरोप हैं, जो छोटी कंपनियों को दबाते हैं और निष्पक्षता, समान अवसर और वितरणात्मक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं।
  - **उदाहरण के लिए,** फ़ोन में **डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन के रूप में गूगल का प्रभुत्व** कंपनी के लिए एक डिजिटल एकाधिकार बनाता है।
- **कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)[77] का उल्लंघन:** लेखकों के सम्मान और उचित मुआवजे की निष्पक्षता **जैसे मुद्दे** सामने आए हैं।
  - यह **कांट के कर्तव्य** के सिद्धांत का भी उल्लंघन करता है, जिसमें **क्रिएटर्स को केवल उनके कंटेंट के उपयोग का साधन न मानकर**, बल्कि उन्हें AI के प्रशिक्षण के लिए उचित मुआवजा दिए बिना, केवल एक लक्ष्य के रूप में माना जाए।
  - **उदाहरण के लिए,** AI मॉडल बिना उचित अनुमति के पुस्तकों, लेखों, संगीत, कलाकृतियों, कोड आदि का उपयोग करते हैं, जिससे **छोटे कंटेंट क्रिएटर्स** के **राजस्व स्रोत** प्रभावित होते हैं।
- **गोपनीयता और संवेदनशील जानकारी:** यदि **अप्रकाशित शोध, रोगियों के रिकॉर्ड या व्यावसायिक डॉक्यूमेंटस** जैसी संवेदनशील जानकारी अपलोड की जाती है, तो विश्वास भंग, सहमति की कमी और पारदर्शिता मानकों के उल्लंघन का खतरा उत्पन्न होता है।
  - **उदाहरण के लिए, दक्षिण कोरिया** ने **चीनी AI ऐप डीपसीक (DeepSeek)** के नए डाउनलोड निलंबित कर दिए, क्योंकि कंपनी ने स्वीकार किया कि उसने देश के गोपनीयता नियमों का पूर्णतः पालन नहीं किया था।
- **सार्वजनिक ज्ञान का निजीकरण:** एकाधिकार वाली कंपनियां स्वतंत्र रूप से उपलब्ध डेटा को स्वामित्व वाले उत्पादों में बदल देती हैं।
  - **उदाहरण के लिए,** विकिपीडिया के डेटा का उपयोग बिना किसी स्वीकृति के AI प्रशिक्षण के लिए किया जा रहा है।
- **कॉर्पोरेट लाभ बनाम नैतिकता:** जब **कंपनियां बाजार में प्रभुत्व हासिल करने के लिए क्रिएटर्स के अधिकारों और सामाजिक न्याय** की अनदेखी करती हैं, तो यह कॉर्पोरेट नैतिकता में नैतिक सत्यनिष्ठा की कमी को दर्शाता है।
- **नॉर्थ-साउथ विभाजन:** ग्लोबल साउथ के क्रिएटर्स की कृतियों का उपयोग बिना सुरक्षा उपायों के किया जाता है, जबकि ग्लोबल नॉर्थ की कंपनियां अधिकतर लाभ कमाती हैं। यह **डिजिटल उपनिवेशवाद** और **आर्थिक असमानता** को गहरा करता है।

AI LLMs संचालन के विनियमन की स्थिति क्या है?

भारत में

- **कोई विशिष्ट कानून नहीं:** भारत में वर्तमान में AI प्रशिक्षण के लिए सहमति, लाइसेंसिंग, डेटा स्वामित्व से संबंधित स्पष्ट कानूनी प्रावधान नहीं हैं। साथ ही, स्वास्थ्य, बैंकिंग आदि क्षेत्रों के लिए क्षेत्र-विशिष्ट AI नियम भी अभी तक नहीं बनाए गए हैं।
- **अन्य कानून: IT अधिनियम 2000, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023, कॉपीराइट अधिनियम, 1957, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002,** आदि अप्रत्यक्ष रूप से AI डेटा विनियमन के विभिन्न पहलुओं को विनियमित करने के लिए लागू होते हैं।

वैश्विक स्तर पर

- **कानून: यूरोपीय संघ का AI अधिनियम** दुनिया का पहला व्यापक AI कानून है, जिसका उद्देश्य सुरक्षित, पारदर्शी और विश्वसनीय AI प्रणालियाँ सुनिश्चित करना है।
- **AI की नैतिकता पर यूनेस्को की 2021 की सिफारिश:** ये **AI नैतिकता पर अब तक के पहले वैश्विक मानक** हैं। **भारत** ने भी इन सिफारिशों को अपनाया है।
- **अन्य वैश्विक प्रयास:** भारत **G20 AI सिद्धांत, यू.के. AI शिखर सम्मेलन, 2023 का ब्लेचली घोषणा-पत्र** और **लोगों एवं ग्रह के लिए समावेशी तथा सतत कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पेरिस AI एक्शन शिखर सम्मेलन, 2025** के संयुक्त वक्तव्य का हिस्सा है।

[77] Intellectual Property Rights

आगे की राह

- **विधिक फ्रेमवर्क को मजबूत करना: यूरोपीय संघ के AI अधिनियम जैसे वैश्विक मानकों** के अनुरूप एक **व्यापक AI कानून** लागू करना चाहिए। इसमें AI प्रशिक्षण और परिनियोजन में सहमति, लाइसेंसिंग, बौद्धिक संपदा अधिकार, दायित्व और जवाबदेही को शामिल किया जाए।
- **न्यायसंगत उपयोग और मुआवज़े को बढ़ावा देना:** यह सुनिश्चित करने के लिए एक **निष्पक्ष डेटा लाइसेंसिंग व्यवस्था** बनानी चाहिए, ताकि लेखकों, संगीतकारों, कोडर्स जैसे क्रिएटर्स को श्रेय और मुआवजा मिल सके।
- **प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना और एकाधिकार को रोकना:**
  - **भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग** को AI बाजारों में प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रणालियों की निगरानी करने का अधिकार देना।
  - **ओपन-सोर्स AI मॉडल और पब्लिक डेटा कॉमन्स** को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि बिग टेक कंपनियों के डिजिटल एकाधिकार का संतुलन बनाया जा सके।
- **गोपनीयता और संवेदनशील डेटा की सुरक्षा:** AI कंपनियों के लिए **डेटा को गुमनाम करना, सहमति-आधारित पहुंच और स्वतंत्र ऑडिट** को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। **गोपनीयता उल्लंघन और डेटा के दुरुपयोग पर कठोर दंडात्मक** प्रावधान लागू किए जाने चाहिए।
- **ज्ञान और पहुंच का लोकतंत्रीकरण:**
  - ओपन रिसर्च डेटाबेस जैसी **पब्लिक डिजिटल गुड्स** की सुरक्षा करना चाहिए।
  - नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए **AI साक्षरता कार्यक्रमों** को बढ़ावा देना चाहिए।
- **कॉर्पोरेट लाभ और नैतिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन:** चिकित्सा नैतिकता समितियों की तरह, AI कंपनियों में आंतरिक **नैतिकता समीक्षा बोर्ड** स्थापित करना चाहिए।
- **वैश्विक संधि:**
  - समान लाभ-साझाकरण के लिए **संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत AI शासन पर एक वैश्विक संधि** की सिफारिश करनी चाहिए।
  - AI अनुसंधान, ओपन डेटासेट्स और डिजिटल अवसंरचना पर **दक्षिण-दक्षिण सहयोग** को बढ़ावा देना चाहिए।
- **भारत में संस्थागत क्षमता का निर्माण:**
  - विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय के लिए एक **राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता नियामक प्राधिकरण** की स्थापना करना चाहिए।
  - नैतिक और स्वदेशी AI विकास को बढ़ाने के लिए **सार्वजनिक-निजी भागीदारी** को प्रोत्साहित करना चाहिए।

निष्कर्ष

जनरेटिव AI में परिवर्तनकारी क्षमताएं हैं, लेकिन अनियंत्रित एकाधिकार, बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन और गोपनीयता संबंधी जोखिम न्याय और समानता के लिए खतरा है। मजबूत विनियमन, नैतिक नवाचार और वैश्विक सहयोग के लिए एक **संतुलित दृष्टिकोण** होना आवश्यक है, ताकि AI शोषण का नहीं, बल्कि सशक्तिकरण का साधन बन सके।

प्रश्न (केस स्टडी)

हाल ही में एक बड़ी वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी पर यह आरोप लगाया गया है कि उसने अपनी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को प्रशिक्षित करने के लिए पुस्तकों, समाचार लेखों और ऑनलाइन कंटेंट बिना अनुमति उपयोग किया है। कई लेखकों और छोटे कंटेंट क्रिएटर्स का दावा है कि उनकी बौद्धिक संपदा का इस्तेमाल बिना उनकी सहमति, श्रेय या मुआवजे के किया गया है। उनका तर्क है कि यह प्रणाली न केवल कॉपीराइट का उल्लंघन करती है, बल्कि अनुचित प्रतिस्पर्धा पैदा करके उनकी आजीविका के साधनों को भी खतरे में डालती है।

हालांकि, कंपनी का तर्क है कि AI विकास के लिए विशाल डेटासेट की आवश्यकता होती है और डेटा को सीमित करने से नवाचार की गति धीमी हो जाएगी। उनके मॉडल अप्रत्यक्ष रूप से समाज को लाभ पहुंचाते हैं, क्योंकि वे लाखों लोगों को मुफ्त या कम लागत वाले AI उपकरण प्रदान करते हैं।

कंपनी का कहना है कि सख्त कॉपीराइट प्रतिबंध कुछ बड़े प्रकाशकों को एकाधिकार शक्ति प्रदान कर सकते हैं, जिससे ज्ञान के लोकतंत्रीकरण में बाधा आ सकती है।

आप भारत में एक नीति निर्माता हैं और आपको इस उभरते हुए मुद्दे पर एक नैतिक और विनियामक प्रतिक्रिया तैयार करने का कार्य सौंपा गया है।

a) इस मामले में शामिल नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिए।

b) एक नीति निर्माता के रूप में नैतिक शासन के कौन से सिद्धांत आपके निर्णय का मार्गदर्शन करेंगे?

c) एक संतुलित कार्यवाही का सुझाव दीजिए जो नवाचार और क्रिएटर्स के अधिकारों की सुरक्षा दोनों को सुनिश्चित करें।

d) भविष्य में ऐसी नैतिक दुविधाओं से बचने के लिए AI कंपनियों को अपनी कार्यप्रणाली में किन मूल्यों को बनाए रखना चाहिए?

10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

10.1. पी.एम. स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पी.एम. स्वनिधि) योजना {PM Street Vendors Atmanirbhar Nidhi (PM SVANIDHI) Scheme}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कैबिनेट ने पी.एम. स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANIDHI) योजना के पुनर्गठन और ऋण अवधि (2024 से आगे) के विस्तार को मंजूरी दी है।

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• रेहड़ी-पटरी (स्ट्रीट वेंडर्स) लगाने वालों का समग्र विकास करना, ताकि उन्हें **विश्वसनीय स्रोत से वित्तीय सहायता** मिल सके, जिससे वे अपना कारोबार बढ़ा सकें और लंबे समय तक स्थिर आर्थिक विकास के अवसर प्राप्त कर सकें। • **कार्यशील पूंजी** (वर्किंग कैपिटल) के लिए ऋण उपलब्ध कराना। • रेहड़ी-पटरी वालों के लिए **वित्तीय समावेशन, डिजिटल भुगतान** और **पहचान/ मान्यता** को बढ़ावा देना।	• **पृष्ठभूमि:** यह योजना वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान गंभीर कठिनाइयों का सामना कर रहे स्ट्रीट वेंडर्स को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। • **प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक की योजना[78] • **मंत्रालय:** आवास और शहरी कार्य मंत्रालय • **कार्यान्वयन:** यह योजना आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) तथा वित्तीय सेवा विभाग (DFS)[79] द्वारा संयुक्त रूप से लागू की जाती है। ○ DFS की जिम्मेदारी है कि वह बैंकों/ वित्तीय संस्थानों और उनके स्थानीय प्रतिनिधियों के माध्यम से **ऋण या क्रेडिट कार्ड तक पहुँच** सुनिश्चित करे। • **कुल परिव्यय:** 7,332 करोड़ रुपये • **लक्षित लाभार्थी:** वे **शहरी क्षेत्र के रेहड़ी-पटरी (स्ट्रीट वेंडर्स) लगाने वाले विक्रेता**, जो **24 मार्च 2020 या उससे पहले** विक्रय कार्य में लगे हुए थे। ○ पुनर्गठित योजना का उद्देश्य 50 लाख नए लाभार्थियों सहित 1.15 करोड़ लाभार्थियों को लाभान्वित करना है। • **मुख्य लाभ:** ○ **कार्यशील पूंजी (Working Capital)** पर **7% की ब्याज सब्सिडी**। ○ **समय पर या अग्रिम ऋण भुगतान** करने पर **अधिक ऋण की पात्रता**[80] प्राप्त होगी। • **नई विशेषताएँ:** ○ **कार्यशील पूंजी ऋण की बढ़ी हुई किश्तें:** ▪ **पहली किश्त**: ₹15,000 तक (पहले ₹10,000 थी)। ▪ **दूसरी किश्त**: ₹25,000 तक (पहले ₹20,000 थी)। ▪ **तीसरी किश्त**: ₹50,000 तक (बिना बदलाव के)। ○ **डिजिटल पहुँच: दूसरे ऋण** के भुगतान के बाद **UPI-लिंक्ड RuPay क्रेडिट कार्ड** मिलेगा। ○ **डिजिटल प्रोत्साहन: खुदरा और थोक लेनदेन** के लिए रेहड़ी-पटरी वालों को **1,600 रुपये** तक का कैशबैक प्रोत्साहन। ○ **कवरेज का विस्तार:** योजना का दायरा **वैधानिक नगरों से बढ़ाकर जनगणना नगरों और उप-नगरीय क्षेत्रों** तक क्रमिक रूप से बढ़ाया जाएगा।

[78] Central Sector Scheme

[79] Department of Financial Services

[80] Higher Loan Eligibility

	○ **क्षमता निर्माण:** विक्रेताओं को **उद्यमिता, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल कौशल और मार्केटिंग** से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। ▪ साथ ही, **खाद्य विक्रेताओं के लिए स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा** पर विशेष प्रशिक्षण **(FSSAI के सहयोग से)** दिया जाएगा। ○ **'स्वनिधि से समृद्धि' पहल:** इस पहल को मजबूत करने के लिए हर महीने **लोक कल्याण मेले** आयोजित किए जाएंगे, ताकि विक्रेताओं को अन्य **कल्याणकारी योजनाओं** से जोड़ा जा सके।

वीकली फोकस

प्रत्येक सप्ताह के विषय का व्यापक कवरेज

विषय	विवरण	विस्तृत विवरण
युद्ध का युग: स्थायी शांति का मार्ग तैयार करना	भारतीय प्रधानमंत्री ने अक्सर इस बात पर ज़ोर दिया है कि "यह युद्ध का युग नहीं है, यह भावना दुनिया भर के अरबों लोगों द्वारा दोहराई जाती है। फिर भी, रूस-यूक्रेन और इज़राइल-हमास युद्ध जैसे संघर्षों के कारण अनगिनत लोगों की मृत्यु हो रही हैं। यह संस्करण युद्ध के उद्भव, इससे होने वाली मानवीय क्षति, कारणों, संस्थागत प्रतिक्रियाओं और स्थाई शांति की ओर ले जाने वाले मार्गों की पड़ताल करता है।	
बहुपक्षवाद का भविष्य- उभरती वैश्विक व्यवस्था	जलवायु परिवर्तन, महामारी और भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का सामना कर रहे विश्व में, बहुपक्षवाद दबाव में है, फिर भी यह अपरिहार्य है। यह संस्करण इसके विकास, चुनौतियों और बदलते रूपों की पड़ताल करता है, साथ ही एक अधिक न्यायसंगत और स्थायी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए समावेशी, बेहतर और सुनम्य वैश्विक सहयोग को निर्धारित करने में भारत की भूमिका और अवसरों को रेखांकित करता है।	

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

OUR ACHIEVEMENTS

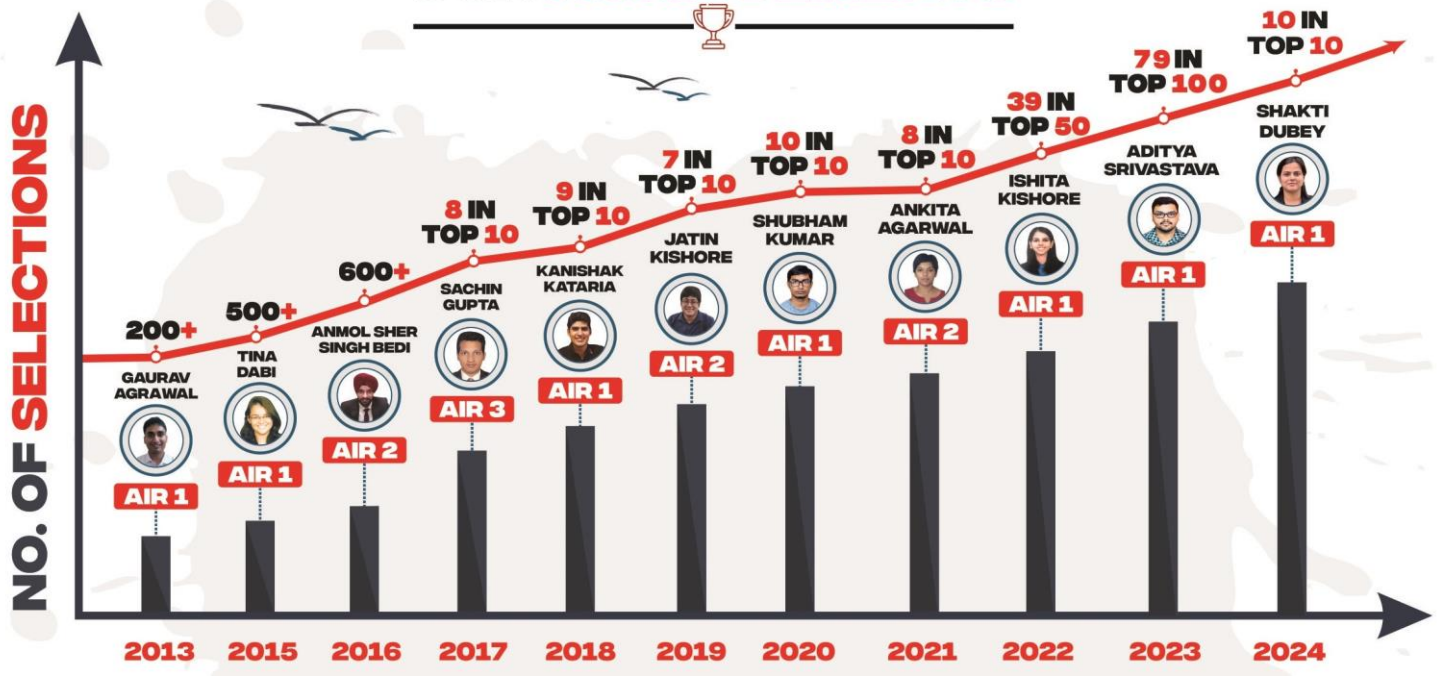

सुर्खियों में रहे स्थल

भारत

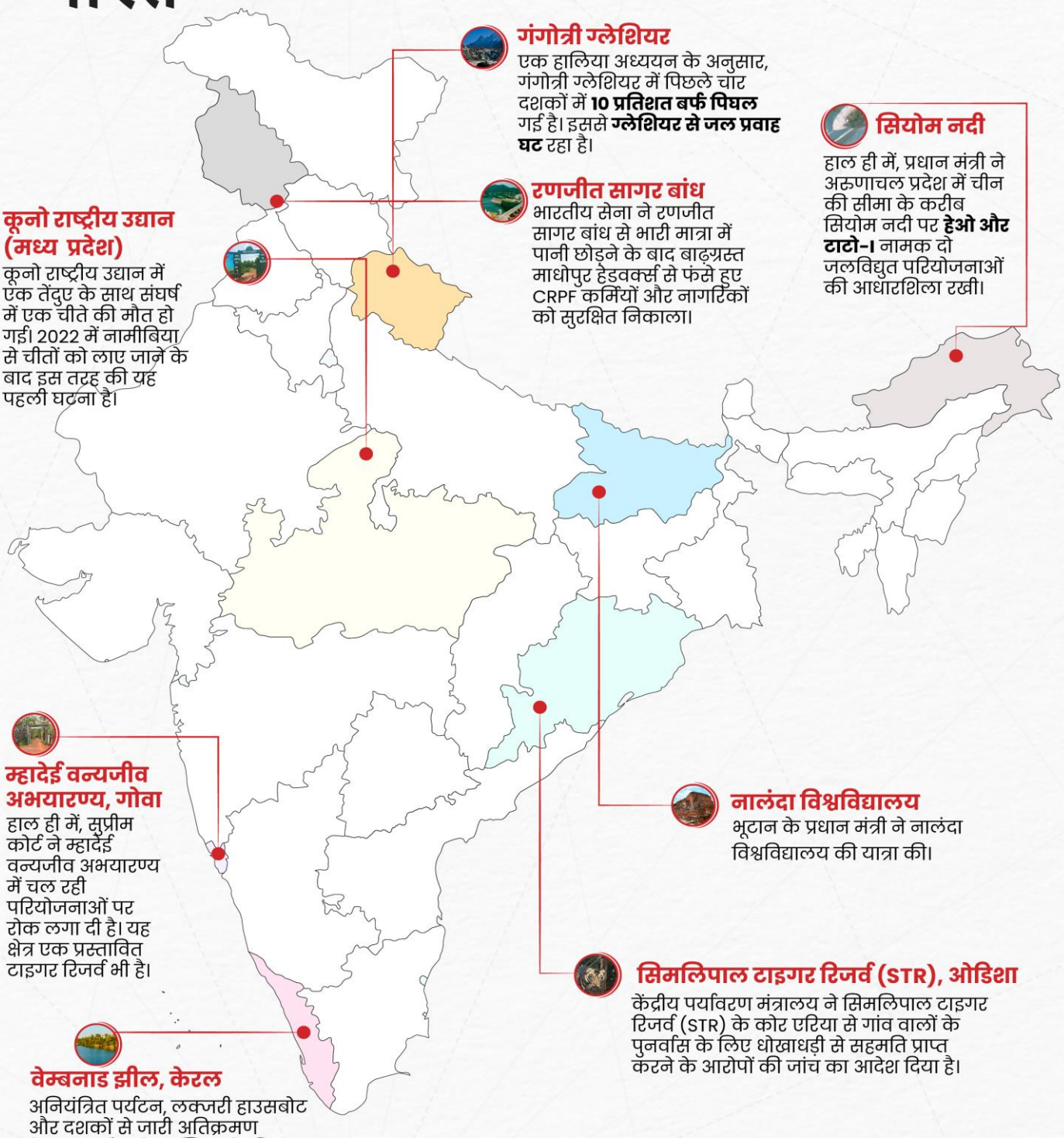

गंगोत्री ग्लेशियर

एक हालिया अध्ययन के अनुसार, गंगोत्री ग्लेशियर में पिछले चार दशकों में **10 प्रतिशत बर्फ पिघल** गई है। इससे **ग्लेशियर से जल प्रवाह घट** रहा है।

रणजीत सागर बांध

भारतीय सेना ने रणजीत सागर बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़ने के बाद बाढ़ग्रस्त माधोपुर हेडवर्क्स से फंसे हुए CRPF कर्मियों और नागरिकों को सुरक्षित निकाला।

सियोम नदी

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा के करीब सियोम नदी पर **हेओ और टाटो-I** नामक दो जलविद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी।

कूनो राष्ट्रीय उद्यान (मध्य प्रदेश)

कूनो राष्ट्रीय उद्यान में एक तेंदुए के साथ संघर्ष में एक चीते की मौत हो गई। 2022 में नामीबिया से चीतों को लाए जाने के बाद इस तरह की यह पहली घटना है।

म्हादेई वन्यजीव अभयारण्य, गोवा

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने म्हादेई वन्यजीव अभयारण्य में चल रही परियोजनाओं पर रोक लगा दी है। यह क्षेत्र एक प्रस्तावित टाइगर रिजर्व भी है।

नालंदा विश्वविद्यालय

भूटान के प्रधान मंत्री ने नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा की।

सिमलिपाल टाइगर रिजर्व (STR), ओडिशा

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने सिमलिपाल टाइगर रिजर्व (STR) के कोर एरिया से गांव वालों के पुनर्वास के लिए धोखाधड़ी से सहमति प्राप्त करने के आरोपों की जांच का आदेश दिया है।

वेम्बनाड झील, केरल

अनियंत्रित पर्यटन, लक्जरी हाउसबोट और दशकों से जारी अतिक्रमण वेम्बनाड झील के अस्तित्व के लिए खतरा बन रहे हैं।

सुर्खियों में रहे स्थल

विश्व

फिनलैंड

फिनलैंड, इजराइल और फिलिस्तीनियों के लिए 'दो-राज्य समाधान (टू-स्टेट सॉल्यूशन)' का समर्थन करने वाले देशों की सूची में शामिल हो गया।

जर्मनी

भारत के प्रधान मंत्री ने नई दिल्ली में जर्मनी के विदेश मंत्री से मुलाकात की।

मोरक्को

भारत और मोरक्को ने 22 सितंबर, 2025 को रबात में **रक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन (MoU)** पर हस्ताक्षर किए।

ला ऑर्चिला द्वीपसमूह

हाल ही में, वेनेजुएला ने अपने कैरिबियन द्वीप ला ऑर्चिला पर सैन्य अभ्यास शुरू किए। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य गतिविधियां बढ़ने के कारण तनाव बढ़ गया है।

एस्टोनिया

रूसी विमानों द्वारा एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किए जाने के बाद एस्टोनिया ने **उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO)** से सलाह की है।

पेरू

पेरू के दक्षिणी तट पर **5.6 तीव्रता का भूकंप** आया।

अल्बानिया

डायला एक **AI-जनित बॉट** है। इसे डायला नाम दिया गया है। यह सभी सरकारी परियोजनाओं के सार्वजनिक टेंडर का प्रबंधन और आवंटन करेगा। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना एवं भ्रष्टाचार को कम करना है।

डेनमार्क

भारत और डेनमार्क ने **ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप** के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इस साझेदारी का उद्देश्य आर्थिक संबंधों और हरित विकास (Green Growth) को बढ़ाना, रोजगार के अवसर पैदा करना और पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते को लागू करने में योगदान देना है।

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

लाइव / ऑनलाइन
कक्षाएं भी उपलब्ध

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स 2026

प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों

दिल्ली

11 सितम्बर, 2 PM

अवधि – 12 महीने

VisionIAS ऐप को डाउनलोड करने के लिए दिए गए **QR कोड** को स्कैन कीजिए

निःशुल्क काउंसिलिंग के लिए **QR** कोड को स्कैन कीजिए

डेली MCQs और अन्य अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल **टेलीग्राम ग्रुप** को ज्वाइन कीजिए

- सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स में GS मेन्स के सभी चारों पेपर, GS प्रीलिम्स, CSAT और निबंध के सिलेबस को विस्तार से कवर किया जाता है।
- अभ्यर्थियों के ऑनलाइन स्टूडेंट पोर्टल पर लाइव एवं ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाओं की सुविधा भी उपलब्ध है, ताकि वे किसी भी समय, कहीं से भी लेक्चर और स्टडी मटेरियल तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकें।
- इस कोर्स में पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शामिल है।
- 2025 के प्रोग्राम की अवधि: 12 महीने
- प्रत्येक कक्षा की अवधि: 3–4 घंटे, सप्ताह में 5–6 दिन (आवश्यकता पड़ने पर रविवार को भी कक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं)

नोट: अभ्यर्थी फाउंडेशन कोर्स की लाइव वीडियो कक्षाएं घर बैठे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। साथ ही, अभ्यर्थी लाइव चैट के जरिए कक्षा के दौरान अपने डाउट्स और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा, वे अपने डाउट्स और प्रश्न को नोट कर दिल्ली सेंटर पर हमारे क्लासरूम मेंटर को बता सकते हैं, जिसके बाद फोन/ मेल के जरिए अभ्यर्थियों के प्रश्नों का समाधान किया जाता है।

GS फाउंडेशन कोर्स की अन्य मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मूल्यांकन

अभ्यर्थियों को नियमित ट्यूटोरियल, मिनी टेस्ट एवं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के माध्यम से व्यक्तिगत व अभ्यर्थी के अनुरूप और ठोस फीडबैक दिया जाता है

सभी द्वारा पढ़ी जाने वाली एवं सभी द्वारा अनुशंसित

विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम द्वारा तैयार की गई मासिक समसामयिकी मैगजीन, PT 365 और Mains 365 डॉक्यूमेंट्स तथा न्यूज़ टुडे जैसी प्रासंगिक एवं अपडेटेड अध्ययन सामग्री

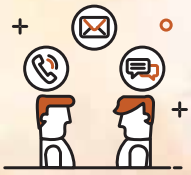

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन

इस कोर्स के तहत अभ्यर्थियों के डाउट्स दूर करने और उन्हें प्रेरित रखने के लिए नियमित रूप से फोन/ ईमेल/ लाइव चैट के माध्यम से "वन–टू–वन" मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़

प्रत्येक 3 सफल उम्मीदवारों में से 2 Vision IAS की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज को चुनते हैं। Vision IAS के पोस्ट टेस्ट एनालिसिस के तहत टेस्ट पेपर में स्टूडेंट्स के प्रदर्शन का विस्तार से विश्लेषण एवं समीक्षा की जाती है। यह अपनी गलतियों को जानने एवं उसमें सुधार करने हेतु काफी महत्वपूर्ण है।

कोई क्लास मिस ना करें

प्रत्येक अभ्यर्थी को एक व्यक्तिगत "स्टूडेंट पोर्टल" उपलब्ध कराया जाता है। इस पोर्टल के जरिए अभ्यर्थी किसी भी पुराने क्लास या छूटे हुए सेशन और विभिन्न रिसोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं एवं अपने प्रदर्शन का सापेक्ष एवं निरपेक्ष मूल्यांकन कर सकते हैं।

बाधा रहित तैयारी

अभ्यर्थी VisionIAS के क्लासरूम लेक्चर्स एवं विभिन्न रिसोर्सेज़ को कहीं से भी तथा कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और वे इन्हें अपनी जरुरत के अनुसार ऑर्गनाईज कर सकते हैं।

Heartiest
Congratulations
to all Successful Candidates

10 in **TOP 10** Selections in **CSE 2024**
from various programs of **Vision IAS**

1 AIR Shakti Dubey

2 AIR Harshita Goyal
GS Foundation Classroom Student

3 AIR Dongre Archit Parag
GS Foundation Classroom Student

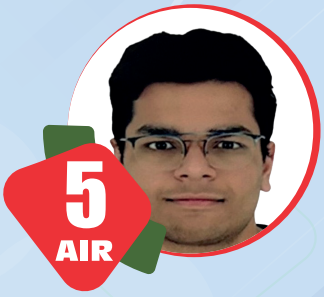

4 AIR Shah Margi Chirag

5 AIR Aakash Garg

6 AIR Komal Punia

7 AIR Aayushi Bansal

8 AIR Raj Krishna Jha

9 AIR Aditya Vikram Agarwal

10 AIR Mayank Tripathi

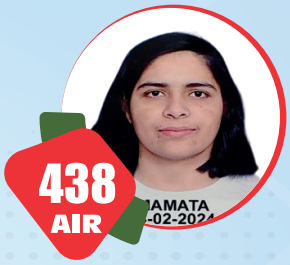

हिंदी माध्यम में 30+ चयन CSE 2024 में

137 AIR Ankita Kanti

182 AIR Ravi Raaz

438 AIR Mamata

448 AIR Sukh Ram

509 AIR Amit Kumar Yadav

HEAD OFFICE
DELHI
33, Pusa Road,
Near Karol Bagh Metro Station,
Opposite Pillar No. 113,
Delhi - 110005

MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor,
Mukherjee Nagar, Opposite Punjab
& Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office,
above Gate No. 2, GTB Nagar
Metro Building, Delhi - 110009

FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call:
+91 8468022022,
+91 9019066066

enquiry@visionias.in /@visioniashindi /visionias.upsc /vision_ias_hindi/ /hindi_visionias